Wednesday, 08 April, 1970

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

Fumigation Unit
4-8-92
Fumigated
On 3..2..84
Parliament Library

[खंड 39 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XXXIX Contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 33 बुधवार, 8 अप्रैल, 1970/18 चैत्र 1892 (शक)

No. 33, Wednesday, April 8, 1970/Chaitra 18, 1892 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
871	एशिया के गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का मार्च, 1970 में कोलम्बो में हुआ सम्मेलन	Asian Non-aligned Nations conference held in Colombo in March, 1970	1–6
872	जम्मू तथा काश्मीर की पनबिजली क्षमता	Hydel capacity of Jammu and Kashmir	6–10
874	भाखड़ा की नहरों की मरम्मत	Repairs to Bhakra Canals	10–11
875	हायड्रो स्टेशनों में काम करने वाले कर्मचारियों पर हायड्रोजीन सल्फाइड गैस का प्रभाव	Effect of Generation of Hydrogen Sulphide Gas on staff working in Hydro stations	12–14
880	पाकिस्तान द्वारा अरब देशों में भारत विरोधी अभियान	Anti-India Campaign by Pakistan in Arab countries	14–15
881	वर्ष 1970-71 के दौरान इन्जीनियरिंग सामान का निर्यात	Export of Engineering Goods during 1970-71	16–17
882	विखंडन प्रतिक्रियाओं पर आधारित आण्विक हथियार बनाने के लिये अपेक्षित औजार	Instruments required for making Nuclear Weapons based on Fission Reactions	17–19
	अल्प-सूचना प्रश्न	SHORT NOTICE QUESTIONS	
15	आसाम में अतिरिक्त तेल शोधन क्षमता और पेट्रो रसायन उद्योग समूह के बारे में प्रधान मंत्री के आश्वासन	Prime Minister's Assurances re. Additional Refining Capacity and Petro Chemical Complex in Assam	19–26

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

तारांकित प्रश्न संख्या			
873	फारस की खाड़ी में भारतीय तीर्थ यात्रियों का डूब जाना	Indian Pilgrims drowned in Persian Gulf	26
876	पाकिस्तान में पद्मा नदी पर गंगा बांध परियोजना का प्रभाव	Effect of Ganga Dam Project on River Padma in Pakistan	26

* किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign† marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्रा० सं० S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
877	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा एक नया विमान तैयार किया जाना Development of a new Aircraft by Hindustan Aeronautics Ltd.	27
878	चीन से वापस आने वाले विद्रोही नागाओं के पास से पकड़े गये कागजात जिनमें उनके उत्तर वियतनाम के दौरे का उल्लेख है Documents captured from China Returned Nagas containing References Re. their Visit to North Viet Nam	27
879	निर्यात शुल्क में कमी किये जाने के कारण चाय तथा पटसन के निर्यातकों द्वारा कमाया गया लाभ Profits made by the Tea and Jute exporters due to reduction in Export Duty	27–28
883	भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल महासंघ द्वारा वैदेशिक व्यापार के राष्ट्रीयकरण का विरोध FICCI'S Opposition to the Nationalisation of Foreign Trade	28
884	विदेशों में शो रूमों पर किया गया अधिक खर्च High expenditure incurred on show rooms in Foreign countries	28–29
885	राज्य व्यापार निगम को दिये गये क्रयादेशों का पूरा किया जाना Execution of purchase orders on STC	29
886	सिले सिलाये वस्त्रों के आयात पर से रोक/प्रतिबन्ध हटाना Lifting of Restriction/Ban on Import of Ready Made Garments	29–30
887	अमरीका द्वारा पाकिस्तान को पनडुब्बी की सप्लाई Supply of submarine by U S A to Pakistan	30
888	देश में खपत के लिये बनाये गये कपड़े की किस्मों में कमी और उनका मानकीकरण Standardisation and Reduction in the varieties of cloth produced for Domestic Consumption	30
889	मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आदिवासियों के उत्पादन के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता Centre's Special Aid for Uplift of Adivasis in Chhattisgarh Area of Madhya Pradesh	30–31
890	नेपाल में विनियोजित समूची भारतीय पूंजी का राष्ट्रीयकरण करने के लिये नेपाल का प्रस्ताव Nepal's proposal to Nationalise All India Capital invested in Nepal	31
891	माल का निर्यात करने के लिये लघु उद्योगों को प्रोत्साहन Incentive to small scale industries to Export goods	31–32
892	हाइड्रोसल्फेड सोडा के आयात पर रोक Ban on the Import of Hydro sulphate of Soda	32–33
893	भारत में हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में इसरायल की भागिता Israeli Participation in International Conferences held in India	33

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता॰ प्र॰ स॰ S. Q. Nos,		
894 भाखड़ा प्रबन्धक और व्यास निर्माण मंडलों के कर्मचारियों को नौकरियों की शर्तें	Terms and conditions of the Employees of Bhakra Management and Beas Construction Boards	33–34
895 लाओस को चिकित्सा सहायता	Medical Aid to Laos	34
896 मार्च, 1970 में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में सिंचाई की समस्या के बारे में विचार	Discussion regarding Irrigation problem at National Development Council Meeting held in March, 1970	34–35
897 एल्युमीनियम के निर्यात पर रोक	Ban on the export of Aluminium	35
898 वर्ष 1969-70 के लिये दिल्ली के लिये स्वीकृत ऋण राशि देने में विलम्ब के सम्बन्ध में दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद का वक्तव्य	Statement of Chief Executive Councillor of Delhi regarding delay in release of Loan Amount approved for Delhi for 1969-70	35
899 भारत पाकिस्तान नहरी जल संधि की अवधि की समाप्ति के बाद राजस्थान को गंगा और भाखड़ा नहरों से पानी सप्लाई	Supply of water to Rajasthan from Ganga and Bhakra Canals after expiry of Indo-Pak Canal Water Treaty	36
900 तमिलनाडू के मुख्य मंत्री द्वारा चौथी योजना के बारे में की गई मांगें	Demands made by Chief Minister of Tamil Nadu in regard to Fourth Plan	36-37
अतारांकित प्रश्न संख्या U.S. Q. Nos.		
5526 हीरों का निर्यात	Export of diamonds	37-38
5527 गुजरात राज्य में विदेशों से उपहार के रूप में प्राप्त ट्रैक्टर	Tractors received as Gift from foreign countries in Gujarat State	38
5528 सूती धागे का निर्यात	Export of Cotton Yarn	38-39
5529 संसद् सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा सैगोन तथा नोम पेन का दौरा	Visit by M. Ps. delegation to Saigon and Phnom Penh	39–40
5530 अफ्रीकी एशियाई एकता संस्था	Afro Asian Solidarity Association	40–41
5531 रूस के साथ माल डिब्बों के बारे में सौदा	Wagon deal with Russia	41
5532 अश्लील साहित्य का आयात	Import of Obscene Literature	41–42
5533 कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इंडिया) के पुनर्गठन सम्बन्धी अध्ययन दलों के प्रतिवेदन	Reports of Study Groups on Reorganisation of Canteen Stores Department (India)	42–43
5534 सशस्त्र सेना मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा वर्दियों पर नाम पट्टे लगाना	Wearing of Name plates on Uniforms by Officers of Armed Forces Headquarter	43

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० स० S. Q. Nos.		
5535 कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इंडिया) द्वारा चलाये जाने वाले गैरीजन सिनेमा	Garrison Cinemas run by Canteen Stores Department (India)	43–45
5536 कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इंडिया) द्वारा चलाये जाने वाले गैरीजन सिनेमाओं के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते आदि का न दिया जाना	Non-payment of overtime Allowance etc. to the Employees of Garrison Cinemas Run by Canteen Stores Department (India)	45
5537 गुजरात में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं	Public Sector Projects in Gujarat	45–46
5538 पपीते तथा पैक्टिन का उत्पादन	Production of papaia and Pectin	46
5539 भारत में बांटे जा रहे अमरीकी तथा रूसी प्रचार साहित्य पर रोक	Curb on propaganda literature of USA and USSR circulating in India	46–47
5540 कोयले का भंडार जमा होना और उसका निर्यात	Accumulation of coal stocks and export thereof	47
5541 1966-69 में विदेश गये भारतीय प्रतिनिधि मंडल	Indian Delegations which went Abroad during 1966-69	47–48
5542 छावनी बोर्ड, नसीराबाद में अनुसूचित जातियों के सदस्यों की उनकी जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि	Increase in the Number of Scheduled Caste Members in Proportion to their Population in Cantonment Board- Nasirabad	48
5543 पोंग बांध से हटाये गये लोगों के पुनर्वास के लिये संसद् सदस्यों और हिमाचल विधान सभा के सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल की प्रधान मंत्री से भेंट	Deputation of Members of Parliament and Members of Legislative assemblies of Himachal Pradesh to Prime Minister for Rehabilitation of oustees of Pong Dam	48–49
5544 बड़ौदा शहर का सर्वेक्षण करने के लिये योजना आयोग द्वारा बड़ौदा विश्वविद्यालय को दी गई वित्तीय सहायता	Financial aid provided to Baroda University for survey of Baroda City by Planning Commission	49
5546 चीन द्वारा अधिकृत भारतीय क्षेत्र के बारे में पेकिंग रेडियो से प्रसारण	Peking Radio Broadcasts regarding Indian Territory Occupied by China	49–50
5547 उपहार योजना के अन्तर्गत ट्रैक्टरों की प्राप्ति के लिये पंजाब तथा गुजरात में किसानों के अनिर्णित आवेदन पत्र	Applications pending from farmers in Punjab and Gujarat for Receipt of Tractors under gift scheme	50
5548 भारतीय भैंसों के लिये उगांडा की मांग	Request from Uganda for Indian Buffaloes	50
5549 मूंगफली और अलसी की खली का निर्यात और इसका गाय के दूध की मात्रा पर पड़ने वाला प्रभाव	Export of Groundnut oil cake and linseed oil cake and its effect on Milk Yield of cows	50–51

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० स० U. S. Q. Nos.		
5550 पूनिया, बिहार के खेतों पर रेत का प्रभाव	Effect of sand deposits in fields of Purnea, Bihar	51–52
5551 हेग में विश्व न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिये भारतीय प्रत्याशी के चुनाव पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा	Foreign exchange spent on Election of Indian Candidate for Judgeship of the world court at the Hague	52
5552 दिल्ली में निर्जल गोदी स्थापित करने के बारे में जांच करने के लिये नियुक्त समिति का प्रतिवेदन	Report of the Committee appointed to examine the setting up of dry port at Delhi	52–53
5553 7-3-70 को दिल्ली में सैनिक चांदमारी क्षेत्र में गोली चलने से ग्रामीण की मृत्यु	Villager killed due to Army Range firing in Delhi on 7.3.70	53
5554 छिपे नागाओं द्वारा आत्म समर्पण	Surrender by underground Nagas	54
5555 नसीराबाद छावनी क्षेत्र में भूमि की बिक्री पर प्रतिबन्ध	Ban on sale of land in Nasirabad Cantonment Area	54
5556 भागलपुर के बुनकरों को नियंत्रित मूल्यों पर सूत की अनुपलब्धता	Non—availability of staple yarn at controlled prices to Bhagalpur Weavers	55
5557 प्रति व्यक्ति कम आय वाले राज्यों को 800 करोड़ रुपये की प्रस्तावित विशेष सहायता के नियतन के लिये मध्य प्रदेश सरकार का सुझाव	Suggestion by Madhya Pradesh Government for Allocation of proposed special Assistance of Rs. 800 crores to States with a Lower Per Capita Income	55–56
5558 उत्तर प्रदेश की प्राजैक्ट एसिस्ट योजना	Project Assist Scheme of U.P.	56
5559 चौथी योजना में उड़ीसा के लिये योजना सम्बन्धी परिव्यय	Total Plan outlay for Orissa in Fourth Plan	56–57
5560 उत्तर बिहार के पिछड़े जिले	Backward Districts in North Bihar	57
5561 चौथी योजना में जनसंख्या के आधार पर बिहार, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान को केन्द्रीय सहायता देना	Grant of Central Aid to Bihar, U.P. and Rajasthan for Fourth Plan on Population Basis	57–58
5562 1969 में अलौह धातुओं का आयात	Import of non-ferrous metals during 1969	58–59
5563 तमिलनाडु में हथकरघा बुनकरों को कच्चे रेशम की सप्लाई	Supply of Raw Silk to Handloom Weavers in Tamil Nadu	59
5564 इलैक्ट्रानिक पुर्जों का निर्यात	Production of Electronic Components	59–60
5565 भटिंडा (पंजाब) स्थित ताप बिजली घर की क्षमता	Capacity of the Thermal plant at Bhati da (Punjab)	60

अता० प्र० स० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5566	रेमन्ड वूलन मिल्स लिमिटेड, बम्बई की क्षमता का विस्तार	Expansion of capacity of Raymond Woollen Mills Ltd., Bombay	60–61
5567	ग्राम्य विद्युतीकरण निगम द्वारा व्यय की गई राशि	Amount spent by Rural Electrification Corporation	61
5568	दारस्सलाम में गुट निरपेक्ष देशों की प्रारम्भिक बैठक के बारे में वैदेशिक कार्य सचिव की अफ्रीकी देशों की यात्रा	Foreign Secretary's visit to African countries regarding non-aligned preparatory meet at Dar-Es-Salam	61–62
5569	विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी सम्बन्धी समिति	Committee on Science and Technology	62
5570	ब्रिटेन में कीनियाई भारतीयों के प्रवेश के लिये नया सूत्र	New formula for entry of Kenyan Indians in U.K.	62–63
5571	पारगमन सुविधाओं के बारे में नेपाल द्वारा भारत पर आरोप	Nepal's allegations against India regarding Transit facilities	63
5572	त्रिनिडाड के दंगों में भारतीय कारखाने का जल कर राख हो जाना	Indian factory gutted in Trinidad riots	63–64
5573	इस समय प्रतिरक्षा मंत्रालय में काम कर रहे पुनर्वास विभाग के भूतपूर्व निम्न श्रेणी लिपिकों को स्थायी तथा पदोन्नत करना	Confirmation and promotion of former LDCs. of Rehabilitation Department now working in Ministry of Defence	64
5574	कुट्टियाडी तथा पम्बा सिंचाई परियोजना के लिये केरल को अतिरिक्त सहायता	Additional assistance to Kerala for Kuttiadi and Pamba Irrigation Project	64–65
5575	स्थल सेना क्रय संगठन के क्रय कार्यक्रम में बीड़ियों को शामिल करने का केरल सरकार का अनुरोध	Request by Kerala Government to include Beedies in Pruchase programme of Army Purchase organisation	65
5576	नारियल जटा के धागे पर निर्यात शुल्क	Export duty on Coir Yarn	65–66
5577	सूती धागे के मूल्य में वृद्धि होने के कारण केरल में हथकरघा उद्योग में संकट	Crisis in Handloom Industry in Kerala due to rise in price of Cotton Yarn	66
5578	समुद्र से प्राप्त होने वाले उत्पादों का निर्यात	Export of Marine Products	67
5579	चीन द्वारा निर्मित काठमांडू-कोडारी सड़क पर आने जाने पर प्रतिबन्ध	Restrictions on movement on Chinese Built Kathmandu Kodari Road	67
5580	बिहार सरकार द्वारा सिंचाई दरों में 50 प्रतिशत वृद्धि	Increase in Irrigation Rates by 50 per cent by Bihar Government	67–68
5581	वैदेशिक कार्य मंत्रालय में महिला कर्मचारी	Women Employees in the Ministry of External Affairs	68

अता० प्र० स० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5582	सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में प्रतिनियुक्त कर्मचारी	Staff on deputation in the Ministry of Irrigation and Power	68
5583	बैंक राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रावदा द्वारा आलोचना	Pravada's criticism about Supreme Court judgment on Bank Nationalisation	68–69
5584	तांबा निकालने के लिये परमाणु विस्फोटों का प्रयोग	Use of Nuclear Explosives for Extracting Copper	69
5585	भारत का पौलैंड के मेले में भाग लेना	India's participation in Polish Fair	69
5586	नेपाली व्यापार के लिये कलकत्ता में पत्तन सुविधाएँ	Port Facilities at Calcutta for Nepalese Trade	69–70
5587	आयातित रूई तथा तन्तुकों का वितरण	Distribution of imported cotton and staple Fibre	70
5588	बम्बई में नौसैनिक गोदी (डाक यार्ड) का पूरा होना	Completion of Naval Dockyard at Bombay	71
5589	काहिरा के दूतावास अधिकारी के साथ एक संसद् सदस्य की झड़प	M.Ps. clash with Cairo Embassy official	71
5590	भारत में कार्य कर रहे अनधिकृत विदेशी सांस्कृतिक केन्द्र, पुस्तकालय आदि	Unauthorised Foreign Cultural Centres, Libraries etc. functioning in India	71–72
5591	1969-70 में राजस्थान को सिंचाई परियोजना के लिये अनुदान	Grants to Rajasthan for Irrigation scheme in 1969–70	72
5592	जापान में एक्सपो 70 प्रदर्शनी पर खर्च	Expenditure on Expo-70 Exhibition in Japan	73
5593	गैर सरकारी/सरकारी क्षेत्र में प्रतिरक्षा साज सामान का निर्माण	Production of Defence Equipments in Private—Public Sector	73–74
5594	जेद्दाह बैठक में भारतीय संवाददाताओं के प्रवेश पर रोक	Indian journalists denied entry in Jeddah meet	73–74
5595	चीन द्वारा वर्ष 1970 में आक्रमण किये जाने की सम्भावना न होना	No possibility of an Attack by China in 1970	74
5596	राज्य व्यापार निगम द्वारा विदेशों में गोदाम स्थापित करना	Setting up of warehouses by STC in Foreign Countries	75
5597	पूर्वी पाकिस्तान से त्रिपुरा में शरणर्थियों का आगमन	Refugee Influx from East Pakistan into Tripura	75
5598	अन्तर्राज्यीय नदी विवादों के लिए स्थायी प्राधिकरण की स्थापना	Establishment of Permanent Authority for Inter-State River Disputes	75–76

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Page
5599	राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले का विकास	Development of Sawai Madhopur District of Rajasthan	76
5600	परमाणु भट्टियों में प्लूटोनियम का उप-उत्पाद के रूप में उत्पादन	Production of Plutonium as By products in Nuclear Reactors	76–77
5601	तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा आयात लाइसेंस को फिर से वैध कराने के लिए आवेदन	Revalidation of the Import licence applied by Tamil Nadu Industrial Development Corporation Ltd.	77
5602	दिल्ली में गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन	Non-aligned summit in Delhi	77
5603	इन्डोनेशिया को विकास सहायता	Development assistance to Indonesia	78
5604	कपड़ा संगठन समिति की सिफारिशें अस्वीकृत करना	Rejection of the Recommendations made by the Textile Organisation Committee	78
5605	स्वीडन द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई	Supply of Arms by Sweden to Pakistan	78–79
5606	भारत अफगानिस्थान व्यापार वार्ता	Indo-Afghan Trade Talks	79
5607	हिन्द महासागर में विदेशी पनडुब्बियां	Foreign Submarines in the Indian ocean	79
5608	पंजाब और हरयाणा में बिजली के बिल वसूल करने के नियम	Rules for Realising Electricity charges in Punjab and Haryana	79–80
5609	जूतों के निर्यात के लिए सरकारी क्षेत्र में जूता कारखाने स्थापित करना	Setting up of Shoe Factories in Public Sector for export of shoes	80
5610	बिहार में पम्पिग सैट लगाना	Floating of pumping sets in Bihar	80–81
5611	नदी घाटी योजनाओं को पूरा करने हेतु ड्रिलिंग रिगों तथा बोरिंग पाइपों का निर्माण	Production of Drilling Rigs and Boring pipes for completion of River Valley Scheme	81
5613	ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये मंत्रालय में एक पृथक कक्ष का गठन	Construction of separate cell in Ministry for dealing with Rural Electrification	81–82
5614	कच्चा ट्रिबू पर श्रीलंका का दावा	Ceylonese claim over Kachchativu	82
5615	सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में योजना प्राथमिकतायें	Plan priorities in Public and Private Sector	82–83
5616	पुलगाँव स्थित सेना आयुधशाला से चुराये गये कारतूस	Cartridges stolen from Army Arsenal at Pulgaon	83
5617	भारतीय फर्मों द्वारा अनिवार्य 10 प्रतिशत निर्यात	Compulsory 10 per cent exports by Indian Concerns	83–84

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5618	संसद् सदस्यों के पत्र	Letters received from Members of Parliament	84
5619	सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय को संसद् सदस्यों से प्राप्त पदों के उत्तर देने में विलम्ब	Disposal of letters received by the Ministry of Irrigation and Power from M. Ps.	84–85
5620	वैदेशिक कार्य मंत्रालय को संसद् सदस्यों से प्राप्त पत्रों के उत्तर देने में विलम्ब	Delay in replying to letters received in the Ministry of External Affairs from M. Ps.	86
5621	प्रतिरक्षा मंत्रालय को संसद् सदस्यों से प्राप्त पत्रों के उत्तर देने में विलम्ब	Delay in disposal of letters received in the Ministry of Defence from the M. Ps.	86–87
5622	प्रधान मंत्री से सचिवालय को संसद् सदस्यों से प्राप्त पत्रों के उत्तर देने में विलम्ब	Delay in Replies to letters by P. M. Sectt. written by M. Ps.	87
5623	गत तीन वर्षों में राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं के लिए मंजूर की गई राशि	Amount sanctioned for irrigation projects in Rajasthan for last three years	87–88
5624	प्रायोगिक उपग्रह परियोजना के बारे में अणुशक्ति विभाग तथा नासा के बीच करार की आलोचना	Criticism of agreement between the Department of Atomic Energy and NASA on experimental Satellite project	88–89
5625	मध्य प्रदेश में शक्तिचालित करघे लगाना	Installation of powerlooms in Madhya Pradesh	89
5626	मध्य प्रदेश में कपड़ा मिलों का बन्द होना	Closure of Textile Mills in Madhya Pradesh	89
5627	उत्तरी क्षेत्र में औद्योगिक तथा कृषि परियोजनाओं के लिए बिजली की मांग	Demand for power for industrial and Agricultural projects in Northern Region	89–90
5628	नदियों के सम्बन्ध में अन्तर्राज्यीय विवादों में वृद्धि	Increase in inter-state disputes over Rivers	90
5629	विदेशों में भारत का सही चित्र रखने के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत	Guide lines for projecting Indian Image in foreign countries	91
5630	रेशेदार सूत (स्टेपल फाइबर) का उत्पादन तथा मांग	Production and Demand of Staple Fibre	91–92
5631	आयुध कपड़ा कारखानों में कार्यभार की स्थिति में सुधार	Improvement in work load position of ordnance clothing factories	92
5632	वर्गीकरण न्यायाधिकरण की स्थापना	Establishment of a classification Tribunal	92–93

अता० प्र० स० U. S. Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5633	भारत में निर्मित परम्परागत हथियारों के लिये विदेशों से मांग	Demand from foreign countries for conventional weapons manufactured in India	93
5634	19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण विभिन्न प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की पदोन्नति न की जाना	Employees in various defence Establishments not promoted due to their participation in 19th September, 1968 strike	93–94
5635	नारियल की भूसी को गलाने के लिये लाइसेंस शुल्क कम करना	Reduction in licence fee for retting coconut Husk	94
5636	भारत द्वारा रोडेशियाई अफ्रीकी तथा शोषित जनता सहायता समिति का गठन	Formation of Aid to Rhodesian African and exploited people committee by India	94
5637	अमरीका को महलिाओं के अधोवस्त्रों का निर्यात	Export of Female underwear goods to USA	94
5638	जल, ताप तथा आण्विक शक्तियों से विद्युत का उत्पादन करने के लिए धन का नियतन	Allotment of Funds for Production of Electricity from Hydro, Thermal and Nuclear Powers	95
5639	नये आयुद्ध कारखानों की स्थापना	Setting up of New Ordnance Factories	95
5640	23 जनवरी, 1970 को एक विमान दुर्घटना के कारणों की जांच	Enquiry into the causes of the crash of an Aircraft on 23rd January, 1970	95
5641	राज्य व्यापार निगम द्वारा सोडियम हाइड्रोसल्फेट का आयात	Import of Sodium Hydrosulphate by STC	96
5642	अफगानिस्तान में कंधार-जहीदान सड़क के निर्माण में भारत का सहयोग	Indian Cooperation in construction of Kandhar Zahidan Road in Afghanistan	96
5643	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड और भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश में कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up plants in U. P. by H. A. L. and Bharat Electronics	96–97
5644	सांस्कृतिक केन्द्रों के बारे में दिया गया नोटिस	Notices served on cultural centres	97
5645	दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजलीघरों की स्थापना	Setting up of Power Generation Units by Damodar Valley Corporation	97–98
5646	हथकरघा उत्पादों का निर्यात	Export of Handloom Projects	98
5647	मनीपुर प्रशासन द्वारा पुराने इंजिनों की खरीद	Purchase of Second Hand Engines by the Manipur Administration	98

अता० प्र० स० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5648	1969-70 में संघ राज्य क्षेत्रों में बिजली की प्रति नियुक्ति	Per capita consumption of Electricity per annum in Union Territories during 1969–70	99
5649	मनीपुर के बिजली परियोजना प्रभाग के कर्मचारियों की संख्या	Strength of the Electricity project division of Manipur	100
5650	सामरिक परमाणु हथियारों का निर्माण	Production of Tactical Nuclear Weapons	100–101
5651	विदेशों में कार्य कर रही भारतीय सांस्कृतिक संस्थायें तथा भारत में ऐसे संगठन	Indian cultural organisations run in foreign countries and comparable organisations in India	101
5652	कारगलि, लद्दाख में बिजली	Electricity in Kargil, Ladakh	101
5653	विशेष इस्पात का आयात	Import of special steel	101–102
5654	औद्योगिक कच्चे माल के आयात को अपने हाथ में लेने के प्रस्ताव का विरोध	Opposition to the proposal for taking over of import of Industrial Raw Materials	102
5655	भारत में विदेशी दूतावासों द्वारा व्यय	Expenses incurred by foreign Embassies in India	102–103
5656	साराभाई मर्क लिमिटेड द्वारा आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग	Misuse of import licences by the Sarabhai Merck Limited	103
5657	सैनिक अधिकारियों के विदेशी महिलाओं के साथ विवाहों में वृद्धि	Increase in marriages of Army officers with foreign women	103
5658	सैनिक अधिकारियों की सेवा निवृत्ति आयु	Retirement age of Military officers	103–104
5659	महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत सिंचाई योजनाएं	Irrigation schemes submitted by Maharashtra	104
5660	व्यास बांध परियोजना के कर्मचारियों को वाहन सम्बन्धी सुविधाएं	Conveyance facilities to employees of Beas dam project	104–105
5661	सैनिक प्रशिक्षण के लिये चीन जाने वाले विद्रोही नागाओं की अनुमानित संख्या	Estimated number of Rebel Nagas going to China for Military Training	105
5662	आयात निर्यात विनियम का उल्लंघन	Violation of import/export regulation	105
5663	बी ट्विल का भंडार	Stocks of 'B' Twill	105–106
5664	राजकीय व्यापार निगम द्वारा सुपारी और लौंग दिये जाना	Release of Betelnuts and Cloves by STC	106–107
5665	भारतीय समुद्री खाद्य पदार्थ निर्यातक संस्था कोचीन के सचिव से ज्ञापन पत्र	Memorandum from the Secretary, Sea Food Exporters Association of India, Cochin	107

अता० प्र० स० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5666	यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा हस्तशिल्प की वस्तुओं के आयात पर दी गई रियायत	Concessions given by EEC on the Import of Handicrafts	107–108
5667	राज्य व्यापार निगम द्वारा औषधियों के कच्चे माल के आयात को अपने हाथ में लेना	Taking over of import of raw materials of drugs/medicines by the State Trading Corporation	108–109
5668	कमला तटबन्ध का सीसपानी तक विस्तार	Extension of Kamala Embankment upto Sisapani	109–110
5669	केरल को कांजीरापुजा और थाजस्सी सिंचाई परियोजनाओं के लिये अतिरिक्त सहायता	Additional Assistance to Kerala for Kanjirapuzha and Thazhassi Irrigation Projects	110
5670	अमरीका द्वारा तुर्की के माध्यम से पाकिस्तान को टैंक बेचना	Sale of Tanks by USA to Pakistan through Turkey	110
5671	पाकिस्तान द्वारा वायु सीमा का अतिक्रमण	Violation of Air space by Pakistan	110-111
5672	हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में हैंगर का टूटना	Crash of Hangar in Hindustan Aeronautics Ltd.	111
5673	आयुध कारखानों में सहायक फोरमैन तथा फोरमैन की पदोन्नति	Promotion of Assistant Foremen and Foremen working in Ordnance Factories	112
5674	कृष्णा गोदावरी अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद सम्बन्धी बचावत न्यायधिकरण	Backwat. Tribunal on Krishna-Godawari Inter-State River Water Disputes	112–113
5675	हैदराबाद में अमरीकी वाचनालय का बन्द होना	Closure of US Reading Room in Hyderabad	113
5676	सूखे की समस्याओं को हल करने लिए भारत की बड़ी-बड़ी नदियों को जोड़ना	Linking of Major Rivers of India to solve problem of drought	113–114
5677	पाकिस्तानी विमानों द्वारा भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन	Violation of Indian Airspace by Pakistan Planes	114
5678	पेंशन बढ़ाने के लिए केरल के पुन: नियोजित भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों से अभ्यावेदन	Representation from Re-employed Ex-servicemen of Kerala for Enhancement of pension	114–115
5679	इलैक्ट्रानिक उद्योग का मूल्याकंन करने के लिए इलैक्ट्रानिक सम्बन्धी राष्ट्रीय सम्मेलन	National conference on Electronics for assessment of Electronic Industry	115–116

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० स० U. S. Q. Nos.		
5680 चौथी योजना में तमिलनाडु के लिये आवंटित राशि में केन्द्र का अंशदान	Centre's share of amount allotted to Tamil Nadu for Fourth Plan	116-117
5681 अमरीका का निर्यात बढ़ाने के लिये राजकीय व्यापार निगम को सलाह देने हेतु गठित समिति	Committee set up to advise STC to increase exports to USA	117
5682 आयुध कारखानों में हथियारों और गोला बारूद बनाने में धीमी प्रगति	Slow progress in manufacturing of weapons and ammunition in ordnance factories	117
5683 विदेशी दूतावासों के भवनों में स्थित सूचना केन्द्र	Information centres housed in foreign embassy buildings	118
5684 कच्चे माल के आयात पर लगाये गये प्रतिबन्ध का लघु उद्योगों पर प्रभाव	Impact of the restrictions imposed on the import of raw materials on the Small Scale Industries	118
5685 प्रतिरक्षा विभागों में सिवीलियन स्कूल अध्यापकों की भर्ती के लिए सेवा की शर्तें	Terms and conditions of service for recruitment of civilian school teachers in Defence Department	119
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की और ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	
पाकिस्तान को टैंक सप्लाई करने के बारे में सोवियत संघ का कथित निर्णय	Reported decision of USSR to supply tanks to Pakistan	
पटेल-चौक पर हुये पुलिस लाठी चार्ज में घायल लोगों के बारे में	Re : Persons injured in police lathi charge at Patel Chowk	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	
लोक सेवा समिति	Public Accounts Committee	
95 वां प्रतिवेदन	Ninety-fifth Report	
अनुदानों मागें 1970-71	Demands for Grants 1970-71	
वैदेशिक कार्य मंत्रालय	Ministry of External Affairs	
श्री एस० एम० जोशी	Shri S. M. Joshi	
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua	
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandrajeet Yadav	
श्री अब्दुल गनीदार	Shri Abdul Ghani Dar	
श्री कृष्ण मेनन	Shri Krishna Menon	
श्री बे० कृ० दास चौधरी	Shri B. K. Das Chowdhury	
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh	
सिंचाई और विद्युत मंत्रालय	Ministry of Irrigation and Power	
श्री चेंगलराया नायडू	Shri Changalraya Naidu	

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० स० U. S. Q. Nos.		
डा० कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh	
श्री को० सूर्यनारायण	Shri K. Surayanarayana	
श्री रामचन्द्र ज० अमीन	Shri Ramchandra J. Amin	
श्री ब्रजराज सिंह कोटा	Shri Brij Raj Singh Kotah	
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद	Shri Siddheshwar Prasad	
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour discussion	
दिल्ली में हिप्पी	Hippies in Delhi	
श्री एस० आर० दामानी	Shri S. R. Damani	
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan hukla	

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 8 अप्रैल, 1970/18 चैत्र, 1892 (शक)
Wednesday, April 8, 1970/Chaitra 18, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER IN THE CHAIR]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

एशिया के गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का मार्च 1970 में कोलम्बो में हुआ सम्मेलन

*871. **श्री सामिनाथन :** **श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशिया के गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का 23 मार्च, 1970 को कोलम्बो में एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) क्या भारत ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) कोलम्बो में, 23 से 24 मार्च, 1970 तक कुछ गुट निरपेक्ष एशियाई राष्ट्रों की एक अनौपचारिक बैठक हुई थी। इसमें भाग लेने वाले राष्ट्रों में भारत भी एक था।

(ग) कोलम्बो बैठक का उद्देश्य दार-एस-सलाम में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के होने वाले आगामी प्रारंभिक सम्मेलन में विभिन्न पहलुओं पर विचार-विनिमय करना था, जिसमें इस कार्य सूची और कार्य विधि तथा सहयोग के लिए मानदण्डों के प्रश्न पर विचार करना भी शामिल था।

श्री नि० रं० लास्कर : मैं पहले यह जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री दारेस्लाम शिखर सम्मेलन में हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे ?

दूसरे, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को उक्त सम्मेलन में भाग ले रहे तटस्थ देशों से पर्याप्त आश्वासन प्राप्त हुए हैं कि उक्त शिखर सम्मेलन में प्रवेश के नियमों में ढील नहीं दी जायेगी। आपको विदित ही है कि तटस्थ देशों में पाकिस्तान के मित्र देश भी हैं जो इस प्रश्न को उठाने का प्रयास करेंगे और हमारे देश को परेशान करेंगे।

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : दारेस्सलाम में होने वाला सम्मेलन शिखर सम्मेलन नहीं होगा बल्कि यह प्रारम्भिक सम्मेलन है। हमने अभी इस बात का निर्णय नहीं किया है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेगा। जहां तक कसौटी का प्रश्न है, सर्वसम्मति से यह निर्णय किया गया प्रतीत होता है कि पहले अपनाई गई कसौटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इसको प्रारम्भिक बैठक में परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

श्री नि० रं० लास्कर : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या आप शिखर सम्मेलन के लिये सहमत हैं ?

श्री दिनेश सिंह : जब हम शिखर सम्मेलन के पूर्व प्रारम्भिक सम्मेलन में जाते हैं तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हम शिखर सम्मेलन के आयोजित किये जाने के पक्ष में हैं लेकिन इसका ब्यौरा, तारीख और स्थान का प्रबन्ध दारेस्लाम सम्मेलन के बाद ही किया जायेगा। यह शिखर सम्मेलन राज्याध्यक्षों का होगा। यदि हम उक्त शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं तो वहां हमारा प्रतिनिधित्व उच्च स्तर का होगा।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : उक्त बैठक में शिखर सम्मेलन के स्थान के बारे में चर्चा की गई थी और हमें पता लगा है कि भारत उक्त सम्मेलन को अपने देश में करने के लिये तैयार नहीं है। क्या मैं इसके कारण जान सकता हूं ?

श्री दिनेश सिंह : हम पहले ही शिखर सम्मेलन इथोपिया में आयोजित करने के लिए सहमत हो गये थे। अत: अब दिल्ली में सम्मेलन आयोजित करने अथवा न करने का कोई प्रश्न ही नही उठता। हमने इथोपिया में सम्मेलन करने का समर्थन किया था।

श्री एस० कन्डप्पन : चाहे हम पसन्द करें अथवा न करें कुछ स्वार्थी देशों द्वारा, जो अन्य राज्यों को इस सम्मेलन में शामिल करवाना चाहते हैं, तटस्थता के आधार को ही खोखला किया जा रहा है। उनको इसमें शामिल करने से तटस्थ नीति की जड़ ही कट जायेगी।

अरब देशों का हाल ही में दौरा करने के बाद मेरी यह धारणा बनी है और मुझे विश्वास है कि विभिन्न अरब देशों तथा दक्षिण पूर्व के देशों का दौरा करने वाले अन्य दलों की भी यह धारणा होगी। क्या माननीय मंत्री स्पष्टतया यह बता सकते हैं कि सम्मेलन की प्रथम बैठक में वे अन्य देशों को सम्मेलन की वास्तविकता और भारत द्वारा अपनाये गये सही रवैये के बारे में सन्तुष्ट कर सकेंगे ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि भारत अन्य देशों को यह बात कहां तक सन्तुष्ट करने में समर्थ होगा कि उक्त तटस्थ देशों का शिखर सम्मेलन वास्तव में तटस्थ देशों का शिखर सम्मेलन रहेगा ?

श्री दिनेश सिंह : यह सच है कि गुट निरपेक्ष सम्मेलन के क्षेत्र का विस्तार करने और उसमें

अन्य देशों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। हम इसके क्षेत्र का विस्तार करने और धीरे-धीरे अन्य देशों को उक्त सम्मेलन में शामिल करने के विरुद्ध नहीं हैं लेकिन वे देश तटस्थ देश होने चाहिये। कुछ गुटों में शामिल होने वाले देश गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भाग लेना चाहते हैं। यदि वे देश गुट निरपेक्ष देश बन जाते हैं और वे उन संधियों का बहिष्कार कर देते हैं, जिनके वे सदस्य हैं तो हमें इस बारे में कोई आपत्ति नहीं। एक देश एक ही समय में गुटों में शामिल या गुटों से अलग नहीं रह सकता। जब वे देश गुटों में शामिल हैं और सन्धि के सदस्य हैं तो उन्हें गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन में शामिल नहीं किया जा सकता। यदि एक बार वे देश गुटों से अलग हो जाते हैं तो उनका गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन में स्वागत है। अन्य गुट निरपेक्ष देशों के भी यही विचार हैं।

श्री चेंगलराया नायडू : ऐसा कौन कहता है कि वे गुट निरपेक्ष देश हैं। उन्होंने रूस से संधि की हुई है।

Shri A. S. Saigal : You have just stated that there have been exchange of views there. I want to know the subjects discussed there.

Shri Dinesh Singh : The discussion was made regarding the proposed preparatory conference. Members expressed these views informally and from the views expressed by them it was clear that the non-aligned countries of Asia have much in common.

There have been misunderstanding regarding non-aligned and aligned countries amongst the Members.

श्री सु० कु० तापड़िया : आप रूस सरकार के पिछलग्गु हैं।

श्री हेम बरुआ : मूल प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने श्रीलंका में चर्चा की गई कार्य सूची के बारे में उल्लेख किया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उक्त कार्य सूची में लाओस और कम्बोडिया की राजनीतिक समस्याओं को शामिल किया गया था; और यदि हां, तो क्या उक्त देशों के बारे में प्रारम्भिक सम्मेलन में विचार किया जायेगा? यदि ऐसा किया जायेगा तो क्या सरकार ने कम्बोडिया और लाओस की समस्याओं के बारे में अपना रुख तैयार कर लिया है? आज गुट-निरपेक्षता के विश्व में विभिन्न रूप हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि उक्त सम्मेलन में कौन-कौन गुट निरपेक्ष देश भाग ले रहे हैं?

श्री दिनेश सिंह : उक्त सम्मेलन में वे सब देश भाग ले रहे हैं जिन्होंने बैलग्रेड में बैठक में भाग लिया था। प्रत्येक देश के विचार करने के अपने-अपने ढंग होते हैं। लेकिन जब तक वे देश तटस्थ देश रहते हैं वे उक्त सम्मेलन में भाग लेने को स्वतन्त्र हैं। कार्य सूची जिस पर अनौपचारिक रूप से चर्चा की गई थी, शिखर सम्मेलन की कार्य सूची नहीं थी लेकिन वह प्रारम्भिक सम्मेलन की कार्य सूची थी। प्रारम्भिक समिति का मुख्य कार्य शिखर सम्मेलन की तैयारी करना है, अतः उसमें राजनीतिक मामलों पर चर्चा नहीं की जायेगी। यह सम्भव है कि वहां कुछ प्रतिनिधि राजनीतिक विषयों पर वक्तव्य देना चाहें।

Shri Jageshwar Yadava : I want to know the names of the countries of Asia who have been included in the non-aligned conference, and whether Pakistan has also been included in that Conference?

Shri Dinesh Singh : No, Sir.

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार तो छः से अधिक प्रश्नों पर चर्चा नहीं की जा सकेगी । क्या आप मुझे अगले प्रश्न पर चर्चा करने की अनुमति देंगे ?

श्री एस० एम० कृष्ण : हमें कुछ और समय दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : तब श्री लकप्पा अपना प्रश्न पूछें ।

श्री लकप्पा : गुट निरपेक्ष का सिद्धांत असफल रहा है क्योंकि जब हमने कुछ पूर्व-एशिया के देशों का दौरा किया था तब हमारी सरकार के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया था कि हमारा देश विश्व में तनाव कम करने के बारे में छोटे तटस्थ देशों से सहयोग प्राप्त करने में असमर्थ रहा है ।

मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि वह एशिया के कुछ देशों से कारगर बातचीत करने में असफल रही है ।

श्री दिनेश सिंह : एशिया के तटस्थ देशों के बीच कारगर बातचीत चल रही है ।

श्री क० लकप्पा : आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है क्योंकि सरकार पर अन्य पक्षों की ओर से दबाव डाला जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : जब विभिन्न संसदीय दल विदेशों में जायेंगे तो उन्हें भय है कि वे भी उनका उल्लेख करेंगे ।

श्री लोबो प्रभु : गुट निरपेक्षता का नारा अब अर्थहीन हो गया है क्योंकि इसका मूलतः शीत युद्ध से सम्बन्ध है । यह सदन माननीय मन्त्री से यह जानना चाहेगा कि गुटबन्दी के क्या कारण हैं और क्या ये गुटबन्दियां शस्त्रास्त्रों, प्रतिरक्षात्म संधियों और आर्थिक संधियों के मामले में हुई हैं क्योंकि अर्थहीन विचारों के कारण साधारणतया अधिक सम्मेलन होंगे जिससे इस देश का बहुत कम लाभ होगा ।

अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह यह बतायें कि गुटबन्दी किन-किन सिद्धांतों पर आधारित है ?

श्री दिनेश सिंह : मुझे माननीय सदस्य को यह बताते हुए हर्ष होगा कि कैरो और बैलग्रेड के मामले में गुटबन्दी की कसौटी क्या थी । मुझे दुःख है कि आपने उसे अभी देखा नहीं है । यह संधि कई वर्ष पुरानी हो चुकी है । गुट निरपेक्षता के बारे में हम सदन में कई बार उल्लेख कर चुके हैं और मुझे आशा है कि मैं इस बार माननीय सदस्य पर यह प्रभाव डालने में सफल हूंगा कि किसी भी पक्ष से अलग रहने का अभिप्राय नकारात्मक पक्ष अपनाना नहीं है । गुट निरपेक्षता की सम्पूर्ण धारणा उन देशों के बीच सहयोग की एक ठोस धारणा है जो अपनी स्वतन्त्रता, प्रभुसत्ता, प्रादेशिक एकता को मानते हैं और समानता की शर्तों पर सहयोग स्थापित करते हैं । स्वतन्त्रता के बाद जो प्रथम समस्या इन देशों के सामने आई है वह यह कि कुछ शक्तिशाली सैनिक गुट संसार पर आधिपत्य कर रहे हैं और स्वतन्त्रता प्राप्त करने वाले नये देशों ने यह विचार प्रकट किया कि वे इन गुटों में शामिल न हों और वे अपनी स्वतन्त्रता और स्वतन्त्र नीतियों की रक्षा करें और वे इन शक्तिशाली देशों की बातों में न आयें । गुटों से अलग रहने का यही आधार है । लेकिन देशों के बीच अपनी स्वतन्त्रता, प्रभुसत्ता, प्रादेशिक एकता की सक्रिय भावना हमेशा ही उपयुक्त रही है ।

श्री बलराज मधोक : माननीय मन्त्री ने अभी गुट निरपेक्षता की कसौटी के बारे में उल्लेख किया था । मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस कसौटी का उन्होंने उल्लेख किया है उसके आधार पर

विश्व का कौन-सा देश गुट निरपेक्ष नहीं है ? क्या विश्व का प्रत्येक देश उक्त कसौटी का पालन करता है ? क्या संयुक्त अरब गणराज्य एक गुट निरपेक्ष देश है ? क्या यह सच नहीं है कि संयुक्त अरब गणराज्य की रूस से संधि है क्योंकि उसे रूस सरकार से न केवल विभिन्न प्रकार के शस्त्रास्त्र प्राप्त हो रहे हैं बल्कि रूसी विमान चालक संयुक्त अरब गणराज्य की वायु सेना में काम कर रहे हैं। क्या संयुक्त अरब गणराज्य ने इराक, सीरिया से सैनिक संधि नहीं की है ? यदि संयुक्त अरब गणराज्य का गुट-निरपेक्ष देश होने का दावा किया जाता है तो विश्व का कौन-सा देश गुटों में शामिल होने वाला देश होगा ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य ने स्वयं ही कहा था कि शायद इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं अतः यह स्पष्ट है कि सब देश गुट-निरपेक्ष देश नहीं हो सकते ।

श्री बलराज मधोक : वे अपवाद वाले देश कौन-कौन से हैं ?

श्री दिनेश सिंह : मुझे उन्हें गुट-निरपेक्ष देशों की सूची भेजने में प्रसन्नता होगी। अन्य देश गुटों में शामिल होने वाले देश हैं। जहां तक संयुक्त अरब गणराज्य का सम्बन्ध है वह गुट निरपेक्ष देश है।

श्री बलराज मधोक : वह गुट निरपेक्ष देश नहीं है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : आपने अभी उल्लेख किया था कि अनुपूरक प्रश्न दलवार पूछे जायेंगे। क्या यह आपका विनिर्णय है कि अनुपूरक प्रश्न पूछने के अवसर दलवार दिये जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा करना नहीं चाहता। लेकिन ऐसी प्रथा चली आ रही है। मैं केवल तीन या चार अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देने के बारे में विचार कर रहा हूं। यह सम्भव नही है कि प्रत्येक दल के सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये। लेकिन प्रथा ऐसी ही चली आ रही है। मैं यह सुझाव स्वीकार करता हूं और भविष्य में इसका अनुकरण करूंगा।

श्री लोबो प्रभु : जी, नहीं।

श्री प० गोपालन : मंत्री महोदय ने बताया कि उक्त बैठक में समस्या के उक्त पहलूओं, जिनमें उक्त सम्मेलन में भाग लेने की कसौटी भी शामिल है, पर विचार विनिमय किया गया था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि उक्त सम्मेलन में भाग लेने की वर्तमान कसौटी के बारे में कोई कार्य सूची तैयार करने का प्रस्ताव नहीं है। हाल ही में अलजीरिया जैसे कुछ तटस्थ देशों को गुट-निरपेक्षता की धारणा में परिवर्तन करने के लिये आमंत्रित किया गया था। अलजीरिया ने बताया है कि गुट-निरपेक्ष देशों की सदस्यता उन देशों तक ही सीमित रहनी चाहिये जो साम्राज्यवादी और प्रगतिशील नीति का पूर्ण रूप से अनुसरण करते हों। क्या उक्त सम्मेलन में धारणा के बारे में भी चर्चा की गई थी ?

श्री दिनेश सिंह : श्रीलंका में अलजीरिया उपस्थित नहीं था। यह सम्मेलन एशियाई देशों का था। अलजीरिया अपने विचार दारेस्लाम में प्रकट कर सकेगा और यदि उसने अपनी नीति में परिवर्तन करने की इच्छा व्यक्त की तो हमें उस पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। लेकिन मेरे विचार से इस अवस्था में ऐसा प्रश्न नहीं उठता। उक्त कसौटी शिखर सम्मेलन में निर्धारित की गई

थी, उस पर केवल शिखर सम्मेलन में विचार अथवा परिवर्तन किया जा सकता है। यह पूर्व निर्धारित कसौटी के आधार पर शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिये प्रारम्भिक सम्मेलन है।

श्री पं० वेंकटासुब्बया : क्या हाल ही में गुट-निरपेक्ष की अपनी विदेश नीति में सरकार को असफलता मिली है और इस सम्बन्ध में हमारे मित्र देशों, विशेषकर पड़ौसी देशों में भी शंका उत्पन्न हुई है और अब वे देश पाकिस्तान को, जो गुटों में शामिल होने वाला देश है, गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में प्रवेश करवाने के लिये सहायता कर रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त शंकाओं को दूर करने और गुट निरपेक्ष सम्बन्धी नीति के बारे में अपनी असलियत को बनाये रखने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री दिनेश सिंह : हमारी गुट-निरपेक्ष नीति के बारे में किसी भी देश को कोई शंका नहीं है। माननीय सदस्य द्वारा बताई गई स्थिति सच नहीं है। हमारे देश को गुट-निरपेक्ष देश के रूप में सर्वत्र मान्यता प्राप्त है। सदन में सदस्यों के अतिरिक्त कहीं भी इस बात पर शंका प्रकट नहीं की गई। उक्त सम्मेलन में पाकिस्तान के भाग लेने के बारे में मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं।

श्री जी० विश्वनाथन : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक एशियाई सम्मेलन का आयोजन मनीला में हमारे वैदेशिक कार्य मंत्री, श्री दिनेश की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया था, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह उक्त एशियाई सम्मेलन में शामिल होंगे या दारेस्लाम में प्रारम्भिक सम्मेलन में शामिल होंगे। हमें पता लगा है वैदेशिक कार्य मंत्री ने उल्लेख किया है कि दारेस्लाम सम्मेलन की तुलना में एशियाई देशों के सम्मेलन का महत्व अधिक है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह उसमें शामिल होंगे अथवा नहीं ?

श्री दिनेश सिंह : मुझे आश्चर्य है कि माननीय मंत्री ऐसी सूचना कहां से लाते हैं। यह कहना बहुत अजीब बात है कि एशियाई सम्मेलन का आयोजन मेरी सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया था। मुझे तथा अन्य सदस्यों को भी वहां आमंत्रित किया गया था (अन्तर्बाधाएं) माननीय सदस्य को इस बारे में स्वयं निर्णय करना चाहिये और किसी समाचार-पत्र के समाचार पर निर्भर नहीं होना चाहिये।

श्री कन्डप्पन : मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह अभिवादन से इन्कार न करें।

श्री दिनेश सिंह : वास्तव में यह सच नहीं है। यह अभी निर्णय नहीं किया गया है कि मुझे दारेस्लाम जाना चाहिये। मैं मनीला नहीं जा सकूंगा।

जम्मू तथा काश्मीर की पन बिजली क्षमता

*872. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा हाल में जम्मू तथा काश्मीर में किये गये एक तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण से पता चला है कि उक्त राज्य में पन बिजली क्षमता, 3590 मैगावाट है जबकि वर्तमान विद्युत् उत्पादन केवल 15 मैगावाट है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त राज्य की पन बिजली क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या योजना तैयार की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार इस समय निम्नलिखित पन बिजली स्कीमों को कार्यान्वित कर रही है :—

स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मैगावाट)
गुम्बल पन बिजली स्कीम	22
चेनानी पन बिजली स्कीम	23
लोअर झेलम पन बिजली स्कीम	96

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सैक्टर में सलाल परियोजना की क्रियान्विति हाथ में ली गई है जिसका प्रारम्भिक प्रतिष्ठापन 270 मैगावाट क्षमता का होगा ।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग चनाब घाटी में इस समय निम्नलिखित पन बिजली स्कीमों का अनुसंधान कर रहा है :—

स्कीम का नाम	60% भार अनुपात पर अन्तिम शक्यता
इखाले	243
भंडालकोट	262
बुरसर	208
स्वालकोट	410
किस्तवार	400

अनुसंधानों के पूरा हो जाने और स्कीमों की व्यवहार्यता के सुनिश्चित हो जाने के पश्चात् ही इन स्कीमों के विकास कार्यक्रम के बारे में विचार किया जाएगा । अन्य शक्य स्थलों का अनुसंधान तब करने का विचार है जब ऊपर लिखी स्कीमों का अनुसंधान पूरा हो जाएगा ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : The Hon. Minister, in the Statement placed on the Table of the House has stated that the work on three Government undertakings has started. The biggest project out of the three is lower Jhelum Hydro Electric Project. I want to know when the work on the biggest project of Jammu and Kashmir was started and when it is expected to be completed. I want to know whether the Hon. Minister has received any official report regarding the delay in its work and regarding unnecessary planning and some useful machines being lying idle there and what actions been taken with regard to those complaints ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया यह परियोजना घाटी के लिये बनी है और इसके चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम चरण में पूरा होने की सम्भावना है ।

Shri Raghubir Singh Shastri : Hon. Minister has not given any answer to my question. I asked him about the time when the work on the project was started and the time when it is expected to be completed and whether he has received any official report in which complaints regarding this project have been made ?

डा० कु० ल० राव : इस बारे में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं । परियोजना कार्यक्रम के अनुसार चल रहो है ।

Shri Raghubir Singh Shastri : The Hon. Minister has not yet replied to my question. I asked him whether it is a fact that some costly machines purchased a few years back had been lying idle ? Why he does not reply to my question ?

डा० कु० ल० राव : मैं बता चुका हूं कि इस बारे में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं बल्कि हमें और मशीनों की आवश्यकता है और हम उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

Shri Raghubir Singh Shastri : I have still to ask another question.

अध्यक्ष महोदय : आप यह मत समझिए कि उन्हें कठघरे में खड़ा किया गया है । आप केवल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : I had asked about the clarification of my previous question. My second question yet remains unanswered.

Mr. Speaker : You will say it time and again. It will not do.

Shri Raghuvir Shastri : I want to ask about those 5 schemes which are being investigated by Central Water and power commission. May I know the time by which the investigation will be completed and by when the work on these projects will start.

डा० कु० ल० राव : जहां तक पन-विद्युत् शक्ति का सम्बन्ध है ये 5 परियोजनाएं पूर्ण रूप से सोने की खान के समान हैं । ये सभी विशाल परियोजनाएं हैं । इनका आरम्भ कब होगा इस समय मैं ठीक से नहीं कह सकता । यदि इनमें से कुछ पर कार्यारम्भ कर दिया जाता है तो निश्चय ही सम्पूर्ण उत्तरी क्षेत्र के लिए ये लाभदायक सिद्ध होंगी ।

श्री मु० न० नाधनूर : इस प्रश्नोत्तर से ज्ञात होता है कि देश में पन-विद्युत् की बहुत क्षमता है किन्तु साथ ही यह ज्ञात होता है कि देश में विद्यमान क्षमता का 10 से 20 प्रतिशत तक भी हमने तीन योजनाओं में लाभ नहीं उठाया है । आप इससे अवगत हैं कि ईंधन की कमी के कारण विशाल वन क्षेत्रों को समाप्त किया जा रहा है । अत: क्या यह देश के हित में नहीं होगा कि हम केवल जम्मू-कश्मीर में ही नहीं मैसूर और देश के पूर्वी क्षेत्रों में विद्यमान पन-विद्युत् क्षमता से पूर्ण लाभ उठाने का प्रयत्न करें ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्तुत प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं ।

श्री मु० न० नाधनूर : यदि हमारे पास पर्याप्त धन-राशि हो भी जोकि विदेशी सहयोग के साथ सुलभ कर दी जाए और हम इनसे लाभ उठाने का प्रयत्न करें ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि आपने प्रश्न की सीमा से बाहर बोलना शुरू कर दिया है । मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता । श्री भारती.....

Shri Maharaj Singh Bharati : The Hon. Minister has conceded that there is a potential for production of 36 lakhs K. W. hydel electric power in Jammu and Kashmir. In view of the fact that there is going to be an all India Grid and that this 36 lakhs K. W. can work upto one crore K. W. during the peak period and keeping in view that according to the treaty between India and Pakistan whereby the Jhelum and Chenab waters can be used by Pakistan for irrigation purposes and we can exploit that for hydel power.....

Mr. Speaker : Please do not talk of irrelevant things.

Shri Maharaj Singh Bharati : Sir, when Pakistan is getting water for irrigation and we can produce electric energy for which there is a potentiality of 36 KW. May I know will the Government enter into an agreement in this regard as we have to construct a dam for generating electricity and they will get regulated water.....

अध्यक्ष महोदय : इस साधारण से प्रश्न को इतना समय लग रहा है । खेद है इसकी आज्ञा नहीं दी जा सकती ।

Shri Maharaj Singh Bharati : It is not a hypothetical question. I never say anything irrelevant. I want to submit that we will suffer loss of crores of rupees. We will build the dam and Pakistan will get water.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कहां तक संगत है । प्रश्न की सीमा से बाहर न जाइए । मैं ऐसे परिकल्पनात्मक प्रश्नों के लिए अनुमति नहीं दे सकता ।

Shri Maharaj Singh Bharati : They will get regulated water therefore they must share the cost.

Mr. Speaker : You have asked question about pending projects of J & K. You are going off the point.

श्री बलराज मधोक : महोदय, उनका प्रश्न असंगत नहीं था । जब पन-बिजली क्षमता बढ़ाने के लिए बांध बनेगा उससे पाकिस्तान को भी लाभ होगा । उन्हें भी नियमित रूप से जल मिलेगा, अतः वह जानना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान लागत व्यय में भागी होगा ? इसमें क्या गलत बात है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है ।

डा० कु० ल० राव : महोदय, क्या मैं इनके प्रश्न का उत्तर दूं ।

अध्यक्ष महोदय : हां, यदि आप इसके लिए तैयार हैं किन्तु मैं इसे उस अवस्था तक संगत नहीं मानूंगा जब तक मंत्री महोदय इसका उत्तर देने को तैयार नहीं होते ।

डा० कु० ल० राव : जहां तक सिन्धु जल सन्धि का प्रश्न है इसमें कोई कठिनाई नहीं और इस सम्बन्ध में पाकिस्तान से बातचीत करने की आवश्यकता नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे दुविधा में डाल रहे हैं । मैंने इस प्रश्न के लिए अनुमति नहीं दी थी और आप उसका उत्तर दे रहें हैं खैर आप जारी रखें मैं आपको रोकूंगा नहीं ।

डा० कु० ल० राव : मैं केवल उनके प्रश्न का उत्तर देने का यत्न कर रहा था । उन्होंने जम्मू काश्मीर के दरिया चनाब पर बिजली के विकास के बारे में पूछा था ।

अध्यक्ष महोदय : वह साझे ग्रिड तथा लागत में हिस्सा लने के विषय में पूछ रहे थे ।

श्री महाराज सिंह भारती : वह मेरे प्रश्न की केवल पृष्ठभूमि थी । मैंने यह पूछा था जब हम चनाब के जल का उपयोग पन विद्युत के लिए करेंगे तो पाकिस्तान को भी नियमित रूप से पानी मिलेगा, अतः क्या वह लागत व्यय में भी हिस्सा लेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने मंत्री महोदय को उत्तर देने की अनुमति दी थी और उन्होंने उत्तर दे दिया है ।

श्री हेम बरूआ : दुर्भाग्यवश आप मंत्री महोदय को अध्यक्ष पीठ के आदेशों का उल्लघन करने की अनुमति दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अत्यंत खेद है। वह इतने अच्छे मंत्री हैं कि वे किसी को इन्कार नहीं करते।

भाखड़ा की नहरों की मरम्मत

*874. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाखड़ा परियोजना की नहरें बहुत खराब हालत में हैं और उनकी अविलम्ब मरम्मत किये जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मरम्मत करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) मरम्मत करने का उत्तरदायित्व किसका है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नांगल पन-बिजली नाली को छोड़ कर, जिसकी निगरानी भाखड़ा प्रबंधक बोर्ड कर रहा है, नहर अथवा उसका कोई खास हिस्सा जिस क्षेत्र में पड़ता है, उसकी मरम्मत के लिये उस क्षेत्र से सम्बन्धित राज्य उत्तरदायी है।

श्री श्रीचंद गोयल : मंत्री महोदय ने पूरी सूचना देने का प्रयत्न नहीं किया, समाचार पत्रों से ज्ञात होता है कि भाखड़ा नहरों की ठीक तरह से मरम्मत न होने से बहुत मात्रा में जल की हानि हो रही है। संभव है हाल में इनकी मरम्मत हुई हो किन्तु कुछ अंत:राज्यीयविवादों के कारण किसी भी राज्य द्वारा मरम्मत के उत्तरदायित्व को न लेने के कारण जल की हानि हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह मरम्मत कब हुई थी और इस मरम्मत के ठीक से न होने के कारण जल की हानि से देश को कितने धन की हानि हुई है ?

सिंचाई एवं विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : हमारी सूचना अनुसार इन नहरों की स्थिति संतोषजनक है। इनकी मरम्मत करना इतना सरल नहीं है, इसके लिए हमें विद्युत विकास सिंचाई व्यवस्था आदि को रोकना पड़ेगा, अत: इसके लिए अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। हमारी सूचना के अनुसार क्षति इतनी अधिक नहीं है। किसी समय केवल कुछ तार व्यवस्था में गड़बड़ी हो जाती है। जब विद्युत उत्पादन में सुधार आ जाएगा और हम इन नहरों को बंद करने की स्थिति में हो जाएंगे तभी इनकी मरम्मत की जा सकेगी।

श्री श्रीचंद गोयल : भाखड़ा पंजाब की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी समझी जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि गोविन्द सागर तालाब में रेत जमा होने की गति कुछ इस प्रकार से है कि सन 2000 तक खेतों अथवा कारखानों के लिए पर्याप्त जल नहीं मिल सकेगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भूमि स्खलन को रोका नहीं जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री श्रीचंद गोयल : हिमाचल प्रदेश सरकार ने योजना आयोग तथा केन्द्र से 80 करोड़ रुपये की मांग की थी जिससे भूमि स्खलन पर नियंत्रण किया जा सके और भाखड़ा नहर में रेत भरने की गति को रोका जा सके । क्या मैं जान सकता हूं इतनी तीव्रगति से रेत के गिरने के लिए सरकार ने क्या किया है ?

डा० कु० ल० राव : यह सत्य है कि गोविन्द सागर बांध में रेत गिरने की गति हमारी आशा से अधिक है किन्तु इस पर भी स्थिति चिंताजनक नहीं है । भाखड़ा परियोजना की अनुमानित अवधि लगभग 350 वर्ष है किन्तु उस क्षेत्र की समृद्धि की महत्ता को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में किसी ऊंचे स्थान पर एक बांध बनाने का विचार किया जा रहा है । भूमि संरक्षण का कार्य भी यथासम्भव लिया जा रहा है ।

Shri Prem Chand Verma : The Hon. Minister has just answered the question asked by Shri Shrichand Goyal regarding the repair of Bhakra Canals. I wish to know if there is so much soil erosion in the mountains around Govind Sagar reservoir, which comprises an area of 60 sq miles in H. P. that life of this huge dam would be reduced by 25% in next twenty years. It is a question of great national importance. Will the Hon. Minister make a tour himself to see the things for himself, and will he agree to give a grant to Himachal Pradesh to enable it to put up dams for soil conservation.

डा० कु० ल० राव : मैं उस क्षेत्र को अच्छी तरह जानता हूं और कई बार वहां गया भी हूं ।

Shri Prem Chand Verma : Where had he gone to. In fact he does not know how bad the things there are and still he maintains that he is fully in the know of the situation.

डा० कु० ल० राव : जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, रेत जमा होने की गति अधिक तीव्र नहीं है । अत: भय की कोई बात नहीं । भाखड़ा परियोजना की अनुमानित अवधि 500 वर्ष थी किन्तु बाद में आकलन और पर्यवेक्षण द्वारा पता लगा कि इसकी अवधि 350 वर्ष होगी और यह भी काफी लम्बा समय है अत: स्थिति चिन्ताजनक नहीं है ।

हम दो बातों का प्रयास कर रहे हैं एक तो ऊंचाई पर बांध बनाना तथा दूसरा भूमि परिरक्षण ।

अध्यक्ष महोदय : इनका प्रश्न यह था कि क्या आप राज्य को धन देंगे ?

डा० कु० ल० राव : यह स्थिति पर निर्भर करता है । इतने ऊंचे बांध का निर्माण अकेला हिमाचल प्रदेश नहीं कर सकता । यह बांध 800 फुट ऊंचा है :

hri Jharkande Rai : Will the Hon'ble Minister be pleased to state if the Government are aware that the Bhakra canals that run through the sandy areas of Rajasthan are silting up and if so what particular steps he proposes to take to remove the silt.

डा० कु० ल० राव : मैं पहले भी कह चुका हूं कि भाखड़ा की अधिकतर नहरों की स्थिति संतोषजनक है । माननीय सदस्य ने राजस्थान के नहरी क्षेत्र के कुछ भागों की ओर संकेत किया है । वहां नहर में कुछ मिट्टी भर गई है और बाकी के क्षेत्रों में गाद नहीं है और सरकार उसकी रोकथाम करने के उपाय कर रही है ।

'हायड्रो स्टेशनों' में काम करने वाले कर्मचारियों पर 'हायड्रोजीन सल्फाइड गैस' का प्रभाव

*875. **श्री गणेश घोष :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री क० रमानी : **श्री उमानाथ :**

क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जलाशयों में पानी के दूषित होने के कारण बनने वाली 'हायड्रोजीन सल्फाइड गैस' से हायड्रो स्टशन में काम करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में गत मास 10 फरवरी को त्रिवेन्द्रम में हुई क्षेत्रीय बैठक में केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत् बोर्ड के सचिव ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था; और

(ग) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं तथा इन जलाशयों के काम करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) केरल में सावरीगिरि, तमिलनाडु में कुण्डाह, मैसूर में भद्रा पन-बिजली परियोजनाओं के चालू हो जाने के पश्चात् संचय जलाशयों में पानी के दूषण के कारण हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनते देखी गई ।सभी मामलों में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसका प्रभाव बिजली केन्द्रों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों पर न पड़े, आवश्यक उपाय कर लिए गये थे ।

(ख) विद्युत् अनुसंधानशाला, बंगलौर ने पानी की दूषण सम्बन्धी समस्याओं का तथा पन-बिजली प्रतिष्ठानों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव का विस्तार से अध्ययन किया है और नवम्बर, 1967 में एक तकनीकी रिपोर्ट भी निकाली । हाल में त्रिवेन्द्रम में हुई क्षेत्रीय बैठक में सचिव, केन्द्रीय सिंचाई व बिजली बोर्ड ने रिपोर्ट का पुनरीक्षण किया ।

(ग) रिपोर्ट में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और पानी को दूषित करने वाली अन्य चीजों के बनने के कारणों, तथा परिणामस्वरूप बिजली उपस्करों और बिजली केन्द्रों के कर्मचारियों पर पड़ने वाले उनके प्रभावों का जिक्र किया गया है ।

रिपोर्ट में निम्नलिखित रोकथाम तथा प्रतिकारात्मक उपायों की सिफारिश की गई है :—

(1) जलाशय में पानी भरने से पहले जल मग्न होने वाले क्षेत्र के सारे पेड़-पौधों को कारगर ढंग से साफ कर देना चाहिये ।

(2) जहां पर गैसों के इक्ट्ठा हो जाने की सम्भावना है वहां पर हवा निकालने वाले पंखों को और टर्बाइन वाले कमरे में उचित मात्रा में रोशनदानों की व्यवस्था होनी चाहिये ; नियंत्रण कक्ष वातानुकूलित होने चाहिएं ; इन्सूलेटरों पर पेट्रोलियम की जेली चढ़ी होनी चाहिए तथा धात्विक संरचनाओं पर सल्फाइड-रोधक क्षयकारी रंग का लेप कर देना चाहिये ; टर्बाइन वाले कमरे के फर्शों को सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण रगड़ कर साफ

कर देना चाहिए ; अग्निशामक उपकरणों में वृद्धि कर देनी चाहिये ; बिजलीघरों में काम कर रहे कर्मचारियों का समय-समय पर चिकित्सा सम्बन्धी परीक्षण होना चाहिये ।

यह रिपोर्ट अनुकरणार्थ सभी परियोजना अधिकारियों को परिपत्रित कर दी गई है ।

श्री गणेश घोष : जैसा कि वक्तव्य में बताया गया तकनीकी प्रतिवेदन नवम्बर 1967 में प्राप्त हुआ था । प्रतिवेदन के अनुच्छेद (ग) में की सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए तथा भाखड़ा कुन्डा और साबरगिरि का सिफारिशों के आधार पर सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : इन बांधों में हाइड्रो सलफाइड गैस का बनना एक विचित्र घटना है, ऐसा अन्य किसी जगह नहीं हुआ । हमें अभी भी निश्चित रूप से यह पता नहीं है, इन तीन बांधों में यह क्यों निकल रही है । इस सम्बन्ध में हम केवल यही कर सकते हैं कि जलाशय में आने वाले पेड़ों को वहां से हटा दें । दूसरा काम है गैस के बाहर निकलने का इन्तजाम करना जिससे कि हाइड्रोजन सलफाइड गैस बहुत अधिक इकट्ठी न हो । इस सम्बन्ध में हमने कदम उठाये हैं ।

श्री गणेश घोष : मैंने यह सवाल नहीं किया । मैंने पूछा था कि यह प्रतिवेदन नवम्बर 1967 में आया था जबकि ये पन-बिजला परियोजनाएं 1967 से बहुत पहले चालू हो गई थीं । प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है तथा उन्हें लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

डा० कु० ल० राव : वस्तुतः इसका पता मुझे तब चला जब मैंने साबरगिरि परियोजना को देखा, उससे पहले तक इसकी जानकारी नहीं थी । तब मैंने विद्युत् अनुसंधान संस्था से इस सम्बन्ध में जांच करने को कहा । जैसा कि मैंने कहा यह अभी भी अनुसंधान का विषय है । हम यह नहीं जान सके हैं कि यह कैसे हो रहा है तथा जाने माने साधनों के अतिरिक्त हम इसे किस प्रकार रोक सकते हैं । हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पानी इकट्ठा करने से पहले सारे पेड़ काट दिए जायें । इसे समाप्त करने का यह एक तरीका है । इन तीन परियोजनाओं में जो कि चालू हो गयी हैं, केवल वातानुकूलन और रोशनदानों का इन्तजाम ही किया जा सकता है, और वह किया जा रहा है ।

श्री गणेश घोष : यह कहा गया है कि प्रतिवेदन को सभी परियोजना प्राधिकारियों में परिचालित किया गया था पर यह नहीं बताया गया कि यह कब परिचालित किया गया । मैं यह जानना चाहता हूं कि अनुच्छेद (ग) के अन्तर्गत आने वाली सिफारिश संख्या (1) और (2) लागू की जा रही है यह देखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

डा० कु० ल० राव : विद्युत् शक्ति केन्द्रों के अनुदेश देने का अधिकार राज्य सरकारों के हाथ में है हमारे पास नहीं । पर हमने सभी परियोजनाओं का ध्यान इन दो महत्वपूर्ण सिफारिशों की ओर दिलाया है । इनमें से एक जलाशय को पानी से भरने से पहले सब पेड़ों को काटना है । हमें यह देखना है कि जहां तक सम्भव हो इसे लागू किया जाये । दूसरी बात टरबाइन कक्ष में पर्याप्त रोशनदानों का प्रबन्ध करना है ।

श्री गणेश घोष : सिफारिशों को लागू किया जा रहा है यह देखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

डा० कु० ल० राव : ये परियोजनाएं राज्यों के अधिकार में हैं। हम केवल उन्हें सलाह दे सकते हैं, उनमें सिफारिशों को परिचालित कर सकते हैं तथा यह जानने के लिए इन्हें लागू किया गया है इनका निरीक्षण कर सकते हैं।

पाकिस्तान द्वारा अरब देशों में भारत विरोधी अभियान

+

*880. **श्री बलराज मधोक** :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

श्री दे० प्रभात :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान द्वारा कुछ अरब देशों की राजधानियों में इस समय भारत-विरोधी अभियान चलाये जाने के बारे में दिनांक 15 मार्च, 1970 के समाचारों की ओर आकर्शित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में जानकारी एकत्रित की है कि पाकिस्तान किस प्रकार का अभियान चला रहा है ; और

(ग) इस अभियान का मुकाबला करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) पाकिस्तान का भारत-विरोधी प्रचार जारी है, और हम बराबर ही उसके अभियान का विरोध करने के लिए कदम उठाते रहे हैं। हाल ही में दो अवसरों पर (6.8.1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 369 और 4.12.1969 के अतारंकित प्रश्न सं० 3214 के उत्तर में) लोक सभा को पाकिस्तान द्वारा निरंतर जारी रहने वाले भारत विरोधी प्रचार को विरोध करने के लिए हमारे द्वारा उठाये गये कदमों के सम्बन्ध में सूचित किया गया था।

Shri Balraj Madhok : The answer given by the Hon. Minister is a routine one and has been repeated time and again. I would like to know whether it is not a fact that after Rabat Conference and specially after Zoddah conference, Pakistan's propaganda in Arab countries have increased a lot. Because Pakistani armed forces are stationed in Jordan, South Arabia and Libya, and therefore she is in a better position to make an effective propaganda, which she is doing.

What steps Government are taking to meet the new situation created by Pakistan ?

Shri Dinesh Singh : Hon Member is correct in so far as he said that Pakistan is trying to increase its influence and that it has sent its armed forces to Jordan and she is trying to show special favours to Arab countries. It is also correct that Pakistan is doing effective propaganda in these countries. But as far as his charge of a routine reply is concerned I may state that his questions is also a routine one. However we are trying to counteract the wrong propaganda being done by Pakistan by our friendly gestures to the Arab countries.

Shri Balraj Madhok : Whether it is a fact that in the schools of Syria a country which you claim as a friend, books showing the states of India like Punjab, Haryana, Delhi, Rajasthan, Gujrat, Assam etc. have been shown as part of Islamic world and a part of Pakistan. It shows that India is confined to only two or three states. These and similar maps are being published ? Is it not a propaganda of Pakistan that she claims

these states as a part of her territory. Under these circumstances how you are going to strengthen your friendship with Syria and other Arab countries and what steps Government are taking to counteract this propaganda ?

Shri Dinesh Singh : It is not for Pakistan to say that one particular state belongs to India. However, in some of the maps certain parts of India are shown as Muslim majority areas.

Shri Balraj Madhok : This is not so. They have shown certain parts of India as part of Islamic world.

Shri Dinesh Singh . What I was saying is that question is not of showing them as part of Pakistan, but Pakistan is trying to show these are Muslims majority areas. As the Hon. Member has said correctly that this should not give a wrong impression that these areas are not a part of India. The people living there consider themselves as Indian citizens.

Shri Sarjoo Pandey : One of the reasons of the Pakistani propoganda in foreign countries against India is there are certain parties which indirectly encourage Pakistan to do this kind of propaganda. Whether Governmcnt is aware of this ?

Shri Dinesh Singh : Yes Sir, Whatever happens in India, Pakistan makes a propaganda about that. Whatever the Hon. members say here or outside, is quoted out of context and used for making false propaganda and to create misunderstanding. It is said that members belonging to minority community are not safe in India which is not true. But events in this certainly have its repercussions outside the country.

Shri Tulshidas Jadhav : Whether any correspondence has been done by the Government with the countries spreading wrong things about India ? If so, what is the result ?

Shri Dinesh Singh : No Sir, we did not do any correspondence on this issue.

Shri Ranjit Singh : Seeing that whatever propaganda we do, the benefit goes to Pakistan and Pakistans relations with other countries are being strengthened and Pakistan is also increasing its armed forces. Will this not be a correct reply that we should strengthen our relations with Israel.

Shri Dinesh Singh : I do not think that Pakistan is getting benefit out of our propaganda. We can say that our propaganda is not sufficient and should be increased, but it is not correct that others have the benefit of our propaganda. Therefore, Hon. members' question is not correct. So for as the question of strengthening our relations with Western and Arab countries is concerned, we are trying in that direction. But find myself unable to understand how our relations with Israel will strengthen our relations with Arab countries.

Shri Ranjit Singh : Relations are strong, but in this connection I would like to say that instead of increasing the number of enemies we should cultivate friendly relations with Israel.

Shri Dinesh Singh : This is cntirely wrong. How can we snap our relations with a country with whom we want to have intimate relations, in the hope that our relations will be strengthened in future.

श्री म० ला० सोंधी : आप इजरायलियों को प्रभावित करके अरब लोगों की मदद कर सकते हैं। इसमें असंगति क्या है यदि आप चाहें तो यह कर सकते हैं।

वर्ष 1970-71 के दौरान इंजिनियरिंग सामान का निर्यात

*881. **श्री राम किशन गुप्ता** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970–71 के दौरान इंजीनियरिंग सामान के निर्यात को बढ़ाने के कार्यक्रम को अंतिम रूप से तैयार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस कार्यक्रम की प्रमुख बातें क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) सरकार तथा इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद जो इंजीनियरी माल के निर्यातों को आयोजित करने तथा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी अभिकरण है, निर्यात निष्पादन की निरन्तर समीक्षा करके परिवर्तनशील आवश्यकताओं के अनुकूल संवर्धन सम्बन्धी नीतियों को समायोजित करती है। 1970–71 के लिए इंजीनियरी माल के निर्यात के लिये वार्षिक योजना को, विदेशी संविदाओं, निर्यात उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्चे माल तथा अन्य अन्तर्निवेशों के सन्दर्भ में, अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

Shri Ram Krishna Gupta : Which are those countries who like our engineering goods and what steps are being taken to increase this trade in these countries ?

Shri Ram Sewak : Our goods are liked by all the countries of the world and specially by African countries, Thailand, Germany, Australia and East European countries etc.

Shri Ram Krishna Gupta : Whether it has been estimated that how much foreign exchange we earn through this ?

Shri Ram Sewak : In the year 1966-67 goods worth Rs. 32 crores, in 1967-68 worth Rs. 41.47 crores, and in 1968-69 worth Rs. 84.97 crores were exported. This year upto 31st March goods worth Rs. 105 crores was exported to foreign countries.

श्री रा० बरुआ : क्या मैं यह जान सकता हूं कि एक ओर इस्पात के माल की कमी के कारण और दूसरी ओर इस्पात की कीमतों के बढ़ाने के कारण इंजीनियरी उद्योग को धक्का पहुंचेगा तथा अन्ततः हमारा निर्यात घट जायेगा ? क्या मैं जान सकता हूं कि इस दिक्कत को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री बलीराम भगत) : यह सच है कि यदि हमारे पास कच्चा माल और अधिक हो तो हम अपना निर्यात और अधिक बढ़ा सकते हैं and इस वर्ष भी, जैसा की सदन को पता है कि वर्ष के बीच में निर्यात वास्तव में गिर गया था पर इस्पात मंत्रालय और मेरे साथी इस्पात मंत्री की सहायता से हमने एक तात्कालिन कार्यक्रम बनाया और इनके फलस्वरूप अगले वर्ष निर्यात बढ़ गया तथा यह 105 करोड़ रुपये तक बढ़ सकता है, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 25% प्रतिशत अधिक है। यह कार्यक्रम हम अगले साल भी चालू रखेंगे ।

मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्न के महत्व को समझता हूं कि हमें कच्चे माल और इस क्षेत्र में उत्पादन की कमी का सामना करना पड़ेगा तथा अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों की सहायता से हमारा यह प्रयत्न निर्यात प्रधान उद्योगों को और अधिक कच्चा माल उपलब्ध कराने का रहेगा और यदि आवश्यकता पड़े तो निर्यात को बनाये रखने के लिये उनका आयात करने का भी प्रयत्न रहेगा ।

Shri Ramautar Shastri: In our country Jay Engineering Company, in Calcutta is making Usha fans and Sewing machines.....

Mr. Speaker: Please ask a general question.

Shri Ramautar Shastri: I want to know that how much foreign exchange was earned by the export of Usha fans and sewing machines during last three years.

Shri Ram Sewak: The figures are not with me at the moment. For that I require notice.

विखंडन प्रतिक्रियाओं पर आधारित आण्विक हथियार बनाने के लिए अपेक्षित औजार

*882. **श्री समर गुह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विखंडन प्रतिक्रियाओं पर आधारित आण्विक हथियार बनाने के लिये कौन से मूल विस्फोटक पदार्थों, मांडरेटरों, रसायनों तथा इलैक्ट्रोनिक औजारों की आवश्यकता पड़ती है ;

(ख) क्या इनमें से अधिकतर विस्फोटक पदार्थ रसायन तथा इलैक्ट्रोनिक्स अब भारत में निर्मित किये जाते हैं ;

(ग) यदि हां, तो भारत में बने ऐसे आण्विक विस्फोटक पदार्थों, रसायनों तथा औजारों के नाम क्या हैं ; और

(घ) क्या देश में ऐसी सामग्री तथा औजारों की उपलब्धि से भारत में आण्विक हथियारों की निर्माण लागत निकालने के आधार में तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों द्वारा निकाली गई आण्विक हथियारों की निर्माण लागत में काफी अन्तर हो गया है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) विखंडन पर आधारित आण्विक हथियार बनाने के लिये साधारणतः उपयोग में लाये जाने वाले खंडनीय पदार्थों के नाम हैं प्लोटोनियम और यूरेनियम-235, उनको चलाने के लिये तथा उनके अचानक न चल जाने के लिये आधुनिक पद्धति अपनाई गई है।

(ख) और (ग) प्ल्यूटोनियम का उत्पादन हमारे रिऐक्टरों में होता है किन्तु जिन देशों से हमें इन रिऐक्टरों को स्थापित करने में सहायता मिली है हम उनसे इस बात से सहमत हैं कि इन रिऐक्टरों में उत्पादित होने वाले प्ल्यूटोनियम का आण्विक हथियार बनाने के लिये प्रयुक्त नहीं किया जायेगा। यद्यपि हमारे वैज्ञानिक तथा टैक्नोलोजिस्ट अणु शक्ति के क्षेत्र में होने वाली नवीनतम प्रगति से अपने आप को परिचित रखते हैं तथपि हमने आण्विक हथियारों के लिये उपकरण नहीं बनाये हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय नीति के मामले के रूप में हम जानकारी का प्रयोग सैनिक प्रयोजनों हेतु करने को तैयार नहीं हैं।

(घ) आण्विक हथियारों पर आने वाली लागत अन्य बातों के साथ-साथ किसी देश को उपलब्ध सुरक्षा साधनों के अतिरिक्त, अणु शक्ति संस्थानों की आधारभूत व्यवस्था से सम्बन्धित है। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र महा सचिव के प्रतिवेदन में कहा गया है कि हथियारों के उपयोग की प्रणाली के बिना कोई देश इस मामले में सैनिक सामर्थ्य नहीं प्राप्त कर सकता तथा इस कार्य पर कुल लागत का काफी बड़ा अंश व्यय होता है।

श्री समर गुह : मेरा अन्तिम प्रश्न लागत के बारे में था । क्या यह सच है कि आण्विक शस्त्र बनाने के लिए मुख्य वस्तुएं आण्विक विस्फोटक मोडेरेटर, रसायन और कुछ एलैक्ट्रोनिक्स हैं । इससे मंत्री सहमत हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि भारत अणु अथवा अणु बम बनाने के लिए आवश्यक लगभग सभी वस्तुओं का उत्पादन करता है ? यदि हां तो संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों द्वारा अणु बम के निर्माण की लागत से सम्बन्धित अनुमानों को सरकार ने किस आधार पर भारत के सम्बन्ध में माना ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विशेषज्ञों ने यह अनुमान एक बम के निर्माण के आधार पर न लगा कर अनेक बमों, प्रक्षेपास्त्रों तथा अन्यों के आधार पर लगाया है । परन्तु मेरा प्रश्न केवल भारत के सम्बन्ध में था जबकि अणु बम के निर्माण के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं भारत में उपलब्ध हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस आधार पर अनुमान लगाने से लागत संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान से कहीं अधिक कम होगी ।

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : मैं नहीं समझती कि हम बिना किसी आधार पर एक बम कैसे बना सकते हैं ।

श्री समर गुह : आधार क्या है ? ऊपरी रूपरेखा क्या है ? आपको इस प्रश्न का उत्तर देने योग्य वैज्ञानिक ज्ञान नहीं है ।

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : प्रतिरक्षा के प्रयोग के लिए केवल शस्त्रों की नहीं अपितु इनको छोड़ने तथा उनके अड्डों की रक्षा के लिए पूरी प्रणाली की आवश्यकता है ।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि आण्विक बम, आण्विक चादर और आण्विक मोटर जैसे सामरिक महत्त्व के शस्त्रों की बहुत कम विस्फोटक तत्त्वों से प्रक्षेपणास्त्र अथवा वाहन पद्धति जैसी प्रणाली में आवश्यकता नहीं है । क्या सरकार ने भारत की परिस्थिति के आधार पर सामरिक महत्त्व के आण्विक शस्त्रों के मूल्य के बारे में हिसाब लगाया है ।

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : यह सुझाव कार्यवाही करने के लिए है ।

श्री म० ला० सोंधी : श्रीमान, मैं अपने व्यवस्था के प्रश्न पर उठता हूं । व्यवस्था का प्रश्न प्रसंगानुकूल है । माननीय सदस्य श्री गुह ने जो मामला उठाया है वह यह है कि प्रधान मंत्री महोदय ने पहले ही अपने विभाग की समिति में यह विश्वास दिलाया था । उसमें कहा गया था कि बम की लागत का पता लगाने के लिये अध्ययन किया जायेगा । यह आश्वासन समिति में दिया गया था । श्रीमन, क्या आप यह समझते हैं कि माननीया मंत्री महोदया की मुस्कान मात्र से यह प्रश्न टाला जा सकता है ? यह गणना की जानी ही चाहिये । मैं आप की इच्छा के अनुसार अपनी सेवा देने को तैयार हूं परन्तु मुझे जानकारी मिलनी चाहिये । बम के मूल्य के बारे में हिसाब लगाने के बारे में जो आश्वासन दिया है उसे पूर्ण करना चाहिए । वह आंकड़े तैयार करें और हम उन पर हिसाब कर लेंगे ; बम की लागत का हिसाब लगाना ही पड़ेगा ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मंत्रणा समिति में बम की लागत का हिसाब लगाने पर सहमति हो गई थी । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जायं । इन महिला को तंग नहीं करो । आप लोग आपस में बहुत अच्छी तरह विचार सकते हो ।

श्री समर गुह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है।

Shri Atal Behari Bajpayee : Sir, a point of order has been raised. Kindly do not mix it with the question of Atom bomb. Can an Hon. Minister say something in the Consultative committee and quite a different thing in the House.

अध्यक्ष महोदय : मंत्रणा समिति विभागीय समिति है और उससे आपका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपका आदेश तो बहुत आश्चर्यजनक है।

श्री बलराज मधोक : यह विभागीय समिति नहीं है। इस मामले पर वहां विचार किया गया था। यह तो सदन की समिति है।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु वह मेरे अधिकार में नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या सरकार मंत्रणा समिति में कुछ तथ्या सभा पटल पर कुछ और वक्तव्य अर्थात परस्पर विरोधी वक्तव्य दे सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है, अन्यथा मैं आपको अनुमति दे देता और मुझे इस बात का खेद है।

श्री नाथपाई : परन्तु श्रीमन्, आपने मुझे प्रश्न पूछने के लिये बुलाया है।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अल्प सूचना प्रश्न 14 पर विचार करेंगे।

श्री समर गुह : मेरा एक व्यबस्था का प्रश्न है कि आपने श्री नाथपाई जी को बोलने की अनुमति नहीं दी है। यदि कोई विशिष्ट प्रश्न पूछा जाये और आप उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मंत्री महोदय को अनुमति देते हैं, परन्तु मंत्री महोदय कहते हैं कि वह प्रश्न कार्यवाही करने के लिए एक सुझाव मात्र है। क्या पीठासीन अधिकारी का यह कर्त्तव्य नहीं हो जाता कि वह सदस्यों की सुरक्षा करें ? मंत्री महोदया न तो मेरे प्रश्न का उत्तर दे रही हैं और न ही उनमें उत्तर देने की सामर्थ्य है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठ जायें।

श्री नाथपाई : क्या मैं अनुपूरक प्रश्न नहीं कर सकता ?

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं प्रश्न काल समाप्त होने की घोषणा नहीं करूंगा तो माननीय सदस्य कभी नहीं बैठेंगे।

श्री समर गुह : आपने मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर कोई आदेश नहीं दिया है। यदि मैंने कोई गलत प्रश्न नहीं किया है तो आपको सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

आसाम में अतिरिक्त तेल शोधन क्षमता और पेट्रो-रसायन उद्योग-समूह के रे में प्रधान मंत्री के आश्वासन

15. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रधान मंत्री द्वारा आसाम में अतिरिक्त तेल शोधन क्षमता और पेट्रो-रसायन उद्योग-समूह की स्थापना के बारे में 5 दिसम्बर, 1969 को संसद में की गई घोषणा को क्रियान्वित करने में विलम्ब किये जाने पर अपना क्षोभ प्रकट करने के लिये आसाम में संग्राम परिषद ने अपने महान अभियान का दूसरा प्रक्रम 6 अप्रैल, 1970 से आरम्भ करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों को शीघ्रतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस काम में कितनी प्रगति हुई है और उनके द्वारा दिये गये आश्वासनों को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) भारतीय तेल निगम के चेयरमैन के संरक्षण में विशेषज्ञों का एक दल सरकार के निर्णय के अनुसार शोधनशाला-व-पैट्रो-रसायन उद्योग समूह के विभिन्न पहलुओं पर एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है । आशा है कि यह रिपोर्ट दो महीनों के अन्दर सरकार के पास पहुंच जायेगी । तत्पश्चात आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

श्री धीरेश्वर कलिता : मेरा प्रश्न है :—

(क) अशोधित तेल का वर्तमान कितना उत्पादन है और इसका उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है ;

(ख) वर्तमान तेल शोधक कारखाने का विस्तार करने के बजाये एक अन्य नया तेल शोधक कारखाने की स्थापना करने के लिये क्या कोई उपाय किये जा रहे हैं ; और यदि हां, तो अध्ययन के क्या संकेत मिले हैं ?

(ग) सुनियोजित डी० एम० टी० पालयस्टर फाईबर योजना के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले एककों के क्या नाम हैं और इस सम्पूर्ण क्षेत्र में कितनी पूंजी लगाई जायेगी ?

(घ) इन एककों के लिये कितने फीड-स्टाक की आवश्यकता पड़ेगी और कुल कितने फीड-स्टाक का उत्पान होने की सम्भावना है ?

श्री दा० रा० चह्वाण : तीन या चार प्रश्न पूछे गये हैं । आसाम में अशोधित तेल के उत्पादन के बारे में सूचना इस प्रकार है : आसाम आयल कम्पनी के डिगबोई स्थित तेल के कारखाने में लगभग 1,20,000 मीटरिक टन अशोधित तेल का उत्पादन होता है । आयल इण्डिया का उत्पादन 29.6 लाख मीटरिक टन है अर्थात् लगभग 30 लाख टन प्रति वर्ष उत्पादन होता है । तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लकवा तथा रूद्रसागर तेल क्षेत्रों से लगभग 150,000 टन उत्पादन होता है । इनका प्रतिदिन औसत उत्पादन 450 टन है । आसाम में अशोधित तेल की उपलब्धता की यह स्थिति है ।

प्रश्न के भाग (ख) के सम्बन्ध में गौहाटी तेल शोधक कारखाने की 7.5 लाख टन प्रतिवर्ष

की वर्तमान क्षमता का 17.5 लाख टन प्रतिवर्ष तक विस्तार करने तथा 10 लाख टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाले एक अन्य ग्रास-रूट तेल शोधक कारखाने की अलग से स्थापना करने के बारे में अनेक विकल्पों पर विचार किया गया है। यह पता लगा है कि ग्रास-रूट तेल-शोधक कारखाने की स्थापना करने की तुलना में वर्तमान गौहाटी तेल-शोधक कारखाने का विस्तार करने से उसकी अतिरिक्त तेल शोधन क्षमता प्राप्त करने में क्रमिक निवेश की कहीं कम होगा। इसके अतिरिक्त ग्रास-रूट तेल शोधक कारखाने में पूर्णतया नये आधार पर संस्थापना, कर्मशाला, तुष्टिगुणों, आफ-साइट तथा मल निस्राव आदि सुविधाएं उपलब्ध करने हेतु व्यवस्था करने में अत्याधिक धन लगेगा जबकि विस्तृत गोहाटी तेल शोधक कारखाने में इन सुविधाओं में कुछ उपान्त वृद्धि करने से उसकी तुलना में इसमें कम धन लगेगा। अतः इससे स्पष्ट है कि वर्तमान तेल शोधक कारखाने का विस्तार करने के लिये केवल दो और बातों की जांच करने की आवश्यकता है—(एक) वायु मण्डलीय आसवनकोकर तथा हाईड्रोट्रीटर के साथ और (दो) वायुमण्डीय आसवन निर्वात आसवन और हाईड्रोक्रैकर के साथ। इस मामले का ब्यौरेवार अध्ययन हो रहा है। तीसरी बात यह थी कि जब तेल शोधक कारखाने का विकास होगा तथा नया तेल शोधक कारखाना स्थापित किया जायगा तो कुल कितना कच्चा माल उपलब्ध हो सकेगा। 80,000 टन नेफ्ता प्रतिवर्ष उपलब्ध होगा। पैट्रो-कैमिकल कारखाने में लगभग 100 करोड़ रुपया खर्च आयेगा। जहां तक इस योजना के अन्तर्गत आने वाले दूसरे कारखानों का सम्बन्ध है, आसाम में नेफता पर आधारित पैट्रो-कैमिकल परियोजना के विषय में एक प्रारम्भिक अध्ययन किया गया है। यह परियोजना एक संकलित डी० एम० टी० / पोलिस्टर फाइबर यूनिट होगी जिसके अन्दर प्रतिवर्ष 15,000 टन से भी अधिक (दो गुना होने की सम्भावना) पोलिस्टर स्टेपिन फाइबर तथा अन्य दूसरे उपयोगों के लिये एक्सीलीन की कुछ निश्चित मात्रा के उत्पादन करने के उद्देश्य से कैटैलिटिक रिफोर्मिंग, औक्टाफाईनिंग, एक्सीलीन डिस्टीलेशन, पैरा-एक्सीलीन-किस्टेलाई-जेशन, औक्सीडेशन, एस्टेरीफिकेशन, पोलीमिराइजेशन, और स्पिनिंग यूनिट होंगी। आयल एन्ड नेचुरल गैस कमीशन, आल इन्डिया लिमिटेड और इन्डियन आयल कारपोरेशन के सहयोग से अन्तिम ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री धीरेश्वर कलिता : अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि इसकी लागत लगभग 100 करोड़ होगी। मुझे पता चला है कि सरकार ने चौथी योजना के अन्तर्गत इस कार्य को पूरा करने के लिये 10 करोड़ की धनराशि दी है। क्या समस्त सदन मंत्री महोदय से पूछ सकता है कि 100 करोड़ की धनराशि से पूरी होने वाली योजना 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था से किस प्रकार पूरी होगी। मुझे सरकार की ईमानदारी पर शंका है, मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस बात का उत्तर देंगे कि योजना को किस प्रकार पूरा किया जायगा।

श्री दा० रा० चह्वाण : यह सत्य है कि इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिये 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। यह केवल अस्थायी एवं प्रयोगात्मक प्रयास है। जब कभी भी धनराशि की आवश्यकता होगी, आसाम के क्षिप्रगति से अधिक विकास को दृष्टि में रखते हुये इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिये धनराशि दी जायगी।

श्री धीरेश्वर कलिता : केवल 10 करोड़ की राशि निर्धारित की गयी है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि जब आपको 100 करोड़ की आवश्यकता है तब आप 10 करोड़ की राशि से कार्य किस प्रकार पूरा करेंगे ?

श्री बा० रा० चह्वाण : चौथी योजना के अन्तर्गत यह प्रयोगात्मक व्यवस्था की गयी है। जब योजना को कार्यान्वित किया जायगा, उसके लिये धनराशि उपलब्ध करायी जायगी। धनराशि के सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं होगी। सरकार इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये वचन-बद्ध है।

श्री रा० बरुआ : जो कुछ मंत्री महोदय ने कहा है उससे स्पष्ट है कि पैट्रो-कैमिकल कारखाने तथा दूसरे तेल शोधक कारखाने के औचित्य प्रदर्शन के लिये उनके पास पर्याप्त प्रमाण हैं, तो भी चारों ओर एक चर्चा है कि सरकार ने यह निर्णय राजनैतिक दबाव के कारण लिया है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस योजना का औचित्य क्या राजनैतिक दबाव के कारण है अथवा आर्थिक तथ्यों पर आधारित है। दूसरे जहां तक आसाम का सम्बन्ध है, जब तक हम किसी बात के लिये नहीं चिल्लाते तब तक वह हमें नहीं दी जाती है। जहां 100 करोड़ रुपये की आवश्यकता है केवल 10 करोड़ दिया जाता है। बड़ी लाइनों के सम्बन्ध में भी ऐसी ही बात है। उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। आसाम को आन्दोलन आरम्भ करने की आवश्यकता हो सकती है। अत: यह कहना कि राजनैतिक दबाव के कारण ऐसा किया गया है, गलत है। यदि यह राजनैतिक दबाव के कारण हुआ है, तो यह दबाव किसने डाला है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह राजनैतिक निर्णय है अथवा कुछ और ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : मुझे श्री कलिता के इस अल्प सूचना प्रश्न से आश्चर्य हुआ। मैंने तो यह सोचा था कि वह इस अल्प सूचना प्रश्न को वापस लेने के लिये आपकी अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से खड़े हुये हैं, क्योंकि कल 4.30 पर हमने श्री कलिता, श्री बरुआ तथा अन्य दूसरे आसाम के माननीय सदस्यों के साथ सभी पहलुओं पर बारीकी से विचार किया था, हमारे साथ उद्योग मंत्री तथा उनके अन्य कर्मचारी भी थे। अब श्री बरुआ ने यह प्रश्न किया है कि क्या यह राजनैतिक निर्णय है। मैं इस लांच्छन का, इस आक्षेप का खंडन करता हूं। मैंने कुछ समाचार पत्रों में भी यह पढ़ा है। श्रीमान्, क्या आप मुझे इसका उत्तर देने के लिये कुछ समय देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें कई मिनिट दी है। आपको समय क्यों नहीं दूंगा ? (व्यवधान)

डा० त्रिगुण सेन : सरकार का निर्णय किसी राजनैतिक विचाराधारा पर आधारित नहीं है। यह आर्थिक एवं तकनीकी विचारधारा पर आधारित है।

डा० रामसुभग सिंह : यह गलत है।

डा० त्रिगुण सेन : यह इसलिए गलत हो सकता है क्योंकि इन्होंने विशेषज्ञ समिति के प्रति-वेदन का अध्ययन करने की चिन्ता नहीं की।

डा० रामसुभग सिंह : आपने ही पहले कहा था कि इसे अनुमति प्रदान नहीं की गई है। तत्पश्चात् प्रधान मंत्री ने मत प्राप्त करने के उद्देश्य से इसकी घोषणा की।

डा० त्रिगुण सेन : प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखा हुआ है। मेरी इच्छा है कि माननीय मित्र

इसे पढ़ें। विशेषज्ञ समिति ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले हैं :—

(i) आसाम में जितने भी अशुद्ध तेल भंडारों के बारे में हमें पता है उनसे 1971 के पश्चात् 41 लाख टन तेल प्रतिवर्ष निकाले जाने की सम्भावना है।

(ii) भारत के पूर्व में स्थित डिगबोई, गोहाटी तथा बरौनी के तेल शोधक कारखाने जो आसाम क्षेत्र के अशुद्ध तेल, जिसमें अल्पमात्रा में गंधक मिली हुई है, को शुद्ध करने के उद्देश्य से बनाये गये हैं, 42.250 लाख टन तेल प्रतिवर्ष शुद्ध करने की क्षमता रखते हैं।

आसाम तेल क्षेत्रों से उपलब्ध होने वाला अपरिष्कृत तेल प्राथमिकता के आधार पर इन्हीं तेल शोधक कारखानों को सप्लाई किया जाना चाहिये, यदि आसाम के नये क्षेत्र लकवा और रुद्रसागर से प्राप्त होने वाला तेल इन तेल शोधक कारखानों में सस्ते मूल्य पर परिष्कृत किया जा सकता है तो वह भी इन्हीं कारखानों में भेजा जाय।

(iii) लकवा तथा रुद्रसागर से मिलने वाले तेल के गुणों के विषय में अभी पूरा ज्ञान नहीं है, और यह भी ज्ञात नहीं है कि इन क्षेत्रों के अशुद्ध तेल का परिष्कृत किया जाना बरौनी में सस्ता पड़ेगा। जहां कहीं अन्यत्र अशुद्ध तेल प्राप्त होने की सम्भावना है, उसके गुणों के विषय में भी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। नये अशुद्ध तेल के तत्वों का अध्ययन करने से पता चला है कि यह तेल नारकट्य से उपलब्ध होने वाले तेल से भिन्न है, और इस परिष्कृत नहीं किया जा सकता। चौथे रासायनिक उत्पादन के लिये कच्चे माल के रूप में इन अशुद्ध तेलों का प्रयोग उपयोगी है। रसायन उत्पत्ति के लिये एक संकलित कारखाने की व्यवस्था पर गम्भीर अध्ययन किया जाय। यही विशेषज्ञ समिति के सुझाव हैं। उपरोक्त स्थिति से पता चलता है कि साधारणतया अशुद्ध तेल का प्रतिवर्ष उत्पादन 41 लाख टन होने पर भी आसाम में 10 लाख टन अशुद्ध तेल रासायनिक कारखानों के उपयोग के लिये बचा रहेगा। अतः सरकार के निर्णय का मूल-औचित्य आसाम के शीघ्र अतिशीघ्र आर्थिक विकास करने की आवश्यकता में निहित है। यह निर्णय का आर्थिक औचित्य भी है। इसका तात्पर्य है आसाम के प्राकृतिक संसाधनों का औद्योगीकरण, तेल भी जिनमें से एक है।

इसके पश्चात् उन्होंने तेल शोधक कारखानों की स्थापना के लिये विभिन्न स्थानों, जैसे गलौकी, गोहाटी, धूबरी, बरौनी और कानपुर के विषय में अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बरौनी तथा गोहाटी के मध्य 1 करोड़ रुपये का अन्तर आयेगा। श्रीमान्, आपको तो ज्ञात है, क्योंकि आप सरकारी उपक्रम समिति के सभापति रह चुके हैं, मोरान तथा बरौनी के मध्य जो पाइपलाइन है वह 20 लाख टन अशुद्ध तेल ला सकती है, इससे अधिक नहीं। आसाम से यदि अधिक तेल उपलब्ध होता है, तो इसको आसाम में ही शुद्ध किया जा सकता है। इस पाइपलाइन को विकसित करने में 6 करोड़ की राशि व्यय होगी। तकनीकि तथा आर्थिक, सभी प्रकार से यह निर्णय उत्तम है, और राजनीति से इसका कोई प्रयोजन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरुआ।

श्री हेम बरूआ : प्रधान मन्त्री ने 5 दिसम्बर 1969 को पेट्रो-कैमिकल कारखाने के बारे

में पैकेजडील तथा आसाम में तेल शोधन क्षमता के विकास का प्रस्ताव किया । अब यह पता चला है कि आपने पेट्रो-कैमिकल कारखाने की उत्पादन पद्धति निश्चित करने के लिये एक समिति नियुक्त की है, प्रधान मंत्री जिसकी घोषणा पहले ही कर चुकी हैं । क्या प्रधान मंत्री ने यह घोषणा बिना किसी आधार के की थी। इस पेट्रो-कैमिकल कारखाने को सदैव ही एक विशेष पद्धति पर आधारित तेल शोधक कारखाने से मिला दिया जाता है । क्या सरकार अशुद्ध तेल की वर्तमान उपलब्धि के आधार पर आसाम में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत दूसरा तेल शोधक कारखाना स्थापित करने जा रही है ।

डा० त्रिगुण सेन : प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की थी कि आसाम में जो 10 लाख टन अधिक तेल उपलब्ध होगा उसे आसाम में ही परिष्कृत किया जायगा । परन्तु इसका ब्यौरा देखना होगा, अर्थात अशुद्ध तेल का गुण, प्रकार उसका मूल्य और उत्पादन पद्धति निर्धारित करनी होगी। आसाम में परिष्कृत करने की घोषणा से ये सब शर्तें पूरी नहीं होतीं । गत दो वर्षों की अवधि में हमने क्या किया है तथा आगे क्या करना है, इस विषय में हमने कल ही बताया है और मेरा यह विचार था कि सब सन्तुष्ट हो गये हैं । दूसरे तेल शोधक कारखाने के विषय में जैसा कि आपको ज्ञात है अपरिष्कृत तेल को इंधन के रूप में, काम आने वाले तेल के रूप में, अथवा पेट्रो-कैमिकल कारखाने जैसे दूसरे उद्देश्यों के लिये शुद्ध किया जा सकता है । जहां तक लकड़ी के रूप में काम आने वाले तेल का सम्बन्ध है, हमें ज्ञात हुआ है कि लकवा तथा रुद्रसागर में मिलने वाला नया तेल ओटोमेटिक कारखाने के लिये अधिक उपयोगी होगा । चाहे आप इसे फ्यूल आयल के रूप में परिष्कृत करें अथवा किसी अन्य उद्देश्य से, तेल शोधक कारखाना वहां होना चाहिये ।

श्री हेम बरुआ : मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकारी क्षेत्र में दूसरा तेल शोधक कारखाना बनाया जायगा और उस राज्य में पाया जाने वाला नया अशुद्ध तेल इस कारखाने का आधार नहीं होगा ।

डा० त्रिगुण सेन : स्वाभाविक रूप से ही, यह अशुद्ध तेल वहां परिष्कृत किया जायगा ।

श्री बेदव्रत बरुआ : हम इस व्याख्या के लिये मंत्री महोदय के कृतज्ञ हैं। परन्तु आसाम के लोग इसमें सम्भावित देरी होने से चिन्तित हैं । इस विषय में शीघ्रता करना राज्य तथा देश दोनों ही के हित में है । आयल एन्ड नेचुरल गैस कमीशन के तेल के कुओं को बन्द किया जा रहा है क्योंकि उनसे निकाले जाने वाले तेल का इस समय कोई उपयोग नहीं हो रहा है । अतः जब तक इस क्षेत्र में शीघ्रता नहीं की जाती, बहुत अधिक तेल की हानि होगी । दूसरे क्या ये दोनों प्रस्ताव चौथी योजना में सम्मिलित हैं ? तीसरे क्या आसाम सरकार ने प्रस्ताव किया है कि भारत सत्कार तथा अन्य दूसरी वित्तीय संस्थाओं की ऋण सहायता से राज्य क्षेत्र में पेट्रो-कैमिकल कारखाना स्थापित किया जाय ।

डा० त्रिगुण सेन : राज्य सरकार से हमें एक प्रस्ताव मिला है कि वे इस कारखाने को राज्य क्षेत्र में स्थापित करना चाहते हैं। इस विषय में हमने कल चर्चा की थी। मैंने बताया कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है । तत्पश्चात् सभी संसद सदस्यों ने इस पर चर्चा की और उन्होंने आसाम सरकार के सहयोग से सरकारी क्षेत्र में इसकी स्थापना करना उत्तम समझा, और यही निर्णय मान लिया गया है ।

अतिरिक्त अशुद्ध तेल को परिष्कृत करने का जहां तक सम्बन्ध है, यह सत्य है कि आसाम में हमें नया तेल मिला है, यह भी सत्य है कि मोरन तथा बरौनी के मध्य की पाइप लाइन 20 लाख टन तेल से अधिक नहीं ला सकती, और यह कार्य अब आइल इन्डिया पाइप लाइन द्वारा किया जा रहा है। मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि आसाम सरकार ने अब तक भी तेल निकालने के लाइसेंस प्रदान नहीं किये । चौथी योजना में इसका समावेश किया गया है ।

श्री नि० रं० लास्कर : आसाम के लोगों ने प्रधान मंत्री की इस घोषणा का स्वागत किया है क्योंकि यह एक न्याय संगत मांग को पूरा करता है । आसाम राज्य, मूल रूप से इस परियोजना से सम्बन्धित है । क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्र सरकार से आसाम सरकार को इस परियोजना के लिये कितनी सहायता प्रदान की जायगी ?

डा० त्रिगुण सेन : मेरे आदरणीय मित्र भी कल उपस्थित थे जब हमने आसाम राज्य के अधिकारियों से इस प्रश्न पर चर्चा की थी । उन्होंने एक योजना रखी है और वे इस बात पर सहमत हो गये हैं कि दोनों योजनाओं पर एक साथ विचार किया जाय ।

श्री फ० गो० सेन : माननीय मंत्री ने अभी-अभी कहा है कि आसाम सरकार ने अब तेल निकालने की अनुमति दे दी है । इससे पहले ऐसा क्यों नहीं किया गया ?

डा० त्रिगुण सेन : हमें भूतकाल को भूल जाना चाहिये । अब उन्होंने ऐसा कर दिया है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : किन कारणों से आसाम सरकार ने दूसरी अनुमति नहीं दी थी ? आप केवल इतना ही नहीं कह सकते कि उन्होंने इसके लिये मना कर दिया है ।

श्री बसुमतारी : हमें मंत्री महोदय का वक्तव्य सुनकर प्रसन्नता हुई है कि यह कोई राजनैतिक निर्णय नहीं है बल्कि आर्थिक निर्णय है, क्योंकि यह एक संभावित आर्थिक व्यवस्था है । परन्तु आसाम के चारों ओर एक विचारधारा फैली हुई हैं कि आन्दोलन के फलस्वरूप ही आसाम के लिये कुछ मिल सकता है । हम मंत्री महोदय से आसाम के साथ न्याय करने का निवेदन करते हैं । आसाम आर्थिक विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ा राज्य है ।

डा० त्रिगुण सेन : खेद का विषय है कि आसाम में जो आन्दोलन हुआ उसे राजनैतिक दलों ने आरम्भ किया था । क्योंकि दलों के नेता यह जानते थे कि हमने एक प्रवीण समिति नियुक्त की है, हम उन साधनों की खोज कर रहे हैं जिनके द्वारा आसाम में उपलब्ध अतिरिक्त अशुद्ध तेल निकाला जा सके । वे इसके विरुद्ध प्रचार करके अनुचित लाभ उठाना चाहते थे, अतः उन्होंने इस आन्दोलन का आरम्भ किया जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : श्रीमान्, मंत्री महोदय राजनैतिक दलों को इसके लिए दोषी ठहराते है । क्या इसका यह तात्पर्य है कि राजनैतिक दलों को लोक महत्व के विषय नहीं उठाने चाहियें ।

डा० त्रिगुण सेन : इस मामले में कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि निर्णय पहले ही लिया जा चुका था ।

श्री फ० गो० सेन : क्या आसाम सरकार से रायलटी के विषय में कोई झगड़ा था ?

डा० त्रिगुण सेन : नहीं, रायल्टी पर कोई झगड़ा नहीं था ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

फारस की खाड़ी में भारतीय तीर्थ यात्रियों का डूब जाना

*873. **श्री दंडपाणि** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 11 मार्च, 1970 को फारस की खाड़ी में मक्का जाने वाले 105 भारतीय तथा अरब तीर्थ यात्री डूब गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भारत में उनके सम्बन्धियों को उनकी मृत्यु के बारे में सूचित किया गया था तथा क्या उस दुर्घटना के शिकार हुये व्यक्तियों के परिवारों को कोई प्रतिकर दिया गया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग) 11 मार्च, 1970 को आबू ढाबी के तट के निकट जो दुर्घटना हुई थी उसके बारे में सरकार ने पूछताछ की है । सुलभ सूचना के अनुसार कोई भारतीय इसकी लपेट में नही आया था । इसलिये उनके परिवारों को सूचना अथवा मुआवजा देने का सवाल नहीं उठता ।

Effect of Ganga Dam Project on River Padma in Pakistan

†*876. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Irrigatron and Power** be pleased to state :

(a) the estimated area of West Bengal likely to be submerged as a result of Pakistan's Ganga Dam project on the river Padma, a tributory of the Ganga, and the manner in which the Calcutta Harbour and Calcutta City would be affected thereby ;

(b) the manner in which it would affect the Farakka Dam Project ; and

(c) the action taken or proposed to be taken by Government in protest thereof ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) The design of the project on the Padma proposed by Pakistan has been changing from time to time and the likely submergence of Indian territory as a result of any such project will have to be assessed after the Pond level of the barrage on the Padma is finalised and on the basis of river cross section surveys between Farakka and Hardinge Bridge, which are yet to be taken.

(b) A very high pond level as now proposed by Pakistan will create back water effects likely to interfere with the operation of the Farakka Barrage.

(c) The Government have already protested against such a project and have asked the Government of Pakistan to reframe their project.

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स द्वारा नया विमान तैयार किया जाना

*877. **श्री सूरज भान :** **श्री कँवर लाल गुप्त :**
श्री ओंकार सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड भारतीय वायु सेना के लिये एक नया सैनिक विमान बना रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यह विमान कब तक तैयार हो जायेगा और इसके लाभ क्या होंगे ; और

(घ) क्या इस विमान के तैयार करने में कोई विदेशी तकनीकी सहायता ली गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री श्री (स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) आधुनिक विमानों का अभिकल्पन, विकास और उत्पादन एक लम्बी और निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है, और हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि० आई० ए० एफ० में विमानों की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अध्ययन हस्तगत करता रहा है। विदेशी तकनीकी सहायता की आवश्यकता पर जब और जैसे आवश्यक हुआ विचार किया जायेगा। कोई अधिक सूचना देना लोक हित में न होगा।

चीन से वापस आने वाले विद्रोही नागाओं के पास से पकड़े गये कागजात जिनमें उनके उत्तर वियतनाम के दौरे का उल्लेख है।

*878. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन से वापस आने वाले विद्रोही नागाओं के कब्जे से पकड़े गये कुछ कागजातों में कुछ नागाओं द्वारा उत्तर वियतनाम के दौरे का उल्लेख है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) पकड़े गये कागजातों में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है कि कुछ छिपे नागाओं ने उत्तरी वियतनाम का दौरा किया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात शुल्क में कमी किये जाने के कारण चाय तथा पटसन के निर्यातकों द्वारा कमाया गया लाभ

*879. **श्री देवेन सेन :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात शुल्क में कमी किये जाने के कारण चाय तथा पटसन के निर्यात व्यापारियों को धन के रूप में कितना लाभ हुआ है ;

(ख) इससे सरकार को क्या लाभ हुआ है ; और

(ग) क्या निर्यात शुल्क में कमी किये जाने के कारण पटसन उत्पादकों को कोई लाभ हुआ है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) चाय पर निर्यात शुल्क हटाने और कुछ पटसन की वस्तुओं पर निर्यात शुल्क कम करने के सम्बन्ध में 1970-71 के केन्द्रीय बजट की प्रस्थापना के परिणामस्वरूप चाय तथा पटसन के निर्यातकों को होने वाले लाभ का अनुमान इतनी जल्दी नहीं लगाया जा सकता। इस प्रस्थापना से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति प्राप्त होने और भारत से निर्यात बढ़ने की आशा है जिसके फलस्वरूप सरकार को विदेशी मुद्रा की अधिक आय होगी।

(ग) शुल्क में सीमिति प्रकार की कमी की देखते हुए पटसन उत्पादकों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। पटसन के विद्यमान मूल्य न्यूनतम समर्थन स्तर से ऊंचे हैं और उत्पादन इन ऊंचे मूल्यों का लाभ पहले से ही उठा रहे हैं।

FICCI'S Opposition to the Nationalisation of Foreign Trade

*883. **Shri Ramavtar Shastri :** **Shri Himatsingka :**

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the representatives of trade and industry strongly opposed the idea of nationalisation of foreign trade and the whole-sale trade in foodgrains on the occasion of the 43rd annual session of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry ; and

(b) if so, Government's reaction in regard thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) Yes, Sir.

(b) Government agencies have been handling import and export trade as also procurement and distribution of foodgrains with increasing efficiency and it is therefore proposed to increase their role further in foreign trade of the country, including trading in foodgrains.

विदेशों में शो रूमों पर किया गया अधिक खर्च

*884. **श्री रा० बरुआ :** **श्री वेंगलराय नायडू :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय माल को प्रदर्शित करने / बेचने के लिये विदेशों में खोले गये शो रूम बहुत खर्चीले सिद्ध हो रहे हैं तथा लोक लेखा समिति ने उनमें से कुछ को हाल में अनुपयोगी घोषित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) इस समय विदेशों में कुल कितने शो रूम खोले गये हैं तथा उनको खोलेने / उनके रख-रखाव आदि पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है ; और

(घ) उनकी उपयोगिता के बारे में सरकारी मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है और क्या उनमें से कुछ शो रूमों को बन्द करने का प्रस्ताव है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक): (क) से (ग) विदेशों में दृष्टिक प्रचार तथा व्यापार संवर्धन के माध्यम से हमारे उत्पादों में रुचि पैदा करने के उद्देश्य से भारतीय माल के आवर्ती प्रदर्शन के लिये 16 प्रदर्शन कक्ष (शो रूम) स्थापित किए गए थे। बाद में 8 प्रदर्शन कक्षों (शो रूम) को बन्द कर दिया गया। चूंकि यह समझा गया कि जिस आरम्भिक उद्देश्य से इन्हें स्थापित किया गया था वह पूरा हो गया ; 5 प्रदर्शन कक्षों का राज्य व्यापार निगम को अन्तरण किया गया जिन्हें बाद में राज्य व्यापार निगम के कार्यालयों के रूप में बदल दिया गया है। शेष तीन कक्ष काहिरा, काबुल तथा बहरीन में हैं जिन्हें सरकारी संस्थानों के रूप में चलाया जा रहा है। लोक लेखा समिति ने सरकार को इन तीन प्रदर्शन कक्षों को भी वाणिज्यिक आधार पर चलाने के लिए राज्य व्यापार निगम को सौंपने की वांछनीयता पर विचार करने का परामर्श दिया है और मामला राज्य व्यापार निगम के विचाराधीन है। इन तीन प्रदर्शन कक्षों पर उनकी स्थापना से (क्रमशः जुलाई, 1957, अगस्त, 1961 तथा फरवरी, 1961) फरवरी, 1970 के अन्त तक लगभग 42.40 लाख रु० का व्यय किया गया है, जो प्रति प्रदर्शन कक्ष पर औसतन लगभग 1.40 लाख रु० वार्षिक बैठता है।

(घ) इस समय एक समिति सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार कर रही है और मामले को इस समिति की सिफारिशों के संदर्भ में तय किया जायेगा।

राज्य व्यापार निगम को दिये गये क्रयादेशों का पूरा किया जाना

*885. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** **श्री जय सिंह :**
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम को गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष कुल कितने क्रयादेश प्राप्त हुए ;

(ख) कितने क्रयादेशों के बारे में माल का वितरण समय-सूची के अनुसार नहीं किया गया ;

(ग) कितने क्रयादेशों के सम्बन्ध में आयातकर्ता देशों मे इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुईं कि सप्लाई किया गया माल निर्दिष्ट किस्म का नहीं था ; और

(घ) सरकार द्वारा कार्यकुशलता में सुधार करने तथा क्रयादेशों को समय पर पूरा करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सिले सिलाये वस्त्रों के आयात पर से रोक / प्रतिबन्ध हटाना

*886. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेपाल द्वारा किसी तीसरे देश से आयात किये गये कपड़े से तैयार किये गये सिले सिलाये वस्त्रों के आयात पर से रोक / प्रतिबन्ध हटा लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को पनडुब्बी की सप्लाई

* 887. **श्री बेदव्रत बरुआ** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान को एक पनडुब्बी उधार देने के लिये अमरीकी कांग्रेस में कोई सरकारी प्रस्ताव किया गया है ;

(ख) क्या इस मामले में अमरीका की सरकारी नीति का यह उल्लंघन नहीं है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) सरकार को ऋण पर पाकिस्तान को किसी पनडुब्बी की सप्लाई के किसी नए प्रस्ताव का ज्ञान नहीं है। तदपि जून, 1964 से पाकिस्तान को पहले से सप्लाई की गई पनडुब्बी के लाने की अवधि बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) पाकिस्तान को सैनिक साज-सामान की सप्लाई द्वारा आशयों की गम्भीरता और अपनी सुरक्षा और शान्ति के लिए संकट को बार-बार संयुक्त राज्यों की सरकार के नोटिस में लाया गया है।

देश में खपत के लिए बनाए गए कपड़े की किस्मों में कमी और उनका मानकीकरण

888. **श्री अदिचन** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में घरेलू खपत के लिए तैयार किये जाने वाले कपड़े की किस्मों में भारी कमी कर के इनका मानकीकरण करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(क) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

Centre's Special Aid for Uplift of Adivasis in Chhattisgarh Area of Madhya Pradesh

*889. **Shri G. C. Dixit** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have taken a decision to provide special aid to the Madhya Pradesh Government for the uplift, of the Adivasis in Chhattisgarh area of Madhya Pradesh ;

(b) if so, the nature and quantum of aid likely to be given to the said State ;

(c) whether the problems of the Adivasis of this area have not yet been solved and the amount allocated in the last three Five Year Plans for the welfare of the Adivasis has not been utilised fully and properly ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) & (b) In the Fourth Five Year Plan, provision has been made for the welfare of Adivasis in Madhya Pradesh under Centrally sponsored programmes such as post-matric scholarships, tribal development blocks, girl's hostels, forest cooperatives, marketing-cum-consumer cooperative societies etc. No separate allocation is however made for any specific area within a State at the Central level.

(c) & (d) Information regarding the shortfall in expenditure on the welfare of Scheduled Tribes in Chhattisgarh area in the Three Five Year Plans is not available. Information is being obtained from the State Government. The Government is, however, aware of the problems of the tribal people and is taking effective measures to solve them. The Tribal Development Blocks scheme which is essentially an area development concept focuses attention on the intensive development of areas predominantly inhabited by tribal people. Sixty-five such blorks are functioning in the districts of Bastar (28), Surguja (17), Raigarh (12), Bilaspur (3), Raipur (2), and Durg (3).

नेपाल में विनियोजित समूची भारतीय पूंजी का राष्ट्रीयकरण करने के लिए नेपाल का प्रस्ताव

890. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार नेपाल में विनियोजित समूची भारतीय पूंजी का राष्ट्रीयकरण करना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) सरकार को महामहिम की नेपाल सरकार की ऐसी किसी प्रस्तावित कार्यवाही की जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

माल का निर्यात करने के लिये लघु उद्योगों को प्रोत्साहन

891. **श्री स० कुण्डू** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल का निर्यात करने के लिये लघु उद्योगों को कोई प्रोत्साहन दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ पिछड़े राज्यों से निर्यात किये जाने योग्य कुछ प्रतिशत माल खरीदने की कोई नीति बनाई गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और माल का निर्यात करने के लिये पिछड़े राज्यों में स्थित उद्योगों को किस प्रकार के विशेष प्रोत्साहन दिये जायेंगे ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) आमतौर पर सामान्य निर्यात सहायता उपाय यथा आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस, प्रतिकरात्मक सहायता, सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क की वापिसी आदि, निर्यात की जाने वाली वस्तु को ध्यान में रखकर किये जाते हैं और इस बात को ध्यान में रखकर नहीं किये जाते कि वस्तु का निर्यात बड़े उद्योग से किया गया है अथवा लघु उद्योग से।

फिर भी, लघु उद्योग के एककों को विदेशों में अपने माल का अधिक कुशलता के साथ विपणन करने में सहायता देने के लिए संस्थात्मक व्यवस्थाएं की गयी हैं।

अपने उत्पादन के 10 प्रतिशत या 25 प्रतिशत अथवा अधिक का निर्यात करने वाले लघु एककों को बड़े क्षेत्र के एककों की तुलना में अपने आयातित अन्तर्निवेशों की पूर्ति के स्रोतों के मामले में अधिक अधिमानी व्यवहार मिलता है।

एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें लघु उद्योगों के एककों के लिए अधिमानी व्यवस्थाओं के ब्यौरे दिये गये हैं।

(ग) और (घ) देश के सभी क्षेत्रों से निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयत्न किये जाते हैं। अनेक राज्य सरकारों ने ऐसे निर्यातों की व्यवस्था करने के लिए संस्थाओं तथा निर्यात-सदनों की स्थापना की है।

निर्यात लाभ निर्यात-उत्पादों के आधार पर दिया जाता है, उद्योगों के स्थान को देख कर नहीं।

विवरण

लघु उद्योग उद्योगों के निर्यात एककों के लिये प्रोत्साहन सुविधाएं

1. लघु उद्योग क्षेत्र के वास्तविक प्रयोक्ता आयात अधिकार को छोड़ने पर राज्य व्यापार निगम / खनिज तथा धातु व्यापार निगम से कच्चे माल को ले सकेंगे और अपने नाम में लाइसेंस लेने के स्थान पर यहीं पर कच्चा माल प्राप्त कर सकेंगे। इससे निर्यात सम्बन्धी उत्पादन में सहायता मिलेगी।

2. निर्यात के क्षेत्र में राज्य व्यापार निगम / खनिज तथा धातु व्यापार निगम के विकास कार्य के भाग के रूप में वे लघु उद्योगों की कच्चे माल की वसूली, किस्म नियन्त्रण, उत्पाद मानकीकरण, विदेशों में मंडियों का पता चलाना और विदेशों में आयातकों को और भारत में निर्यातकों में सम्पर्क स्थापित करने की सेवाएं करेंगे।

3. अपने उत्पादन का 25 प्रतिशत अथवा इससे अधिक निर्यात करने वाले लघु उद्योगों को अपनी पूरी आवश्यकता का विदेशी मुद्रा में आयातित कच्चा माल मिलेगा।

4. मान्यता प्राप्त माल निर्यात गृह भी लघु उद्योग एककों को विदेशों में अपना माल बेचने के अपनी सेवाएं सहायतार्थ देंगे। इस बारे में सहायता करने की उनकी क्षमता बढ़ायी जा रही है।

हाइड्रोसल्फेट सोडा के आयात पर रोक

* 892. **श्री जुगल मंडल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि हाइड्रोसल्फेट सोडा के आयात पर रोक लगी हुई है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब किया गया था; और

(ग) इस समय भारत में इस रसायन का उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में कितना-कितना है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) संभवत: प्रश्न हाइड्रोसल्फेट आफ सोडा के बारे में न होकर हाइड्रोसल्फाइट आफ सोडा से सम्बन्धित है। अप्रैल 64, मार्च 65 की लाइसेंस अवधि से, पंजीयित निर्यातकों हेतु नीति के अधीन आवेदन करने वाले आयातकों को छोड़कर अन्य किसी भी श्रेणी के आयातकों द्वारा हाइड्रोसल्फाइट आफ सोडा के सीधे आयात की आयात नीति में व्यवस्था नहीं है। परन्तु वास्तविक प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वदेशी उत्पादन की अनुपूर्ति करने के प्रयोजन से समय-समय पर भारतीय राज्य व्यापार निगम के माध्यम से इसका आयात करने की अनुमति दी गयी है।

(ग) वर्ष 1969 में सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रों में हाइड्रोसल्फाइट आफ सोडा का उत्पादन क्रमश: 1408 मे० टन और 4196 मे० टन था।

भारत में हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ईसरायल की भागिता

*893. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वैदेशिक कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 से अब तक सरकारी अथवा गैर-सरकारी स्तर पर कितने ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा गोष्ठियां भारत में हुई हैं, जिनमें ईसरायल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है; और

(ख) यदि हां, तो ईसराइल के प्रतिनिधियों को इन सम्मेलनों और गोष्ठियों में भाग लेने के लिए बीसा जारी करने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

भाखड़ा प्रबन्धक और व्यास निर्माण मंडलों के कर्मचारियों की नौकरियों की शर्तें

*894. **श्री हेम राज** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा प्रबन्ध मंडल और व्यास निर्माण मंडल के अधीन कार्य करने वाले विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि पंजाब के पुनर्गठन से पूर्व उनको पंजाब सरकार के कर्मचारी माना जाता था;

(ग) उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, क्या उनको अभी भी पंजाब राज्य के कर्मचारी माना जायेगा अथवा केन्द्रीय सरकार के, और पंजाब के पुनर्गठन के पश्चात् वे किन सेवा की शर्तों के नियमों के अन्तर्गत आये हैं; और

(घ) क्या उनका बटवारा विभिन्न राज्यों अथवा सघ राज्य क्षेत्रों में किया जायेगा अथवा उनको केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी माना जायेगा ?

सिंचाई तथा बिद्युत् मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) भाखड़ा नगल और व्यास परियोजनाओं पर नियमित कर्मचारियों की संख्या क्रमश: 2769 और 4962 है। इसके अतिरिक्त, इन दोनों परियोजनाओं पर कार्यप्रभारित कर्मचारियों की संख्या क्रमश: 4005 और 31800 है।

(ख) जी, हां। अन्य राज्यों से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों को छोड़ कर।

(ग) और (घ) कार्य-प्रभारित कर्मचारी परियोजना के कर्मचारी हैं। जहां तक नियमित कर्मचारियों का संबंध है, सर्कल केडर के कर्मचारियों को छोडकर सभी कर्मचारियों को उत्तराधिकारी राज्यों को आबंटित कर दिया गया है। विभिन्न राज्यों में आबंटित कर्मचारियों पर उनके अपने-अपने राज्यों की सेवा सम्बन्धी शर्तें, जैसा कि वेतनमान, दण्ड, पेन्शन, छुट्टी के नियम लागू होते हैं, जिन कर्मचारियों का आबंटन नहीं हुआ है, उन पर अस्थायी तौर से पहले की तरह पंजाब की सेवा सम्बन्धी शर्तें लागू हैं।

लाओस को चिकित्सा सहायता

*895. **श्री गाडिलिंगन गौड:** क्या **वैदेशिक-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1970 में उनकी लाओस के विदेश मन्त्री के साथ मुलाकात हुई थी; और यदि हां, तो उनके साथ हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या भारत ने लाओस के पीड़ित लोगों के लिए कोई चिकित्सा सहायता तथा अन्य सहायता देने का प्रस्ताव किया है; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) विदेश मन्त्री 25. 2. 1970 को लाओस के विदेश मंत्रालय में वहां के प्रधान मन्त्री के प्रत्यायुक्त मन्त्री से मिले थे। इस प्रकार की बातचीत के ब्यौरे बताने की प्रथा नहीं है।

(ख) जी नहीं। इस प्रकार का कोई अनुरोध नहीं किया गया।

मार्च 1970 में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में सिंचाई की समस्या के बारे में विचार

*896. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों के लिए सिंचाई की सुविधाओं के बारे में राष्ट्रीय विकास परिषद् की मार्च, 1970 में हुई बैठक की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री इस सम्बन्ध में केरल और मद्रास के मुख्य मन्त्रियों से पृथक्-पृथक् मिले थे ताकि इन राज्यों के जल विवाद/सिंचाई समस्याएं सुलझायी जा सकें ?

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत पेपर में परिकल्पित वृहत् तथा मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण सेक्टर के लिये चतुर्थ योजना का कार्यक्रम निम्नलिखित था :—

	करोड़ रुपये
राज्य सैक्टर	1061.11
संघीय प्रदेश	12.48
केंद्रीय सैक्टर	23.50
	1097.09

राष्ट्रीय विकास परिषद् ने इसका समर्थन कर दिया है।

(ख) केरल के मुख्य मन्त्री ने राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में भाग नहीं लिया । काबेरी की समस्याओं पर मैसूर और तमिलनाडु के मुख्य मन्त्रियों के साथ विचार-विमर्श किया गया था और यह फैसला किया गया था कि इस विषय पर और विचार करने के लिये अप्रैल में केरल, मैसूर और तमिलनाडु के मुख्य मन्त्रियों की एक बैठक की जाए ।

एल्युमीनियम के निर्यात पर रोक

*897. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** **श्री न० कु० सांधी :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार एल्युमीनियम के निर्यात पर रोक लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) एल्यूमिनियम के निर्यात के सम्बन्ध में चालू वर्ष के लिए नीति विचाराधीन है ।

वर्ष 1969-70 के लिए दिल्ली के लिए स्वीकृत ऋण राशि देने में विलम्ब के सम्बन्ध में दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद का वक्तव्य

*898. **श्री बाल्मीकि चौधरी :** **श्री मणिभाई जे० पटेल :**

क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि वर्ष 1969-70 के लिए दिल्ली को ऋण के रूप में स्वीकृत राशि उसे अब तक नहीं दी गई है जिसके परिणामस्वरूप पानी की सप्लाई, परिवहन तथा विद्युत जैसे कुछ महत्त्वपूर्ण सैक्टरों की प्रगति में बाधा पड़ी है;

(ख) कितना ऋण मंजूर किया गया था; और

(ग) 20 मार्च, 1970 तक ऋण की कितनी राशि देनी बाकी थी और उसके क्या कारण थे ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, ऋण शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) दिल्ली प्रशासन से पूछताछ करने पर यह पता चला है कि इसका सम्बन्ध मुख्य कार्यकारी पार्षद के वक्तव्य से है जो 25 दिसम्बर, 1969 को हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ था ।

(ख) और (ग) जल सम्भरण, परिवहन, बिजली तथा आवास के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए दिए जाने वाले ऋण की मंजूरी तथा उन्हें देने की स्थिति का स्पष्टीकरण करने वाला एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3131/70]

Supply of Water to Rajasthan from Gung and Bhakra Canals after Expiry of Indo-Pak Canal Water Treaty

*899. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the cusecs of water which would be available from the Bhakra Canal and Gung Canal after the expiry of Indo-Pak Canal Water Treaty ;

(b) the cusecs of water supplied to the farmers of Ganga Nagar from Gung Canal and Bhakra Canals at present ;

(c) whether the attention of Government has been drawn to the fact that the Government of Rajasthan and the farmers of Ganganagar have complained from time to time that the farmers of Rajasthan do not get full supply of water for irrigation as first by the farmers of Punjab and then those of Haryana use most of the water by breaching the canals; and

(d) if so, the remedial steps taken by Government in this regard ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) and (b) Immediately before the end of the Transition Period, Pakistan was being supplied some water from the rivers Ravi and Beas, but no water was being given from the river Sutlej which feeds the Bhakra System. With the end of the Transition Period the entire flow of the Ravi and Beas also has become available to India. The supplies available for distribution, however, depend upon the river flows which vary from time to time and are expected to increase progressively as the summer advances. Out of the withdrawals, Rajasthan has got, on an average, additional supplies of about 2000 cusecs during the first week of April this year. Further apportionment of the supplies available to Rajasthan between the Gung Canal and the Rajasthan Canal is done by the Rajasthan Government as per their requirements.

At present, on an average Ganganagar is getting 1250 cusecs through the Gung Canal and 1800 cusecs through the Bhakra System.

(c) and (d) It has been ascertained that no breaches were made by farmers of Punjab and Haryana in the Bhakra and Gung Canals as a result of which the farmers of Rajasthan got less supplies through these channels. It may, however, be mentioned that against the prescribed annual intensity of irrigation in the Gung Canal of 60%, the actual achievement is 90%. The water requirements have also gone up due to introduction of high yielding varieties and extensive use of fertilisers. Enhanced requirements of the area specially during Rabi can be met after completion of Beas Dam at Pong currently under construction.

तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री द्वारा चौथी योजना के बारे में की गई मांगें

*900. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री ने चौथी योजना में स्वीकृति के लिए तीन मांगें पेश की हैं;

(ख) यदि हां, तो मांगें क्या हैं; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) और (ख) जी हां । मुख्य मन्त्री द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद् की पिछली बैठक में की गई तीन मांगें इस प्रकार हैं :

(1) सेलम में इस्पात संयंत्र की स्थापना;

(2) राज्यों के लिए निर्धारित 800-900 करोड़ रुपए की विशेष सहायता राशि में से राज्य सरकार को आवंटन; तथा

(3) सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए चौथी योजना अवधि के लिए निर्धारित 104 करोड़ रुपए की राशि में से राज्य को आवंटन ।

(ग) नए इस्पात संयंत्रों के स्थान निर्धारण के सम्बन्ध में निर्णय करते समय सभी सम्बद्ध बातों के साथ-साथ मुख्य मन्त्री के अनुरोध को भी ध्यान में रखा जाएगा । जहां तक विशेष सहायता का प्रश्न है, ऐसी सहायता केवल उन राज्यों को दी जाएगी जहां चौथी योजना अवधि में साधनों में गैर-योजना अन्तराल होने की संभावना हो । तमिलनाडु ऐसे राज्यों में शामिल नहीं है । सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने से संबंधित कार्यक्रम को चुने हुए जिलों में प्रारम्भ करने का लक्ष्य है। पूरी सूची अभी अंतिम रूप से तैयार नहीं हुई है ।

हीरों का निर्यात

5526. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 में प्रत्येक देश को कितने-कितने हीरों का निर्यात किया गया;

(ख) इस व्यापार से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई; और

(ग) चालू वर्ष में इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने का अनुमान है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) 1969-70 (दिसम्बर, 1969 तक) की अवधि में इस व्यापार से कुल 21,19,59,000 रु० की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ।

(ग) 1969-70 की अवधि में 28 करोड़ रु० के लगभग विदेशी मुद्रा की राशि प्राप्त होने का अनुमान है ।

विवरण

1969-70 (दिसम्बर 1969 तक) की अवधि में हीरों का निर्यात

(मूल्य हजार रु० में)

क्रमांक	विवरण	1969-70 (दिसम्बर, 1969 तक)
1.	**औद्योगिक हीरे** (बोर्ट सहित)	
2.	**हीरे (औद्योगिक हीरों का छोड़कर) जड़े हुए या पिरोये हुए (स्ट्रंग) नहीं, तराशे हुए ।**	

इजरायल	3328
बैल्जियम	125648
जापान	2797
हांगकांग	31071
नीदरलैण्ड	2665
सिंगापुर	5264
स्वीट्जरलैंड	4694
ब्रिटेन	12432
सं० रा० अमरीका	17080
अन्य देश	6015
योग (2)	210994

3. **हीरे (औद्योगिक हीरों को छोड़कर) जड़े हुए या पिरोये हुए (स्ट्रंग) नहीं, बिना तराशे हुए ।**

हांगकांग	316
जापान	491
स्पेन	104
अन्य देश	54
योग (3)	965
महायोग (1 से 3)	211959

गुजरात राज्य में विदेशों से उपहार के रूप में प्राप्त ट्रैक्टर

5527. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में 1969 के अन्त तक गुजरात राज्य में विदेशों से कितने ट्रैक्टर उपहार के रूप में प्राप्त हुए; और

(ख) इस अवधि में गुजरात में प्रत्येक देश से कितने तथा कितनी अश्व-शक्ति के ट्रैक्टर प्राप्त हुए ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि आयात के आंकड़े राज्यवार या क्षेत्रवार नहीं रखे जाते, अपितु सम्पूर्ण देश के लिये रखे जाते हैं ।

सूती धागे का निर्यात

5528. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा गत दो वर्षों में कुल कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के सूती धागे का निर्यात किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने कम कीमत लेकर लंका, इण्डोनेशिया, हांगकांग तथा जापान में सूती धागे के भारतीय बाजार पर काबू पा लिया है; और यदि हां, तो उसने कितनी प्रतिशत कम कीमतें ली हैं और उसके परिणामस्वरूप भारत को कितनी हानि हुई है; और

(ग) इन देशों को सूती धागे के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही रही है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) गत दो वर्षों में सूती धागे के निम्नलिखित निर्यात किये गये :

वर्ष	मात्रा (लाख किग्रा० में)	मूल्य (करोड़ रु० में)
1968	165.4	10.69
1969	338.3	24.39

(ख) श्रीलंका, इण्डोनेशिया, हांगकांग तथा जापान में सूती धागे, विशेषत: कम काउंट के धागों की बिक्री के सम्बन्ध में पाकिस्तान से प्रतियोगिता अवश्य है परन्तु यह कहना कठिन होगा कि आया पाकिस्तान ने इन देशों में सूती धागे के भारतीय बाजारों पर काबू पा लिया है और उससे कितनी हानि हुई है।

(ग) सूती धागे के निर्यात, सूती वस्त्र निर्यात सम्वर्धन परिषद् द्वारा किये गये विपुल सौदों के माध्यम से चयनात्मक आधार पर किये जाते रहे हैं। यह तरीका प्रभावी सिद्ध हुआ है इसे जारी रखकर लाभ उठाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, इन देशों को सूती धागे के निर्यात में सुधार लाने के मार्गोपायों को निरूपित करने के लिये, परिषद् द्वारा इन बाजारों को एक अध्ययन दल भेजे जाने की सम्भावना है।

संसद् सदस्यों के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा सैगोन तथा नोमपेन का दौरा

5529. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंगापुर तथा यकार्ता स्थित दक्षिण वियतनामी तथा कम्बोडियायी मिशनों ने 10 सदस्यीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल को, जिसने कि हाल ही में दक्षिण-पूर्व एशिया का दौरा किया था, सैगोन तथा नोमपेन का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया था, यद्यपि ये स्थान उनके अनुसूचित कार्यक्रम में शामिल नहीं थे; यदि हां, तो उन संसद् सदस्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पर निमन्त्रण स्वीकार किए थे और वे किन राजनीतिक दलों के थे; और

(ख) भारत सरकार द्वारा भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल की भ्रमण-सूची से इन स्थानों को निकाल देने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सिंगापुर में इस संसदीय प्रतिनिधि मण्डल के सदस्यों को दक्षिण वियतनाम की राष्ट्रीय असेम्बली और विदेश-कार्य परिषद की ओर से 9 से 11 फरवरी, 1970 के बीच दक्षिण वियतनाम की यात्रा करने का औपचारिक निमंत्रण

प्राप्त हुआ था। पहले निमंत्रण में सिर्फ तीन सदस्यों के नाम थे; बाकी सदस्यों के नाम दूसरे निमंत्रण में रखे गए थे। श्री प्रकाशवीर शास्त्री, श्री मुत्तुस्वामी, श्री लकप्पा, श्री पीताम्बरदास ने अपनी निजी हैसियत से सैगोन की यात्रा की। बाद में वे निजी तौर पर कम्बोडिया में नोम पेन्ह और सीएम रीप भी गए थे। उनके मूल कार्यक्रम में सैगोन और नोम पेन्ह के नाम नहीं थे।

(ख) इन स्थानों पर जाने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि ये संसदीय प्रतिनिधि मंडल सद्भावना यात्रा पर सिर्फ थाईलैंड, मलयेशिया, सिंगापुर और इन्डोनेशिया के लिए गया था।

अफ्रीकी-एशियाई एकता संस्था

5530. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री 19 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 466 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अफ्रीकी-एशियाई एकता संबंधी भारतीय संस्था किस तारीख को स्थापित की गई थी तथा इसके संस्थापकों और वर्तमान पदाधिकारियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या राज्यों के अथवा केन्द्र के कोई मन्त्री इस संस्था के सदस्य, संरक्षक, सहकारी अथवा पदाधिकारी हैं; और यदि हां, तो उनके नाम पदनाम क्या हैं;

(ग) इस संस्था के मुख्यालय तथा शाखाएं कहां-कहां हैं, इसकी वित्तीय स्थिति कैसी है तथा इसे धन कहां से प्राप्त होता है; और

(घ) क्या इस संस्था ने अल फतह जो एक आतंकवादी संस्था है, के प्रतिनिधमंडल को भारत आने के लिए आमंत्रित करने से पहले सरकार से अनुमति ली थी ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जैसा कि 19 नवम्बर, 1969 को दिए गए उत्तर में बताया गया था, भारतीय अफ्री-एशियाई एकता संघ एक गैर सरकारी संगठन है। सरकार समझती है कि यह संगठन अक्तूबर, 1935 में अस्तित्व में आया था और स्वर्गीय श्रीमती रामेश्वरी नेहरू इसकी पहली अध्यक्ष थीं। इसके संघ के वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित बताए जाते हैं :

अध्यक्ष	श्री के० डी० मालवीय
उपाध्यक्ष	श्री रमेश चन्द्र
	श्रीमती अरुण आसफ अली
	श्री अकबर आली खां
	श्री मथुरा दास माथुर
	श्री त्रिदिव कुमार चौधरी
	श्री अब्दुल कय्यूम अंसारी
	श्री इन्द्रजीत गुप्त
	जर्नल ई० हबीदुल्ला
	ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर
	डा० अली जहीर

डा० मुल्क राज आनन्द
श्री अजीत दत्ता

महामन्त्री श्री चन्द्रजीत यादव
श्रीमती रमेश चन्द्र
श्री काली मुल्ला

(ख) श्री मथुरादास माथुर भी जो कि राजस्थान सरकार के मन्त्री हैं, इस संघ के एक पदाधिकारी हैं।

(ग) इस संघ का मुख्यालय दिल्ली में है, और ऐसा समझा जाता है कि अधिकांश राज्यों की राजधानियों में इसके केन्द्र हैं। इसकी वित्तीय स्थिति अथवा इसके वित्तीय साधनों के विषय में कोई सूचना सुलभ नहीं है।

(घ) अफ्री-एशियाई एकता संगठन ने अल-फतह के प्रतिनिधिमंडल को भारत यात्रा का निमंत्रण देने की अपनी मंशा भारत सरकार पर जाहिर की थी। जहां तक सरकार को मालूम है, अल फतह उग्रवादी संगठन है।

रूस के साथ माल डिब्बों के बारे में सौदा

5531. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत सरकार एक भारतीय माल डिब्बे की कीमत 100,000 रुपये से घटा कर 58,000 रुपये (इटली द्वारा कथित मूल्य) करने के बारे में सरकार पर दबाव डाल रही है और इस बात पर जोर दे रही है कि रूस की सारी आवश्यकतायें विभिन्न गैर-सरकारी क्षेत्र के निर्माताओं को सौंपने की बजाय हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची, को सौंपी जायें;

(ख) क्या यह भी सच है कि सोवियत सरकार को दिये गये इटली के प्रतियोगी कथित मूल्य के अन्तर्गत सहायक उपकरण नहीं आता है जो कि भारतीय कथित मूल्य में शामिल था; और

(ग) बहु-विलम्बित माल डिब्बों सम्बन्धी सौदे कब तक फलवान होने की सम्भावना है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री रामसेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) यदि इटली का कोई आफर सोवियत सरकार को मिला है तो उसका ब्यौरा सरकार के पास नहीं है।

(ग) यद्यपि सोवियत सरकार को भारत से रेल के माल डिब्बे आयात करने में दिलचस्पी है, फिर भी मूल्य के प्रश्न पर सहमति न होने के कारण, बिक्री करार करने के विषय में कोई अग्रेतर प्रगति नहीं हुई है।

अश्लील साहित्य का आयात

5532. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अश्लील साहित्य का आयात प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में होता है;

(ख) यदि हां, तो किन देशों से इसका आयात किया जाता है; और

(ग) इस साहित्य के आयात को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग) अश्लील तथा अवांछनीय साहित्य के आयात की अनुमति नहीं है । आयात नीति (लाल पुस्तक) में यह दिया गया है कि पुस्तकों के लिये लाइसेंसों के आधार पर अवांछनीय प्रकार की पुस्तकों, हास्य पुस्तकों, उपन्यासों तथा पत्रिकाओं के आयात की अनुमति नहीं होगी । लाल पुस्तक में उन पत्रिकाओं की एक सूची भी दी गई है जिनके आयात पर विशिष्ट रूप से रोक लगाई गई है । नियम तथा क्रियाविधि सम्बन्धी आयात व्यापार नियन्त्रण हस्तपुस्तिका, 1968 में यह भी व्यवस्था की गई है कि सीमा-शुल्क प्राधिकारी ऐसे मामलों में भी अवांछनीय प्रकार की पुस्तकों के आयात की अनुमति नहीं देंगे, जहां नीति के अन्तर्गत, आयात लाइसेंसों के बिना पुस्तकों का आयात करने की अनुमति है । साथ ही लाल पुस्तक में एक और भी व्यवस्था की गई है कि पुस्तकों के लिये लाइसेंसों के आधार पर पत्रिकाओं के आयात की अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे लाइसेंसों को उनके आयात के लिये विशिष्ट रूप से पृष्ठांकित न किया गया हो । ऐसे पृष्ठांकनों के लिये प्रार्थनाओं पर विचार करते समय अवांछनीय प्रकार की पत्रिकाओं को निकाल दिया जाता है । रोक लगी हुई पत्रिकाओं की सूची की सीमा-शुल्क प्राधिकारियों के परामर्श से प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है ताकि उसमें अवांछनीय प्रकार की यथासम्भव अधिकतम पुस्तकों को शामिल किया जा सके ।

कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इंडिया) के पुनर्गठन संबंधी अध्ययन दलों के प्रतिवेदन

5533. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इंडिया) के पुनर्गठन तथा उसकी कार्यक्षमता बढ़ाने संबंधी शेष पांच अध्ययन दलों के प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति तथा प्रत्येक पर सरकार की प्रतिक्रिया सभा-पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जैसा कि 7 जुलाई, 1969 को अतारांकित प्रश्न संख्या 8690 के उत्तर में बताया गया था, अध्ययन दलों संख्या 2 से 6 द्वारा विचारे गए मामलों के संबंध में कमेटी की सिफारिशें भी सरकार को प्राप्त हो गई हैं ।

(ख) और (ग) अध्ययन दलों संख्या 2 से 4 द्वारा विचारे गए मामलों के संबंध में आदेश क्रमशः 19 अगस्त, 1969 और 17 जनवरी, 1970 को जारी किए गए थे और उनकी प्रतियां सभा के पटल पर रख दी गई हैं । अध्ययन दल संख्या की कुछ सिफारिशों पर आवृत 20 जनवरी, 1970 को जारी किए गए आदेशों की एक प्रति भी सभा के पटल पर रख दी गई है । [ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 3132/70] अध्ययन दलों की शेष सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

उन अध्ययन दलों की रिपोर्टें जो कि विभागीय दल थे सभा के पटल पर रखना वांछनीय नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनाना इन अध्ययनों में व्यक्तिगत स्वतंत्र और उदारतापूर्वक कथन और सामूहिक विचारों के अबोध का प्रभाव पड़ेगा ।

सशस्त्र सेना मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा वर्दियों पर नाम पट्ट लगाना

5534. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेना मुख्यालय के सभी अधिकारियों को हाल में आदेश दिया गया है कि वे अपनी वर्दियों में वक्षस्थल पर अंग्रेजी में प्लास्टिक के अपने नाम पट्ट धारण करें;

(ख) यदि हां, तो करदाता के धन की कीमत पर ऐसा आदेश देने का क्या औचित्य है तथा यह आदेश कब से लागू हुआ;

(ग) क्या दूसरे स्टेशनों के अधिकारियों को भी ऐसे ही आदेश दिये गये हैं कि वे वर्दी के एक अंग के रूप में नाम पट्ट धारण करें;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस आदेश के परिणामस्वरूप इन नाम पट्टों पर होने वाला वार्षिक अनुमानित आवर्ती व्यय कितना है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ङ) जी हां। सेना और नौसेना मुख्यालयों में प्रक्रिया क्रमशः 1 अक्तूबर 1969 और 7 अप्रैल 1969 को लागू होना शुरू हुई, और दोनों मुख्यालयों में नामों की तख्तियों का खर्च स्वयं अफसरों द्वारा वहन किया जाता है, न कि जननिधियों से ।

वायु सेना मुख्यालयों में यह प्रक्रिया 31 अगस्त, 1968 को लागू की गई थी । वायु सेना मुख्यालयों के आफ़सरों के नामों की तख्तियों पर उठा खर्च सरकार को वहन करना होता है ।

मुख्यतः यह तन्त्र सहज और सुगम पहचान और परस्पर अभिज्ञान द्वारा संघभाव को बढ़ावा देने में सहायी होने के लिए पुरस्स्थापित किया गया है ।

कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इंडिया) द्वारा चलाये जाने वाले गैरीजन सिनेमा

5535. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इंडिया) द्वारा कितने गैरीजन सिनेमा चलाये जाते हैं तथा उनमें से प्रत्येक किन-किन स्टेशनों पर स्थित हैं;

(ख) उनमें से कौन से हानि पर चल रहे हैं तथा कौन से लाभ पर ;

(ग) हानि उठा रहे ऐसे सिनेमाओं को लाभ पर चलाने के लिए कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इंडिया) द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) क्या उक्त सिनेमाओं में से प्रत्येक सिनेमा का गत पत्री-वर्ष (महीनेवार) में लाभ/हानि बताने वाला विवरण सभा-पटल पर जावेगा ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) कण्टीन स्टोर्ज विभाग (भारत) 26 सिनेमा

चलाता है। सिनेमा स्थान और प्रत्येक सिनेमा द्वारा 1968-69 वित्तीय वर्ष में अर्जित किया गया ग्रास लाभ हानि संलग्न **विवरण में दी गई है**। जैसा कि एप्रोप्रिएशन अकाऊंड्स में दिया गया है, 1968-69 के दौरान सी० एस० डी० (आई) के सिनेमा पक्ष द्वारा अर्जित स्पष्ट लाभ 218903 रूपये था। मासवार आंकड़े सहज प्राप्य नहीं हैं।

यह सिनेमा मुख्यतः तर्कसंगत दरों पर सैनिकों को स्वस्थ मनोरंजन प्राप्य करने के लिए चलाए जाते हैं। इस उद्देश्य से संगत अच्छे चलचित्र बुक करके लाभ को अधिकाधिक बनाने का, तथा सहायक संसाधनों जैसे कि दुकानें, साईकल स्थानों और चाय की दुकानों से आय आकृषित करने का प्रया किया जाता है।

विवरण

क्रम संख्या	सिनेमा का नाम	स्थान	1968-69 में लाभ	1968-69 में हानि
			रुपये	
1	प्रतिरक्षा सेना सिनामा	जालंधर	12,278	
2.	,,	दिल्ली छावनी	11,552	
3.	,,	अम्बाला छावनी	12,202	
4.	,,	आनन्द पर्वत, दिल्ली	58,229	
5.	,,	लोहा गांव पूना	7,255	
6.	,,	कसौली	1,664	
7.	,,	देहू रोड	10,826	
8.	,,	ताम्बरम	38,691	
9.	,,	कोलाबा बम्बई	99,978	
10.	,,	जालहाली पश्चिम	46,947	
11.	,,	,, पूर्व		
12.	,,	बंगलौर	71,356	
13.	,,	कलाहकुंडा	6,191	
14.	,,	योल	21,649	
15.	,,	हलवाड़ा	25,765	
16.	,,	आदमपुर	8,119	
17,	,,	आमला	1,238	
18.	,,	जोरहाट	71,145	
19.	,,	रुड़की	—	2,852
20.	,,	मथुरा	—	8,040
21.	,,	डलहौजी	—	6,285
22.	,,	आगरा	—	7,354
23.	,,	पानागढ़	—	14,049
24.	,,	जामनगर	—	8,287
25.	,,	हब्बल बंगलौर	—	15,102
26.	,,	आवड़ी	—	11,355

कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इंडिया) द्वारा चलाये जाने वाले गैरीजन सिनेमाओं के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते आदि का न दिया जाना

5536. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट द्वारा चलाये जाने वाले गैरीजन सिनेमाओं के कर्मचारियों को वर्दी नहीं दी जाती है तथा उन्हें कार्य के निर्धारित घंटों से अधिक समय तक कार्य करने के लिए समयोपरि भत्ता नहीं दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सिनेमाओं के कर्मचारियों के संघ ने अपनी मांगों के बारे में कोई अभ्यावेदन दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के अधिकारी अपने सिनेमा कर्मचारियों को प्रत्येक स्टेशन में स्थानीय सिनेमाओं के कर्मचारियों के बराबर ही मजूरी तथा अन्य सुविधाएं देने के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) वर्तमान आदेशों के अनुसार कैंटीन स्टोर्स विभाग (भारत) द्वारा चलाए गए सिनेमाओं में काम पर लगाए गये गेटकीपर, चौकीदार, मेहतर और चौकीदार नि:शुल्क वर्दी के अधिकारी हैं ।

सी० एस० डी० (आई०) के सिनेमाओं में सेवा कर रहे कर्मचारी साधारण नियमित प्रदर्शनों के अतिरिक्त रविवार और छुट्टियों के दिन प्रात: के शा में ड्यूटि देने के लिए डिपटीईन उजरतों के भी अधिकारी हैं ।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के उत्तर के समक्ष प्रश्न नहीं उठते ।

गुजरात में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं

5537. **श्री वीरेन्द्रकुमार शाह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में गुजरात में सरकारी क्षेत्र में कई परियोजनाएं स्थापित करने की सिफारिश की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इनमें से किसी भी परियोजना को तीसरी योजना में शामिल नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप गुजरात में तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र की कोई भी परियोजना स्थापित नहीं की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो गुजरात में सरकारी क्षेत्र की एक भी परियोजना की तीसरी योजना में शामिल न करने के क्या कारण थे और इस अन्याय को दूर करने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जितनी केन्द्रीय परियोजनाएं अपने लिए प्राप्त हो सकें उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रत्येक राज्य स्वाभाविक रूप से ही उत्सुक है । इस लक्ष्य से गुजरात सरकार ने भी समय समय पर विभिन्न प्रस्ताव किये हैं ।

(ख) केन्द्रीय परियोजनाओं का स्थान निर्धारण मुख्यतया तकनीकी आर्थिक तर्कों पर आधारित रहता है। विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक असन्तुलन को दूर करने की आवश्यकता पर भी समुचित ध्यान दिया जाता है। जहां तक गुजरात का सम्बन्ध है, कोबाली तेलशोधक कारखाना (रिफायनरी) परियोजना, जिस पर 48 करोड़ रुपये व्यय किये गये थे, तीसरी योजना में शामिल की गई थी। राज्य में तेल की खोज पर पर्याप्त निवेश किया गया था।

(ग) चौथी योजना में तेल की खोज और तेलशोधक कारखाने (रिफायनरी) की क्षमता बढ़ाने के लिए और निवेश की परिकल्पना की गई है। गुजरात में उर्वरक कारखाने की स्थापना के लिये भी वित्तीय संस्थाओं से पर्याप्त सहायता की व्यवस्था की गई है। चौथी योजना के दौरान गुजरात ऐरोमैटिक्स परियोजना, गुजरात नेफ्ता फ्रेकर और कांडला उर्वरक परियोजना के लिए केन्द्रीय निवेश करने का प्रस्ताव है। एक प्रस्ताव यह भी है कि गुजरात सरकार की साझीदारी में एक ऐल्यूमिनियम परियोजना संयुक्त प्रयास के रूप में स्थापित की जाए।

Production of Papain and Pectin

5538. **Shri Maharaj Shingh Bharati :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Papain and Pectin are being imported despite heavy production of papaya fruit in the country ; and

(b) if so, the efforts being made to produce papain nnd pectin ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) While Papain is not permitted to be imported, Pectin is imported.

(b) While Papain is being produced, efforts are being made to increase its production in the country. Production of Pectin has been started on pilot scale and efforts are being made to explore the possibility of setting up capacity for the manufacture of Pectin on commercial basis

भारत में बांटे जा रहे अमरीका तथा रूसी प्रचार साहित्य पर रोक

5539. **श्री समर गुह** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री विदेशी सांस्कृतिक केन्द्रों को बन्द करने के बारे में 26 फरवरी, 1970 के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस तथा अमरीका द्वारा भारत में प्रचार साहित्य बांटने पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ;

(ग) रूसी तथा अमरीकी राजनयिक मिशनों द्वारा वर्ष 1967, 1968 तथा 1969 में किन तथा कितनी राजनीतिक पुस्तकों, पुस्तिकाओं, विवरणिकाओं, मासिक तथा साप्ताहिक पत्रिकाओं का भारत में आयात किया गया तथा छापा गया और बांटा गया ; और

(घ) इन्हीं राजनयिक मिशनों द्वारा वर्ष 1967, 1968, तथा 1969 में भारतीय दैनिक समाचार पत्रों, साप्ताहिक तथा मासिक पत्रिकाओं को प्रकाशन के लिये कौन से समाचार, परिपत्र, पत्र तथा लेख दिये गये ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) और (ख) सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ तथा संयुक्त राज्य अमरीका समेत सभी विदेशी मिशनों द्वारा प्रचार सामग्री के वितरण नियम सरकार द्वारा राजनयिक सम्बन्धों पर 1961 में वियना में सम्पन्न अभिसमय की व्यवस्था के अनुसार किया जाता है। वियना अभिसमय की भावना के विरुद्ध किसी प्रतिबन्ध की बात इसमें नहीं सोची गई है।

(ग) और (घ) भारत के समाचार-पत्र पंजीयक द्वारा प्रकाशित 'प्रेस इन इंडिया 1969' में छपी सोवियत संघ और अमरीका प्रकाशनों (मुद्रित और साइक्लोस्टाइल किए हुए) की एक सूची सभा पटल पर रखी गई है। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3133/70] जहां तक भारत वे बाहर प्रकाशित पुस्तकों और आवधिक पत्रिकाओं का प्रश्न है, विदेशी मिशनों को यह छूट है कि वे अपने इस्तेमाल के लिए इसे बाहर से मंगाए। अगर इस तरह की पुस्तकें जनता में बांटी जाती हैं तो मिशनों को इस बारे में सरकार द्वारा निर्धारित विनियमों को पालन करना पड़ता है। इन विनियमों के अनुसार विदेशी मिशनों को कोई भी ऐसे प्रचार सामग्री वितरित करने की इजाजत नहीं है जो (i) भारत के आंतरिक कानूनों के स्पष्ट विरुद्ध हो; (ii) भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण अथवा अमैत्रीपूर्ण हो अथवा जिससे भारत के लोगों के और सरकार के प्रति दुर्भावना पैदा होती हो; (iii) भारत के लोगों के विभिन्न वर्गों के बीच दुर्भावना को बढ़ावा दे सकती हो: और (iv) किसी ऐसे तीसरे के प्रति दुर्भावना पैदा करने के इरादे से तैयार की गई हो अथवा उसका ऐसा असर पड़ सकता हो।

विदेशी मिशनों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे जिस किसी प्रकाशन की (चाहे वे आयातित हो अथवा यहीं का प्रकाशित) प्रतियां विदेशी मंत्रालय को भेजें।

Accumulation of Coals Stocks and Export thereof

5540. **Shri Shiv Kumar Shastri:** **Shrimati Sharda Mukerjee:**
Shri Atam Das: **Shri V. Narasimha Rao:**

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to export coal in view of accumulation of a large quantity thereof;

(b) if so, whether it is also a fact that the colliery owners and exporters have been permitted to have direct transactions with the foreign buyers in this respect;

(c) whether it is a fact that the Corporation has fixed the price of Coal and it cannot be exported at less than the said price; and

(d) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak):

(a) Yes, Sir.

(b) to (d) The National Coal Development Corporation and various collieries in private sector have been authorised along with MMTC to negotiate with foreign buyers for export of sizeable quantities of medium coking/blendable/non-coking coals and washed coal on the basis of the floor prices fixed by MMTC. The sale contracts would be canalised through the MMTC.

1966-69 में विदेशी गये भारतीय प्रतिनिधि मंडल

5541. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 से 1969 तक, वर्षवार, पृथक्-पृथक् कितने सरकारी, गैर-सरकारी तथा मिले-जुले प्रतिनिधि मंडलों ने, भारतीय निर्यात को बढ़ाने, विदेशों में भारतीय पूंजी निवेश, भारत में गैर-सरकारी विदेशी पूंजी निवेश तथा भारत के आर्थिक विकास के लिए विदेशों द्वारा ऋण तथा अनुदान की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये विदेशों का दौरा किया ;

(ख) उन्होंने किन देशों का दौरा किया और वर्ष 1966 से 1969 तक, वर्षवार, इस कार्य पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ; और

(ग) इन दौरों के क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Increase in the Number of Scheduled Caste Members in Proportion to their Population in Cantonment Board, Nasirabad

5542. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the **Minister of Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the population of Nasirabad is about 25,000 ;

(b) if so, the number of the Members of the Cantonment Board there ;

(c) whether it is also a fact that the said population consists of about 12,000 Scheduled caste persons ; and

(d) the reasons for not increasing the number of scheduled caste members in the Board in proportion to their population ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) The population of Nasirabad ntonment according to the 1961 census was 24,148.

(b) The Nasirabad Cantonment Board has 14 members of whom 7 are elected.

(c) The population of scheduled castes/tribes in the Nasirabad Cantonment according to the 1961 census was 5,015.

(d) According to the existing orders, one seat is reserved for scheduled castes tribes for every 14% of the population of scheduled castes tribes as compared to the total population. A relaxation to the extent of 3% in the overall population of Scheduled castes tribes as compared to the total population was less than 25% according to the 1961 census, only one seat is a reserved seat.

पोंग बांध से हटाये गये लोगों के पुनर्वास के लिए संसद सदस्यों और हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल की प्रधान मंत्री से भेंट

5543. **श्री बाल्मीकि चौधरी** :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद् सदस्यों तथा हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल हाल में प्रधान मन्त्री से मिला था और उन्हें एक ज्ञापन पत्र दिया था जिसमें ब्यास पोंग बांध परियोजना के निर्माण के परिणाम स्वरूप हटाये जाने वाले लगभग 20,000 परिवारों को संकट से उबारने के लिये मांग की गई थी ;

(ख) क्या सरकार ने इस बीच इन मांगों के बारे में निर्णय कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) प्रधान मन्त्री को प्रस्तुत ज्ञापन में की गई मांगों को नोट कर लिया गया है और सम्बन्धित सरकारों के साथ परामर्श कर के कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है ।

Financial Aid Provided to Baroda University for Survey of Baroda City by Planning Commission

5544. **Shri Janeshwar Misra** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Planning Commission have provided financial aid to the Baroda University for survey of Baroda city ;

(b) whether the Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development was the head of the said survey ;

(c) whether the report in respect of the said survey has been published ;

(d) whether charges of embezzlement have been levelled against the Director of the said project ; and

(e) if so, the action taken or proposed to be taken in this regard ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir. The project was sanctioned in March, 1954 and completed in 1957.

(b) No, Sir. The Honorary Director of the survey was Prof. H. C. Malkani, Reader in Economics, M. S. University of Baroda.

(c) Yes, Sir. In 1957.

(d) Planning Commission (Research Programmes Committee) is not aware of any charges of embezzlement levelled against the Honorary Director of the Project. The Audited statement of accounts certifying that the amount released for the project was utilized for the purpose intended was also duly received.

(e) Does not arise.

Peking Radio Broadcasts Regarding Indian Territory Occupied by China

5546. **Shri Onkar Lal Berwa** : **Shri P. L. Barupal** :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been invited to the broadcast made by the Peking Radio that "thanks that the Indian Parliament has also conceded that the Indian territory under Chinese occupation belongs to China and it was never the Indian territory and that the Government of India are unable to recover the same" ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surender Singh) :

(a) Government have not come across any such broadcast or statement.

(b) Government's position in regard to Indian territory under Chinese occupation is absolutely clear. Such territory is inalienably the sovereign territory of India and there is no question of conceding such territory to China or anyone else.

उपहार योजना के अन्तर्गत ट्रैक्टरों की प्राप्ति के लिए पंजाब तथा गुजरात में किसानों के अनिर्णीत आवेदन पत्र

5547. **श्री मनुभाई पटेल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों से उपहार योजना के अन्तर्गत ट्रैक्टरों के लिए पंजाब तथा गुजरात के किसानों से कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) पंजाब और गुजरात के कितने आवेदन पत्रों को स्वीकृति दी गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) 31–3–1970 तक पंजाब के आवेदकों से 788 आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे और गुजरात के आवेदकों से 236 आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे ।

(ख) पंजाब के आवेदकों को 615 तथा गुजरात के आवेदकों को 181 सीम-शुल्क निकासी परमिट दिये गये थे ।

भारतीय भैंसों के लिए उगांडा की मांग

5548. **श्री मनुभाई पटेल** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उगांडा सरकार ने चार वर्ष पहले भारत सरकार से वहां 10 भैंसें भेजने का निवेदन किया था ;

(ख) क्या भारत सरकार ने वह मांग स्वीकार की ली थी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उगांडा को भैंसें भेज दी गई थीं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) जहाजरानी और अन्य अप्रत्याशित कठिनाइयों के कारण ये पशु उगांडा नहीं भेजे जा सके । लेकिन, उन्हें जल्दी से जल्दी भेजने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

Export of Groundnut Oil Cake and Linseed Oil Cake and its Effect on Milk Yield of Cows

5549. **Shri Shasi Bhushan** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the quantity of groundnut-oil cake and linseed-oil cake exported per annum ;

(b) whether the attention of Government has been invited to the fact that in case the said oil-cakes are not exported and used in the country itself, the yield of milk could be increased immensely ;

(c) if so, the reaction of Government thereto ; and

(d) the type of other fodder exported in addition to the said oil-cakes and the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak): (a) Exports of expeller solvent extracted oilcakes of groundnut and linseed from 1966-67 are given below :—

(Value in Rs. lakhs)
(Post Dev. Rates)
Qty. in tonnes

	1966-67		1967-68		1968-69		1969-70 (Upto Dec. 69)	
	Qty.	Value	Qty.	Value	Qty.	Value	Qty.	Value.
1. **Groundnut**								
Expeller Cakes	—	—	—	—	—	—	—	—
Solvent Extracted Cakes	646928	4171	586856	3721	681678	4196	337754	2169
2. **Linseed**								
Expeller Cakes	1428	10	—	—	342	2	—	—
Solvent Extracted Cakes	11098	75	3234	21	16167	100	20274	122

(b) & (c) The export policy of oilcakes is framed taking into account all relevant factors, with due regard to the need of the cattle population within the country. It is in this context that the export of groundnut expeller cakes has been banned.

(d) Besides the oilcakes mentioned above, the type of other fodder exported is expeller solvent extracted oilcakes of other oilseeds and of copra, hay and fodder, bran, pollards, sharps and other by-products from the working of cereal grains and leguminous vegetables, meat meal and fish meal unfit for haman consumption, food wastes and prepared animal feed, the reason for such exports being to earn the much needed foreign exchange, without adversely affecting the interests of human or cattle population within the country.

पूर्निया, बिहार के खेतों पर रेत का प्रभाव

5550. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोसी बांध के त्रुटिपूर्ण आयोजन के कारण, नहरों तथा उनकी उप-नहरों का रेत नहरों के पानी से सींचे जाने वाले खेतों में जमा हो रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पूर्निया जिले में जो मुख्यत: कोसी बांध द्वारा सींचा जाता है, सूखे रेत की मात्रा तथा अधिक पानी के कारण बहुत ही कम धान उगाया गया;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप, इस गलत आयोजन के कारण जिससे रेगिस्तान वरदान की बजाय अभिशाप बन गया है, और कृषि क्रांति मूर क्रांति में बदल गई है, पूर्निया जिले में बड़ा रोष है ; और

(घ) यदि हां, तो इस क्षेत्र में कृषकों को इस संकट से बचाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) राज्य के कृषि विभाग की सूचनानुसार चावल की उपज जो 1966-67 में 148000

मीट्रिक टन थी, वह बढ़ कर 1967-68 में 198000 मीट्रिक टन और 1968-69 में 249000 मीट्रिक टन हो गई है। 1969-70 में उपज, जस्सिडों द्वारा धान की फसलों के आक्रान्त होने के बावजूद भी जिससे 10% से 15% क्षति पहुंची, अस्थायी अनुमान के अनुसार 279000 मीट्रिक टन हुई होगी।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

हेग में विश्वन्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए भारतीय प्रत्याशी के चुनाव पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा

5551. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हेग में विश्वन्यायालय के न्यायधीशों के हाल के चुनाव के लिए डा० नगेन्द्र सिंह भारत के प्रत्याशी थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्णय मंत्रिमंडल ने किया था अथवा केवल **वैदेशिक-कार्य** मंत्रालय ने ही किया था ; और

(ग) इस चुनाव में कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह नामांकन इंडियन नेशनल ग्रुप द्वारा किया गया था और इसका अनुमोदन प्रधान मंत्री तथा राष्ट्रपति द्वारा।

(ग) इस उद्देश्य के लिए अलग से विदेशी मुद्रा स्वीकार नहीं की गई थी। जैसा कि ऐसे मामलों में साधारणतः किया जाता है, इस मामले पर सामान्य राजनयिक सूत्रों के माध्यमों से तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा में हमारे प्रतिनिधिमंडल द्वारा विचार किया गया था।

दिल्ली में निर्जल गोदी स्थापित करने के बारे में जांच करने के लिए नियुक्त समिति का प्रतिवेदन

5552. **श्री देविन्दर सिंह गाची** : **श्री मणि भाई जे० पटेल** :
श्री बाल्मीकि चौधरी : **श्री सीताराम केसरी** :

क्या **वैदशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में निर्जल गोदी स्थापित करने के मामले पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि नगर तथा ग्राम्य आयोजन संगठन दिल्ली में निर्जल पत्तन स्थापित करने के पक्ष में नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) :(क) दिल्ली शुष्क पत्तन पर अन्तः-सरकारी कार्यकारी दल का प्रतिवेदन अभी तक सरकार को नहीं मिला है। परन्तु, दल को यथाशीघ्र अपना प्रतिवेदन देने के लिए कहा गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) नगर तथा ग्राम्य आयोजना संगठन द्वारा किये गये कुछ प्रारम्भिक अध्ययनों के अनुसार दिल्ली में एक शुष्क पत्तन स्थापना से सम्बन्धित कार्यकलापों के लिए, जैसे परिवहन कम्पनियों, नौवहन अभिकरणों, बीमा कम्पनियों, लदान तथा उतरान, गोदाम, प्रांगण-विन्यास, गोदी कार्यों आदि के लिए, कार्यालय-स्थान के लिए, जमीन की अत्यधिक मांग पैदा हो जायेगी और राजधानी के क्षेत्र में स्थान तथा नागरिक सेवाओं की सहवर्ती समस्याएं उत्पन्न हो जायेंगी। कार्यकारी दल के प्रतिवेदन मिल जाने पर ही सरकार द्वारा इस मामले पर अन्तिम विनिश्चय किये जाने की सम्भावना है और उस समय समस्या के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जायेगा, जिनमें नगर तथा ग्राम्य योजना संगठन द्वारा किये गये अध्ययन भी शामिल होंगे ।

7–3–70 को दिल्ली में सैनिक चांदमारी क्षेत्र में गोली चलने से ग्रामीण की मृत्यु

5553. **डा० सुशीला नैयर :** **श्री एस० एम० कृष्ण :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में 7 मार्च, 1970 को सैनिक चांदमारी क्षेत्र में एक ग्रामीण की मृत्यु हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दुर्घटना की कोई जांच की गई है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) एक इन्क्वायरी की जा रही है।

(ग) जब चांदमारी हो रही हो, दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए तथा लोगों और पशुओं को चांदमारी से बाहर रखने के लिए वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार निम्न एहतियायी उपाय किये जाते हैं :—

(1) संकट क्षेत्र से ग्रामीण को परे रखने के लिए असैनिक प्राधिकरणों के माध्यम से पहले से नोटिस दिए जाते हैं ।

(2) चांदमारी तभी की जाती है कि जब सम्बन्धित असैनिक प्राधिकरण ऐसा प्रमाणित करता है कि चांदमारी सुरक्षित है ।

(3) जब चांदमारी हो रही हो, लोगों को चांदमारी मैदान से परे रखने के लिए नोटिस बोर्ड लगाए जाते हैं ।

(4) लाल ध्वज लिए संतरी लोगों और पशुओं का प्रवेश रोकने के लिए खड़े कर दिये जाते हैं।

(5) न फटने वाले शैलों का रिकार्ड रखा जाता है, और प्रतिदिन की चांदमारी के बाद उनकी तलाश कर के उन्हें ध्वस्त कर दिया जाता है ।

Surrender by Underground Nagas

5554. **Shri J. Sundar Lal :** **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of underground Nagas who surrendered themselves during the period from 1st January to the 30th June, 1969 and till now ;

(b) the number of underground camps smashed so far ; and

(c) the number of such underground camps in respect of which Government have the required information but they have not so far been smashed and the action being taken to smash them ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) 685 underground personnel surrendered between 1st January 1969 and 30th June 1969, and 648 between 1st July 1969 and 28th February 1970. There were about 80 surrenders during March 1970.

(b) Between 1st January 1969 and 31st March 1970, action was taken with respect to 70 camps, used by underground Nagas for holding illegal weapons and as bases for recent attacks on convoys.

(c) Many of such camps are shifted frequently to avoid detection. Because of this, it is not possible to make an accurate estimate of their number. As and when information is received about the use of Underground camps for unlawful purposes such as to conceal illegally procured weapons, action is taken to deal with them.

नसीराबाद छावनी क्षेत्र में भूमि की बिक्री पर प्रतिबन्ध

5555. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नसीराबाद छावनी क्षेत्र में भूमि की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो काफी समय से खाली पड़ी भूमि को ऊंची दरों पर पट्टे पर देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) भूमि की अधिकतम दर क्या है तथा उसकी निर्धारित दर क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) रक्षा मन्त्रालय के पूर्व आदेशों के बिना किसी छावनी में रक्षा भूमि को बेचने की अनुमति नहीं है। नसीराबाद छावनी में भूमि के बारे में कोई विशेष प्रतिबन्ध जारी नहीं किए गए ।

(ख) प्रश्न शायद, नसीराबाद छावनी में भूमियों के कृषि सम्बन्ध पट्टों से सम्बन्धित है। वर्तमान आदेशों के अनुसार वार्षिक किराया भूमि से होने वाली कुल उपज के अनुमानित मूल्य के चौथाई के आधार पर नियत किया जाता है।

(ग) नसीराबाद छावनी में कृषिभूमि पट्टों के लिए वार्षिक किराये की अधिकाधिक दर इस समय 58 रुपये प्रति एकड़ है।

भागलपुर के बुनकरों को नियन्त्रित मूल्यों पर सूत की अनुपलब्धता

5556. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री गणेश घोष : **श्री भगवान दास :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्धारित दरों पर सूत उपलब्ध न होने के कारण भागलपुर के बुनकरों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें कितना अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है ;

(ग) क्या बंडलों को अच्छी तरह मुहर बन्द किया जाता है और उन पर मूल्य अंकित किये जाते हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या उस जिला में बुनकरों को पर्याप्त मात्रा में सूत उपलब्ध कराने के लिये सरकार कार्यवाही करेगी ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) पता चला है कि भागलपुर के बाजारों में रेशे वाले धागे के मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है।

(ख) रेशे वाले धागे के मिल से चलते समय के मूल्य, तब से रेशे वाले सूत में हुई वृद्धि को जोड़कर, लगभग जुलाई, 1969 के स्तरों तक बने हुये हैं, परन्तु पता चला है कि भागलपुर क्षेत्र में, फरवरी, 1970 में बाजार मूल्य में रेशे वाले सूत के मूल्य बढ़ जाने के कारण हुई वृद्धि के अतिरिक्त भी जुलाई, 1969 के स्तर के मूल्यों की तुलना में 25 पै० से 65 पै० प्रति किग्रा० की और वृद्धि हुई है।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(घ) 4 तथा 5 दिसम्बर, 1969 को दिल्ली में, सूती धागे के प्रमुख कर्तकों के साथ एक बैठक हुई थी और वे इस बात को सुनिश्चित करने के लिये सहमत हो गये कि विभिन्न बाजारों में खुदरा मूल्य, 20 पैसे प्रति किग्रा० की वृद्धि को जोड़कर, जो उनको दिये जाने वाले रेशे वाले सूत के मूल्य में उतनी ही वृद्धि के कारण न्यायोचित हैं, जुलाई, 1969 के मूल्यों से न बढ़ें।

वस्त्र आयुक्त इस करार की क्रियान्विति पर नजर रख रहे हैं; 18 मार्च, 1969 को एक और बैठक हुई थी और कर्तकों को, करार का अनुपालन करने के लिये और शेष एक दो स्थानों पर सुधारने के लिये, दुबारा कहा गया है।

Suggestion by Madhya Pradesh Government For Allocation of Pro posed Special Assistance of Rs. 800 Crores, To States with A Low Per Capita Income

5557. **Shri Bharat Singh Chauhan :** **Shri T. P. Shah :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Shri Gopal Saboo : **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Onkar Lal Berwa : **Shri Nitiraj Singh Chaudhary :**

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Madhya Pradesh had urged upon the

Central Government that the proposed Rs. 800 crore special assistance should be allocated to all those States, whose per capita income is less than the average national income, on the basis of the resources determined by the National Development Council ;

(b) the amount likely to be allocated to Madhya Pradesh on the said basis ; and

(c) the amount of Central assistance recommended by the said Council for Madhya Pradesh as also the amount accepted by Government ?

The Prime Minister (Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi): (a) Yes, Sir.

(b) It was explained at the meeting of the National Development Council that the special accommodation would be provided only to those States which are likely to have non-Plan gaps in their resources to enable them to utilise the additional resources mobilised by them for their Five Year Plans. This approach was endorsed by a general consensus at the meeting of the N. D. C. The question of working out a figure for Madhya Pradesh on the basis of the suggestion made by the Chief Minister, Madhya Pradesh, does not there fore arise.

(c) While the amount that is likely to be required for special accommodation to States during the Fourth Plan period has been worked out in overall terms, the actual requirements of individual States will be assessed from year to year. The question of a specific amount being approved by the National Development Council and its acceptance by the States does not, therefore, arise.

"Project Assist" Scheme of U. P.

5558. **Shri Om Prakash Tyagi:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) Whether Government propose to take over the "Project Assist" Scheme of the Uttar Pradesh which envisages provision of additional irrigation facilities for 11:74 lakh hectares of land in Eastern and Central Uttar Pradesh and which is intended for removing the backwardness of the State, or it is proposed to provide adequate financial/ assistance to the State for this purpose ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) and (b) Irrigation projects form part of the State Plans and funds for their execution have to be provided by the State Governments from out of their resources for developmental plans, supplemented by Central assistance for the Plans as a whole.

While distributing Central assistance amongst the States, the Planning Commission give a weightage of 60% for population, 10% each for the criteria of per capita income and tax efforts ; 10% for the spillover schemes under major irrigation and power and 10% for special problems of individual States. The Central assistance is provided in the form of block loans and grants and is not related to any individual sector or project.

The Project Assist is included in the Fourth Plan of Uttar Pradesh and the State Government have been requested to provide adequate funds for it in the Annual Plan.

चौथी योजना में उड़ीसा के लिए योजना सम्बन्धी परिव्यय

5559. **श्री श्रीनिवास मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल उड़ीसा ही एक मात्र ऐसा राज्य है जिसको तीसरी योजना में नियत किये

गये कुल परिव्यय की तुलना में चौथी योजना के प्रारम्भ में इस राज्य की योजना के लिये कम परिव्यय नियत किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) राज्य की चौथी योजना का परिव्यय, जो कि 222.6 करोड़ रुपये है, लगभग उतना ही है जितना कि तीसरी योजना में वास्तविक व्यय, परन्तु यह राज्य की तीसरी पंचवर्षीय योजना के स्वीकृत परिव्यय (160 करोड़ रुपये) की अपेक्षा पर्याप्त अधिक है।

(ख) राज्य की चौथी योजना के लिये केन्द्रीय सहायता 160 करोड़ रुपये है जब कि तीसरी योजना के लिये यह सहायता 137 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार राज्य के निजी अंशदान की अपर्याप्तता ही उसकी योजना के आकार को सीमित कर रही है।

Backward Districts in North Bihar

5560. **Shri K. M. Madhukar** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the grounds on which Champaran, Chapra and Muzaffarpur districts in North Bihar have not been declared backward Districts when the Eastern Districts of Uttar Pradesh have been so declared and also when the Members of Parliament and Legislature have submitted a memorandum to the Prime Minister in this regard ;

(b) whether Government propose to take early steps for removing the regional imbalance in the said districts ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister (Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The State Government were requested to identify the backward districts within each State. Muzaffarpur District has been declared backward by the State Government, but not Champaran and Saran (Chapra).

(b) The State Government are adopting measures to reduce regional imbalances through district and area planning.

(c) Does not arise.

चौथी योजना में जनसंख्या के आधार पर बिहार उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान को केन्द्रीय सहायता देना

5561. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में जनसंख्या के आधार पर बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को कितनी केन्द्रीय सहायता मिलती और राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार इन राज्यों को वास्तव में कितनी धनराशि मिली ; और

(ख) क्या उक्त राज्यों को अब आवंटित की गई धनराशि से ये राज्य अपनी प्रति व्यक्ति आय बढ़ा सकेंगे तथा उसे पंजाब, महाराष्ट्र तथा गुजरात जैसे राज्यों की प्रति व्यक्ति आय के बराबर ला सकेंगे।

प्रधान मन्त्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) असम, जम्मू और काश्मीर तथा नागालैंड की आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद केन्द्रीय सहायता की 3100 करोड़ रुपये की राशि राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार 14 राज्यों को उनकी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए विभाजित की गई। केन्द्रीय सहायता की 3100 करोड़ रुपये की राशि में से तीन राज्यों (बिहार उत्तर प्रदेश और राजस्थान) के लिये जनसंख्या के अनुसार और राष्ट्रीय विकास परिषद् के सूत्र (फार्मूला) के अनुसार मिलने वाली केन्द्रीय सहायता के आंकड़े नीचे दिखाये गये हैं :

केन्द्रीय सहायता

	केवल जनसंख्या के आधार पर	राष्ट्रीय विकास परिषद् के सूत्र के अनुसार
	(करोड़ रुपए)	(करोड़ रुपए)
बिहार	353.7	350.0
उत्तर प्रदेश	545.9	526.0
राजस्थान	155.0	220.0

(ख) इसमें सन्देह नहीं कि चौथी पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वित होने से उक्त राज्यों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी परन्तु बहुत कुछ इस बात पर निर्भर होगा कि ये राज्य योजनाओं को कितने अच्छे ढंग से कार्यान्वित करते हैं। पर पांच वर्ष की लघु अवधि में पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात का स्तर प्राप्त कर पाना शायद संभव न हो सके।

1969 में अलोह धातुओं का आयात

5562. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1969 में आयात की गई अलोह धातुओं की मात्रा तथा उनका मूल्य क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री(श्री राम सेवक) : 1968–69 तथा 1969-70 (नवम्बर 1969 तक) की अवधि के दौरान अलौह धातुओं तथा उनके मिश्रण की मात्रा तथा मूल्य को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

1968-69 तथा 1969-70 में (नवम्बर, 1969 तक) अलौह-धातुओं तथा उनकी मिश्र धातुओं का आयात

मूल्य लाख रुपयों में
मात्रा टनों में

क्रम संख्या	विवरण	1968-69		1969-70 (नवम्बर 69 तक)	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1.	तांबा तथा मिश्र धातुएं	43023	3917	31397	2893
2.	निकल तथा मिश्र धातुएं	2493	574	895	189
3.	एल्यूमीनियम तथा मिश्र धातुएँ	9810	451	1056	71

4.	सीसा तथा मिश्र धातुएं	32800	639	19432	406
5.	जिंक तथा मिश्र धातुएं	89856	1389	17427	385
6.	टिन तथा मिश्र धातुएं	4870	1155	927	241
7.	विविध अलौह मूल (केस) धातुएं तथा मिस धातुएं (इसमें वे भी शामिल हैं जो धातु विधान में नियोजित हैं)	373	174	431	126
	योग :-(1 से 7)	183225	8899	71605	4311

तमिलनाडु में हथकरघा बुनकरों को कच्चे रेशम की सप्लाई

5563. **श्री पी० राममूर्ति :** **श्री ई० के० नायनार :**
श्री उमानाथ : **श्री के० रमानी :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्री के० ए० मेथिअलगन के उस कथित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने सरकार से तमिलनाडु के हथकरघा बुनकरों को रियायती दर पर पर्याप्त कच्चा रेशम सप्लाई करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क)से(घ) सरकार को, तमिलनाडु के हथकरघा बुनकरों को रियायती दर पर पर्याप्त मात्रा में कच्चे रेशम की सप्लाई से सम्बन्धित श्री के० ए० मेथिअलगन के कथित वक्तव्य की जानकारी नहीं है। फिर भी स्वदेशी कच्चे रेशम पर दबाव को कम करने के लिए / अप्रैल, 1970 से केन्द्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से विदेशों से कच्चे रेशम का आयात करने के लिये कदम उठाये गए हैं और इसे प्रतिपूर्ति नीति के अधीन निर्यातकों को उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ, भारत में कच्चे रेशम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। आशा है कि इन उपायों से कच्चे रेशम के मूल्य में स्थिरता आ जाएगी।

इलैक्ट्रानिक पुर्जों का निर्यात

5561. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री सी० के० चक्रपाणि :**
श्री अनिरुद्धन : **श्री विश्वनाथ मेनन :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने फरवरी, 1969 में इलैक्ट्रानिक पुर्जों के निर्माण के लिये आवेदनपत्र आमंत्रित किये थे;

(ख) यदि हां, तो केरल से प्राप्त आवेदनपत्रों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या यह भी सच है कि केरल से प्राप्त आवेदन-पत्र अभी तक अनिर्णीत पड़े हैं; और

(घ) उन पर कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) सात ।

(ग) और (घ) केरल से प्राप्त हुए प्रार्थनापत्रों समेत सभी प्रार्थनापत्र विचाराधीन हैं, और एक अन्तिम निर्णय इस मास लिया जाना प्रत्याशित है ।

भटिंडा (पंजाब) स्थित ताप बिजली घर की क्षमता

5565. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पजाब के ताप बिजली घर की क्षमता कितनी है; और

(ख) यह कब तक चालू हो जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) भटिंडा ताप परियोजना के अन्तर्गत 110-110 मैगावाट के 2 उत्पादन यूनिटों का प्रतिष्ठापन प्रस्तावित है ।

(ख) पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के अनुसार, पहले उत्पादन यूनिट का अक्तूबर, 1972 तक और दूसरे यूनिट का अक्तूबर, 1973 तक चालू होना अनुसूचित है ।

रेमन्ड वूलन मिल्स लिमिटेड, बम्बई की क्षमता का विस्तार

5566. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेमन्ड वूलन मिल्स लिमिटेड, बम्बई द्वारा अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिये दिया गया आवेदन पत्र एक वर्ष से अधिक समय से अनिर्णीत है;

(ख) क्या इस कम्पनी ने इस विस्तार के परिणामस्वरूप होने वाले समूचे उत्पादन का निर्यात करने की पेशकश की है;

(ग) क्या यह कम्पनी विस्तार की अनुमति के बिना अपने उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सकती है क्योंकि वह इस समय सभी तीनों पारियों में अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही है; और

(घ) यदि उपरोक्त भागों के उत्तर स्वीकारात्मक हों तो विस्तार की अनुमति को विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं जबकि कम्पनी ने यह गारंटी दे दी है कि विस्तार से निर्यात में वृद्धि होगी ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) फर्म से ऐसा कोई स्पष्ट आफर प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु उन्हें इस बात को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है ।

(ग) उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि उनकी वर्तमान क्षमता के विस्तार के बिना संभव नहीं है ।

(घ) अपेक्षित जानकारी मिलने पर फर्म के आवेदन-पत्र पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा ।

ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा व्यय की गई राशि

5567. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **सिचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम्य विद्युतीकरण निगम के गठन ने समय से लेकर अब तक कुल कितनी राशि खर्च की है और व्यय की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) 1970-71 के लिये इसकी राज्यवार योजनाएं क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने राज्य बिजली बोर्डों की ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए अब तक 594.819 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं । राज्यवार स्वीकृत ऋणों का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

आंध्र प्रदेश	82.00 लाख रुपये
हरियाणा	96.08 "
मध्य प्रदेश	123.00 "
पंजाब	113.02 "
तमिलनाडु	97.54 "
उत्तर प्रदेश	78.179 "

(ख) अन्य राज्य बिजली बोर्डों से भी बहुत सी स्कीमें प्राप्त हुई हैं जो स्वीकृति के लिए निगम के विचाराधीन हैं । निगम द्वारा राज्यवार ऋणों की स्वीकृति के लिए कोई धनराशि राज्यवार पृथक् रक्षित नहीं की गई है । निगम राज्यों की स्कीमों को स्वीकृति देने के लिए अपने मानदण्डों के अनुसार ही विचार करेगा ।

दारस्सलाम में गुट निरपेक्ष देशों की प्रारम्भिक बैठक के बारे में वैदेशिक-कार्य सचिव की अफ्रीकी देशों की यात्रा

5568. **श्री सामिनाथन** : **श्री नि० रं० लास्कर ।**

श्री दन्डपाणि :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन प्रश्नों पर जो दारस्सलाम में गुट निरपेक्ष देशों की प्रारम्भिक बैठक के सामने आयेंगे, विचार-विमर्श करने के लिये भारत के वैदेशिक-कार्य सचिव ने अफ्रीकी देशों की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो अफ्रीकी देशों के साथ बातचीत के बाद क्या निर्णय किये गये हैं; और

(ग) प्रस्तावित बैठक में किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श किया जायेगा ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) जी हां। विदेश सचिव दारेस्सलाम में गुटमुक्त देशों के आगामी प्रारम्भिक सम्मेलन से सम्बद्ध मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए कीनिया, तंजानिया और उगांडा गए थे। इन विचार-विनिमयों में कोई निर्णय नहीं लिए गए थे।

(ग) उम्मीद की जाती है कि इस प्रारम्भिक सम्मेलन में शिखर सम्मेलन करने से सम्बद्ध कार्यविधि संबंधी विभिन्न मामलों के विषय में निर्णय किया जाएगा जिसमें समय, स्थान और कार्य-सूची भी शामिल है।

विज्ञान तथा प्रोद्यौगिकी सम्बन्धी समिति

5569. **श्री सामिनाथन :** **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री दंडपाणि : **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नीति के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में सलाह देने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त की गई विज्ञान तथा प्रोद्यौगिकी सम्बन्धी समिति ने सरकार को अपना प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति के दो सदस्यों ने प्रतिवेदन के साथ विमति टिप्पणी दी है;

(ग) यदि हां, तो प्रतिवेदन में किन अन्य बातों का उल्लेख किया गया है; और

(घ) क्या सरकार ने उसकी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) प्रतिवेदन में कई सिफारिशें की गई हैं---आगामी दशक में अनुसंधान तथा विकास सम्बन्धी व्यय में कुल राष्ट्रीय आय के 1% तक वृद्धि की जानी है; क्षेत्र जहां अनुसंधान तथा विकास सम्बन्धी कार्यकलापों को बढ़ाया जाना है तथा असन्तुलन को दूर किया जाना है, देश के अनेक वैज्ञानिक विभागों में संगठनात्मक ढांचों में त्रुटियों को किस प्रकार दूर किया जाय ताकि सृजनात्मक वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रतिभा का सोद्देश्य राष्ट्रीय कार्यों में उपयोग किया जा सके। प्रतिवेदन अभी मंत्रिमंडलीय उप-समिति के विचाराधीन है।

ब्रिटेन में कीनियाई भारतीयों के प्रवेश के लिए नया सूत्र

5570. **श्री सामिनाथन :** **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री दंडपाणि : **श्री रवि राय :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में लन्दन में हुई भारत-ब्रिटेन द्विपक्षीय वार्ता में भारत सरकार ने कीनियाई भारतीय के लिए ब्रिटेन को एक नया सूत्र सुझाया था;

(ख) यदि हां, तो क्या ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रस्ताव पर विचार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो ब्रिटेन ने उस प्रस्ताव को कहां तक स्वीकार तथा क्रियान्वित किया है; और

(घ) इस प्रस्ताव से कीनियाई भारतीयों को कहां तक सहायता मिली है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (घ) लंदन में जनवरी, 1970 में भारत और ब्रिटेन के बीच जो द्विपक्षीय बातचीत हुई थी । उसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने इस बात पर जोर दिया था कि इस समय कीनिया में भारतीय मूल के जो ब्रिटिश पासपोर्टधारी हैं, ब्रिटेन में उनके प्रवेश को कोरा तत्काल बढ़ाया जाना चाहिए । जहां तक भारत सरकार को मालूम है, उन्होंने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है ।

पारगमन सुविधाओं के बारे में नेपाल द्वारा भारत पर आरोप

5571. **श्री सामिनाथन** : **श्री नि० रं० लास्कर** :
श्री दंडपाणि :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने भारत पर नेपाल को परम्परागत अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार पारगमन सुविधायें न देने का आरोप लगाया है, जैसा कि 15 मार्च, 1970 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समाचार की जांच कर ली है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने नेपाल के मंत्री द्वारा भारत पर लगाये गये आरोपों का विरोध किया है; और

(घ) ये आरोप कहां तक सच हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने 15 मार्च, 1970 के 'स्टेट्समैन' में यह रिपोर्ट देखी है ।

(ग) और (घ) भारत होकर नेपाल का जो भी माल जाता है उसके लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं । सरकार नेपाल को विरोध-पत्र देने की जरूरत नहीं समझती ।

त्रिनिडाड के दंगों में भारतीय कारखाने का जल कर राख हो जाना

5572. **श्री नि० रं० लास्कर** : **श्री सामिनाथन** :
श्री दंडपाणि : **श्री वे० कृ० दास चौधरी** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिनिडाड के दंगों में एक भारतीय कारखाना जल कर राख हो गया था ;

(ख) क्या त्रिनिडाड सरकार भारतीय कारखाने की हिफाजत करने में विफल रही थी ;

(ग) यदि हां, तो भारतीय कारखाने की कुल कितनी हानि हुई ; और

(घ) क्या अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अधीन हिफाजत न कर सकने के विरुद्ध भारत सरकार ने उस देश को कोई विरोध पत्र भेजा है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं। कपड़ों की यह फैक्टरी त्रिनिडाड के एक राष्ट्रिक की थी जो भारत मूलक था, भारतीय राष्ट्रिक नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

इस समय प्रतिरक्षा मंत्रालय में काम कर रहे पुनर्वास विभाग के भूतपूर्व निम्न श्रेणी लिपिकों को स्थायी तथा पदोन्नत करना

5573. **श्री सत्य नारायण सिंह :**
श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्री के० रमानी :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनर्वास विभाग के भूतपूर्व कर्मचारियों (निम्न श्रेणी लिपिकों) को जिनका तबादला सशस्त्र सेना मुख्यालय में किया गया है, स्थायी घोषित नहीं किया जा रहा है तथा उदकी पदोन्नति नहीं की जा रही है, हालांकि वे अर्द्ध-स्थायी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार उन्हें स्थायी करने तथा उनकी पदोन्नति करने के बारे में विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो कब; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) पुनरावास विभाग से फालतू हो जाने पर 403 व्यक्तियों को ए० एफ० एच० क्यू० में अस्थायी लोअर डिवीजन क्लर्क नियुक्त किया गया था। जो व्यक्ति उस विभाग में अर्द्धस्थायी घोषित किये गये, वह अपना वह स्टेट्स समाप्त कर चुके थे कि जब वह उस विभाग की जनशक्ति से अलग हो गये थे। नियमों के अन्तर्गत एल० डी० सी० ग्रेड में उनकी वरिष्ठता ए० एफ० एच० क्यू० में उनकी नियुक्ति की तिथि से गिनी जाएगी। उनमें से 307 व्यक्ति एल० डी० सी० के तौर पर स्थायी हो चुके हैं। कुछ और व्यक्तियों के सम्बन्ध में स्थायीकरण के आदेश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे, कि जो अधिकारिता की शर्तों को पूरा कर पाते हैं। शेष व्यक्तियों ने अभी स्थायीकरण के लिए निर्धारित शर्तें पूरी नहीं की। उनमें से कि जो एल० डी० सी० के तौर पर स्थायी हो चुके हैं। 243 व्यक्ति अपर डिवीजन क्लर्कों के तौर पर पदोन्नत कर लिए गए हैं। शेष व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी विचारा जाएगा जब वह पदोन्नति के लिए ड्यू हो जाएंगे।

कुट्टीयाडी तथा पम्बा सिंचाई परियोजना के लिये केरल को अतिरिक्त सहायता

5574. **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने हाल में कुट्टीयाडी तथा पम्बा सिंचाई

सिंचाई परियोजना के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता मंजूर करने का केन्द्र से अनुरोध है ;

(ख) क्या सरकार ने केरल सिंचाई परियोजनाओं के लिए कुछ और राशि नियत करने का केरल सरकार को आश्वासन दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस वर्ष कितना धन नियत किया गया था ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) 1969-70 के लिये 1.5 करोड़ रुपये स्वीकार किये गये थे ।

स्थल सेना क्रय संगठन के क्रय कार्यक्रम में बीड़ियों को शामिल करने का केरल सरकार का अनुरोध

5575. **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री ई० के० नायनार :
श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्री प० गोपालन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने केरल, कनन्नूर की सहकारी समितियों द्वारा बनाई गई बीड़ियों को अपने क्रय कार्यक्रम में शामिल करने का स्थल सेना क्रय संगठन तथा प्रतिरक्षा कैन्टीन सेवा से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इसे शामिल कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इसे शामिल करने और बीड़ियों के स्टाक जमा हो जाने के कारण समिति पर आये संकट से उन्हें उबारने के बारे में विचार करेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) यह सच है कि केरल सरकार ने कैंटीन स्टोर्ज विभाग (भारत) से प्रार्थना की है कि वह बीड़ियों के लिए कनन्नूर बीड़ी कार्मिक केन्द्रीय सहकारी सोसाईटी को आर्डर भेजें । सेना क्रय संगठन जो खाद्य विभाग के अधीन काम करता है, रक्षा सेनाओं के लिए बीड़ियां नहीं खरीदता और सेना क्रय संगठन को केरल सरकार से ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) केरल सरकार को सूचित कर दिया गया है कि सी० एस० डी (आई) ऋण क्रय आधार पर तथा नई मदों के पुरस्स्थापन साधारणतः उन पर लागू अन्य शर्तों पर, सोसाईटी को छोटे आकार की बीड़िएं पुरस्स्थापित करने को तैयार है । राज्य सरकार को कहा गया है कि अगर यह शर्तें सोसाईटी को स्वीकार्य हों, तो वह जनरल मैनेजर से सम्पर्क स्थापित करे ।

नारियल जटा के धागे पर निर्यात शुल्क

5576. **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री के० एम० अब्राहम :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नारियल जटा के धागे पर से निर्यात शुल्क को समाप्त करने पर विचार करेगी; और

(ख) यदि हां, तो कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) मामला विचाराधीन है और इस पर निकट भविष्य में निर्णय किया जाएगा ।

सूती धागे के मूल्य में वृद्धि होने के कारण केरल में हथकरघा उद्योग में संकट

5577. **श्री अ० कु० गोपालन** :
श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्री क० अनिरुद्धन :
श्री न० रा० देवघरे :

क्या **वैदेशक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घटिया तथा मध्यम काउन्ट के सूती धागे के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण हथकरघा उद्योग, विशेषतया केरल में, गम्भीर संकट में है;

(क) यदि हां, तो संकट कितना गम्भीर है; और

(ग) इस संकट पर काबू पाने के लिये कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) धागे के मूल्यों में वृद्धि के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें कोयम्बतूर बाजार में 10 एस, 20 एस तथा 30 एस काउंट्रों की गुंडियों के धागे के 'मूल्यों में हुई वृद्धि दिखाई गई है ।

(ग) धागे के बढ़ते हुए मूल्यों के रुख को रोकने के लिए रुई तथा स्टेपल फाइबर का आयात तथा ऋणों पर प्रतिबन्ध जैसे कदम उठाए गए हैं ।

विवरण

जनवरी, 1969 तथा जनवरी तथा फरवरी, 1970 के बीच कोयम्बतूर बाजार में 10 एस, 20 एस तथा 30 एस की सूती धागे की गुंडियों के मूल्य नीचे दिए गए हैं :—

(10 पौंड के प्रति गट्ठे का मूल्य रु० में)

काउंट	जनवरी, 1969	जनवरी, 1970	फरवरी, 1970	जनवरी, 1969 की तुलना में फरवरी, 1970 में हुई वृद्धि का प्रतिशत
10 न्यूनतम	19.23	24.65	25.25	31.31
अधितम	23.46	26.09	26.67	13.68
20 न्यूनतम	28.56	31.71	32.17	12.50
अधिकतम	29.62	32.90	34.34	15.94
30 न्यूनतम	32.62	37.60	39.05	19.71
अधिकतम	34.27	38.34	39.40	14.97

समुद्र से प्राप्त होने वाले उत्पादों का निर्यात

5578. **श्री के० रमानी :**
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन से देश समुद्र से प्राप्त होने वाले उत्पादों, विशेषतया झींगा मछलियों का कितनी-कितनी मात्रा में निर्यात करते हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : भारत से समुद्री उत्पादों का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, पश्चिमी यूरोप, श्रीलंका, सिंगापुर, हांगकांग, आस्ट्रेलिया इत्यादि देशों को किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका हमारी झींगा मछलियों का मुख्य बाजार है और उसके बाद जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, आस्ट्रेलिया आदि आते हैं। अप्रैल, 69—फरवरी, 70 की अवधि में समुद्री उत्पादों के हमारे निर्यात 28125 मे० टन थे जिनका मूल्य 30.30 करोड़ था। इनमें झींगा मछलियों का निर्यात 19321 मे० टन था जिनका मूल्य 23.86 करोड़ रु० था।

चीन द्वारा निर्मित काठमांडू-कोडारी सड़क पर आने-जाने पर प्रतिबन्ध

5579. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या चीन द्वारा निर्मित काठमांडू-कोडारी सड़क का पूरा कर लिया गया है तथा सामान्य जनता के लिए, यातायात के लिए खोल दिया गया है अथवा इस सड़क के प्रयोग पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) और (ख) काठमांडू-कोडारी मार्ग मई, 1967 में पूरा हो गया था और 27 मई, 1967 को यह सभी प्रकार के यातायात के लिए औपचारिक रूप से खुल गया था। लेकिन विदेशियों को इस मार्ग पर बारीबीसे से आगे जाने की इजाजत नहीं थी। बारीबीसा काठमांडू से 88 किलोमीटर और कोडारी से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। नेपाल की सरकार ने 28 फरवरी 1970 से यह प्रतिबन्ध हटा लिया है।

Increase in Irrigation Rates by 50 Per Cent by Bihar Government

5580. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Bihar have decided to increase the irrigation rates by 50 per cent ;

(b) if so, the extent to which this increase is consistent with the directive issued by the Centre on the subject ; and

(c) the reaction of Government in regard thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation & Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The Government of Bihar have under consideration proposals for increase in irrigation rates by about 50%.

(b) and (c) Irrigation projects are not giving adequate financial returns. While there has been considerable increase in the value of irrigated crops and maintenance costs

of works have also greatly risen, there has not been commensurate increase in water rates. Water rates should ordinarily cover working expenses and reasonable debt charges and need to be revised upwards periodically. In this context, as well as the need for raising resources for developmental plans emphasised by the National Development Council, the increase in water rates proposed by the Government of Bihar would be a step in the right direction.

Women Employees in the Ministry of External Affairs

5581. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of women employees working in the Ministry of External Affairs at present ; and

(b) the total period of maternity leave (in terms of days) granted to them during the financial year 1968-69 ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) 116

(b) 716 days.

Staff on Deputation in the Ministry of Irrigation and Power.

5582. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of officers and employees who are on deputation in his Ministry at present ?

(b) the number of officers and employees, who have been reverted to their respective States during the last three years ;

(c) whether the Officers coming on deputation are given pay and allowances admissible under Central Government service or they are paid deputation allowance ; and

(d) the rate of deputation allowance paid to them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheswar Prasad) :

(a) There are in all nine officers on deputation from States.

(b) Four.

(c) The officers on deputation have the option to draw either the pay in the scale of pay of the new post as may be fixed under the rules, or their basic pay in the parent department plus deputation (duty) allowance, as admissible under the rules.

(d) The officers/employees coming on deputation from States are paid deputation (duty) allowance of 20% of their basic pay subject to a maximum of Rs. 300/—p. m., provided that the 'basic pay' plus the deputation (duty) allowance shall, at no time exceed Rs. 3,000/—per mensem. However, officers on deputation to posts of Under Secretary and Deputy Secretary are allowed basic pay in the service of origin plus a Special Pay of Rs. 200/—and Rs, 300/—p. m., respectively subject to certain conditions.

बैंक राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की 'प्रावदा' द्वारा आलोचना

5583. **श्री कृ० मा० कौशिक :** **श्री अ० दीपा :**
श्री रा० रा० सिंहदेव : **श्री एन० शिवप्पा :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के सरकारी 'प्रावदा' ने हाल में बैंक राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर टिप्पणी की है;

(ख) क्या उस लेख में ऐसी टिप्पणियां की गई हैं जिसका अर्थ हमारी न्यायपालिका पर आक्षेप करना है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

तांबा निकालने के लिए परमाणु विस्फोटों का प्रयोग

5584. **श्री सूरज भान** : **श्री शारदा नन्द** :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि अमरीका में परमाणु विस्फोटकों से सामान्य लागत मे आधी लागत पर तांबा निकाला जाता है; और

(ख) यदि हां, तो आगामी तीन वर्षों में लोगों के लाभ के लिये परमाणु विस्फोटकों का किस प्रकार इस्तेमाल करने का सरकार का विचार है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तांबा निकालने के लिए परमाणु विस्फोटकों को प्रयोग में लाने का तरीका अभी अमरीका में वाणिज्यिक रूप में नहीं अपनाया जाता है ।

(ख) अणु-शक्ति विभाग इसका पता लगा रहा है कि शान्तिपूर्ण विस्फोटकों का उपयोग ऐसे किन कार्यों में हो सकता है जो लोगों के लिए लाभकारी हों । मगर इस क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय विकास की इस प्रारम्भिक अवस्था में, इन क्षमताओं के उपयोग के बारे में कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई जा सकती है ।

भारत का पौलैंड के मेले में भाग लेना

5585. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष पोलैंड में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय मेले में भारत द्वारा भाग लेने पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : वर्तमान संकेतों के अनुसार लगभग 2.25 लाख रुपये का व्यय होने का अनुमान है ।

नेपाली व्यापार के लिये कलकत्ता में पत्तन सुविधायें

5586. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार ने अपने सभी आयातों व निर्यातों के लिये कलकत्ता में विशिष्ट पत्तन-सुविधायें देने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने कलकत्ता में नेपाली सामान को रखने के लिये बिना किराया लिये एक भण्डागार की व्यवस्था की है; और

(घ) यदि हां, तो किराया मुक्त भण्डागार देने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1966 में काठमांडु में हुई बातचीत के दौरान नेपाली माल के उतारने-चढ़ाने हेतु अनन्य स्थान के सम्बन्ध में नेपाली प्रस्थापना को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया था। नवम्बर, 1968 में दोनों सरकारें इस बात पर सहमत हो गईं कि ब्रुसेल्स में भारत के राजदूत तथा बोन में नेपाल के राजदूत द्वारा यूरोप में पारवहा यातायात की व्यवस्था करने वाले कुछ महत्वपूर्ण पत्तनों के संयुक्त सर्वेक्षण के आधार पर संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात ही आगे कार्यवाही की जा सकती है। संयुक्त प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है।

(ग) और (घ) कलकत्ता पत्तन आयुक्त जिन सामन्य सिद्धान्तों का पालन करते हैं, उनके अनुसार नेपाल नरेश अथवा नेपाल सरकार को प्रेषित माल की सुपुर्दगी किराया लिये बिना की जाती है। हां, नेपाल के लिए वाणिज्यिक मेपों अथवा नेपाल से माल के निर्यातों के सम्बन्ध में किराये की अदायगी के बारे में कोई रियायत नहीं की जाती।

आयातित रुई तथा तन्तुकों (स्टेपल फाइबर) का वितरण

5587. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कताई एककों को आयातित रुई तथा तन्तुकों के वितरण का क्या तरीका है; और

(ख) क्या छोटे बुनाई मिलों को भी समान रूप से वितरण करने की कोई व्यवस्था की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) संक्षेप में, आयातित रुई का वितरण, मिल की इच्छानुसार विगत तीन वर्षों में से किसी वर्ष रुई कताई मिल के तकुआ पारी कार्य के आधार पर किया जाता है। रुई की अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से रुई के स्थान पर प्रयोग किए जाने हेतु इस वर्ष तन्तुकों की विशिष्ट मात्रा का आयात किया जा रहा है। आयातित तन्तुकों को भी कताई मिलों को उसी आधार पर वितरित किया जायेगा जिस आधार पर कि आयातित रुई को किया जाता है।

(ख) चूंकि बुनाई मिलें (जनके पास कोई कताई संयंत्र नहीं है) रुई अथवा तन्तुक की खपत नहीं करते, अतः तन्तुक के लिए आयातित रुई वितरण करने का प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई में नौसैनिक गोदी (डाक-यार्ड) का पूरा होना

5588. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई में नौसैनिक गोदी (डाक-यार्ड) परियोजना के कार्य के पूरा होने के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : बम्बई में नौसैनिक डाकहार्ड प्रसार योजना दो प्रावास्थाओं में कार्यान्वित करने के लिए आयोजित की गई थी । इन्नर बेसिन में विभिन्न निर्माण कार्यों पर सम्मिलित प्रथम प्रावस्था 1954 में आरंभ हुई और सम्पूर्ण हो गई है । दूसरी प्रावस्था जिस में मुख्यत: औटर बेसिन के निर्माण कार्य शामिल हैं, 1967 में काफी लेट शुरू हुई और अब प्रगतिशील है । यह निर्माण कार्य जिन पर लगभग 24.70 करोड़ रुपये लागत अनुमानित है, 1975 तक सम्पूर्ण होने प्रत्याशित हैं ।

काहिरा के दूतावास अधिकारी के साथ एक संसद सदस्य की झड़प

5589. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दौरा कर रहे संसद् सदस्य सद्भावना शिष्टमंडल के एक सदस्य श्री राम सेवक यादव, संसद्सदस्य, की काहिरा स्थित भारतीय दूतावास के एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ झड़प हो जाने के क्या कारण थे ;

(ख) इस झगड़े में अंतर्ग्रस्त उक्त अधिकारी का क्या नाम है तथा क्या वह हिन्दी जानता है; और

(ग) क्या दूतावासों के सभी अधिकारियों के लिये यह अनिवार्य है कि वे वहां दौरा करने वाले सभी संसत्सदस्यों के साथ हिन्दी में बात करें; और यदि नहीं, तो क्या कारण है कि दौरा करने वाला कोई सदस्य विदेशों में अनावश्यक रूप से बदमजगी पैदा करे तथा इस प्रकार बुरा प्रभाव डाले ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) माननीय सदस्य जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं वह घटना हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी, श्री सेनगुप्त द्वारा अंग्रेजी में राजनीतिक ब्रीफिंग दिए जाने के बाद हिन्दी में ब्रीफिंग मांगने के प्रश्न को लेकर हो गई थी जिन्हें हिन्दी तो आती है लेकिन इतनी नहीं कि इसमें ब्रीफिंग दे सकें । इस घटना को गम्भीर नहीं समझा गया था और वहीं के वहीं संसदीय सद्भावना शिष्टमंडल के सदस्यों द्वारा निपटा दिया गया था ।

(ग) जी नहीं । लेकिन विदेश-स्थित भारतीय मिशनों के सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जहां तक व्यवहार्य हो वे आपस में और हिन्दी जानने वाले दूसरे व्यक्तियों के साथ हिन्दी में ही बातचीत करें । उम्मीद की जाती है कि ऐसे मामलों में सभी पक्ष लिहाज और सौजन्य से काम लेंगे ।

Unauthorised Foreign Cultural Centres, Libraries etc. Functioning in India

5590. **Shri Deven Sen** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of India have asked for full information from all Diplomatic Missions about the unauthorised Cultural Centres, Libraries and Reading Rooms set up by them in India, by addressing a circular to them on the 10th February, 1970;

(b) if so, the particulars of such unauthorised centres of each Diplomatic Mission; and

(c) the reaction of Government of India thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Government asked all foreign Missions on February 10, 1970 to intimate the names of any cultural centres, information centres, information offices, reading rooms, libraries or any other office of this character which are located in cities or towns other than those in which the Mission or its Consulate or Trade Mission is located.

(b) Replies received in response to the circular dated February 10, 1970 reveal that the U. S. and the French Embassies have been maintaining offices run by them directly at places other than those where they have a diplomatic, consular or trade mission. The particulars of these establishments are (i) U. S. cultural centres in Lucknow, Patna, Hyderabad, Bangalore and Trivandrum ; (ii) French cultural centres in Bangalore and Hyderabad.

(c) The centres referred to in (b) have to be closed by May 18, 1970 as a result of Government's decision which has been explained on the floor of the House on 26.2.70 in response to Calling Attention Notice on the subject.

Grants to Rajasthan for Irrigation Scheme in 1969–70

5591. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) The amount given by Central Government to Rajasthan during 1969–70 for each of the Irrigation schemes ;

(b) the amount spent on each schemes and the amount left unutilised ; and

(c) the additional area likely to be irrigated thereby and the total irrigated area in Rajasthan including the said area ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddeshwar Prasad) : (a) Central assistance to the States is being given in the form of block loans and grants and is not related to any sectors or individual projects.

(b) and (c) The anticipated outlay on irrigation and benefits in Rajasthan are as follows :

	Outlay 1969–70		Anticipated benefits	
	Budget (Rs. lakhs)	Anticipated.	Potential (Acres)	Utilisation
Bhakra Project	4	4	—	—
Beas Project Unit II.	780	780	58000	51000
Rajasthan Canal Stage I.	480	800		
Chambal Project Stages I & II	60	60	—	60000
Gurgaon Canal	24	24	14000	14000
Medium Irrigation Projects	67	67	7000	8270
			79000 acres	133270 acres

The total area irrigated by major and medium projects in Rajasthan is anticipated to be 24.34 lakh acres by the end of 1969-70.

Expenditure on Expo-70 Exhibition in Japan

5592. **Shri Onkar Lal Bohra :** **Shri S. M. Banerjee :**
Shri N. R. Deoghare . **Shri M. N. Reddy :**

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the total amount spent by Government on Expo-70 Exhibition in Japan and the heads under which it has been spent ;

(b) the total number of persons employed in the Indian Pavilion and the number of Indians, Japanese and others out of them and the names of the countries to which they belong ;

(c) the manner in which the Indian Pavilion would be utilised after the exhibition is over ;

(d) the nature and extent of the benefits accrued to India as a result of this exhibition and the progress made in regard to consumption of Indian goods in foreign countries ; and

(e) the number of stalls opened, total amount spent on such stalls and whether some of the stalls were cancelled because no suitable space was given ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) The estimated expenditure on participation by the Ministry of Foreign Trade is about Rs. 195 lakhs including Rs. 170 lakhs in foreign exchange.

The total expenditure incurred upto February 28, 1970 is Rs. 93.41 lakhs including Rs. 80.43 lakhs in foreign exchange. This was incurred under the following broad heads :—

(1) Organisation of Expo.
(2) Deputation of Staff & Girl Guides
(3) Pay and allowances of staff posted at Osaka
(4) Fabrication of building material, display aids, purchase of decoratives, freight and insurance etc.

(b) 31 officials of the Ministry of Foreign Trade and 26 Girl Guides recruited in India have been deputed to Osaka. In addition 7 Indian National residents in Japan and 6 apanese Nationals have been employed in the Indian Pavilion.

(c) In accordance with the Expo Regulations the Pavilion has to be demolished after the Expo. It is, however, premature at this stage to indicate if and how the Pavilion will ultimately be utilised.

(d) Expo opened on March 15 and will continue for 6 months. It is too early to assess the benefits accruing as a result of participation. Present indication is that the participation has made an impact. Indian souvenirs and cuisine are becoming popular. On the spot sales upto March 31, 1970 amounted to Rs. 14.88 lakhs.

(e) Besides one restaurant and a souvenir shop within the premises of Pavilion, 5 shops and one restaurant have been allotted to India in the Expo area. An amount equivalent of about Rs. 8 lakhs in foreign exchange has been incurred initially on setting up of the restaurants and shops. Inspite of our request Expo Authorities could not allot us additional shops.

Production of Defence Equipments in Private/Public Sector

5593. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the **Minister of Defence** be pleased to state the concrete steps taken by Government to ensure that the defence equipments are not

produced in the private sector factories and only the public sector factories should be able to meet the requirements of defence equipments ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : In accordance with the Government Industrial Policy enumerated in the industrial Policy Resolution of 1956, manufacture of Arms and Ammunition is the exclusive monopoly of the Central Government and the Ordnance Factories will continue to be the source of supply of complete arms and filled ammunition. It is, however, not possible for the Defence Factories to manufacture the entire range of defence stores required by the Armed Forces. To achieve maximum self-sufficiency efforts are therefore being made to utilise the production facilities in the country both in the public sector and the private sector to supplement the capacity available in the Defence Factories. This would not only help in import substitution and thus save considerable foreign exchange but would also help to build up capacity in the civil sector within the country which may be used in time of emergency. However, this is not done when there is any capacity existing in the ordnance factories.

जेद्दाह बैठक में भारतीय संवाददाताओं के प्रवेश पर रोक

5594. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च 1970 के अन्तिम सप्ताह में इस्लामी सम्मेलन के दौरान जेद्दाह (साऊदी अरब) में भारतीयों सहित भारतीय संवाददाताओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के सम्पादक श्री अजित भट्टाचार्य को वीसा नहीं दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या इस अमैत्रीपूर्ण कार्यवाही के विरुद्ध साऊदी अरब को कोई विरोध पत्र भेजा गया हैं; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जांच-पड़ताल से यह पता नहीं चलता कि इस तरह का प्रतिबन्ध लगाया गया था ।

(ख) सुलभ न सूचना के अनुसार 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के सम्पादक को समय पर वीजा नहीं मिल सका था ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

चीन द्वारा वर्ष 1970 में आक्रमण किये जाने की संभावना न होना

5595. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 मार्च, 1970 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित एक जर्मन विशेषज्ञ के विचारों से सम्बन्धित इन समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है कि चीन द्वारा वर्ष 1970 में आक्रमण किये जाने की संभावनायें नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार भी इस बात से सहमत है कि चीन वर्ष 1970 से आरम्भ होने वाली दशाब्दी में आक्रमण नहीं करेगा; और

(ग) यदि हां, तो इसके आधार क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जैसे कि सदन को ज्ञात है चीनी सैनिक अभी काफी संख्या में हमारी सीमाओं के पार विद्यमान हैं और हमारी सतर्कता और तैयारी की हालत में कोई ढील नहीं हो सकती।

राज्य व्यापार निगम द्वारा विदेशों में गोदाम स्थापित करना

5596. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य व्यापार निगम को विदेशों में अपने गोदाम स्थापित करने की अनुमति देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कब तक कर लिये जाने की संभावना है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग) सरकार ने एक समिति स्थापित की है जो विदेशों में माल के प्रदर्शन और मौजूद स्टाक में से तत्काल माल देने के लिये विदेशों मे गोदाम स्थापित करके देश को निर्यात प्रयत्नों को बढ़ाने की आवश्यकता पर विचार करेगी। समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है।

पूर्वी पाकिस्तान से त्रिपुरा में शरणार्थियों का आगमन

5597. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1970 से आने वालों की संख्या कितनी हो गई है;

(ग) उस वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस बारे में पाकिस्तान से कोई विरोध प्रकट किया गया था ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) पूर्व पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों का त्रिपुरा में आप्रवास का स्वरूप लगभग वैसा ही है, जैसा कि पहले था।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

अंतर्राज्यीय नदी विवादों के लिये स्थायी प्राधिकरण की स्थापना

5598. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्तर्राज्यीय नदी विवादों पर विचार करने के लिये कोई स्थायी प्राधिकरण स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों के विचारों का पता लगा लिया गया है; और

(ग) प्रस्तावित कानून के कब लागू कर दिये जाने की संभावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) जी, नहीं । संसद द्वारा बनाए गए अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में उन अन्तर्राज्यीय जल विवादों के निपटाने के लिये मशीनरी की व्यवस्था है, जिनका फैसला संबंधित राज्यों के बीच बातचीत द्वारा नहीं किया जा सकता ।

Development of Sawai Madhopur District of Rajasthan

5599. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether certain special measures are proposed to be taken during the Fourth Five Year Plan for the Development of Sawai Madhopur District (Rajasthan) which has been declared as a Backward District ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b) The State Government has suggested that Sawai Madhopur District should be considered for Central subsidy for industrial development of selected backward districts. This suggestion is under consideration.

(c) Does not arise.

परमाणु भट्टियों में प्लूटोनियम का उप-उत्पाद के रूप में उत्पादन

5600. **श्री समर गुह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय परमाणु भट्टियों के क्या नाम हैं जो प्लूटोनियम का उप-उत्पाद के रूप में उत्पादन करते हैं;

(ख) इन भारतीय परमाणु भट्टियों ने तारापुर परमाणु-भट्टियों की स्थापना के पहले तथा बाद आरम्भ से ही बड़े पैमाने पर प्लूटोनियम का प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में उत्पादन किया है;

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय परमाणु भट्टियों के डिजाइन विदेशी कम्पनियों ने तैयार किये हैं तथा परमाणु भट्टियों का आरम्भिक 'चार्ज' उन्हीं कम्पनियों द्वारा सप्लाई किया गया है, प्लूटोनियम उपोत्पाद की वार्षिक दर तथा अणु शक्ति आयोग के हाथ में उसकी वर्तमान मात्रा का उनके द्वारा अनुमान अथवा हिसाब लगाया जा सकता है ; और

(घ) क्या भारत में उत्पन्न प्लूटोनियम का केवल भारत में उपयोग किया जाता है अथवा एकत्र किया जाता है, अथवा इसके एक भाग का निर्यात किया जाता है; और यदि हां, तो प्लूटोनियम का निर्यात करने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) अप्सरा, कनैडा, भारत परमाणु भट्टी (साइरश), जरलाइना तथा तारापुर परमाणु-शक्ति केन्द्र की दो भट्टियां ।

(ख) और (ग) द्विपक्षीय करारों के अनुसार विदेशों से भट्टियों अथवा ईंधन के लिये दी जाने वाली अपेक्षित जानकारी सहयोगियों को उपलब्ध करायी जाती है । ऐसे पक्षों द्वारा इस सम्बन्ध में अनुमान लगाया जाना भी सम्भव है, फिर भी, ऐसी जानकारी का प्रचार करना, राष्ट्रीय हित में नहीं है ।

(घ) भारत में उत्पन्न प्लूटोनियम को भारत में ही एकत्र किया जा रहा है और उसका निर्यात नहीं किया जा रहा है ।

तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा आयात लाइसेंस को फिर से वैध कराने के लिये आवेदन

5601. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने अपनी एक परियोजना अर्थात् कंटीनूअल स्टील कास्टिक प्लांट अरकोणम के बारे में आयात लाइसेंस को फिर से वैध बनाने के लिये आवेदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो आवेदन-पत्र किस तिथि को प्राप्त हुआ था; और

(ग) अब तक लाइसेंस को फिर से वैध न बनाने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) मद्रास राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमि० ने, इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मन्त्रालय, नई दिल्ली को सम्बोन्धित, अपने 17 अक्तूबर, 1969 के पत्र में आयात लाइसेंस सं० जी/सी जी/ 2026794 दिनांक 14-10-1966 को पुन: वैध बनाने हेतु दो वर्ष की और अवधि के लिए अनुरोध किया था । उपर्युक्त पत्र 12-11-1969 को आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक को इस्पात भारी इंजीनियरी मन्त्रालय के मारफत प्राप्त हुआ था । इस आयात लाइसेंस को पुन: वैध बनाने के लिए आवेदन पत्र न तो निर्धारित प्रपत्र में दिया गया था और न पुनः वैध बनाये जाने वाला लाइसेंस ही प्रस्तुत किया गया था । आयात लाइसेंस 17-11-1969 को लाइसेंसधारी से प्राप्त हुआ था । आवेदन पत्र अभी तक भी आयात व्यापार नियंत्रण के नियमों तथा प्रक्रिया की हस्तपुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रपत्र में नहीं भेजा गया है । तथापि उद्योग को कठिनाई से बचाने के लिए, लाइसेंस को 26 मार्च, 1970 को पुन: वैध बना दिया गया था और लाइसेंसधारी को यह सलाह दी गई कि भविष्य में ऐसे आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र में विधिवत भर के भेजे जाने चाहिए ।

दिल्ली में गुट-निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन

5602. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दार-ए-सलाम में होने वाले गुट-निरपेक्ष देशों के प्रारम्भिक सम्मेलन में प्रस्ताव आने पर गुट-निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन दिल्ली में आयोजित करने का सुझाव दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) इसके स्थान के प्रश्न का निर्णय गुटमुक्त देशों के प्रारम्भिक सम्मेलन में किया जाएगा जो कि अप्रैल, 1970 में दारेस्सलाम में होने वाला है । कई स्थानों के सुझाव दिए गए हैं जिनमें दिल्ली भी एक है, लेकिन हम तो पहले ही अदीस अबाबा के लिए कह चुके हैं ।

इन्डोनेशिया को विकास सहायता

5603. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **वैदेशिक कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मार्च, 1970 में नई दिल्ली में, इन्डोनेशिया के विदेश मन्त्री को इन्डोनेशिया के विकास में हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) इन्डोनेशिया के विदेश मन्त्री, डा० आदम मलिक ने 4 से 6 मार्च, 1970 तक भारत का दौरा किया था। उनके साथ जो बातचीत हुई उससे यह प्रकट हुआ है कि दोनों देशों के मन में आपस में आर्थिक और तकनीकी सहयोग स्थापित करने की इच्छा है। इस अवसर पर इस बात पर सहमति हुई थी कि वर्तमान व्यापार करार की अवधि बढ़ाई जाए, और दोनों देशों के विकास योजनाओं का अध्ययन करने के लिए तथा ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने के लिए जिनमें परस्पर लाभ के लिए सहयोग से काम करना संभव हो, दोनों पक्षों के अधिकारियों के संयुक्त दल नियुक्त किए जाने चाहिए।

कपड़ा संगठन समिति की सिफारिशें अस्वीकृत करना

5604. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** :
श्री पी० राममूर्ति :
श्री उमानाथ :
श्री के० रमानी :
श्री के० एम० अब्राहम :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात सरकार द्वारा नियुक्त कपड़ा संगठन समिति द्वारा कपड़ा उत्पादन तथा मूल्यों पर से आंशिक नियंत्रण हटाने की जो सिफारिश की गई थी उसे स्वीकार न करने के क्या कारण थे ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : गुजरात सरकार द्वारा नियुक्त कपड़ा पुनर्गठन समिति द्वारा मिल निर्मित कपड़े के उत्पादन तथा मूल्यों पर से आंशिक नियन्त्रण हटाने की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि उक्त नियन्त्रण न होने पर जनसाधारण द्वारा प्रयुक्त कपड़े की पर्याप्त सप्लाई उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को प्राप्त कराना संभव नहीं हो सकेगा।

Supply of Arms by Sweden to Pakistan

5605. **Shri Ramavatar Shastri** : **Shri Shiva Chandra Jha** :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government of Sweden have supplied arms and ammunition to Pakistan ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) the reaction of Government in regard thereto ;

(d) whether Government have sent any protest note to Government of Sweden in this regard ; and

(e) if so, the details thereof ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Apart from supplies of some components and miscellaneous military stores from trade sources Government have no information of the procurement of lethal equipments by Pakistan from the Government of Sweden.

(b) to (e) Do not arise.

Indo-Afghan Trade Talks

5606. **Shri Ramavatar Shashtri :** **Shri R. Barua :**
Shri Sita Ram Kesri : **Shri D. N. Patodia :**
Shri Hem Raj : **Shri N. R. Laskar :**
Shri Saminathan : **Shri Dhandapani :**
Shri Chengalrya Naidu :

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that talks have recently been held between the representatives of the Government of Afghanistan and India for increasing trade between the two countries ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak): (a) and (b) Trade with Afghanistan is regulated under the provisions of the Indo-Afghan Trade Arrangement, which is currently valid upto the 31st July, 1970. However, during the first meeting of the Joint Indo-Afghan Commission for Economic Trade and Technical Co-operation, held in New Delhi in March, 1970, mention was made by the two sides about certain difficulties being experienced in Indo-Afghan trade. It was agreed that these problems could be discussed in trade talks between the representatives of the two Governments.

हिन्द महासागर में विदेशी पनडुब्बियां

5607. **श्री हेम बरुआ** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व हिन्द महासागर में कुछ विदेशी पनडुब्बियां देखी गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो ये पनडुब्बियां किन देशों की थी और यह सुनिश्चित करने के लिये कि इस महासागर में कोई विदेशी पनडुब्बियां न घुसने पायें, सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार को हिन्द महासागर में विदेशी पनडुब्बिएं देखे जाने सम्बन्धी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । तदपि अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्रिया के अनुसार सभी राष्ट्र के पोतों को खुले नगरों में गतिविधि की स्वतन्त्रता प्राप्त है ।

Rules for Realising Electricity Charges in Punjab and Haryana

5608. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether, it is a fact that certain rules have been framed in Punjab and Haryana under which charges for electricity provided for tubewells are realised in lumpsum annually on the basis of sanctioned horse power and the meters are not installed for the purpose and the monthly bills for electricity-charges are not sent ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the names of the other States where the aforesaid rule is likely to be enforced ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheswar Prasad) (a) and (b) In Haryana tariffs for power supply for agricultural pumping are based on

metered supply. In Punjab a flat tariff rate per horse-power of the motor, per month, is charged and no meters are required to be installed. In both the States, charges are assessed and realised monthly. In Punjab consumers are given the option to make advance payments of their bills on yearly basis and a rebate of 5% is allowed in such cases. The details of the flat rate tariffs for agricultural pumping in Punjab are as follows :—

Connected load	Flat rate of tariff Rs./BHP/month.
Upto and including 5BHP	Rs. 8.00
Above 5 BHP and upto 7 1/2 BHP.	Rs. 8.50
Above 7 1/2 BHP and upt 10 BHP.	Rs. 9.00
Above 10 BHP and upto 12 1/2 BHP.	Rs. 9.50
Above 12 1/2 BHP	Rs. 10.00

(c) With the exception of Punjab no flat rate tariffs for agricultural purposes exist in other States. Tariff based on metered supply exist in other States in respect of power supply for agricultural purposes.

Setting up of Shoe Factories in Public Sector for Export of Shoes

5609. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state the progress made by Government so far in respect of setting up two modern shoe factories in public sector with a view to exporting shoes to Britain and Italy ?

The Deduty Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) :

There is no proposal now under consideration of the Government regarding setting up modern shoe factories in public sector with a view to exporting shoes to Britain and Italy.

बिहार में पम्पिग सैट लगाना

5610. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मन्त्री परियोजना रहित क्षेत्रों के विद्युत् करण को प्राथमिकता के बारे में 11 मार्च, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 376 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम कोसी नहर योजना की क्रियान्विति में हो रहे विलम्ब को ध्यान में रखते हुए, कमान्ड क्षेत्र को चौथी पंचवर्षीय योजना में 16 में से किसी एक अग्रिम परियोजना में शामिल किया जायेगा जैसा कि प्रस्ताव किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ;

(घ) क्या उत्तर बिहार में वागमती, कमला, खिरोई तथा बूढ़ी गंडक नदियों के पानी का उपयोग करने के लिये पम्पिग सैट लगाने की योजना आरम्भ करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) से (ग) शुष्क भूमि कृषि विकास कार्यक्रम की 16 पाइलाट परियोजनाएं उन क्षेत्रों में होगी जिनमें 375 से 1125 मि० मी० के बीच वर्षा होती है। यह स्कीम अभी प्रारूप अवस्था में ही है।

(घ) और (ङ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है ।

नदी घाटी योजनाओं को पूरा करने हेतु ड्रिलिंग रिगों तथा बोरिंग पाइपों का निर्माण

5611. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री** 11 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2475 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारी इंजीनियरी निगम (रांची) सिंचाई प्रयोजनों के लिये ड्रिलिंग रिगों तथा बोरिंग पाइपों का बड़े पैमाने पर निर्माण कर सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका मन्त्रालय भारी इंजीनियरी निगम तथा अन्य निर्माताओं को देश में प्राप्य पूरी क्षमता के अनुसार रिगों तथा पाइपों के लिये क्रयादेश देने का विचार कर रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या राजस्थान, गंडक, पश्चिम कोसी तथा अन्य बड़ी योजनायें पर्याप्त राशि उपलब्ध होने पर पहले पूरी हो सकती हैं; और

(ङ) यदि हां, तो बैंक ऋणों का इस प्रयोजन के लिये उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इस्पात और भारी इन्जीनियरी मन्त्रालय ने बताया है कि हैवी इन्जीनियरिंग कार्पोरेशन लि०, रांची के भारी मशीनों को तैयार करने वाले कारखाने के उत्पादन कार्यक्रम की रूपरेखा में तेल के कूपों के लिये छेदनकारी रिगों का निर्माण जो उपकरण की भारी मदें हैं, शामिल है । बहरहाल विविधता के एक उपाय के रूप में तथा देश की तत्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इस कारखाने ने जल-कूपों के लिए तीन प्रकार के छेदनकारी रिगों के निर्माण का विकास किया है । रिगें किस प्रकार की हों और कितनी संख्या में ये बनाई जाएं, इस सम्बन्ध में निर्णय तभी लिया गया जब विभिन्न राज्य सरकारों के साथ, जो मुख्य खरीदार हैं परामर्श कर लिया गया और जलकूपों के छेदनकारी रिगों के निर्माण के लिये हैवी इन्जीनियरिंग कार्पोरेशन के अलावा अन्य यूनिटों में उपलब्ध क्षमता का मूल्यांकन कर लिया गया ।

(ख) और (ग) खाद्य व कृषि मन्त्रालय ने सूचित किया है कि भूमिगत जल के विकास का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है जो स्वयं ही रिगों की प्राप्ति के लिये आदेश देते हैं ।

(घ) और (ङ) पश्चिम कोसी नहर स्कीम को केवल तभी हाथ में लिया जा सकता है जब नहर के पहले 22 मीलों के संरेखन के संबन्ध में नेपाल सरकार अपनी अनुमति दे दे ।

चौथी योजना के लिये संसाधनों का पुनः मूल्यांकन करते समय योजना आयोग ने बड़े वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण को भी ध्यान में रखा है । योजना आयोग ने संसाधनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान नहर और मंडक परियोजना के लिये राज्य की योजनाओं में यथासंभव अधिकतम आबंटन किये हैं ।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये मन्त्रालय में एक पृथक् कक्ष का गठन

5613 : **श्री क० मि० मधुकर** : क्या **सिंचाई तथा बिद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य की देखभाल करने के लिये अलग से एक कक्ष गठित किया है तथा इसके लिये अलग से वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस मद के अंतर्गत चालू वर्ष में बिहार को कितनी धनराशि की सहायता देने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार ने एक ऐसी परियोजना भी तैयार की है जिसके अधीन छोटे किसानों को विद्युत की सप्लाई के लिये सहायता दी जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के बारे में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना को कब तक क्रियान्वित कर दिये जाने की संभावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र में ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्थापना की है जो ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए राज्य सरकारों द्वारा अपनी राज्य-योजनाओं के लिए निर्धारित परिव्ययों के अतिरिक्त, धनराशि की व्यवस्था करेगा। निगम ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों की प्रगति में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करेगा। निगम ने आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश राज्यों को उनके ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को बिजली देने के लिए अब तक 590 लाख रुपये दिए हैं। बिहार राज्य समेत अन्य राज्यों के राज्य बिजलीबोर्डों से प्राप्त स्कीमें, निगम के विचाराधीन हैं। बिहार के सम्बन्ध में निगम को 7 स्कीमें प्राप्त हुई हैं जिनका वित्तीय परिव्यय लगभग 317 लाख रुपये है।

कच्चा टिवूपर श्रीलंका का दावा

5614. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** **श्री जयसिंह :**
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **बैदेशिक कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चा टिवू पर भारत सरकार का अनन्य तथा पूर्ण नियन्त्रण हैं;

(ख) यदि नहीं, तो श्रीलंका अब भी उस पर दावा करता है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में श्रीलंका सरकार के साथ कोई वार्ता हुई है; और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

बैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग) निर्वासित कच्छा तिवू द्वीप पर प्रभुसत्ता का प्रश्न भारत और श्रीलंका की सरकारों के बीच बातचीत का विषय रहा है। पिछली बार 10.12.69 को सदन में इस पर विचार किया गया था, उसके बाद से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में योजना प्राथमिकताएं

5615. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् संसाधनों पर और अधिक नियन्त्रण को ध्यान में

रखते हुए सरकार का विचार सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में योजना प्राथमिकताओं में परिवर्तन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री, (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) और (ख) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों में जमा की जाने वाली रकमों में जो अनुमानित वृद्धि हुई, उससे बैंक काफी मात्रा में केन्द्रीय और राज्य ऋणों, प्रमुख वित्त संस्थान (जैसे आई० एफ० सी०, आई० डी० वी० आई० और ए० आर० सी०) के ऋणों, राज्य उद्यमों के ऋणों और एफ० सी० आई० के ऋणों में योगदान करेंगे तथा इस प्रकार सरकारी क्षेत्र के प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के लिए परिव्यय बढ़ाने में सहायता प्रदान करेंगे । सभा पटल पर 24 मार्च, 1970 को प्रस्तुत "चौथी पंचवर्षीय योजना परिशोधित परिव्यय 1969-74" के दस्तावेज में निर्दिष्ट परिशोधित परिव्ययों को परिलिक्षित किया गया है । आशा है कि राष्ट्रीयकृत बैंक कृषि, लघु उद्योग और छोटे व्यापारों की आवश्यकताओं की पूर्ति अब की अपेक्षा अधिक मात्रा में कर सकेंगे ।

Cartridges Stolen From Army Arsenal at Pulgaon

5616. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been invited to the news item published in the "Blitz" dated the 7th Fabruary, 1970 to the effect that the Jawans of the armed forces stole cartridges of the 303 rifles from the arsenal of the army at Pulgaon and sold them to the dacoits in Morena, (Madhya Pradesh,) and that the police enquiry has disclosed that in the records of the said arsenal the said stolen cartridges have been shown as having been destroyed by the authorities;

(b) if so, whether Government have conducted a military enquiry into the said mysterious theft and taken some steps to punish the culprits; and

(c) if so, the nature thereof ; and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Government has seen the report published in the 'Blitz' of the 7th February, 1970.

(b) & (c) As mentioned in reply to Unstarred Question No. 1428 answered in the Lok Sabha on 26th November 1969, 4,000 rounds of small arms ammunition were found missing from the Pulgaon Ammunition Depot on 28th February, 1969. A military court of inquiry held in the matter has recommended certain remedial measures. These recommendations are under examination.

The case is under police investigation. The local police have seized 3,000 rounds of ammunition from two persons of Morena District in October 1969. The local police have also arrested a Defence Services Corps Sepoy believed to be involved in the matter, and the Sepoy is in police custody. Further action will be taken on completion of the investigation.

भारतीय फर्मों द्वारा अनिवार्य 10 प्रतिशत निर्यात

5617. **श्री मधु लिमये :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किसी संसद् सदस्य से भारतीय फर्मों द्वारा अनिवार्य 10 प्रतिशत निर्यात के बारे में कोई पत्र मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां, इस सम्बन्ध में एक पत्र प्राप्त हुआ है ।

(ख) अनिवार्य निर्यात की एक योजना पहले से ही विद्यमान है । वर्ष 1969-70 में यह योजना प्राथमिकता सूची के 10 उद्योगों पर लागू थी । वर्ष 1970-71 में इसमें तीन उद्योग और शामिल कर लिये गये हैं । इन उद्योगों में लगे हुए ऐसे एककों की कच्चे माल तथा संघटकों सम्बन्धी आयात आवश्यकताओं में कटौती की जा सकती है जो अपने उत्पादन के 5 प्रतिशत का भी निर्यात नहीं कर पाते, और इसके अतिरिक्त 10 प्रतिशत अथवा अधिक का निर्यात करने वाले एककों को अपनी पसंद के देशों से माल मंगाने की जो सुविधा दी जाती है वह 5 प्रतिशत से कम निर्यात करने वाले एककों को नहीं मिलेगी । लघु औद्योगिक एककों और ऐसे अन्य एककों को, जिन्हें उत्पादन में लगे हुए अभी 5 वर्ष पूरे नहीं हुए, इस कटौती से मुक्त कर दिया गया है । विदेशी व्यापार मंत्रालय ने उन एककों की सहायता के लिए विशेष प्रकोष्ठ खोला है जिन पर इस नीति से प्रभाव पड़ा है और जिन्हें विदेशों में अपने उत्पादों को बेचने में कठिनाइयां होती हैं ।

Letters received from Members of Parliament

5618. **Shri Bansh Narain Singh** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the total number of letters received by him and his Ministry from the Members of Parliament during the period from 1st January, 1969 to 28th February, 1970 and the subject of each of them ;

(b) the number of those letters to which final replies have been sent and the approximate time taken in sending the replies ;

(c) the reasons for not replying the remaining letters and whether he is aware of the directives of the Prime Minister in this regard ;

(d) whether undue delay is caused in replying the letters of Members of Parliament so that the issues raised therein lose their importance with the passage of time ; and

(e) whether certain points raised in the letters to which replies were sent, were not covered and if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a), (b), (c) and (e) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(d) No, Sir.

Disposal of Letters Received by the Ministry of Irrigation and Power from M, Ps.

5619. **Shri Bansh Narain Singh** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the total number of letters received by him and his Ministry from the Members of Parliament during the period from 1st January, 1969 to 28th February, 1970 and the subject of each of them;

(b) the number out of them whose final replies have been sent and also the approximate time taken in sending the replies;

(c) the reasons for not replying to the remaining letters and whether he is aware of the directives of the Prime Minister in this regard;

(d) whether undue delay is caused in replying to the letters of Members of Parliament so that the issues raised therein lose their importance with the passage of time; and

(e) whether certain points raised in the letters to which replies were sent, were not covered, and if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) During the period from 1. 1. 1969 to 28. 2. 1970 three hundred and sixteen communications were received from Members of Parliament. The subject-wise classification of each of the reference is as below :

Sl. No.	Subject	No. of References
1.	Matters relating to Irrigation projects and problems falling within the sphere of the Centre.	13
2.	Matters relating to Irrigation projects and problems falling within the sphere of the State Governments/Projects Authorities.	70
3.	Matters relating to power projects and problems falling within the sphere of the Centre.	11
4.	Matters relating to Power Projects and problems falling within the sphere of State Governments and State Electricity Boards.	29
5.	Matters relating to Power Projects and problems of Union Territories	5
6.	Flood Control measures and flood situations	82
7.	Establishment matters relating to Ministry of Irrigation and Power, CW & PC and other organisations under the Ministry.	72
8.	Establishment matters relating to State Projects.	20
9.	Establishment matters of Union Territories	2
10.	Other Miscellaneons matters.	12
	Total	316

(b) The number of letters to which final replies have been sent and the approximate time taken in sending the replies are as below :

Letters to which final replies sent	201
Number of cases where the position or action taken was communicated orally.	18
References to which no reply was considered necessary.	35
Total	254
References replied to within 10 days of their receipt,	69
References replied to within 20 days of their receipt.	20
References replied to within 1 month of their receipt.	27
References replied to within 2 months of their receipt.	41
References replied to within 3 months of their receipt.	18
Rcferences replied to after 3 months of their receipt.	26
Total	201

(c) & (e) While every effort is made to answer the references from M. Ps. with the utmost speed, in many cases it is necessary to collect the information from State Governments, Project authorities etc. and co-ordinate action with those authorities inasmuch as 'Irrigation' and 'Flood Control' are state subjects while 'Power' is under the concurrent list. Keeping in view the directives issued by the Prime Minister, the points raised by the Hon'ble Members are pursued vigorously and, where necessary, cases are also settled by personal discussions or joint inspections arranged with Members. Maximum care is taken to furnish final and complete information as speedily as possible inspite of the limitations involved in collecting and coordinating the matter with the State Governments and Project authorities.

Delay in Replying to Letters Received in the Ministry of External Affairs from M.Ps.

5620. **Shri Bansh Narain Singh :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of letters received by him and his Ministry from the Members of Parliament during the period from 1st January, 1969 to 28th February, 1970 and the subject of each of them ;

(b) the number out of them whose final replies have been sent and also the approximate time taken in sending the replies ;

(c) the reasons for not replying the remaining letters and whether he is aware of the directives of Prime Minister in this regard ;

(d) whether undue delay is caused in replying to the letters of Members of Parliament so that the issues raised therein lose their importance with the passage of time ; and

(e) whether certain points raised in the letters to which replies were sent, were not covered and if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c) No separate account is maintained of letters received from Members of Parliament. As a rule, all communications addressed to the Minister or the Ministry are attended to and disposed of expeditiously and priority is given to communications received from Hon'ble Members. However, certain matters by their very nature require collection of information and data from a number of sources which takes time.

(d) and (e) This is not so. In case, however, the Hon'ble Member has any specific case in mind, the matter can be looked into.

Delay in Disposal of Letters received in the Ministry of Defence from the M.Ps.

5621. **Shri Bansh Narain Singh :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the total number of letters received by him and his Ministry from the Members of Parliament during the period from 1st January, 1969 to 28th February, 1970 and the subject of each of them ;

(b) the number out of them, whose final replies have been sent and also the approximate time taken in sending the replies ;

(c) the reasons for not replying the remaining letters and whether he is aware of the directives of the Prime Minister in this regard ;

(d) whether undue delay is caused in replying to the letters of Members of Parliament so that the issues raised therein lose their importance with the passage of time ; and

(e) whether certain points raised in the letters to which replies were sent, were not covered and if so, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swarain Singh) : (a) The total number of letters received is about 1470 generally covering the subjects shown in the statements. [Placed in Library. See Vol T 3134 *i* 70]. A substantial number of these letters relate to the transfer of land, lease of land, property etc;

(b) Number of letters finally replied to so far is about 1175 out of which 524 were replied to within one month, 201 within 2 months , 143 within 3 months, 94 within 4 months, 53 within 5 months, 46 within 6 months, 52 within 6 to 9 month and 26 within 9 to 12 months. In 36 cases Members were orally informed of the position.

(c) We are aware of the Prime Minister's directives in the matter. The reasons for not replying to the remaining letters, so far, are that the issues raised therein require

collection of information from lower formations down to the unit level and consultation with other Ministries, local authorities etc. Some special steps have been taken recently to ensure that these letters are replied to more expeditiously.

(d) No, Sir.

(e) Every effort is made to ensure that the replies cover all the points raised : in fact the need to do this has caused some delay in a number of cases.

Delay in Replies to Letters by P. M.'s Secretariat Written by M. Ps.

5622. **Shri Bansh Narain Singh** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the total number of letters received by her and her Secretariat from the Members of Parliament during the period from 1st January, 1969 to 28th February, 1970 and the subject of each of them ;

(b) the number out of them, whose final replies have been sent and also the approximate time taken in sending the replies ;

(c) the reasons for not replying the remaining letters ;

(d) whether undue delay is caused in replying to the letters of Members of Parliament so that the issues raised therein lose their importance with the passage of time ; and

(e) whether certain points raised in the letters to which replies were sent, were not covered, and if so, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (e) A large nnmber of letters are received by the Prime Minister from Members of Parliament. Most of them have to be referred to the various Ministries concerned. Hence it is not possible to indicate the precise number, the subjects to which they relate or the position about their disposal. However, all of them naturally receive attention. Efforts are made to acknowledge them as soon after their receipt as possible, and to send fuller replies, covering all the points raised, to those which call for such replies. The communications which are referred to other Ministries for appropriate action are expected to be answered by the Ministers concerned.

गत तीन वर्षों में राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं के लिए मंजूर की गई राशि

5623. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राजस्थान में कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं और कितनी राशि मंजूर की गई;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है;

(ग) इस वर्ष के लिये प्रस्तावित सिंचाई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अन्य राज्यों की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक राशि दी गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राजस्थान में पिछले 3 वर्षों में सिंचाई पर परिव्यय निम्नलिखित था :

	लाख रुपयों में
1966-67	1169
1967-68	900
1968-69	1325.5

1966-67 से 1969-70 तक स्वीकृत नई सिंचाई स्कीमें निम्नलिखित हैं :

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)
1.	अंगोर	20.08
2.	गोपालपुरा	33.41
3.	जेतपुरा	34.02
4.	सई व्यपवर्तन	115.50
5.	मेजा फीडर	166.30

(ख) और (ग) चौथी योजना के प्रथम वर्ष 1969-70 में 1370 लाख रुपये की सिंचाई परिव्यय की व्यवस्था की गई थी जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है :—

	लाख रुपयों में
1. ब्यास परियोजना	780.00
2. राजस्थान नहर	480.00
3. भाखड़ा परियोजना	4.00
4. चम्बल चरण – 1	20.00
5. चम्बल चरण – 2 (राणाप्रताप सागर)	40.00
6. गुड़गांव नहर	10.00
7. अन्वेषण तथा अनुसंधान सहित अन्य स्कीमें	36.00
कुल योग :	1370.00

(घ) 1969-70 के दौरान देश में सिंचाई परिव्यय 170 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जिसमें से लगभग 8% राजस्थान के लिए था।

प्रायोगिक उपग्रह परियोजना के बारे में अणुशक्ति विभाग तथा 'नासा' के बीच करार की आलोचना

5624. **श्री अदिचन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'दी स्टेट्स' नामक पाक्षिक पत्र के 10 जनवरी, 1970 के अंक में प्रकाशित हुए उस लेख की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें प्रायोगिक उपग्रह परियोजना के बारे में अणुशक्ति विभाग तथा अमरीका की राष्ट्रीय एरोनाटिक्स तथा अंतरिक्ष एजेन्सी 'नासा' के बीच करार की आलोचना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) जी, हां।

(ख) अणु-शक्ति विभाग तथा राष्ट्रीय एरोनाटिक्स तथा अंतरिक्ष एजेन्सी के बीच करार मामले के सभी पहलुओं पर सावधानी से तथा विस्तारपूर्वक विचार करने के बाद किया गया था। सरकार का विचार यह नहीं है कि लेख में निहित आलोचना उचित है।

Installation of powerlooms in Madhya Pradesh

5625. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the number of powerlooms installed in Madhya Pradesh during the last three years ;

(b) the number of those among them which are functioning with valid licences ; and

(c) the action being taken against unauthorised powerlooms ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) 450 powerlooms:

(b) All these looms are functioning with valid licences.

(c) Does not arise.

Closure of Textile Mills in Madhya Pradesh

5626. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the number of textile mills closed in Madhya Pradesh during the last three years ;

(b) the number of those textile mills which were recommissioned during the period from the 1st April, 1967 to 31st March, 1969 ;

(c) The number and names of the mills which are still closed ; and

(d) the steps taken or proposed to be taken by Government to recommission them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) One

(b) One

(c) None

(d) Does not arise

उत्तरी क्षेत्र में औद्योगिक तथा कृषि परियोजनाओं के लिये बिजली की मांग

5627. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान, पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों में बिजली की वार्षिक मांग कितनी है; और

(ख) चौथी योजना अवधि में उत्तरी क्षेत्र में बिजली की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अद्यतन मूल्यांकन के अनुसार चतुर्थ योजनावधि के दौरान उत्तरी क्षेत्र के विविध राज्यों और संघीय प्रदेशों में बिजली की मांगों के निम्नलिखित रूप से होने की सभावना है :—

	69-70	70-71	71-72	72-73	73-74
			मेगावाट		
उत्तर प्रदेश	1202	1400	1587	1785	2056
राजस्थान	213	282	335	398	536
पंजाब	558	643	733	834	1002
हरियाणा	260	311	372	440	527
जम्मू और काश्मीर	53	61	66	75	89
दिल्ली	209	230	253	278	306
हिमाचल प्रदेश	27	31	35	42	51
चण्डीगढ़	22	26	30	34	38
कुल (उत्तरी क्षेत्र)		2984	3411	3886	4605

(ख) इस क्षेत्र में चतुर्थ योजना के आरम्भ में कुल प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता 3320 मैगावाट थी जिसके 1973-74 के अंत में बढ़कर 5993 मैगावाट हो जाने की संभावना है और यह 4165 मैगावाट की कुल मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी। चतुर्थ योजनावधि के दौरान प्रत्याशित कमियों को पूरा करने के लिए 200 मैगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता की बैरा-सियुल पन बिजली परियोजना और 220 मैगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता की भटिण्डा ताप परियोजना कार्यान्वनार्थ स्वीकृत हो गई है।

नदियों के सम्बन्ध में अन्तर्राज्यीय विवादों में वृद्धि

5628. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नदियों के संबंध में अन्तर्राज्यीय विवादों की संख्या इस समय बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विवादों का ब्यौरा क्या है और इन विवादों में अन्तर्ग्रस्त राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) ये विवाद निपटारे के लिये कब से विचाराधीन हैं;

(घ) इन विवादों को निपटाने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) क्या सरकार देश में सभी नदियों को राष्ट्रीय महत्व की घोषित करने का विचार कर रही है ताकि इन नदियों पर राज्यों का नियंत्रण समाप्त हो जाये; और यदि नहीं, तो इन विवादों को बिना आगे विलम्ब के पारस्परिक रूप से किस प्रकार निपटाया जा सकता है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ङ) राज्यों के बीच बहुत से अन्तर्राज्यीय जल-विवादों को, जहां पर आवश्यकता हुई केन्द्र की सहायता से, बातचीत द्वारा सुलझा दिया गया है। बहरहाल, जिन तीन निम्नलिखित विवादों को, बातचीत द्वारा हल नहीं

किया जा सका, उन्हें अन्तर्राज्यीय जल-विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत गठित न्यायाधिकरण के पास निर्दिष्ट कर दिया है :—

(1) कृष्णा जल-विवाद — अप्रैल, 1969 में गठित न्यायाधिकरण

(2) गोदावरी जल-विवाद — अप्रैल, 1969 में गठित न्यायाधिकरण

(3) नर्मदा जल-विवाद — अक्तूबर, 1969 में गठित न्यायाधिकरण

तमिलनाडु सरकार से भी एक अनुरोध प्राप्त हुआ है कि काबेरी जल-विवाद को न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट कर दिया जाए। वर्तमान जल-विवाद को कैसे हल किया जा सकता है इसका पता लगाने के विचार से भारत सरकार काबेरी विवाद के सभी पहलुओं पर बड़ी सावधानी से विचार कर रही है। इस संबंध में मैसूर, तमिलनाडु तथा केरल के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक शीघ्र ही करने का विचार है।

विदेशों में भारत का सही चित्र रखने के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत

5629. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विदेशों में अपने राजदूतों को अपनी नियुक्ति वाले देश के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत के रूप का सही तथा सार्थक चित्र प्रस्तुत करने के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये हैं अथवा ऐसा करने का उसका विचार है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हमारी नीतियों का समान रूप में तथा साथ-साथ पालन करने के लिये पड़ोसी देशों में हमारे राजदूतों के बीच कोई तालमेल है; और

(घ) पड़ोसी देशों में हमारे राजदूतों के बीच अधिकतम तालमेल सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की अत्यावश्यकताओं के अनुसार, समय-समय पर हमारे विदेश स्थित दूतों को प्रचार सम्बन्धी निर्देश जारी किए जाते हैं। ये अनुदेश गोपनीय होते हैं।

(ग) और (घ) सरकार विश्व के विभिन्न क्षेत्रों और उपक्षेत्रों में स्थित हमारे दूतों को विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में अनुदेश और नीति निर्देश जारी करती रहती है। पड़ोसी देशों में हमारे मिशनों की क्रियाओं में समन्वयन स्थापित करने के उद्देश्य से, विशेष क्षेत्रों में सावधिक रूप से मिशन प्रमुखों के सम्मेलन होते हैं। (1) दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, और पूर्व एशिया (2) पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका और (3) अफ्रीका (सहारा के दक्षिण में) स्थित भारतीय मिशन प्रमुखों के तीन सम्मेलन क्रमश: 23-12-1968, 23-5-1969 और 19-12-1969 को दिल्ली में हुए।

रेशेदार सूत (स्टेपल फाइबर) का उत्पादन तथा मांग

5630. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेशेदार सूत की वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि देश में खपत की मांग को पूरा करने के लिये रेशेदार सूत तैयार करने में भारत पूर्णत: समक्ष है; और

(ग) यदि हां, तो रेशेदार सूत का आयात करने के हाल में किये गये निर्णय को रद्द करने तथा इसका बड़ी मात्रा में उत्पादन करने के लिये स्वदेशी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) रेशेदार सूत की रूई की कताई के विषय में कमीवेशी होती रहती है अत: रेशेदार सूत की मांग का निश्चित तथा ठीक-ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है । फिर भी देश में रेशेदार सूत का जितना उत्पादन होता है उसकी पूर्णत: खपत हो जाती है और इस माल की कमी ही रही है ।

(ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के उत्पादन-लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रेशेदार सूत निर्माण उद्योग का यथावश्यक अग्रेतर विस्तार करने की अनुमति देने का पहले से ही निश्चय किया जा चुका है । तथापि रेशेदार सूत के वस्त्रों के निर्यात तथा कपास के स्थान पर इसका अधिक प्रयोग करने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस समय रेशेदार सूत की विशिष्ट मात्रा का आयात करना आवश्यक समझा गया है ।

आयुध कपड़ा कारखानों में कार्यभार की स्थिति में सुधार

5631. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कपड़ा कारखानों में कार्यभार की स्थिति में कोई सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कितना;

(ग) क्या कपड़ा कारखाना, शाहजहांपुर, पैराशूट कारखाना कानपुर, आयुध उपकरण कारखाना, कानपुर और कपड़ा कारखाना, अवाडी में खाली समय के लिये भुगतान बन्द कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन कारखानों में कितने श्रमिक अब भी काम न होने के कारण खाली बैठे रहते हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) आर्डिनेंस क्लोदिंग फैक्टरियों में कार्यभार की स्थिति में कोई विशिष्ट सुधार नहीं हुआ । तदपि, हाल ही में कुछ छोटे अतिरिक्त आर्डर प्राप्त हुए हैं, जो क्रियाधीन हैं । क्लोदिंग फैक्टरियों के लिए पर्याप्त कार्यभार उपलब्ध करने के लिए आर्डर प्राप्त करने के लिए प्रयास अभी हस्तगत है ।

(ग) कार्य न होने के समय की अदायगी क्लोदिंग फैक्टरी शाहजहांनपुर, पैराशूट फैक्टरी कानपुर और क्लोदिंग फैक्टरी आवडी में जारी है ।

(घ) 28-2-1970 को 2868.

वर्गीकरण न्यायधिकरण की स्थापना

5632. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 मार्च से 3 मार्च, 1970 तक कानपुर में हुई औद्योगिक परिषद् की बैठक में वर्गीकरण न्यायाधिकरण की स्थापना के बारे में सर्व सम्मति से एक संकल्प पारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) न्यायाधिकरण के कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां । कार्मिकों का एकमत से पारित संकल्प पूर्ण विकसित क्लासिफिकेसन ट्रिबून की नियुक्ति की उनकी मांग को हानि पहुंचाये बिना, पहले से नियुक्त की गई रैशनलाईजेशन आफ ट्रेड्ज एण्ड ग्रेड्ज कमेटी से कार्य क्षेत्र के प्रसार के लिए था।

(ख) और (ग) मामले का सरकार द्वारा विस्तृत निरीक्षण आवश्यक है ।

भारत में निर्मित परम्परागत हथियारों के लिये विदेशों से मांग

5633. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुध कारखानों में निर्मित परम्परागत हथियारों की कुछ अन्य देशों में मांग है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार उनका निर्यात करने के लिये सहमत हो गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सेवाओं की आवश्यकताएं पूरी करने के पश्चात् सरकार ने छोटे आयुधों और गोलीबारूद की कुछ मदें मित्र देशों को निर्यात करना मान लिया है । अधिक विस्तार देना लोकहित में नहीं होगा ।

19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण विभिन्न प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की पदोन्नति न की जाना

5634. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले विभिन्न प्रतिष्ठानों के कुछ कर्मचारियों की उनकी न्यायोचित पदोन्नति नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक प्रतिष्ठान में ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या 19 सितम्बर, 1968 को हड़ताल के कारण सेवा में व्यवधान से छूट देने वाले हाल में सरकारी आदेशों के जारी किये जाने के बाद इस बीच उनकी पदोन्नति कर दी गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) विभिन्न रक्षा संस्थाओं के उन कर्मचारियों को पदोन्नतिएं कि जिन्होंने 19 सितम्बर 1968 की हड़ताल में भाग लिया था, समय-समय पर जारी किए गए निर्देशन के अनुसार नियमित हैं । प्रश्न में इंगित मामले का सरकार को ज्ञान नहीं है ।

नारियल की भूसी को गलाने के लिये लाइसेंस शुल्क कम करना

5635. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार तथा नारियल जटा उद्योग में रुचि रखने वाले अन्य लोगों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें नारियल जटा गलाना (लाइसेंस) आदेश, 1968 के अन्तर्गत नारियल की भूसी गलाने पर लगाया जाने वाला लाइसेंस शुल्क काफी कम करने की प्रार्थना की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां । नारियल जटा बोर्ड द्वारा ।

(ख) नारियल जटा बोर्ड से पूछा गया है कि किस आधार पर कमी की जाये क्योंकि इस समय विहित दरें नारियल जटा बोर्ड की सिफारिश पर अपनाई गई थीं ।

भारत द्वारा रोडेशियाई अफ्रीकी तथा शोषित जनता सहायता समिति का गठन

5636. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत रोडेशियाई अफ़्रीकी तथा शोषित जनता सहायता समिति स्थापित करने की योजना बना रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) के (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । लेकिन, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुरूप सरकार जिम्बाम्बे में तथा अफ़्रीका के अन्य भागों में होने वाले मुक्ति आंदोलनों में निरंतर यथासंभव सहायता प्रदान करती रहेगी ।

अमरीका को महिलाओं के अधोवस्त्रों का निर्यात

5637. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत चोलियों तथा महिलाओं के अन्य अधोवस्त्रों का अमरीका को निर्यात करता है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) गत दो वर्षों में पृथक्-पृथक् भारत को कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ; और

(घ) यदि नहीं, तो इनका निर्यात न करने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) भारत से सं० रा० अमरीका को चोलियों अथवा महिलाओं के अन्य अधोवस्त्रों का निर्यात नगण्य है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) इस माल के विषय में अमरीकी बाजार की गुणता सम्बन्धी मांग को पूरा करने में कुछ कठिनाई रही है ।

जल, ताप तथा आण्विक शक्तियों से विद्युत् का उत्पादन करने के लिये धन का नियतन

5638. **श्री स० कुन्दू** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना में जल, ताप तथा आण्विक शक्तियों से बिजली के उत्पादन के लिये आवंटित धन का ब्योरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : चौथी योजना के अधीन विभिन्न बिजली उत्पादन स्कीमों के लिये कुल लगभग 1241.08 करोड़ रुपये के प्रावधान के उपलब्ध होने की संभावना है। जलीय, तापीय और आण्विक स्कीमों में इस राशि के आवंटन के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।

नये आयुद्ध कारखानों की स्थापना

5639. **श्री स० कुन्दू** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कौन-कौन से नये आयुध कारखाने स्थापित किये गये हैं तथा कौन-कौन से कारखानों का विस्तार किया गया है तथा आगामी तीन वर्षों में किन-किन आयुध कारखानों का विस्तार किया जायेगा;

(ख) उनमें लगाई जाने वाली पूंजी, उनके स्थान तथा उत्पादन की किस्म और मात्रा का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इन कारखानों को पिछड़े राज्यों में स्थापित करने की कोई नीति बनाई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों में चन्द्रपुर और अम्बा-सारी की नई फैक्टरियों ने कई शाखाओं में सीमित उत्पादन शुरू कर दिया है। यह दोनों फैक्टरिएं आगामी तीन वर्षों में कमीशन की जानी प्रत्याशित हैं। इस अवधि में जबलपुर की नई विहीकल फैक्टरी भी प्रत्याशा है नियमित उत्पादन आरम्भ कर देगी। जहां तक वर्तमान क्षमता के प्रसार का सम्बन्ध के विभिन्न आर्डनेंस फैक्टरियों में कई योजनाएं कार्यान्विति की भिन्न प्रावस्थाओं में हैं। इन प्रायोजनाओं के विस्तार प्रकट करना लोकहित में न होगा।

(ग) नई आर्डनेंस फैक्टरियों के स्थान कई कसौटियों के अनुसार निर्धारित किये जाते हैं, जैसे कि आम पदार्थों, कुशल जनशक्ति, परिवहन के साधनों और अन्य सुविधाओं की प्राप्यता, सहायक उद्योगों तथा उपभोक्ता केन्द्रों इत्यादि की निकटता। किसी राज्य का पिछड़ापन भी संगत विचारों में से एक होगा।

Enquiry into the causes of the Crash of an Aircraft on 23rd January, 1970

5640. **Sri Ram Avtar Sharma** :. Will the Minister of Defence be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 64 on the 25th February, 1970 and state :

(a) whether the Court of Inquiry appointed to enquire into the causes of the accident involving a military aircraft that took place on the 23rd January, 1970 has submitted its report to Government ; and

(b) if so, the conclusions of the said Court in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

राज्य व्यापार निगम द्वारा सोडियम हाइड्रोसल्फेट का आयात

5641. **श्री तेन्नेटिविश्वनाथम** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष राज्य व्यापार निगम द्वारा सोडियम हाइड्रोसल्फेट का कितना आयात किया गया और उसका यहां पहुंचने पर प्रति किलो मूल्य कितना था ; और

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा यह किस मूल्य पर बेंची गई ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) राज्य व्यापार निगम ने वर्ष 1969 में 1000 मे० टन सोडियम हाइड्रोसल्फाइट का आयात किया । इस रासायनिक पदार्थ का भारत पहुंचने पर मूल्य 6 रु० प्रति किलो था ।

(ख) राज्य व्यापार निगम ने दिसम्बर, 1969 में इसे 12 रु० प्रति किलो बम्बई के गोदाम से चलते समय के मूल्य पर बेचा । जनवरी 1970 में इसका मूल्य बढ़ाकर 16 रु० किलो कर दिया गया जिसे अब पुन: कम करके 12 रु० प्रति किलो कर दिया गया है ।

Indian Cooperation in Construction of Kandhar-Zahidan Road in Afghanistan

5642. **Shri Yaswant Singh Kushwah :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is fact that Government have decided to extend cooperation to Afghanistan in the construction of Kandhar-Zahidan road ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b) Afghanistan is giving urgent consideration to a project for constructing a road from Lashkargah to the Iranian border near Zahidan and connecting it to an Irani road leading to the sea port of Bunder Abbas.

During the First Ministerial Meeting of the Joint Indo-Afghan Commission in Economic, Trade and Technical Cooperation held in New Delhi from 16th to 18th March, 1970, in response to a desire expressed on the Afghan side, Government had agreed to depute a team of Indian experts to examine in consultation with Afghan experts and those of the Asian Development Bank various issues connected with the implementation of this project. This team is expected to go to Afghanistan in the near future.

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड और भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश में कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव

5643. **श्री हिम्मत सिंहका** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड और भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड का विचार उत्तर प्रदेश में कारखाने स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक स्थान पर तैयार की जाने वाली वस्तुओं तथा स्थापित की जाने वाली क्षमता सहित उनका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) सरकार ने हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स द्वारा लखनऊ में लगभग 4.5 करोड़ रुपये की लागत से एक नई फैक्टरी

स्थापित किए जाने की स्वीकृति दी है। फैक्ट्री विभिन्न किस्मों के वैमानिक औजारों और सहायकों का निर्माण हस्तगत करेगी।

भारत इलैक्ट्रानिक्स लि० की एक दूसरी यूनिट गाजियाबाद (यू० पी०) में स्थापित किए जाने की संभावना है। वी० ई० एल० की नई यूनिट रडार और माइक्र माइक्रो-वेव साज-सामान के निर्माण के लिए अभिप्रेत है

उत्पादन क्षमता के विस्तार देना लोकहित में नहीं होगा।

सांस्कृतिक केन्द्रों के बारे में दिया गया नोटिस

5644. **श्री हिम्मत सिंहका** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विभिन्न विदेशी सांस्कृतिक केन्द्रों को नोटिस देने के मामले में उनके विदेशी मिशनों तथा स्वायत्तशासी निकायों द्वारा चलाये जाने के आधार पर भेदभाव किया गया है और क्या बाद के वर्ग के केन्द्रों को नोटिस दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) 26 फरवरी, 1970 की इसी विषय पर रखे गए एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में इस बारे में सरकार की नीति सदन में बताई जा चुकी है। सरकार ने विदेशी मिशनों को इस तरह के केन्द्र बन्द करने का अपना जो निर्णय उन्हें बताया है वह सिर्फ ऐसे केन्द्रों पर लागू होता है जो विदेशी मिशनों द्वारा सीधे ही ऐसे स्थानों पर चलाए जा रहे हैं जहां कि उनके राजनयिक, कौंसली अथवा व्यापार प्रतिनिधि के कार्यालय नहीं हैं।

दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजलीघरों की स्थापना

5645. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम 53 करोड़ रुपये की लागत से जिसमें से 31 करोड़ रुपये अपने साधनों से जुटायें जायेंगे, चन्द्रपुर में दो बिजलीघर स्थापित कर रहा है, जिनमें से प्रत्येक 120 मेगावट यूनिट का होगा ;

(ख) क्या अब तक केन्द्रीय सरकार तथा बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों की सरकारें दामोदर घाटी निगम की पूंजी लागत में बराबर का अंशदान करती रही हैं परन्तु राज्य सरकारों ने अब दामोदर घाटी निगम के लिये कोई ऐसी पूंजी प्रदान करने से इन्कार कर दिया ;

(ग) क्या बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों को सरकारें दामोदर घाटी निगम द्वारा नये बिजलीघर स्थापित किये जाने के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि दामोदर घाटी निगम के वर्तमान बिजलीघर कुशलता से काम नहीं कर रहे हैं ; और

(घ) इस बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है तथा दामोदर घाटी निगम के प्रस्तावित बिजलीघरों के लिये आवश्यक पूंजी जुटाने के अर्थोवायों का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सम्बन्धित पारेषण लाइनों के साथ चन्द्रपुरा के 120-120 मैगावाट के दो बिजली उत्पादन यूनिटों का अनुमानित व्यय लगभग 53 करोड़ रुपये है जिसमें से 1968-69 तक लगभग 4.5 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। चन्द्रपुरा के दो यूनिटों के निर्माण के शेष व्यय और अन्य योजना स्कीमों के व्यय को पूरा करने के लिये दामोदर घाटी निगम अपने आन्तरिक संस्थाओं से लगभग 31 करोड़ रुपयों का प्रबन्ध करने का विचार रखता है।

(ख), (ग) और (घ) 1968-69 के अन्त तक, दामोदर घाटी निगम की बिजली स्कीमों के पूंजीगत व्यय को तीन सहभागी सरकारें नामश: केन्द्र, बिहार और पश्चिम बंगाल बराबर-बराबर बांट रही थीं। वित्तीय संसाधनों की तंगी के कारण, राज्य सरकारें चौथी योजना के दौरान दामोदर घाटी निगम के लिए राज्य योजनाओं के भीतर अपने पूंजीगत अंशदान का समंजन करने में असमर्थ हैं। अत: निगम ने जनवरी, 1970 में बिजली सम्बन्धी अपनी पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये दामोदर घाटी निगम अधिनियम के अनुच्छेद 42 के अधीन, भारत सरकार की स्वीकृति लेकर, खुले बाजार से ऋण लेने का निर्णय किया है। जब तक वे ऋण लेने के अपने कार्यक्रम को अन्तिम रूप नहीं दे लेते, केन्द्रीय सरकार ने मार्च, 1970 में दामोदर घाटी निगम को 425 करोड़ रुपये का अल्पकालीन ऋण स्वीकार किया।

हथकरघा उत्पादों का निर्यात

5646. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 और 1969-70 में हथकरघा उत्पादों के निर्यात की तुलनात्मक स्थिति क्या है;

(ख) उक्त अवधि में कितनी शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को अपने हथकरघा उत्पादों के निर्यात से अर्जित हुई आय का अनुपातिक भाग कितना है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) . (क) 1968-69 ... 15.77 करोड़
1969-70 ... 24.69 करोड
(फरवरी, 1970 तक)

(ख) जैसा ऊपर दिया है।

(ग) हथकरघा निर्यातों के आंकड़े राज्यवार नहीं रखे जाते अपितु संपूर्ण देश के लिए रखे जाते हैं।

मनीपुर प्रशासन द्वारा पुराने इंजिनों की खरीद

5647. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में विद्युत् प्रदाय में वृद्धि लाने के लिए मनीपुर प्रशासन कुछ पुराने इंजिन खरीद रही है;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्षमता कितनी है और उनके लिए कितना मूल्य दिया जायेगा; और

(ग) पुराने इंजिनों के स्थान पर नये इंजिन न खरीदने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) 21,85,000 रुपये की कीमत पर सात डीजल उत्पादन सैटों को खरीदने का प्रस्ताव है जिनकी कुल क्षमता 2930 किलोवाट होगी ।

(ग) नए डीजल सैटों को न खरीदने के निम्नलिखित कारण हैं :—

(1) नए सैटों को खरीदने में 16-18 मास लग जाएंगे जबकि पुराने सैट तत्काल उपलब्ध हैं ।

(2) पुराने डीजल सैटों का परीक्षण कर लिया गया है और वे संतोषजनक पाए गए हैं।

1969-70 में संघ राज्य क्षेत्रों में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत

5648. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969-70 में संघ राज्य क्षेत्रों में बिजली की प्रति व्यक्ति कितनी खपत हुई;

(ख) विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों में घरेलू तथा औद्योगिक प्रयोजन के लिये बिजली की प्रति यूनिट दर क्या-क्या है; और

(ग) क्या बिजली की दरें इसकी प्रति यूनिट उत्पादन-लागत से कम हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1969-70 के दौरान संघीय प्रदेशों में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत निम्नलिखित है :

संघीय प्रदेश का नाम	प्रति व्यक्ति खपत, यूनिटों में
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	23
चण्डीगढ़ (पंजाब और हरियाणा के साथ)	14.4
दादरा और नगर हवेली	5
दिल्ली	266
गोआ, दमन और दियु	93
हिमाचल प्रदेश	17
लक्कादिव, मिनिकाय और अमिनदिव द्वीपसमूह	6
मणिपुर	4.4
पांडिचेरी	181
त्रिपुरा	5

(ख) अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी० 3135/70]

(ग) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों, लक्कादिव, मिनिकाय, और अमिनदिवि द्वीप समूहों तथा मणिपुर को छोड़ कर, दूसरे संघीय प्रदेश अपने उत्पादन स्रोतों के अतिरिक्त सहवर्ती बिजली प्रणालियों से बिजली की बल्क सप्लाई लेते हैं । अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों, लक्कादिवि मिनिकाय और अमिनदिवि द्वीपसमूहों तथा मणिपुर के संबंध में, बिजली की औसत दरें सप्लाई की लागत से प्राय: कम ही हैं ।

मनीपुर के बिजली परियोजना प्रभाग के कर्मचारियों की संख्या

5649. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर के बिजली परियोजना प्रभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और 500 रुपये प्रति मासिक से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) उस प्रभाग में नियमित कर्मचारियों और कार्यभारित कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) क्या यह सच है कि परियोजना अधिकारी कर्मचारियों को उनके एकमात्र कार्मिक संघ के सदस्य बनने से रोकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मणिपुर में बिजली परियोजना डिवीजन में इस समय कुल 334 कर्मचारी नियुक्त हैं। इसमें से 328 कर्मचारी 500 रुपये प्रति मास से कम वेतन ले रहे हैं।

(ख) नियमित कर्मचारियों की संख्या 77 है और कार्य प्रभारित कर्मचारियों की संख्या 257 है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सामरिक परमाणु हथियारों का निर्माण

5650. **श्री समर गुह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामरिक अणु बमों की 'खतरनाक' प्रतिक्रिया के लिये विस्फोटणीय यूरेनियम तथा प्लूटोनियम की कम से कम कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है;

(ख) क्या रूस, अमरीका और चीन परमाणु गोले तथा मार्टर आदि सामरिक शस्त्रास्त्रों का निर्माण सामरिक कार्यवाही करने के लिये कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो उनका विभिन्न विवरण क्या है और ऐसे सामरिक परमाणु शस्त्रास्त्रों के निर्माण में परमाणु विस्फोटक की कम से कम कितनी मात्रा का प्रयोग होता है;

(घ) इस सामरिक परमाणु शस्त्रास्त्रों की तुलना में ऐसे ही परम्परागत सामरिक शस्त्रास्त्रों की गोलाबारी की शक्ति तथा विनाशक क्षमता कितनी है; और

(ङ) इन सामरिक परमाणु शस्त्रास्त्रों के विस्फोट के परिणामस्वरूप उत्पन्न रेडियम-धर्मी धूल का क्या प्रभाव पड़ता है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) पूर्णतः सैद्धान्तिक दृष्टि से प्लूटोनियम---239 ग्रेड हथियारों का "क्रिटीकल मास" लगभग 8 किलोग्राम होता है। सामरिक शस्त्रास्त्रों के लिए कोई भिन्न न्यूनतम मात्रा नहीं है।

(ख) से (ङ) पता लगा है कि रूस तथा अमरीका के पास आयुधशालाओं में गोलों तथा मार्टरों

सहित बहुत से परमाणु शस्त्रास्त्र हैं। चीन के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं है, वर्गीकृत जानकारी होने के कारण, ऐसे शस्त्रास्त्रों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

विदेशों में कार्य कर रही भारतीय सांस्कृतिक संस्थायें तथा भारत में ऐसे संगठन

5651. **श्री समर गुह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राजनयिक मिशन अथवा कोई अन्य सरकारी तौर पर संचालित अथवा राजकीय सहायता प्राप्त संस्थायें योरुप तथा एशिया के साम्यवादी देशों और अमरीका में भारतीय सांस्कृतिक संस्थाओं तथा पुस्तकालयों का संचालन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो यह कहां-कहां स्थित हैं और वे किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं;

(ग) साम्यवादी देशों और रूस द्वारा अलग-अलग तथा अमरीका द्वारा भारत में तथा भारत द्वारा उन देशों में चलाए जाने वाले ऐसे सांस्कृतिक संगठनों तथा पुस्तकालयों के सम्बन्ध में तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) राजदूतावासों में पुस्तकालय रखने के अतिरिक्त, इन देशों में भारतीय राजनयिक मिशन, प्रत्यक्ष रूप से कोई सांस्कृतिक संगठन नहीं चला रहे हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Electricity in Kargil, Ladakh

5652. **Shri Kushok Bakula :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that electricity is available in Kargil district in Ladakh for the use of military personnel, but the civilians are deprived of this benefit ; and

(b) if so, the steps being taken by Government to ensure that it is made available to civilians also ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) No Sir. In Kargil district, electricity is being supplied to a few military units from a diesel power station owned by MES. Electricity is also being supplied to the civilian population in the area from another diesel power station owned by the State Government.

(b) For meeting additional power requirements in Kargil and Leh areas, the Stakna Hydel Scheme involving installation of 3240 KW at an estimated cost of Rs. 2.3 crores has been approved for implementation.

विशेष इस्पात का आयात

5653. **श्री फ० गो० सेन** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका, जापान और कुछ अन्य देशों से लगभग 29,000 मीट्रिक टन विशेष इस्पात का आयात करने के क्रयादेश दिये गये हैं;

(ख) यह विशेष इस्पात किस काम में प्रयुक्त किया जायेगा और किन अन्य देशों को यह क्रयादेश दिये गये हैं; और

(ग) इन आयात सौदों में कुल कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त हुई है और रेलवे के माल-डिब्बों, कपड़ा-मशीनों, ट्रान्समिशन (पारेषण) स्तम्भ और उपकरण तथा इस्पात के तैयार ढांचों के निर्यात से कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) जी हां। विभिन्न अभावग्रस्त किस्मों के नरम इस्पात के लिए पश्चिमी जर्मनी, जापान तथा ब्रिटेन के पूर्ति कर्त्ताओं को 29,000 मे० टन के क्रयादेश दिये गये। आयातित इस्पात का प्रयोग निर्यात हेतु इंजीनियरिंग माल के निर्माण के लिए स्वदेशी प्राप्यता में वृद्धि करने के लिए किया जाएगा।

(ग) 29,000 मे० टन आयायित इस्पात का मूल्य लागत बीमा, भाड़ा सहित 4.53 करोड़ रु० होगा।

गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे के माल डिब्बों, कपड़ा मशीनों, ट्रान्समिशन (पारेषण) लाइन स्तम्भों और उपकरण तथा इस्पात के तैयार ढांचों के निर्यात से प्राप्त राशि निम्नलिखित है :—

(लाख रु० में)

उत्पाद	1967-68	1968-69	1969-70 (अप्रैल दिसम्बर)
1. रेलवे सवारी डिब्बे तथा माल डिब्बे	225.91	830.79	9.54
2. कपड़ा मशीनें	65.76	128.00	378.50
3. ट्रान्समिशन (पारेषण) बुर्ज तथा स्तम्भ	124.90	103.41	145.56
4. पी० एस० टैंकों समेत इस्पात ढांचे	44.36	85.64	143.73

Opposition to the proposal for taking over of Import of Industrial Raw Materials

5654. **Shri Ramesh Chandra Vyas** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether some Trade Associations have opposed the proposal of taking over the import trade in respect of industrial raw materials ; and

(b) the reaction of Government in regard thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) and (b) Apprehensions have been expressed by the trade and industry from time to time that state agencies may not be able to import industrial raw materials efficiently. The state agencies are, however, already importing, with increasing efficiency, a number of raw materials from world markets in competition with other buyers and have also been able to distribute them at prices which are fair and equitable. It is, therefore, proposed to increase the role of state agencies in the import of industrial raw materials.

भारत में विदेशी दूतावासों द्वारा व्यय

5655. **श्री जुगल मंडल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास कोई अनुमान है कि भारत में सभी विदेशी दूतावास द्वारा प्रति वर्ष कुल कितनी राशि खर्च की जाती है और यदि हां; तो उसका दूतावास-वार ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : भारत-स्थित सभी विदेशी मिशनों के प्रति वर्ष के खर्च के बारे में जानकारी सुलभ नहीं है । लेकिन, उन्हें जो धन भेजा गया है (जिसमें भारत में अमरीकी प्रतिष्ठान शामिल नहीं हैं) उसका एक बहुत मोटा हिसाब 15.00 करोड़ रुपए बैठता है । भारत-स्थित अमरीकी प्रतिष्ठान अपनी जरूरतों को पी० एल० 480 की निधि से पूरा करते हैं ।

साराभाई मर्क लिमिटेड द्वारा आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग

5656. **श्री जुगल मंडल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को हाल में ऐसी कुछ शिकायतें मिली हैं कि साराभाई मर्क लिमिटेड ने आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) साराभाई मर्क लि० द्वारा आयात लाइसेंसों के दुरुपयोग के सम्बन्ध में कोई शिकायत हाल ही में प्राप्त नहीं हुई है ।

सैनिक अधिकारियों के विदेशी महिलाओं के साथ विवाहों में वृद्धि

5657. **जुगल मंडल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सैनिक अधिकारियों की विदेशी महिलाओं के साथ विवाहों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन अधिकारियों को पत्नियों द्वारा सरकारी सैनिक रहस्यों को प्रकट किये जाने की आशंका का निवारण करने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) विदेशी राष्ट्रिकों से विवाह करने के इच्छुक, सशस्त्र सेनाओं के अफसरों को ऐसे विवाह संपन्न करने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होती है । उन हालतों में यह अनुमति नहीं दी जाती कि जहां ऐसा विश्वास करने के कारण हैं कि सुरक्षा संकट में पड़ जाएगी ।

Retirement Age of Military Officers

5658. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the age of retirement for the high Military Officers is 48 years ;

(b) whether it is also a fact that the age of retirement for other personnel is 58 years; and

(c) if so, the reasons for keeping this difference of 10 years in this respect ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) No, In fact, the age of retirement is 48 years, generally, for officers of lower rank, for example, Majors and Lt-Cols (Time-Scale) in certain Corps in the Army and officers of equivalent rank in the Navy and the Air Force.

(b) The age of retirement of senior officers of and above the rank of Colonel varies from 50 to 58 years. Only the following retire at the age of 58 years or on the expiry of tenure, whichever is earlier :—

(i) Chief of the Army Staff ;

(ii) Chief of the Air Staff ; and

(iii) Vice-Admirals in the Navy.

(c) Different ages of retirement are prescribed keeping in view the requirements of the Service/appointment at different levels.

महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत सिंचाई योजनाएं

5659. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त राज्य सिंचाई आयोग को राज्य से सम्बन्धित सिंचाई योजनाओं की कोई रूपरेखा प्रस्तुत की है ।

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस आयोग ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

व्यास बांध परियोजना के कर्मचारियों को वाहन सम्बन्धी सुविधाएं

5660. **श्री बाल्मीकि चौधरी** : **श्री अदिचन** :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यास बांध परियोजना में कार्य कर रहे कर्मचारी तलवाड़ा शहर से आने तथा जाने के लिए बसों तथा रेलगाड़ियों का निःशुल्क उपयोग कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि व्यास नदी के दूसरी ओर से आने वाले कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं नहीं दी जाती है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या कर्मचारियों को कार्यस्थल पर पहुंचने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार का विचार धमेता गांव से निःशुल्क बस सेवा आरम्भ करने का है ; और

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में संसद सदस्यों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उनकी ठीक-ठीक मांग क्या है और सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) व्यास बांध पर काम कर रहे उन कर्मचारियों के लिए गाड़ियों और बसों पर निःशुल्क सफर करने की सुविधा दी जाती है जो तलवाड़ा टाउनशिप से आते हैं तथा जिन्हें मार्ग में पड़ने वाले स्टेशनों से गाड़ियां पकड़नी होती हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) क्योंकि ग्राम दूर-दूर स्थित हैं और सड़कों की कमी है इस लिए व्यास नदी के दायें किनारे पर बसें ग्रामों से आने वाले सभी कर्मचारियों के लिए बस सेवा की सुविधा देना संभव नहीं है ।

(घ) तथा (ङ) राज्य सभा के एक सदस्य से अनुरोध प्राप्त होने पर धमेटा से एक बस सेवा

की सुविधा देने की संभाव्यता पर छानबीन की गई थी । परियोजना के अधिकारियों ने सूचित किया है कि परियोजना स्थल से धमेटा ग्राम तक कोई उचित पहुंचमार्ग नहीं है और कापर बांध से एक रास्ता जरूर है किन्तु वहां से भी ग्राम तक जाने वाली ऐसी कोई सड़क नहीं है जहां पर मोटरें और जीपें चल सकें । अतः इस समय धमेटा ग्राम से परियोजना स्थल तक बस सेवा चालू करना संभव नहीं है ।

सैनिक प्रशिक्षण के लिए चीन जाने वाले विद्रोही नागाओं की अनुमानित संख्या

5661. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के अनुमान के अनुसार वर्ष 1969–70 में सैनिक प्रशिक्षण के लिए कितने विद्रोह नागा चीन गये हैं ।

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : सरकार के पास सूचना के अनुसार कोई भूमिगत नागा सेविवर्ग 1969–70 के दौरान चीन प्रशिक्षण के लिए नहीं गये :

आयात निर्यात विनियम का उल्लंघन

5662. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में आयात निर्यात विनियमनों के उल्लंघन के कारण मुकदमा चलाने के कोई मामले हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन उल्लंघनों के कारण किन-किन व्यक्तियों और पक्षों को दण्ड दिया गया था ;

(ग) उन पक्षों तथा व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिसके मामले अभी तक अनिर्णीत पड़े हैं और कब से ; और

(घ) ऐसे उल्लंघनों को रोकने तथा उन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

'बी' ट्विल का भंडार

5663. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पटसन मिल संघ के पास 31 जनवरी, 1970 को जो 'बी' ट्विल का भण्डार था, उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त अवधि के पश्चात् महीनेवार, पटसन आयुक्त के कार्यालय में पोतल-दान के लिए पंजीकृत 'बी' ट्विल के बकाया ठेकों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भारतीय पटसन मिल संघ के सदस्य मिलों द्वारा जनवरी-फरवरी, 1970 में निर्मित 'बी' ट्विल के भण्डार का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) जनवरी, 1970 के अन्त में भारतीय पटसन मिल संघ की सदस्य मिलों के पास बी ट्विल का भण्डार (एक मिल के विवरण को छोड़कर) 4141 मे० टन था जिसमें से 1493 मे० टन माल बिक गया और 2648 मे० टन बिना बिका रह गया।

(ग) 1 जून, 1969 से 25 मार्च, 1970 की अवधि में पोत-लदान के लिए बी-ट्विल के 1110 मे० टन की निर्यात संविदाएं रजिस्टर की गई थी जैसा कि नीचे दिखाया गया है :—

जनवरी, 1970	— 15 मे० टन
फरवरी, 1970	— 20 मे० टन
मार्च, 1970	— 8 मे० टन
अप्रैल, 1970	—1049 मे० टन
मई, 1970	— 6 मे० टन
जून, 1970	— 6 मे० टन
जुलाई, 1970	— 6 मे० टन
	1110 मे० टन

(घ) भारतीय पटसन मिल संघ की सदस्य मिलों द्वारा बी-ट्विल का उत्पादन जनवरी, 1970 में 4713 मे० टन था और फरवरी, 1970 में 5979 मे० टन था। इन आंकड़ों में जनवरी माह के लिए एक मिल तथा फरवरी, 1970 के लिए चार मिलों के विवरण शामिल नहीं हैं।

राजकीय व्यापार निगम द्वारा सुपारी और लौंग दिए जाना

5664. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजकीय व्यापार निगम द्वारा सहकारी भण्डारों को सुपारी और लौंग दिये जाते हैं और इनके व्यापार में रुचि लेने वालों को नहीं दिये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन स्टोरों के नाम क्या हैं और वर्ष 1968-69 में इन भण्डारों को अपने-अपने राज्यों में बिक्री के लिये कितनी मात्रा में तथा किस दर पर सुपारी और लौंग दिये गये थे ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) लौंग के वाणिज्यिक आयात राष्ट्रीय मुख्यतः सुस्थापित आयातकों तथा सहकारी भण्डारों को मुख्यतः वितरण के लिए सहकारी उपभोक्ता संघ के माध्यम से किए गये हैं।

(ख) 1968-69 में लौंग तथा सुपारी के वाणिज्यिक आयातों की अनुमति नहीं थी। पहले आयातित लौंग की लघु मात्राओं तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा सीमा शुल्क प्राधिकारियों से लिए गए लौंग तथा सुपारी के जब्त किए गए भण्डारों का निम्नलिखित पक्षों को वितरण किया गया :—

(1) राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लि०, नई दिल्ली।	9. 746 मे० टन, लौंग (35 रु० प्रति किग्रा० की दर पर)
(2) हिमाचल प्रदेश सहकारी विपणन तथा विकास संघ लि०	5.00 मे० टन, लौंग (35 रु० प्रति किग्रा० की दर पर)

हिमाचल प्रदेश राजकीय सहकारी विपणन तथा विकास संघ, शिमला को राज्य व्यापार निगम के लागत मूल्य, पर, जो 4,62,831.82 रु० था, 100.825 मे० टन सुपारी दी गई।

भारतीय समुद्री खाद्य पदार्थ निर्यातक संस्था कोचीन के सचिव से ज्ञापन-पत्र

5665. **श्री इ० के० नायनार :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय समुद्री खाद्य पदार्थ निर्यातक संस्था, कोचीन के सचिव से कोई ज्ञापन-पत्र अथवा याचिका मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) जी हां। अप्रैल, 1970 से जमाई हुई श्रिम्पों का अनिवार्य जीवाणु निरीक्षण लागू करने के बारे में निर्यात निरीक्षण परिषद् के निर्णय के विरोध में उन्होंने एक अभ्यावेदन दिया है और मामला विचारधीन है। इसी बीच 1 जुलाई, 1970 तक यथापूर्व स्थिति रखी जा रही है।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा हस्तशिल्प की वस्तुओं के आयात पर दी गई रियायत

5666. **श्री हिम्मत सिंहका** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने हस्तशिल्प की वस्तुओं के आयात पर कुछ रियायतें देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ;

(ग) इन देशों को हस्तशिल्प की वस्तुओं का अधिकतम निर्यात करके इस रियायत से अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) क्या इन देशों में हस्तशिल्प की विशिष्ट प्रकार की वस्तुएं लोकप्रिय पाई गई हैं और ये वस्तुएं भारत में किन राज्यों में तैयार की जाती हैं और अधिकाधिक संख्या में इन्हें तैयार कराने तथा इसका यूरोपीय आर्थिक समुदाय को निर्यात करने के लिए इन राज्यों को कितनी सहायता दी जा रही है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री : (श्री राम सेवक) (क) जी हां।

(ख) कुल रियायत 50 लाख डालर तक सीमित है जो निःशुल्क रियायत के लिए पात्र 16 मदों में से प्रत्येक के लिए अधिकतम 5 लाख डालर तक होगी।

(ग) इस रियायत का अधिकतम लाभ उठाने के लिए भारत सरकार ने अनेक उपाय किए है। ये उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) इस योजना का विस्तृत प्रचार अखबारों के माध्यम से किया गया है ;

(2) राज्य सरकारों के उद्योग विभागों के माध्यम से व्यापारियों को इस योजना से अवगत किया गया है ;

(3) इन देशों को हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यातकों के नाम दर्ज करने की एक विशेष योजना अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड द्वारा प्रारम्भ की गई है और इस योजना के अन्तर्गत अभी तक 35 निर्यातकों को रजिस्टर किया गया है ;

(4) अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड तथा उसके प्रादेशिक कार्यालयों को यूरोपीय आर्थिक समुदाय देशों को निर्यात किए जाने वाले माल के लिए उद्भव प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है और उन्हें यह कार्य शीघ्रता से करने के लिए सुदृढ़ बनाया गया है ;

(5) अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के डिजाइन विकास केन्द्रों को निदेश दिया गया है कि वे अपने डिजाइन यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में उनकी स्वीकार्यता को देखते हुए तैयार करें ;

(6) मौके पर क्रयादेश प्राप्त करने तथा विपणन अध्ययन करने के लिए समुदाय के देशों को एक बिक्री दल भेजा गया है ;

(7) समुदाय में विभिन्न माल को प्रदर्शित करने के लिए एक चलती-फिरती प्रदर्शनी की योजना बनाई जा रही है ; और

(8) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में वितरण के लिए हस्तशिल्प की वस्तुओं के प्रकार दिखाने हेतु विशेष विवरणिकाएं प्रकाशित की जा रही हैं ।

(घ) जी हां । धातु की कलात्मक वस्तुएं, लकड़ी की नक्काशी तथा हाथ से छपे स्कार्फ इन देशों में अति लोकप्रिय हैं । इन मदों के उत्पादन के मुख्य केन्द्र उत्तर प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, मैसूर, केरल तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, प० बंगाल तथा दिल्ली हैं । यूरोपीय आर्थिक समुदाय को हस्तशिल्प की वस्तुओं का उत्पादन तथा निर्यात अधिकतम करने के उद्देश्य से, हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्माताओं तथा निर्यातकों को निम्नलिखित सहायता दी गई है :—

(1) तांबा, जस्ता, रंजक, वार्निश तथा लैकर जैसे कच्चे माल के लिए विशेष आयात हकदारी;

(2) नये डिजाइनों का संभरण ;

(3) कारीगरों का प्रशिक्षण ;

(4) प्रचार और प्रसार ; तथा

(5) बिक्री दलों को उपदान ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा औषधियों के कच्चे माल के आयात को अपने हाथ में लेना

5667. **श्री रा० बरुआ :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम औषधियों की कीमतों को गिराने के लिए एक उपाय के रूप में औषधियों के कच्चे माल के आयात को अपने हाथ में ले रहा है ;

(ख) क्या औषधियों के आयात को भी राज्य व्यापार निगम द्वारा अपने हाथ में लिए जाने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में किए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग) सरकार की नीति देश के आयात व्यापार में राज्य-अभिकरणों का भाग उत्तरोत्तर बढ़ाने की है । कतिपय औषधों,

मध्यवर्ती पदार्थों और दवाइयों का आयात पहले ही राज्य व्यापार निगम को सौंप दिया गया है। इन मदों की एक सूची संलग्न है।

बिवरण

भारतीय राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात हेतु मार्गीकृत औषधों तथा दवाइयों की मदों की सूची।

1. सल्फाडिमाइडीन
2. एमिडोपाइरीन
3. एनलगिन
4. फेनीबारबाइटोन
5. पिपैरेजिन तथा इसके लवण
6. विटामिन बी 1
7. विटामिन बी 2
8. फोलिक अम्ल
9. क्लोरम्फेनिकाल
10. स्ट्रेप्टोमाइसीन सल्फेट
11. सल्फाथाइजोल
12. सल्फामेथाजीन
13. सल्फाडायाजीन
14. टेट्रामाइक्लीन

इसके अतिरिक्त औषधों के मध्यवर्ती पदार्थों, जैसे साइनो पाइरीडीन और मेट्रो एमिनोफिनोल का आयात भी राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत है।

कमला तटबन्ध का सीसपानी तक विस्तार

5668. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मन्त्री कमला तटबन्ध का सीसपानी तक विस्तार करने के बारे में 18 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3570 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और नेपाल के इंजीनियरों ने ठीक-ठीक कब संयुक्त सर्वेक्षण किया था और प्रस्तावित तटबन्ध के में शीघ्र समझौता करने में इस बीच क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि संयुक्त सर्वेक्षण के पूरा होने के बाद नेपाल सरकार के साथ तटबन्ध सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार-विमर्श अथवा समझौता करने के लिये कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इसके लिये किसे जिम्मेदार ठहराया गया है ; यदि नहीं, तो इस मामले की वास्तविक स्थिति क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) कमला तटबन्ध पीसापानी तक विस्तार से संबंधित प्रस्ताव के लिये जुलाई, 1968 में साझा सर्वेक्षण कर के

सितम्बर, 1968 तक सर्वेक्षण के नक्शे तैयार कर दिये गये थे। बिहार सरकार ने तटबंध की प्रस्तावित मार्ग-रेखा को दर्शाने वाला एक नक्शा तैयार कर के केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को सुझाव के लिये भेजा था और ये सुझाव राज्य सरकार को दिसम्बर, 1968 में दे दिए गए थे। केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के सुझाव के अनुसार मार्ग-रेखा का संशोधित नक्शा अगस्त, 1969 में राज्य सरकार से प्राप्त हुआ था। नेपाल सरकार के साथ परामर्श करके अब एक विस्तृत स्कीम तैयार की जानी है। इस बीच, बिहार सरकार ने कमला एनीकट की नहर के तट बंधों को पक्का करने का एक प्रस्ताव स्वीकार किया है जिन से नेपाल में कमला के उमड़े पानी से सुरक्षा होगी।

रल को कांजीरापुजा और थाजस्सी सिंचाई परियोनाओं के लिये अतिरिक्त सहायता

5669. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कांजीरापुजा और थाजस्सी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) इन परियोजनाओं के लिये केरल को कितनी सहायता दी गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने पंबा और कुट्टियाडी परियोजनाओं के लिये 150 करोड़ रुपये की विशेष सहायता स्वीकार की थी।

अमरीका द्वारा तुर्की के माध्यम से पाकिस्तान को टैंक बेचना

5670. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : **श्री न० कु० सांधी** :

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 मार्च, 1970 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुए इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि अमरीका तुर्की के माध्यम से पाकिस्तान को नाम मात्र मूल्य पर 100 टैंक बेचने की योजना बना रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ख) इस मामले में सरकार का क्या कारवाई करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 3 अप्रैल, 1970 को इस विषय के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर लोकसभा में विदेश मंत्री ने जो वक्तव्य दिया था, कृपया उसे देखें।

पाकिस्तान द्वारा वायु सीमा का अतिक्रमण

5671. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : **श्री न० कु० सांधी** :
श्री रामावतार शर्मा : **श्री लोबो प्रभू** :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के एक विमान ने 17 मार्च 1970 को भारतीय वायु-सीमा का अतिक्रमण किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां । 17 मार्च 1970 को दो पाकिस्तान वायु सेना के विमान 1 बजकर 32 मिनट बाद दोपहर भारतीय सीमा पार कर गये । उसके शीघ्र ही बाद वह उत्तर की ओर मुड़े और पुनः पाकिस्तान भूक्षेत्र में प्रवेश कर गए ।

उसी दिन पाकिस्तान वायु सेना के दो और विमान स्यालकोट के उत्तर-पूर्व की साधारण दिशा में एक बज कर साढ़े छप्पन मिनट बाद दोपहर भारतीय भूक्षेत्र में प्रवेश कर गये । उनका रास्ता दक्षिण की तरफ होते हुए भारतीय भूक्षेत्र में लगभग पांच मील देखा गया । भारतीय आन्तरिक्ष क्षेत्र का उल्लंघन करके यह विमान पुनः पाकिस्तान भूक्षेत्र में प्रवेश कर गए । दो बज कर आधा मिनट पर वह फिर अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पुनः पार कर गए । इन विमानों के साथ लगभग दो बज कर नौ मिनट से दो बज कर 13 मिनट तक भारतीय वायु सेना के चालक दृष्य सम्पर्क डेरा बाबानानक के दक्षिण-पश्चिम में बनाये रहे जिस समय के दौरान विमान पहचान लिए गये कि वह पाकिस्तान वायु सेना के गिराज विमान थे । मिराजों को लांघ रेंज के टैंक फेंकते रहे, रिहीट फेंकते रहे और तेजी से झुक कर पाकिस्तान भूक्षेत्र की ओर देखे गए ।

(ख) पाकिस्तान सरकार को एक कड़ा विरोध-पत्र भेज दिया गया है ।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में हैंगर का टूटना

5672. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में 15 लाख रुपये की लागत का एक हैंगर टूट गया था ;

(ख) क्या इस मामले में जांच के लिये आदेश दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) यह सच है कि हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि० (कानपुर डिवीजन) का एक हैंगर 6 मार्च 197० को गिर गया था । अब तक हैंगर और उसकी सहायक सेवाओं पर उठा खर्च लगभग 12 लाख रुपये है ।

(ख) और (ग) द्रव्यों, कारीगरी और अभिकल्पना कोटि के सम्बन्ध में एक स्वतन्त्र तकनीकी जांच एच० ए० एल० द्वारा कानपुर के इडिण्यन इन्स्टीच्यूट आफ टैकनालोजी के एक विशेषज्ञ को सौंपी गई है । जभी तकनीकी जांच सम्पूर्ण हुई एक औपचारिक इन्क्वावरी की जायगी । सेंट्रल ब्यूरो आफ इन्स्वेस्टीगेशन द्वारा इन्क्वारी प्रगतिशील है ।

आयुध कारखानों में सहायक फोरमैन तथा फोरमैन की पदोन्नति

5673. **श्री हेमराज** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न आयुध कारखानों में कारखानावार कितने-कितने सहायक फोरमैन तथा फोरमैन कार्य कर रहे हैं और उनकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या हैं ;

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति सहायक फोरमैन अथवा फोरमैन के रूप में अपने वेतनक्रमों की अधिकतम सीमा तक पहुंच गये हैं ; और

(ग) क्या उसके व्यापक और बहुमुखी अनुभव को ध्यान में रखते हुये, उनकी अग्रेतर पदोन्नति के लिये कोई प्रतिशतता निर्धारित की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री : (**श्री ल० ना० मिश्र**) (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

कृष्णा गोदावरी अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद सम्बन्धी 'बचावत न्यायाधिकरण'

5674. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृष्णा गोदावरी अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद सम्बन्धी 'बचावत न्यायाधिकरण' के सदस्य कौन-कौन हैं और उसके निर्देश पद क्या हैं और इस मामले की अब क्या स्थिति है ;

(ख) नागार्जुनासागर तथा पोचमपद परियोजना सम्बन्धी विवादों पर न्याय-निर्णय के लिये लगभग कितना समय लगेगा ;

(ग) क्या न्यायाधिकरण द्वारा दिया जाने वाला पंचाट अनिवार्य और अन्तिम होगा; और

(घ) क्या न्यायाधिकरण पहले गोदावरी जल विवाद का न्याय निर्णय करेगा अथवा कृष्णा जल विवाद का ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) कृष्णा और गोदावरी नदियों और उनकी नदी घाटियों से सम्बन्धित जल विवादों के सम्बन्ध में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर और उड़ीसा की राज्य सरकारों से अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33वां) के अनुच्छेद 3 के अधीन प्राप्त उनके अनुरोध कृष्णा गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरणों को निर्दिष्ट कर दिए गये हैं । न्यायाधिकरणों से यह भी अनुरोध किया गया कि वे गोदावरी और कृष्णा के पानी के व्यपवर्तन की संभाव्यता के हक में और उसके खिलाफ राज्य सरकारों के अभ्यावेदनों पर विचार करें । इन न्यायाधिकरणों की बनावट सभी परिवर्तनों समेत, निम्नलिखित है ।

1. श्री जस्टिस आर० एस० वाछावत, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय (सेवा से निवृत हो चुके हैं)	अध्यक्ष
2. श्री जस्टिस शमशेर बहादुर, न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (सेवा से निवृत हो चुके हैं)	सदस्य

3. श्री जस्टिस डी० एम० भंडारी, सदस्य
मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय,
(सेवा से निवृत हो चुके हैं)
न्यायाधिकरणों में सुनवाइयां चल रही हैं ।

(ख) न्यायाधिकरणों ने सूचित किया है कि नागार्जुन सागर और पोचम्पाद परियोजनाओं से सम्बन्धित विवादों के न्याय निर्णयन के लिये उनके पास कोई पृथक और विशिष्ट निर्देश नहीं आया है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) विवाद के संबंध में विभिन्न पक्षों को सुनने के पश्चात् यह निर्णय करना न्यायाधिकरण का काम है कि विवादों का एक साथ निर्णय किया जायगा अथवा एक के पश्चात् दूसरे विवाद का ।

हैदराबाद में अमरीकी वाचनालय का बन्द होना

5675. **श्री एम० नारायण रेड्डी :** **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हैदराबाद में अमरीकी सांस्कृतिक केन्द्र तथा वाचनालय को चालू रखने पर रोक लगाने पर विचार कर रही है ; यदि हां, तो यह कार्यवाही किन परिस्थितियों में की जा रही है ;

(ख) क्या इसके बन्द होने पर विद्यार्थी समुदाय तथा अनुसंधान करने वाले विद्वानों के हितों की रक्षा के लिये इसके स्थान पर सरकार कोई व्यवस्था करेगी ;

(ग) क्या इस केन्द्र को सरकार व्यापक हित में उस्मानिया विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य उपयुक्त शैक्षणिक संस्था को उपहार के रूप में सौंपे जाने की अनुमति देगी ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप जिसके बारे में 26.2.1970 को सदन में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में विस्तारपूर्वक बताया गया था, हैदराबाद में अमरीकी सांस्कृतिक केन्द्र 18 मई, 1970 तक बन्द कर देना होगा ।

(ख) विद्यार्थी समाज और शोधकर्ताओं के हित का मामला एक अलग सवाल है । सरकार का निर्णय विदेशी मिशनों द्वारा संचालित सांस्कृतिक केन्द्रों को समान आय पर नियमित करने से सम्बन्ध रखता है ।

(ग) अगर ऐसा प्रस्ताव कभी किया गया तो सरकार उस पर विचार करेगी ।

सूखे की समस्याओं को हल करने के लिए भारत की बड़ी-बड़ी नदियों को जोड़ना

5676. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखे, अकाल और नौवहन जैसी समस्याओं के सबसे बढ़िया हल के रूप में भारत की बड़ी-बडी नदियों को जोड़ने की क्या कोई निकट भविष्य में गुंजाइश तथा सम्भावना है ;

(ख) कौन-सी नदियों को सुगमता से जोड़ा जा सकता है और नदियों को जोड़ने के कार्य पर अलग-अलग कितनी लागत आने का अनुमान है ;

(ग) क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण और जांच की गई थी, यदि हां; तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार समूचे रूप से देश के हित में इस कार्य को आरम्भ करने का है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) सभी सम्भव प्रतिस्रोत विकास के लिये और अनुस्रोत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित जल की मात्रा के बाद श्री गंगा में बहुत सा पानी मानसून महीनों के दौरान व्यपवर्तन के लिए उपलब्ध होगा । दूसरी ओर, अन्य अधिकतर नदियों में, और विशेषकर प्रायद्वीप में, पानी की मात्रा अपर्याप्त और अनियमित सी है । ये अधिकतर दक्षिण पश्चिमी मानसून पर निर्भर हैं जो कि अक्सर देर से आती है अथवा शीघ्र ही चली जाती है अथवा काफी देर तक आती ही नहीं जिससे ये बेसिन अभाव-ग्रस्त हो जाते हैं ।

अत: गंगा को कावेरी के साथ और आगे जाकर दक्षिण में फीडर नहरों के साथ जोड़कर, राजस्थान और प्रायद्वीप के क्षेत्रों की सिंचाई करने के लिए गंगा के फालतू पानी के कुछ भाग के व्यपवर्तन की सम्भाव्यता की प्रारम्भिक रूप से जांच की गई है । पटना के निकट से मैटूर बांध तक गंगा से निकलने वाली सम्पर्क नहरों को देश के विभिन्न बृहत नदी बेसिनों नामशः सोन, नर्वदा, गोदावरी और कृष्णा तथा पालार, पेन्नार, इत्यादि जैसे छोटे बेसिनों को पार करना पड़ेगा । इन सम्पर्कों के साथ, जल संचय करने के लिए विभिन्न उप-बेसिनों में बहुत से बांधों और बराजों, क्रास-ड्रेनेज कार्यों के साथ, 2000 मील से भी लम्बी नहर, पर्याप्त पम्पिंग केन्द्रों, इत्यादि, के निर्माण की आवश्यकता होगी । इसमें निहित कार्य बहुत अधिक है और इस पर बहुत धन लगाना पड़ेगा । परियोजना की सर्वप्रथम जांच की जाएगी, यदि आवश्यक हुआ तो विविध चरणों में, और इसमें लगभग 10 से 15 वर्ष तक लग सकते हैं ।

निकट भविष्य में केवल कार्यालय अध्ययन ही करने का प्रस्ताव है ।

Violation of Indian Airspace by Pakistani Planes

5677. **Shri Hukam Chand Kachwai** : **Shri Bharat Singh Chauhan** :
Shri Shri Gopal Saboo : **Shri Onkar Lal Berwa** :

Will the Minister of Defence be pleased to state the number of times Indian Air Force planes chased away the Pakistani Planes for violating Indian airspace and the number of Pakistani planes shot down or forced to land during the period from 1st January, 1967 to date ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : During the period from 1st January 1967 to-date Indian Air Force planes were scrambled on 25 occasions to check air intrusions by Pakistani aircraft. One Pakistani plane was shot down on 2nd February, 1967. No Pakistani Plane was forced to land during the above period.

पेंशन बढ़ाने के लिए केरल के पुन: नियोजित भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों से अभ्यावेदन

5678. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार को केरल सरकार सेवा में अन्तिम ग्रेड कर्मचारियों के रूप में पुनः नियोजित किये गये भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें अन्य भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को मंजूर की गयी न्यूनतम पेंशन तक उनकी पेंशन बढ़ाने के बारे में निवेदन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) : जी हां ।

(ख) 200 रुपये मासिक तक पेन्शन पाने वाले पेन्शनरों का 1 सितम्बर 1969 से पेन्शन में 10 रुपये मासिक तदर्थ बढ़ौती प्रदान की गई है ; तदपि यह बढ़ौती उन पेन्शनरों के देय नहीं है जो कि जो सरकारी, नीमसरकारी या राजकीय क्षेत्र के उपकरणों में काम कर रहे हैं, क्योंकि पुर्ननियुक्ति कर उन्हें महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है या उनके समेकित वेतन में महंगाई अंश शामिल है। केरल राज्य सरकार के उन कर्मचारियों से जो भूतपूर्व सैनिक पेन्शनर हैं अपने अभिवेदन में प्रार्थना की थी कि यह तदर्थ वृद्धि उनके लिए भी लागू की जानी चाहिए । चूंकि वह केरल सरकार के अधीन पुर्ननियुक्त हुए हैं, और उन्हें वेतन के साथ महंगाई भत्ता मिल रहा है, सैनिक पेन्शन के अतिरिक्त यह तदर्थ वृद्धि उन्हें देय नहीं है ।

इलैक्ट्रानिक उद्योग का मूल्यांकन करने के लिये इलैक्ट्रानिक सम्बन्धी राष्ट्रीय सम्मेलन

5679. **श्री रा० बरुआ** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इलैक्ट्रानिक समिति के तत्वाधान में हाल ही में इलैक्ट्रानिक सम्बन्धी राष्ट्रीय सम्मेलन इलैक्ट्रानिक उद्योग के मूल्यांकन के बारे में सामान्यतः सहमत हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सम्मेलन ने सभा समिति के प्रतिवेदन पर अमल न किये जाने पर निराशा व्यक्त की थी ; और

(घ) क्या हमारे प्रतिरक्षा दूर संचार के अन्तर्गत इलैक्ट्रानिक उद्योग की प्रगति निराशाजनक है और मूल कच्चे माल के मामले में भारत लक्ष्य से बहुत पीछे है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) 24 मार्च से 28 मार्च 1970 तक बम्बई में आयोजित इलैक्ट्रानिकी पर राष्ट्रीय सम्मेलन में इलैक्ट्रानिकी से सम्बन्धित कई विषयों पर विचार विमर्श किया गया था। भिन्न वक्ताओं द्वारा उदारतापूर्वक विचार प्रकट किये गये थे । बहुमत यह था कि इलैक्ट्रानिकी संघटनों और उपभोक्ता मदों के उत्पादन में गत कुछ वर्षों में भारी वृद्धि हुई है। उपभोक्ता मदों का उत्पादन 1964-65 में 17 करोड़ रुपये से 1969-70 में 63 करोड़ रुपये तक बढ़ा है, और संघटनों का 4 करोड़ रुपये से 28 करोड़ रुपये तक । राशि की परिभाषा में वृद्धि बहुत ही बड़ी है क्योंकि कीमतें जब से भाभा कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तब से 30 प्रतिशत से अधिक नीचे आ गई थीं। निर्यात भी तीन वर्ष हुये कुछ लाख से 1969-70 में 45 लाख रुपये तक बड़ा है । तदपि इस सम्मेलन में इलैक्ट्रानिकी उद्योग के निर्धारण के सम्बन्ध में कोई व्यापक सहमति नहीं हो पाई । विभिन्न वक्ताओं द्वारा प्रकट किये गये विचारों के समग्र विचार पर कमेटी जल्दी ही अपने निष्कर्ष बना लेगी ।

2. कमेटी का एकमत विचार था कि उपभोक्ता इलैक्ट्रानिकी और सघटनों में प्राप्त हुई प्रगति बहुत भारी थी। यद्यपि कुछ डेलिगेटों ने विचार प्रकट किया था कि भाभा कमेटी रिपोर्ट में दी गई कई शिफारिशों का अनुसरन नहीं किया गया था, अन्यों द्वारा यह अस्पष्ट किया गया था कि ऐसा नहीं था और भाभा कमेटी की शिफारिशें प्राय: देश में इलैक्ट्रानिकी उद्योग के विकास के लिये मार्ग दर्शक रेखाएं बन गई थीं, जो इस तथ्य से बिल्कुल स्पष्ट था कि भाभा कमेटी के लक्ष्य जो समय-समय पर बढ़ाये गए थे, पूरे किये जा रहे हैं।

3. रक्षा इलैक्ट्रानिकी क्षेत्र में हुई प्रगति संतोषप्रद रही है, अगर निर्धारन बढ़ी हुई आवश्यकताओं के आधार पर किया जाये। भाभा कमेटी को दिये गये अनुमान बहुत बढ़े-चढ़े थे। बढ़ी-चढ़ी आवश्यकतायें लगभग आधी हैं। रक्षा उत्पादन यूनिटों में तथा अन्तर भी स्थापित उत्पादन प्राय: सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। रक्षा साज-सामानों का उत्पादन पहले ही 1964-65 में 25.30 करोड़ रुपये से 30 करोड़ रुपये तक बढ़ा है। इसके 1974-75 में 60 करोड़ रुपये तक बढ़ने की प्रत्याशा है। अनुसंधान और विकास प्रयास भी काफी बढ़ाया जा रहा है ताकि भविष्य में अधिकतर साज-सामान देशीयत: विकासित ज्ञान की सहायता से उत्पादित किया जाये, कि आत्म-निर्भरता प्राप्त हो जाये। रक्षा इलैक्ट्रानिकी प्रयोगशालों में अनुसंधान और विकास पर खर्च 1967-68 में 1.45 करोड़ रुपये से 1969-70 में 3.11 करोड़ रुपये तक बढ़ गया है।

4. टेलीकम्यूनिकेशन साज-सामान की दशा में समस्त उत्पादन देशीय ज्ञान पर आधारित है। यद्यपि उत्पादन में कुछ कमियां हुई हैं, अतिरिक्त निर्माण सुविधायें कुल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये स्थापित किया जायेगा।

5. मूल खाद्य पदार्थों के सम्बन्ध में आवश्यक पदों के उत्पादन के लिये पग उठाये जा रहे हैं, सिवाय उन पदों के जिनके लिये देश में प्राकृतिक संसाधन प्राप्त नहीं हैं, या जहाँ आवश्यकतायें कम हैं और आर्थिक दृष्टि से लाभकर उत्पादन स्थापित किया नहीं जा सकता। उत्पादन पहले ही 1964-65 में 2.30 करोड़ रुपये से बड़ 1969-70 में पांच करोड़ रुपये तक जा पहुंचा है। 1974-75 तक प्रति वर्ष 14 करोड़ का उत्पादन स्थापित करना आयोजित है।

चौथी योजना में तमिलनाडु के लिये आवंटित राशि में केन्द्र का अंशदान

5680. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में प्रारूप से तामिलनाडु के लिये नियत राशि में केन्द्र का अंशदान कितना था।

(ख) अब तैयार किये गये योजना प्रारूप में कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(ग) क्या कोई कटौती की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) मूल चौथी योजना 1956-71 के लिये केन्द्रीय सहायता के रूप में 250 करोड़ रुपया रेखा गया था।

(ख) 202 करोड़ रुपया।

(ग) जी, हां।

(घ) नई चौथी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सहायता का आवंटन राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा निर्धारित सूत्र के आधार पर किया गया है।

अमरीका को निर्यात बढ़ाने के लिये राजकीय व्यापार निगम को सलाह देने हेतु गठित समिति

5681. **डा० रानेन सेन** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजकीय व्यापार निगम की अमरीका को निर्यात बढ़ाने की परियोजना के सम्बन्ध में निगम को सलाह देने हेतु एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति को सौंपे गये कार्यों का ब्यौरा क्या है और इसे इस काम में कितनी सफलता मिली है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) :(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आयुध कारखानों में हथियारों और गोला बारूद बनाने में धीमी प्रगति

5682. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मन्त्रालय के विभिन्न आयुध कारखानों तथा अन्य निर्माण एकड़ों में हथियारों तथा गोला बारूद की उत्तम किस्मों का विकास करने में बहुत धीमी प्रगति होती रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह धीमी प्रगति मुख्यत: (1) निर्माण कार्यक्रमों के और सहयोगियों के लिये औजारों के नक्शे देर से मिलने (2) आयातित औजारों के देर से मिलने (3) त्रुटिपूर्ण आयोजन करने तथा गलत अनुमान लगाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस आयुध कारखानों के कार्यकरण को सुधारने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) अति ही माफिस्टीकेटिड आयुधों और गोलाबारूद की कुछ मदों की हालत के शिवाए संशोधित किस्मों के आयुधों और गोलाबारूद की निर्माण के लिये आर्डनेंस फैक्टरियों की प्रगति अत्यन्त सन्तोषप्रद रही है। सहयोगियों से आयात औजारों की प्राप्ति में विलम्ब, और अपने काम करने के ढंग में निहित प्रक्रियात्मक विलम्ब के कारण तथा आवश्यक उत्पादन ज्ञान स्थापित करने के लिए, उन मदों के जटिल गुण रूप के कारण भारी समय और प्रयास आवश्यक होने के कारण कुछ विलम्ब हुआ है।

(ग) आर्डनेंस फैक्टरियों का कृत्य निरन्तर सरकार के पुनरीक्षण आधीन रहता है, और समय-समय पर आवश्यक सुधार करने के लिए पग उठाए जाते हैं।

विदेशी दूतावासों के भवनों में स्थिति सूचना केन्द्र

5683. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विदेशी दूतावासों द्वारा चलाए जा रहे सूचना केन्द्रों की संख्या कितनी है ;

(ख) इनमें से कौन-कौन से केन्द्र दूतावासों के अपने भवनों में चल रहे हैं ; और

(ग) किन शर्तों तथा निबन्धनों के अंतर्गत इन केन्द्रों को चलाने की अनुमति दी गई है और उनका कार्य-संचालन किस प्रकार का है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) 11,3,1970 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2469 के उत्तर में भारत में विदेशी राजदूतावासों/हाई कमीशनों तथा विदेशी मिशनों के कोंसली और प्रतिनिधि कार्यालयों की एक सूची सदन की मेज पर रखी जा चुकी है। उन स्थानों को छोड़कर, जहां उनकी राजनयिक अथवा कोंसली मिशन हैं, अमरीकी दूतावास के लखनऊ, पटना, हैदराबाद, बंगलौर और त्रिवेन्द्रम में सांस्कृतिक केन्द्र हैं तथा फ़्रांसीसी राजदूतावास के बंगलौर और हैदरावाद में जिन्हें वे स्वयं चलाते हैं।

(ख) ऊपर 'क' में जिन अमरीकी और फ़्रांसीसी सांस्कृतिक केन्द्रों का उल्लेख किया गया है उनमें से लखनऊ स्थित अमरीकी सांस्कृतिक केन्द्र ही ऐसी इमारत में हैं जो अमरीकी प्राधिकारियों की मिल्कियत है। बाकी सभी किराए की इमारतों में हैं।

(ग) सरकार के उस निर्णय के बारे में जिसमें उसनें विदेशी मिशनों से, ऐसे स्थानों पर स्थिति अपने सभी सांस्कृतिक और सूचना केन्द्रों को बन्द कर देने के लिए कहा है, उनकी राजनयिक कोसंली अथवा व्यापार मिशन नहीं हैं; सदन को 26.2.1970 को इसी विषय पर उठाए गए एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में विस्तारपूर्वक बताया जा चुका है।

कच्चे माल के आयात पर लगाये गये प्रतिबन्ध का लघु उद्योगों पर प्रभाव

5684. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई आयात नीति के अन्तर्गत हाल में लघु उद्योगों के लिये कच्चे माल के आयात पर हाल ही में लगाये गये प्रतिबन्धों के कारण छोटे उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) क्या सरकार ने इन प्रतिबन्धों के कारण लघु उद्योगों पर होने वाले प्रभाव का कोई अनुमान लगाया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) लघु एककों के लिये कच्चे माल के आयात पर हाल में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया। 1970-71 के लिये नई आयात नीति में लघु एककों के लिए अपेक्षाकृत अधिक उदार व्यवहार की व्यवस्था है। लघु उद्योग एककों को, कच्चे माल, अवयवों और फ़ालतू पुर्जों के लिए दिये गये आयात लाइसेंसों का मूल 1968-69 के सम्पूर्ण वर्ष के दौरान 36.72 करोड़ रु० था और उसकी तुलना में 1969-70 (28-2-1970 तक) की अवधि में 51.15 करोड़ रु० मूल्य था।

प्रतिरक्षा विभागों में सिवीलियन स्कूल अध्यापकों को भर्ती के लिए सेवा की शर्तें

5685. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा विभागों में काम कर रहे सिवीलियन स्कूल अध्यापकों को सेवा की किन शर्तों के आधार पर भर्ती किया जाता है;

(ख) क्या इन नियुक्तियों को स्थायी बनाये जाने की सम्भावना है; यदि हां, तो कब । यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन अध्यापकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये भेजा जाता है अथवा उनको इस प्रशिक्षण के प्रवेश लेने की अनुमति है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) जब अर्ह लड़ाका यूनिट शिक्षा प्रशिक्षक प्राप्य नहीं हो उनके स्थान पर असैनिक स्कूल अध्यापक अस्थायी तौर पर रखे जाते हैं । जब प्राप्य हों उनके स्थान पर लड़ाका प्रशिक्षक रखे जाते हैं । उनके वेतन-मान नीचे दिए गए हैं :—

स्नातक तथा उनसे उच्च : 130-5-160-8-200 रुपये-अर्हता कड़ी-8-256 अर्हता कड़ी-8-280-10-300

आर्धस्नातक :—110-3-131-4-155-रुपये-अर्हता कड़ी-4-175-5-180 इसके अतिरिक्त वह रक्षा सेवाओं के अनुमानों से अदायगी किए गए असैनिकों को देय अन्य भत्तों के भी अधिकारी हैं । रक्षा सेवाओं के अनुमानों से अदायगी किए गए स्थायी / अर्ध-स्थाई असैनिक कर्मचारियों के लिए भारत सरकार द्वारा बनाए गए सभी व्यापक नियम उन पर लागू किए जाते हैं ।

(ग) और (घ) अस्थायी, प्रतिबदल होने के नाते असैनिक स्कूल अध्यापकों को व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा जाता । तदपि उन स्थानों पर कि जहां वह सेवा कर रहे हों, वह स्थानीय शिक्षा पाठ्यक्रमों में शामिल होते हैं, और वह सम्बन्धित शिक्षा आधारों के प्रबंधों के अधीन पढ़ाने के ढङ्गों में स्थानीयता प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पाकिस्तान को टैंक सप्लाई करने के बारे में सोवियत संघ का कथित निर्णय

डा० सुशीला नैयर (झांसी) : श्रीमान्, मैं रक्षा-मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"पाकिस्तान को 200 टैंक सप्लाई करने के बारे में सोवियत संघ का हाल ही का कथित निर्णय ।"

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : विभिन्न देशों से हथियार प्राप्त करने के लिये पाकिस्तान

ने जो लगातार प्रयत्न किये हैं, उसके सम्बन्ध में और 1965 से पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं के बढ़ते जमाव के सम्बन्ध में सभा को समय-समय पर सूचना दी जाती रही है ।

पाकिस्तान के पास जो हथियार हैं, उनमें से अधिकांश हथियार उसे संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन से प्राप्त हुए हैं । फरवरी, 1969 से पाकिस्तान को सोवियत संघ से टैंक, 130 मिलीमीटर की तोपें, गोलाबारूद, राडार सैट और अन्य विविध सैन्य सामग्री मिली । हमारी जानकारी के अनुसार कुछ समय पहले पाकिस्तान को सोवियत संघ से लगभग 150 टैंक मिले थे और उसे अभी हाल में टैंक नहीं मिले हैं ।

पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने के बारे में सरकार का दृष्टिकोण, सभा में प्रधान मन्त्री द्वारा पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने सम्बन्धी सोवियत संघ के निर्णय के सम्बन्ध में, 22 जुलाई, 1968 को दिये गये एक वक्तव्य में बताया गया था । सोवियत संघ की सरकार को रक्षा सम्बन्धी अपनी जिम्मेदारियों के बारे में हथियारों की सप्लाई करने से उत्पन्न गम्भीर प्रभाव और उपमहाद्वीप में शान्ति स्थापित करने के लक्ष्य के बारे में बताते समय हमने अपनी ओर से आवश्यक कदम उठाये हैं ।

डा० सुशीला नैयर : कुछ वर्ष पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस आधार पर पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किये थे कि उनका चीन के विरुद्ध प्रयोग किया जायगा । इस समय चीन पाकिस्तान का साथी है, इसलिए रूस के पास इस प्रकार का कोई बहाना नहीं है । क्या इन हथियारों को पाकिस्तान को दिये जाने का उद्देश्य पाकिस्तान को भारत के प्रति अधिक युद्ध-तत्पर बनाने का है अथवा उन हथियारों को पाकिस्तान के जरिये भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रयोग के लिए चोरी छिपे भेजना है ?

यह एक अत्यन्त गम्भीर स्थिति है । मन्त्री महोदय को मालूम ही है कि हम अपनी रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए सोवियत संघ पर अधिकाधिक आश्रित होते जा रहे हैं । सोवियत संघ के रुख और उसकी नीति में परिवर्तन से हमारे देश की सुरक्षा पर किस अंश में प्रभाव पड़ेगा इस बारे में मन्त्री जी स्थिति स्पष्ट करें ।

मन्त्री महोदय ने यह भी कहा है कि हमने आवश्यक उपाय किये हैं । लेकिन वे उपाय क्या हैं जो सरकार ने देश की सुरक्षा के लिये किये हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई से उत्पन्न होने वाले परिणामों से सोवियत संघ पूर्णतः अवगत है । विभिन्न अवसरों पर पाकिस्तान सरकार के वक्तव्यों से पता चलता है कि केवल भारत ही उसका शत्रु है । अतः किसी भी स्रोत से पाकिस्तान को हथियार मिलें, वह हमारे लिए चिन्ता का विषय है ।

जहां तक पाकिस्तान के जरिये भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को हथियार सप्लाई किये जाने की आशंका का प्रश्न है, उसकी सम्भावना नहीं है । मूल प्रश्न टैंकों के बारे में है और कम्युनिस्ट पार्टी को टैंक आसानी से सप्लाई नहीं किये जा सकते ।

पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य शक्ति का हमें पूर्ण ध्यान रखना होगा । अगर वह अधिक टैंकों

का संग्रह करता है, तो हमें भी स्वयं निर्माण कर के अथवा दूसरे देशों से खरीद कर अधिक टैंकों का संग्रह करना होगा ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : प्रत्येक राष्ट्र अपनी नीतियों का निर्धारण राष्ट्र-हित को ध्यान में रखकर करता है । पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने के सोवियत संघ के उक्त निर्णय से उसकी नीति में परिवर्तन का द्योतक है ।

क्या यह सच है कि सोवियत संघ भी संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करके पाकिस्तान के द्वारा भारत के प्रति सैनिक प्रतिसंतुलन कायम करने का प्रयास कर रहा है ?

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यह भी सच है कि भारत की सैनिक शक्ति में हुई वृद्धि पाकिस्तान की सैनिक शक्ति में हुई वृद्धि से बहुत पीछे है । ताशकन्द समझौते के बाद पाकिस्तान ने अपनी सशस्त्र डिवीजनें 6 से बढ़ाकर 13 और बख्तरबन्द डिवीजनों की संख्या 1 से बढ़ाकर 2½ कर ली है । पाकिस्तान के पास हमारी अपेक्षा अधिक टैंक हैं । क्या टैंक फैक्टरी में दूसरी पाली में कार्य करके टैंकों का उत्पादन बढ़ाने का सरकार का विचार है ?

मेरा अन्तिम प्रश्न यह है कि क्या सरकार सुरक्षा के मामले में सोवियत संघ पर आश्रित होना छोड़कर आत्म-निर्भर होने का प्रयास करेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह कहना सही नहीं कि पाकिस्तान को इसलिए हथियार सप्लाई किये जा रहे हैं जिससे भारत शक्तिशाली न हो और सैनिक सन्तुलन कायम रहे । सदस्य महोदय का यह आरोप भी सही नहीं है कि हम प्रतिरक्षा के मामले में रूस पर बहुत अधिक आश्रित हो रहे हैं । हम अपने को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिये किसी भी देश से मदद लेने को तैयार हैं । यह कहना भी पूरी तरह गलत है कि पाकिस्तान के पास हमारी अपेक्षा अधिक टैंक हैं ।

सैनिक संतुलन की बात भी असंगत है; क्योंकि केवल पाकिस्तान ही हमारा प्रतिरोधी नहीं है । हमें किसी भी भावी सम्मिलित आक्रमण के विरुद्ध सजग और तत्पर रहना है ।

तीसरा प्रश्न घावडी टैंक फैक्टरी के बारे में है । हम उत्पादन बढ़ाने के लिये हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं । मुझे प्रसन्नता है कि इस वर्ष टैंक फैक्टरी का कार्य काफी हद तक अच्छा रहा ।

देश में ही युद्ध सामग्री का निर्माण करने के बारे में हम काफी सफल हुए हैं और आत्म-निर्भरता के लक्ष्य की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं ।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : कुछ समय पूर्व समाचारपत्रों में यह प्रकाशित हुआ था कि मन्त्री महोदय की सोवियत-संघ की यात्रा सफल रही । क्या उनकी यात्रा के परिणामस्वरूप ही पाकिस्तान को टैंकों की सप्लाई की गई ? पाकिस्तान को टैंकों और अन्य घातक हथियारों की सप्लाई के बारे में हमारे दूतावास ने सूचना क्यों नहीं दी ? इस प्रकार की सप्लाई को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य का इस प्रकार प्रश्न पूछना अत्यधिक अनुचित है । क्या मैं

पाकिस्तान को टैंकों की सप्लाई की व्यवस्था करने के लिए रूस गया था ? यह सर्वविदित है कि हमारे प्रयासों के बावजूद, रूस पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई कर रहा है ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालौर) : यह स्वीकार किया जा चुका है कि संयुक्त राज्य अमेरिका तुर्की को 100 टैंकों की सप्लाई करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है । अब सोवियत संघ द्वारा पाकिस्तान को 200 टैंकों की सप्लाई किये जाने का प्रस्ताव है । पाकिस्तान सोवियत रूस, अमेरिका, चीन, नाटो और फ्रान्स सभी स्रोतों से हथियार प्राप्त करने में सफल रहा है, जबकि हम इतने कमजोर समझे जाते हैं कि रूस हमारे विरोध और आपत्ति की कोई परवाह ही नहीं करता । सरकार सोवियत संघ के विरुद्ध क्या जवाबी कार्यवाही करने की सोच रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सच है कि पाकिस्तान ने अनेक देशों से हथियार प्राप्त किये हैं, परन्तु हम भी अनेक देशों से हथियार प्राप्त करने में सफल हुए हैं । यह एक कटु सत्य है कि न तो हम किसी देश को पाकिस्तान को हथियार बेचने से रोक सकते हैं और न पाकिस्तान ही किसी देश को हमें हथियार बेचे जाने पर रोक लगा सकता है । इसलिए मुख्य प्रश्न है हथियारों का निर्माण करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए संसाधनों के होने का और संसाधनों पर ही भारत की शक्ति का निर्धारण होगा ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : श्रीमान् जी, सरकार की विदेश नीति की कमजोरी का इससे पता चलता है कि सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही यह बात जानते हुए भी पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं कि इनका भारत के विरुद्ध प्रयोग किया जायगा । सोवियत रूस ने क्षुद्र स्वार्थ के लिए मित्रता और राजनैतिक शिष्टाचार को ताक पर रख दिया है । रूस की नीति में कितना विरोधाभास है कि एक ओर तो वह भारत के आर्थिक विकास के लिए सहायता देता है, तो दूसरी ओर भारत के विरुद्ध प्रयोग किये जाने के लिए पाकिस्तान को युद्ध सामग्री और लड़ाकू विमान देता है । मुझे याद है कि 1963 में चीनी आक्रमण के समय रूस ने भारत की मदद करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी और यह भी कहा था कि अगर भारत ने अमेरिका से हथियार प्राप्त किये, तो वह शत्रुतापूर्ण कार्यवाही होगी ।

रूस का रवैया तो उस प्रकार के व्यक्ति का है जो पहले तो किसी व्यक्ति को डूबते हुये देखता रहे परन्तु जब उसे किनारा मिल जाये तो उसकी सहायता के लिए दौड़ना शुरू कर दें ।

क्या भारत रूस के प्रति अपनी नीति में कोई आधार भूत परिवर्तन करेगा ? भारत को यह बता देना चाहिये कि वह उसकी इच्छाओं का दास बनकर नहीं रहेगा । क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि भारत ने रूस द्वारा पाकिस्तान को शस्त्र देने के सम्बन्ध में जो पहले विरोध पत्र भेजे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है ? क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य कि जो टैंक तैयार किये जा रहे हैं उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके साथ जो तोपें प्रयोग की जाती हैं उनका उत्पादन टैंकों से कम ही रहा है ।

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : हमारे पास काफी मात्रा में तोपें हैं और बहुत सी तोपें टैंकों पर लगाई भी जा चुकी हैं । इसके प्रश्न में कोई जान नहीं है, मैं (1) और (2) दोनों का उत्तर ''न'' में ही देता हूं ।

श्री म० कुण्डू : (बालासौर) : प्रश्न यह था कि 150 टैंकों की फायर शक्ति क्या है ?

श्री नाथपाई : (राजापुर): टैंक किस प्रकार के हैं, छोटे, मध्यम या अन्य किसी प्रकार के ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह टैंक टी० यू० 54 और टी० यू०–55 हैं ।

पटेल चौक पर पुलिस द्वारा लाठी चलाने से घायल हुए लोगों के बारे में

RE : PERSONS INJURED IN POLICE LATHI CHARGE AT PATEL CHOWK

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी): क्या गृह मन्त्री उन संसद सदस्यों के स्वास्थ्य के विषय में कुछ बतायेंगे जो 6 तारीख को घायल हुये थे ?

गृह मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : श्री बिहारी जिनकी मृत्यु 7 मार्च को प्रात: 2 बजकर 15 मिनट पर हुई, उसकी शव-परीक्षा रिपोर्ट आ गई है । मृत्यु का कारण सिर की गहरी चोट समझी जाती है । प्रामाणिक पड़ताल का कार्य जिला न्यायधीश दिल्ली द्वारा किया जा रहा है । अस्पताल में दाखिल तीन संसद सदस्यों यथा श्री जार्ज फरनेन्डीज, श्री भदौरिया और श्री राजनरायण की हालत भी सुधर रही है । 30 लापता व्यक्ति की सूची दिल्ली पुलिस के पास पहुंच गई है और उन्हें ढूंढने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : अखबारों में लिखा गया है कि पुलिस ने केवल बेंतों का प्रयोग किया । तो फिर क्या सिर का घाव बेत मारने से लगे ? क्या बेंत से ही श्री जार्ज फरनेन्डीज का सिर फोड़ा गया और बेंत से ही श्री राज नरायण के पांव की हड्डी तोड़ी गई ? क्या किसी अन्य शस्त्र का प्रयोग नहीं किया गया ? डिप्टी कमिश्नर ने अपने वक्तव्य में यही कहा है कि केवल बेंतों का प्रयोग किया गया ।

गृह-मन्त्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : डिप्टी कमिश्नर का वक्तव्य भी तो न्यायिक जांच के समक्ष आ जायेगा ।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : While giving details of the death, it has been said by the Home Minister that a Judicial Enquiry is being set up. May I know when this enquiry is being set up and if Judicial Enquiry is to be set up what is the use of setting magisterial inquest ? Public as well as Press reporters are being unnecessarily harassed by police. What is the fun of appointing the Judicial Enquiry if the officers concerned are not suspended or transferred ? Shri Limaye has already written you a letter on this issue. I wish that the Government should clearly state its policy to the House.

श्री नाथ-पाई (राजापुर) : जब गृह मन्त्री ने यह बात स्वीकार की है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण था तब प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा और अनेक मामले क्यों चलाये जा रहे हैं ? यह कुछ असाधारण सी बात है । हम मांग करते है कि सरकार इन मामलों को वापस लेकर उन व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाये जो चाहते थे कि श्री जार्ज फरनेन्डीज श्री हत्या कर दी जाये । उन पर धारा 302 के अन्तर्गत जानबूझ कर हत्या करने का अभियोग चलाया जाना चाहिये । यह कोई कठिन कार्य नहीं है क्योंकि जो व्यक्ति उस समय ड्यूटी पर थे उन्हें बड़ी आसानी से समझाया जा सकता है । न्यायिक

जांच की बात तो बाद में होती रहेगी पहले हम यह जानना चाहते हैं कि गृह मन्त्री इस सम्बन्ध में क्या कर रहे है ?

Shri Gunanand Thakur (Saharsa) : The Home Minister has given certain information to the House regarding injured M. Ps. He has not given any information about the M. L. As and other party members whose condition is very serious. I would like to know the number of persons who have been admitted in the Hospital.

श्री यशवन्त राव चह्वाण : शव-परीक्षा 2 बजे पूरी हो गई थी । शव को सौंपने में स्वभावतः कुछ समय लगा । इस सम्बन्ध में दो बातें बाधक बनी । शव-परीक्षा पूरी होने के बाद तत्काल मजिस्ट्रेट का, जिसके कार्यभार में जांच का कार्य था, जाना, शव देखना और शव की दशा को नोट करना आवश्यक था, क्योंकि आखिरकार उसे कुछ विचार व्यक्त करने होंगे । इस में समय लगना स्वाभाविक ही था । यही इस देरी का कारण है ।

इसके बाद लाउडस्पीकर से सम्बंधित लोगों पर दबाव डालने का मामला है । निस्सन्देह मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा और इन तथ्यों को सभा के समक्ष पेश करूंगा । इस सम्बन्ध में सदन में मेरे आते ही मुझे श्री नाथपाई ने एक पत्र भी दिया ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी (गौंडा) : जब न्यायिक जांच का आदेश दिया जा रहा है तो फिर घटना से सम्बद्ध जिला न्यायाधीश, पुलिस अधीक्षक आदि अधिकारियों का अपने पदों पर बने रहना कहां तक ठीक है । वह तो अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को बचाने का प्रयत्न करेंगे । पहले उन्हें बदल दिया जाना चाहिये ।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं इस बात पर भी विचार करूंगा । जहां तक जांच का सम्बन्ध है, पुलिस और अन्य अधिकारी जो जांच कार्य कर रहे हैं, जांच कार्य करते रहेंगे । कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता । अधिकारियों पर लाठी चार्ज करवाने से सीधा सम्बन्ध है उन्हें तबदील करने पर विचार किया जायेगा । मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श करके जल्दी ही उच्चन्यायालय के न्यायाधीश को जांच के लिए नियुक्त किया जा रहा है ।

Shri Janeshwar Misra (Phulpur): Mr. Speaker, Hon. Minister is misleading the House. The post-mortem was completed by 12 O'clock and Magistrate Ashok Kapoor came to prepare the report at 4.30 p. m. What happened during these 4 hours ? We were further harassed for one hour before dead body was handed over to us.

श्री यशवन्त राव चह्वाण : शव-परीक्षा चाहे 12 बजे ही समाप्त हो गई हो परन्तु उसकी रिपोर्ट 2 बजे ही मिली । मैं माननीय सदस्यों की चिंता से पूर्णतया परिचित हूं और मैं विषय से सम्बद्ध सम्पूर्ण कार्य जल्दी से जल्दी करूंगा ताकि किसी को सशंय का अवसर न मिले ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

Notification re : Bengal Nagpur Cotton Mills, Rajnandgaon and Annual Administrative Report of Tea Board for the year 1968-69. The Deputy Minister in the Ministry of

Foreign Trade. (**Shri Ram Sewak** : I beg to lay on the Table a copy of Notification No. S. O. 1098 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 17th March, 1970 regarding management of the Bengal Nagpur Cotton Mills Limited, Rajnandgaon, under sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

(Placed in the Library See No. LT 3129-70). A copy of the Annual Administration Report of the Tea Board for the year 1968-69 (placed in the Library See No. LT 3130-70).

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE—NINETY FIFTH REPORT

Shri Atal Behari Vajpayee (Balrampur) : I present the Ninety-fifth Report of the Public Accounts Committee on action taken by Government on the recommendations contained in their Seventy-second Report relating to Customs and Union Excise.

उसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 30 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till thirty minutes past fourteen of the clock.

लोकसभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बलकर 34 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok-Sabha re-assembled after Lunch at thirty four minutes past fourteen of the clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये

Mr. Deputy Speaker in the Chair.

अनुदानों की मांग—1970-71

DEMANDS FOR GRANTS—1970-71

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय—जारी

Shri S. M. Joshi (Poona) : A lot has been said by the Members about our foreign policy. The basic principle of foreign policy i. e. non-alignment has been accepted and appreciated by majority of members. The only weakness is that we are hearing this policy. We had accepted this policy even before independence and late Dr. Ram Manohar Lohia used to be a member of Foreign Affairs Committee of A. I. C. C. This policy continued even after independence.

It is very common for the human beings to think of peace after they have seen the devastation of war and after peace endures for a long time they would create tension leading to wars. After the first World War League of Nations was formed. After second World War, another peace-organisation named United Nations Organisation was born. But now again the world is drifting into power groups. After independence India decided not to join any power group and remain neutral.

The small nations like Yugoslavia, Ceylon and Burma may be allowed to keep their identity and talent so that development could be possible. This is possible only when there

is peace in the world and for that we had adopted the policy of non-alignment. But this policy proved failure to some extent. In 1962 when China attacked our country, then Pandit Jawahar Lal Nehru also realised the position and some changes were made in foreign policy. Before Chinese aggression, India had a great respect in the world, but we lost the same as we had not made much progress as was desired. I came to kuow that Soviet Union had supplied tanks to Pakistan. We shall have to think that when Soviet Union is a friend of India, then why military assistance is being provided to Pakistan. The reason is that Soviet Union is also having its own national and international policy. Although we are not aligned to either of the blocs, the Soviet Union follow their own foreign policy. It is a fact that we had no power to protect small nations and to fill up the vacuum.

The Government is asked again and again to tell us about our war preparations and every time the Hon. Minister replies that they are fully prepared. I also feel that consultative Committee on Foreign Affairs is not having much utility. In place of this, there should be a committee of the leaders of Political Parties, so that such matters could be considered which cannot be discussed in the House. It is said that Tashkent Declaration should be implemented with all faith to which I fully agree, because it has become necessary to improve our position in the national and international fields. We love peace but at the same time we must try to strengthen our position in the field of defence. So far as Pakistan is concerned, we should try to establish friendly and cordial relations with the people of that country. There is nothing wrong in it, if we take initiative in this respect. Besides this, we should also be prepared from the military point of view, so that we are able to counteract any aggression by Pakistan. On the other side, we will have to become practical and adopt such a policy which is beneficial for our people and our country. Some people say that the visit of Abdul Ghaffar Khan to India had no use. But I feel we gained from his visit as he will tell the people of Pakistan that there are many people living in India keeping the same view point as they have.

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के प्रतिवेदन से सरकार की कुछ मुख्य समस्याओं का पता चलता है । इससे जो विश्लेषण किया गया है वह अप्रत्यक्ष और भ्रम को उत्पन्न करता है । विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा गत वर्ष में की गई यात्राओं की संख्या लगभग 43 है । रवात सम्मेलन के शिष्टमण्डल का गठन किस तरह हुआ, यह सब को मालूम है ।

मास्को में हमारे राजदूतावास पर भारी व्यय हो रहा है और वहां के राजदूत अपना अधिकांश समय श्रीनगर की राजनैतिक गतिविधियों पर व्यतीत करते हैं । यदि वह अपने पद से अनुपस्थिति रहते हैं तो निस्सन्देह हमें संकट का सामना करने पड़ेगा ।

जैसा मैंने पहले ही कहा है कि श्री दिनेश सिंह अपने मन्त्रालय के कार्य-संचालन में रुचि नहीं ले रहे हैं । राजदूतों की नियुक्ति मनमाने ढंग से की जाती है । जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय अभी अपरिपक्व अवस्था में है यद्यपि वहां उप-कुलपति के रूप में कोई विदेश-कार्य मन्त्रालय के सेवा-निवृत्त पदाधिकारी कार्य कर रहे हैं ।

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के प्रतिवेदन में वियतनाम के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है, लेकिन उसमें वियतनाम समस्या के प्रति भारत सरकार के रवैये का स्पष्ट रूप से विश्लेषण नहीं किया गया है । जब पेरिस में बातचीत हुई, तो वियतनाम के समाधान की सम्भावना की स्थिति बढ़ी हुई दिखाई देने लगी । लेकिन बातचीत के भङ्ग हो जाने के बाद वियतनाम में युद्ध की ज्वाला फिर से भड़क उठी है । क्या भारत को इस अप्रिय दृश्य को मौन दर्शक के रूप में देखते रहना

चाहिए ? भारत को वहां से सभी विदेशी सेनाओं को, चाहे अमरीकी हों अथवा चीनी, हटा लेने के लिये कहना चाहिये ।

हनोई में अपने राजनयिक प्रतिनिधित्व को हम राजदूत का पद देने जा रहे हैं जिसका दक्षिण वियतनाम से विरोध हो रहा है क्योंकि 4000 भारतीय वहां बसे हुए हैं जबकि उत्तरी वियतनाम में भारतीयों की संख्या नगण्य है ।

मानव की चन्द्र विजय से कुछ आशा बंधती है लेकिन इससे विश्व में राजनीतिक चिन्तन के धरातल पर कोई असर नहीं पड़ा है ।

कम्बोदिया के सम्बन्ध में स्थिति जो भी हो और जो भी वहां सत्तारूढ़ हो, चाहे दक्षिणपन्थी हो चाहे वामपन्थी हो, हमें यह विश्लेषण करना चाहिये और देखना चाहिये कि यदि वह जनता का राज्य है, तो हमें इसका समर्थन करना चाहिये ।

हमारी विदेश नीति एक या दूसरे गुट के प्रति किसी भी भावात्मक अथवा मनोवैज्ञानिक आधार से प्रभावित नहीं होनी चाहिये । यदि वियतनाम में अमरीकी हस्तक्षेप निंदनीय है, तो रूस तथा वारसा समझौते के देशों द्वारा चेकोस्लोवाकिया पर बल प्रयोग भी समान रूप से निंदनीय है । लेकिन होता क्या है कि हम एक की निंदा करते हैं तो दूसरे की उपेक्षा कर देते हैं । वस्तुतः हमारी विदेशी-नीति को गुट-निरपेक्ष और तटस्थ होना चाहिए ।

रोडेशिया में जातीय हिंसा का वातावरण फैला हुआ है । हम जातिभेद के विरोधी हैं; ऐसा कहने से कोई लाभ नहीं होने वाला है । इस सम्बन्ध में हमें अनिवार्य रूप से कुछ करना चाहिये, ताकि संसार को जाति भेद से छुटकारा मिल सके । हमारे प्रधानमन्त्री द्वारा ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री को कह देना चाहिये कि यदि वे रोडेशिया के गैर-कानूनी शासन के विरुद्ध बल प्रयोग नहीं करेंगे तो हम राष्ट्रमण्डल से निकल आयेंगे । राष्ट्रमण्डल में बने रहने से हमें कौन सा लाभ हो रहा है । मंत्रालय के प्रतिवेदन में अरब-इजरायल झगड़े के सम्बन्ध में एक महान विचार की अभिव्यक्ति की गई है कि विजेता को आक्रमण द्वारा प्राप्त लाभों को उठाने की अनुमति नहीं देनी चाहिये । परन्तु चीन तथा पाकिस्तान में आक्रमण द्वारा जो लाभ प्राप्त किये हैं, उनके सम्बन्ध में हमारी सरकार की स्थिति क्या है ? चीन ने हमारे मूल्यवान क्षेत्र के 14,500 वर्गमील पर अधिकार किया हुआ है और हम उसे आक्रमण द्वारा प्राप्त लाभ उठाने की अनुमति दे रहे हैं । इस तरह की दोहरी नीति अपनाने से कोई लाभ नहीं पहुंचने वाला है । विदेशी-नीति हमारे राष्ट्रीय हितों का आवश्यक अग होनी चाहिए ।

हमें पता है कि चीन हमारा कितना विरोधी है । वह नागा विरोधी है । वह नागा विरोधियों को शस्त्र तथा युद्ध सामग्री की सहायता कर रहा है । चीन के सिंकियांग को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, गिलगत के साथ मिलाने के लिए सड़क और अकसाई चीन से परे लद्दाख को मिलाने वाली सैनिक सड़क बना रहा है । इन दोनों सड़कों के बन जाने के कारण दोनों तरफ से पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण करना आसान हो जायेगा । पाकिस्तान भी दुराग्रही है । पर हमारी सदा उस पर कृपा दृष्टि ही रही है । सिन्धु जल सन्धि के अनुसार हमने पाकिस्तान को जो कुछ धन देना था, न केवल वह हमने उसे दे दिया है, अपितु हम 20 लाख एकड़ फुट जल भी उन्हें देने को तैयार हैं ।

लेकिन बदल में वह आंखें दिखाता है और कृतघ्नता के भाव देखने को मिलते हैं। इस देश में कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि कश्मीर समस्या का एक बार समाधान हो जाये तो भारत और पाकिस्तान के बीच मित्रता और शान्ति स्थापित हो सकती है। लेकिन यह एक स्वप्न प्रतीत होता है।

कुछ लोग ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि ताशकन्द घोषणा ने भारत और पाकिस्तान के मध्य शान्तिपूर्ण सम्बन्धों का एक नया अध्याय आरम्भ किया है। हम ताशकन्द घोषणा की पूरी व्यवस्थाओं को पूर्ण विश्वास तथा पूरी तरह लागू करते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इसका उल्लंघन करता रहा है। जब हमने श्री कोसीगन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया, जिन्होंने उस सम्मेलन की प्रधानता की थी, तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया। द्विपक्षी समझौते को एक पक्ष कैसे लागू कर सकता है।

Shri Chandra Jeet Yadav (Azamgarh): It is a matter of pleasure that all the sections of this House have suggested that our relations with our neighbourly countries should be strengthened and there should be cooperation between the two countries. I am also glad to note that the Government have taken some steps to improve our relations with the neighbourly countries of Asia. We should also give importance to a small country like Nepal because every country has to play its own role in the field of friendship. Our policy is that all countries should be treated alike and no distinction should be made on the basis of population or area of a country. We are trying to develop our friendly relations on this basis especially with foreign countries.

Our relations with China and Pakistan are a matter of concern for us. We thought China as our friend and tried our level best to establish friendly relations with her but China did not pay any heed to our efforts. Instead China attacked our country and occupied forcibly a large area of our land. We never said that we do not want to have friendship with China. So far territorial disputes are concerned, we always believe in compromise through discussion. But China had not shown any interest or made any proposal in this regard.

We always tried to have good relations with Pakistan and until we solve all the problems with peaceful methods, the Kashmir problem will be drawing the attention of the world. We hope that the leaders of Pakistan will realise the honesty of our Government for taking some steps to solve that problem in this direction. We hope that the efforts made by India will bring fruits and a day will come when Pakistan will understand that she can no more live without making friendly relations with India.

The situation in Cambodia, Vietnam and Laos is very explosive and at any moment it can take the shape of World War. We should be very alert towards these incidents and should try to avoid the War. A conference of Asian countries should be called in New Delhi to discuss the situation arising in South East Asian countries. All the nations should impress upon the United Nations Organisation that it may be declared on the occasion of Silver Jubilee year of U. N. O. that no foreign military forces should remain in any other country of the world. We should establish diplomatic relations with Vietnam and send our Ambassador there.

We should recognise East Germany without any delay and we should also send there our trade representative.

Our friendship with Russia has also been criticized. The elements who are against socialism and also against progressive policy of our country, desire to spoil our relation-

ship with Russia and do not want that India should strengthen herself socially or should prosper.

For the last twenty years we have been keeping friendly relations with Russia. This relation is not only in the interest of these two nations but in the interest of the whole world We have carved out our foreign policy on a broad basis and in a proper perspective. This broad minded approach to world problems is as a continuation of our policy which we had adopted in the pre-independent era. From that time onwards we have been protesting against the black deeds of imperialism wherever it raises its head. Our great leaders—Mahatma Gandhi, Jawahar Lal Nehru—have endeavoured to weed out the imperialism. Even now in some parts of the world the monster of imperialism has endangered the prosperity, territorial integrity and independent existence of various countries. We have to resist this development with all our might. We have to play a not less important part in the international affairs in the coming years. We have to improve our relations with our friendly nations and if any body sheds thorn in the path of our friendship, we must clear our path. I hope our foreign policy, its basic ideals, will become more effective and create faith and confidence in the various countries. We want security for all less powerful countries from the intervention of big powers. In this direction also, we must play effective role.

Shri Abdul Gani Dar (Gurgaon) : Immediately after independence, and after Pakistan seceded from India, Shri Nehru announced in the A. I. C. C. the decision of India to be a member of Commonwealth. We could not like it. After some years, again, he delivered Tibet to Mao-tse-tung. Then we clearly realised the impending danger that India was going to face.

Shri Jawahar Lal Nehru had formulated a foreign policy the base of which was non-alignment. When in Vietnam the Americans started launching their military operation, we condemned the attack. But when Hungary was attacked we kept mum. Similarly, recently when Czeckoslovakia was attacked by Russia, Our Prime Minister did not and could not condemn it. This is the nature of our foreign policy.

I do not want to trace the whole history of how Pakistan was created. But one thing remains a bare fact. I had written to Jinnah and Nawab Mamdouth drawing their attention towards the fact that if Sikh women would be molested and raped in Pakistan, the same, perhaps more intensively, could take place in India on crores of Muslim women. But my request was turned down. Today East Pakistan is under the grip of violent riots. What Mr. Jyoti Basu is doing in West Bengal, the same is happening in East Pakistan. Jyoti Basu, Mujibur Rahman, Bhasani are talking the same thing. If we are clinging to our non-alignment policy, I am afraid what will happen to this country. If this non-alignment policy only helps in creating a separate Bengal, or formation of a Muslim Empire in Kashmir with the help of Pakistan, we no more want this policy. When China and Pakistan attacked our country no nation was even prepared to call it an attack.

Now-a-days what is going on in this country ? Muslims are branded as treacherous. Recently Shri Raj Narayan, Madhu Limaye, Shri George Fernandes were severely beaten up. This was done because the Prime Minister and her communist friends acted according to the direction of Soviet Russia. Mr. Chavan may not be aware of this fact. It is the result of our puny foreign policy that Russia intervenes in the internal affairs of this country. The Foreign Minister does not know what is happening. The message directly comes to the hands of Ms. Indira Gandhi. But if the Prime Minister is leaning towards Russia, let her do that boldly. Let the Government resort to that path boldly. I have no objection. But it is essential that Govt. should join one of the power blocks otherwise he would be helpless.

श्री कृष्ण मेनन (मिदनापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हम अपने देश के भविष्य पर प्रभाव जमाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय संघर्षों, अभियानों की उपेक्षा नहीं कर सकते । हाल में हुई सबसे गंभीर घटना कम्बोडिया में शासन पलटने की है । इसके लिये अमरीकी सरकार ने भरसक प्रयत्न किया । अमरीका के गुप्तचर विभाग ने इसकी सारी योजना बनाई । इसके सम्बन्ध में हम ऐसा रवैया अपनाते हैं जो दूसरे देशों के मन में यह धारणा पैदा करना है कि हम नयी सैनिक सरकार को मान्यता देने जा रहे हैं । यदि हम यह कुत्सित कार्य करते हैं तो इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि हम साम्राज्यवाद का समर्थन करते हैं । आशा है कि विदेश मन्त्री ऐसा नहीं करेंगे । कम्बोडिया के संबन्ध में हमने कहा कि वहां जो तख्ता पलट हुई, वह वैध था । इस मामले में हम एक तरह का राजनैतिक सर्कस खेल रहे हैं । अगर हम अवैध तरीके से तख्ता उलटने के कार्य को वैध मानेंगे तो यह एक घोर गलती होगी ।

इन्डो-चीन में हम एक तटस्थ निरीक्षक की भूमिका अदा नहीं कर सकते । तटस्थता का अर्थ वह कदापि नहीं है कि हम नीच से नीच कार्य को भी निर्लिप्त भाव से देखते रहें । स्वर्गीय पंडितजी इस सदन में कहा करते थे कि तटस्थता का अर्थ कभी भी यह नहीं है कि जब कहीं मनुष्य के मूलभूत अधिकार का दमन होता है या जनता की व्यापक तौर पर हत्या हो रही है तो हम तटस्थ से देखते रहें । चालीस वर्ष पूर्व हमने रावी नदी के किनारे पर एक महत्त्वपूर्ण घोषणा की थी कि "स्वतन्त्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ।" यह हमारी नीति है । यही नीति हमने संसार के अन्य देशों के साथ हमारे बर्ताव में कायम की है । अतः यह हमारा नैतिक कर्त्तव्य हो जाता है कि जो जनता साम्राज्यवादियों के भाषण हमले की शिकार बनती है, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर इसका विरोध करें ।

यहां विदेश नीति पर हुई चर्चा के दौरान कई सदस्यों द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि भले ही रूस और अमरीका के बीच में एक तरह का मैत्री सम्बन्ध स्थापित हुआ हो, मगर तटस्थ नीति दुर्बल हो गयी है । मगर पिछले दस पन्द्रह वर्षों में ऐसा कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन जो संसार के इतिहास को नयी दिशा प्रदान कर सकता है, नहीं हुआ है । बड़ी शक्तियाँ सम्मेलन समय-समय पर आयोजित करती रही हैं, मगर उनमें हमेशा जन्य विरोध पैदा हुआ है और कोई वांछित परिणाम नहीं निकल पाये हैं । असल में अमरीका और सोवियत संघ के बीच आदर्श का संघर्ष नहीं है । उन दोनों में असली अंतर यह है कि अमरीका हमेशा क्रांति एवं सामाजिक परिवर्तनों का विरोध करता है । वे सस्ते दाम पर अधिकाधिक कच्चे माल चाहते हैं, दुनिया में अपना मार्केट कायम रखना चाहते हैं और बड़े-बड़े शस्त्रों के कारखाने स्थापित करना चाहते है । उनकी विदेश नीति इन शस्त्रों के निर्माताओं द्वारा निर्धारित की जाती है । सारे युद्धों का मूल कारण इन मुनाफाखोरों की लाभेच्छा है । यहां प्रतिरक्षा मन्त्री ने कहा कि कोई भी देश हथियार बेच सकता है । सोवियत संघ आदि देशों के अलावा हम हथियार प्राप्त करने हेतु हाल में अन्य कुछ देशों में भी गये । अतः उसमें बाधा उपस्थित हुई । असल में अमरीका की विदेश नीति पर ट्रूमैन सिद्धांत का प्रभाव है जिसका सारांश यह है कि सारे संसार का शासन करना अमरीका का कर्तव्य है ।

अतः संक्षेप में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम अमरीका और उसकी अन्य पिछलग्गुओं को स्पष्ट रूप से यह बता दें कि वे हिन्द-चीन में जो आक्रमण कर रहे हैं उसे बन्द करें और पंचशील तत्वों के अनुसार उस देश की प्रादेशिक अखंडता, प्रभुसत्ता, को मान लें ।

अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग को, दिल्ली में या और कहीं कोई सम्मेलन आयोजित करने के बारे में सोचने के बजाय खुल्लमखुल्ला संसार को बताना चाहिये कि आक्रमणकारी कौन है । उन्हें

कहना चाहिये कि दो विश्वयुद्धों में जितने जर्मन लोगों की हत्या हुई उससे भी अधिक लोग वियत नाम में बमबारी से मारे जाये। वहां लगभग पांच लाख बच्चों की नृशंस हत्या की गयी। इस मामले में भारत अपना दायित्व नहीं निभा रहा है। हम तटस्थ नीति को अपनाये हुए हैं और अब भी इसी नीति पर चल रहे हैं। मगर आज वह नीति अपनी शक्ति, अपना महत्व और अपनी गत्यात्मकता खो चुकी है।

युद्ध में अन्तर्ग्रस्त दूसरा क्षेत्र है मध्य पूर्व देश। मगर यह हमारे लिये मध्य पूर्व नहीं है। सवाल यह नहीं है कि हम अरबों को पसंद करते हैं या नहीं। यह क्षेत्र हमारा ही है। दो विश्वयुद्धों में भारत की सेना ने इस प्रदेश की प्रतिरक्षा की है। बाद में ब्रिटीश साम्राज्यशाह ने यहां अपने गुट के देशों के लिये एक अड्डा बनाया। वह है इज्रायल। इसकी सृष्टि साम्राज्यवादियों की हित पूर्ति के लिये की गयी है। आक्रमणकारी की वापसी तभी संभव हो सकती है जब साम्राज्यवादी शक्तियां उसका समर्थन करना बन्द करें। अतः जैसे अन्य प्रदेशों में करते हैं हम यहां भी साम्राज्यवादियों के विरुद्ध लड़ रहे हैं। जब तक हम इनको खदेड़ नहीं देते तब तक हमारी भी सुरक्षा खतरे में है।

दूसरी बात यूरोप की सुरक्षा के सम्बन्ध में है। गत दो महायुद्धों का केन्द्र यूरोप रहा है। अतः यूरोप की सुरक्षा एवं उसका स्थायित्व अनिवार्य हो गया है। अतः प्रश्न छोटे-छोटे युद्धों के मूल कारणों को निर्मूल करने का है जो कभी-कभी बड़े युद्ध में परिणत हो सकते हैं। यह प्रयत्न केवल सोवियत संघ या पश्चिमी शक्तियां नहीं कर सकतीं। इसके लिये समवेत प्रयत्न आवश्यक है। इस सिलसिले में जर्मन जनवादी गणतन्त्र को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल करना आवश्यक है। इस प्रश्न का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। जर्मनी आणविक अस्त्रों के निर्माण में बहुत उत्सुकता दिखाती है। एक बार उनके हाथ में आणविक अस्त्र आ गया तो यूरोप की सुरक्षा हमेशा के लिये खतरे में पड़ेगी।

आफ्रिका की जनता के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। दक्षिणी आफ्रिका में जहां नीग्रो लोग अधिक संख्या में रहते हैं, और वे उस प्रदेश के आदिम निवासी हैं, उनका साम्राज्यवादियों द्वारा दमन किया जा रहा है। उन्हें अपने नागरिक अधिकारों से पूर्णतः वंचित किया जा रहा है। आफ्रिका में बहुमूल्य धातुओं का भंडार है, मगर उसका उपभोग करने वाले ब्रिटनवाले हैं। मोसाम्बिक में हजारों की संख्या में आफ्रिका वालों की हत्या की जा रही है। तमाम आफ्रिका उपद्रव के चंगुल में फँस गया है। वहां एक ओर अमरीकी एवं अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध व्यापक जन-आंदोलन चल रहा है और दूसरी ओर वहां के कई वर्गों के बीच आपसी संघर्ष चल रहा है जिसके परिणामस्वरूप अफ्रिका की राजनीति अस्थिर हो गयी है। यह कुछ ऐसी उलझी हुई बातें हैं जिनको हम सुलझा नहीं सकते।

अब मैं अपने मूल विषय पर आता हूं। हम कभी भी तटस्थ नहीं रह सके। जब तक हम अन्न के लिये, वस्त्र के लिये यहां तक कि हमारी प्रतिष्ठा के लिये अन्य देशों में भिक्षापात्र बढ़ाते रहेंगे, तब तक हम तटस्थ नहीं रह सकते। जब मैं आरस्टाडाम में था। उस समय वहां के हजारों बच्चों को गली-गली में भारत की दरिद्र जनता के लिये चन्दा इकट्ठा करते देखा। हम अपना आत्मसम्मान खो चुके हैं। जब हमारी जनता में, हमारी सरकार में आत्मसम्मान की भावना नहीं है, तो अन्य देशवासी हमारा आदर कैसे करेगा? आत्मसम्मान और स्वातंत्र्य तटस्थनीति की बुनियाद है। मगर आज इसकी आलोचना कई कोने से की जा रही है यहां तक कि हमारे नेता लोग भी यह

कहने लगे हैं कि यह सिद्धांत पुराना हो गया है, इसमें वह लचीलापन नहीं है जो इसे बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकुल ढाल सके। मगर मेरे विचार से लचीलापन ही उस नीति की जान है। जब हमने यह नीति अपना ली तब अमरीका ने आरोप लगाया था कि हम दोनों गुटों से धन प्राप्त करने के लिये ऐसी नीति अपनाते हैं। हमने सैनिक गुटों में शामिल होना नहीं चाहा। हमने पोटामा नदी के किनारे पर रहकर या वोल्गा के किनारे पर रहकर अपनी नीति निर्धारित करना नहीं चाहा, मगर जमुना के किनारे रहकर हमारी नीति निर्धारित करना चाहा। हम स्वयं निर्णय लेते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारा कोई स्थाई मित्र और स्थायी शत्रु नहीं। मगर हमारा अपना स्थायी हित है। लेकिन यह स्थायी हित किसी भी हालत में एक युद्ध को अनिवार्य बनाने की परिस्थिति की सृष्टि न करे। हमें ध्यान रखना चाहिये कि जब हम वैदेशिक मामलों पर यहां विचार करते हैं तो सारी दुनिया इसकी ओर ध्यान देती है। अतः हम जब किसी देश की प्रशंसा करते हैं या किसी की निन्दा करते हैं, तो अन्य देशों की जनता के मन पर जो प्रभाव पड़ता है, उनके मन में जो प्रतिक्रिया होती है, उसे भी समझने की कोशिश करनी चाहिये। जब हम अन्य देशों के साथ हमारे सम्बन्धों पर विचार करते हैं, तो हमें समझना चाहिये कि उसका अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दूरगामी प्रभाव होगा।

अतः हमें चाहिये कि हम इन विस्फोटक समस्याओं पर लगन से जिम्मेदारी से विचार करें। हमें हिन्द-चीन के मामलों में ऐसी कोई नीति नहीं अपनानी चाहिये जिससे दूसरे देश वाले यह समझें कि हम साम्राज्यवादियों के साथ हैं। नरोन्तफ, सिहानूक, कम्बोडिया के राज्याध्यक्ष हैं। उन्हें राज्याध्यक्ष बनाया वहां की जनता ने। अमरीका के गुप्त वार्ता विभाग को या अन्य किसी को उन्हें अपदस्थ करने का क्या अधिकार है ?

इज्रायल में भी यही हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबेरे इज्रायल देश की सृष्टि का निर्णय लिया और आपको ट्रूमान ने उसे मान्यता दी। यहां कम्बोडिया में भी सैनिक शासन लागू हो गया और तुरंत अमरीका ने उसको मान्यता दी। ये सारी बातें पूर्वनियोजित हैं।

हमारे देश के प्रतिनिधि जब बाहर जाते हैं, उनके भाषणों और वहां उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों पर सारी दुनिया की दृष्टि पड़ती है। यह बेशक बात है कि हमारी विदेश सेवा को और अधिक सक्रिय एवं प्रभावशाली बनाया जा सकता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे अपने कुशल राजनीतिज्ञों को उन देशों में भेज दें और उनकी आशंकाओं को दूर करने की कोशिश करें जहां की जनता में हमारे प्रति संदेह पैदा हो गया क्योंकि हमने ब्रिटीश साम्राज्यवादियों के समर्थन का रुख अपनाया था। हम अक्सर रंग-भेद की नीति के विरुद्ध बड़े-बड़े भाषण देते हैं। क्या हम ईमानदारी से कह सकते हैं कि हम भी इस रंग-भेद की भावना से मुक्त हैं ? अतः हमें चाहिए कि आफ्रिका में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध जो व्यापक जन आंदोलन चल रहा है, उसका समर्थन करें। यह निस्संदेह ब्रिटीश साम्राज्यवादियों के हित में नहीं होगा, क्योंकि इन देशों से उन्हें जो असीम लाभ मिलता है, उससे उन्हें हाथ धोना पड़ेगा।

और एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं। हम हमेशा पश्चिमी देशों द्वारा निर्धारित कुछ खास सिद्धांतों के अनुसार चले हैं। चाहे मनसे सिद्धांत हो या रोसनहोवर या ट्रूमान का सिद्धांत हो। इन सबका लक्ष्य है जन आंदोलनों को भंग करना, मुक्ति मोर्चाओं को तोड़ना आदि। दियन ने जो वियतनाम का अमरीका वालों का कठपुतली गवर्नर था, जब भूमि सुधार के लिए राशि मांगी तो अमरीका ने उसका विरोध किया।

अतः यह संघर्ष कुछ हद तक आर्थिक स्वभाव का है। वे इसीलिए संघर्ष करते हैं और मुक्ति मोर्चाओं को तोड़ते हैं क्योंकि वे निहित स्वार्थियों के हाथ में आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण करना चाहते हैं और तद् द्वारा देश पर अपनी सत्ता कायम करना चाहते हैं। इस समस्या की बुनियाद यह है।

जर्मन जनवादी गणतन्त्र को हमने मान्यता नहीं दी। विदेश मन्त्री बता दें कि उसको मान्यता न देने का क्या कारण है और तत्संबंधी क्या परम्परा है। हम जर्मन जनवादी गणतन्त्र से 50 करोड़ रुपये मूल्य का व्यापार करते हैं और इसमें इस वर्ष 17 प्रतिशत वृद्धि हुई। कई मामलों में हम उनके कर्जदार भी हैं। क्या यह देश के हित में है कि हम उस देश से अधिकाधिक आर्थिक संबंध स्थापित करते हैं जब कि उसके साथ हमारा कोई राजनयिक संबंध स्थापित नहीं हुआ ? सारी दुनिया जानती है कि हम जर्मन जनवादी गणतन्त्र को मान्यता क्यों नहीं देते। हम हालस्टीन सिद्धांत से अपने आपको बंधा हुआ मानते हैं। इस सिद्धांत का तात्पर्य है : हम तुम्हें पर्याप्त धनराशि देते हैं और इसीलिए तुम वही करो जो हम कहते हैं। यह मेरे लिए व्यक्तिगत अपमान की बात है। पश्चिम जर्मनवाले अमरीकावालों से भी अधिक कठोर रुख अपनाते हैं और इसीलिए हमे इस सिद्धांत को मानना पड़ा है। यह राज्यव्यापार निगम के किसी अधिकारी को भेजने का समय नहीं है। इसके बदले हमें पूर्व जर्मन के साथ पूरा राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि दूसरे देशवाले हमें इसीलिए बड़े मानते हैं कि उन्होंने समझा कि पंडितजी ने जो नीति बनाई थी उसके पीछे यहां की जनता की आवाज थी। संसार ने जाना कि हम किसी भी तरह के आक्रमण या दमन के विरुद्ध हैं। आतंकवादी वही देश होता है जिसकी पराजय हुई है। वियतनाम में अमरीका को बुरी तरह मार खानी पड़ी है। वियतनाम जनता का अतुलनीय, वीरता, क़ुर्बानी और साम्राज्यवादियों को खदेड़ने का दृढ़ संकल्प इतिहास में चिरस्थायी महत्व पा गये हैं। अमरीका चाहे एक हजार वर्ष तक युद्ध करते रहे, वियतनाम की वीर जनता उसका डटकर मुकाबला करेगी। अतः इस मौके का सदुपयोग कर हम अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग की बैठक बुलाकर दुनिया को स्पष्टतः बता दें कि आक्रमणकारी कौन है। हमें गूंगे दर्शकों की भांति नहीं रहना चाहिए। हमें दुनिया को बताना चाहिए कि न केवल यह युद्ध अपराधपूर्ण है बल्कि इसमें जिन चीजों का उपयोग किया जा रहा है वे अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के आधार पर पूर्णतः निषिद्ध हैं। युद्ध संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का खुला उल्लंघन हो रहा है। हर सवेरे ओकिनावा और अन्य स्थानों से बम-वर्षक विमान उड़ जाते हैं और वियतनाम के हजारों निरीह नर नारियों और मासूस बच्चों पर भीषण बमवर्षा करते हैं। यह एक दण्डापराध है। मेरा विचार है कि हम इस खतरनाक परिस्थिति में सक्रिय कार्य कर सकते हैं।

श्री बे० कु० दासचौधरी (कूच-बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसे प्रतिवेदन में कहा गया है, भारत सरकार ने कभी भी एक ठोस सिद्धांत पर आधारित नीति का अनुवर्तन नहीं किया है। विदेश नीति हमारी आंतरिक नीति को प्रतिबिंबित करती है। जब तक हम स्वावलम्बी नहीं बन जाते तब तक हमारी विदेश नीति सशक्त एवं प्रभावशाली नहीं बन सकेगी।

पाकिस्तान सरकार के प्रति हमारी नीति के सम्बन्ध में विदेश मन्त्रालय के प्रतिवेदन में कहा गया है कि हमारा आपसी सम्बन्ध सन्तोषजनक है। कल उपमन्त्री महोदय ने कहा था कि पाकिस्तान

दक्षिण-पूर्वी अतलांतिक सन्धि संगठन, उत्तर अतलांतिक सन्धि संगठन आदि सैनिक गुटों में सदस्य रहने के बावजूद भी, तटस्थ देशों के अधिक समीप आ रहा है । यह एक अच्छा कदम है ।

मगर यह सब होते हुए भी मैं विदेश मन्त्री से कुछ बुनियादी बातें पूछना चाहता हूं । भारत की बुनियादी नीति क्या है ? देश की सीमा को निश्चित करने के लिए सरकार ने आवश्यक कार्यवाही नहीं की, अतः वह अपराधी बन गयी है । जब विभाजन हुआ था । उस समय कुछ प्रदेशों में राडक्लिफ कमीशन ने सीमा का निर्धारण किया था । यह एक तथ्य है कि पूर्वी पाकिस्तान और त्रिपुरा, पूर्वी पाकिस्तान एवं असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा विवाद काफी समय से चल रहा है । मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार ने सीमा विवादों के निपटारे के लिए राडक्लिफ आयोग ने असम और सिल्हेट जिला के बीच जो सीमारेखा खींची थी, उसे माना है । आयोग के प्रतिवेदन में यह कहा गया था कि तमाम सिल्हेट जिले के 35 थानाओं में से आठ में हिन्दू लोग अधिक बसते हैं । आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि इन आठ थानाओं में से छः असम को दे दिये जायें । अपने निर्णय में श्री राडक्लिफ ने कहा, "गैर-मुसलमान थानाओं में से कुछ पूर्वी बंगाल में मिला दिये जाने चाहिए और कुछ मुसलमानों के प्रदेशों को असम में रहने दिया जाना चाहिए ।" मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय सीमा आयोग के इस प्रतिवेदन का पूरा अध्ययन करें । आयोग ने अपनी ओर से तैयार किये हुए मानचित्र सरकार को सुपुर्द किया था । सिल्हेट जिले के आठ थानाओं में से 6 थाने भारत में मिला दिये जाने चाहिए । मुझे विश्वास है कि आयोग के निर्णयों का कार्यान्वयन किया जायगा तो 1000 वर्ग-मील का जमीन भारत को प्राप्त होगा । कुछ लोग शायद कहेंगे कि यह मामला पहले ही खतम हो चुका है । मगर पाकिस्तान की विदेश नीति को देखिए । विभाजन के 18 वर्ष बाद भी, पाकिस्तान इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के समक्ष लाया । अतः भारत सरकार के भी इस विषय को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने में क्या गलती है ?

पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के प्रति जो नीति अपनाई जा रही है, उसके सम्बन्ध में कई बार प्रश्न उठाये जा चुके हैं । मन्त्री महोदय यह जवाब देते आये हैं कि हमने 1950 में पाकिस्तान के साथ इस सम्बन्ध में समझौता किया है, और ताशकन्द करार किया है आदि आदि । 1964 में मार्च 20 और 3 अप्रैल को इस सदन में सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया गया । उसमें कहा गया था कि "पूर्वी पाकिस्तान में रहनेवाले अल्पसंख्यक जनसमुदाय को जान-माल एवं प्रतिष्ठा की असुरक्षा तथा सारे मूलभूत मानवीय अधिकारों से उन्हें वंचित करने की बातों को ध्यान में रखते हुए सदन का मत यह है कि भारत सरकार पूर्वी पाकिस्तान से आनेवाले अल्पसंख्यकों के लिए, प्रवास सम्बन्धी कानूनों को नरम करे । और इस मामले की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करे ।" 1964 में पारित इस संकल्प के प्रकाश में मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के अल्प संख्यक समुदाय की दुखद स्थिति की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या कार्य किया ? अगर मन्त्री महोदय बताते हैं कि इस दिशा में कुछ कदम उठाये गये हैं तो मैं पूछता हूं कि क्या उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अन्तर्गत मानव अधिकार आयोग की इस सम्बन्ध में ज्ञापन दिया है या नहीं या अन्य कोई कार्यवाही की है । जब भी सदन में पूर्वी पाकिस्तान के अल्प संख्यकों की कठिनाइयों के बारे में प्रश्न उठाया जाता है, सरकार की ओर से यही जवाब मिलता है कि वहां का हमारा उच्चायोग प्रवास का प्रमाणपत्र पत्र दे रहा है । मगर ये प्रमाण पत्र कुछ खास शर्तों के आधार पर दिए जाते हैं । प्रवासियों को एक

शपथ पत्र में शपथ लेनी पड़ती है कि जब वे भारत आयेंगे तो सरकार से सहायता नहीं मांगेंगे ।

1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने हमारे जमीन पर कब्जा किया और उसे दुश्मनों की सम्पत्ति मान ली । ताशकन्द समझौते में इस प्रकार कब्जा किए गए जमीन की वापसी का उपबन्ध किया गया था । मगर अब तक इसको कार्यान्वित नहीं किया गया । इसके सम्बन्ध में पूछे जाने पर सरकार की ओर से जबाब यह मिलता है कि हमने जो समझौता किया है उसके आगे नहीं जा सकते, मानो यह समझौता कोई पवित्र सिद्धांत हो । नेहरू-लियाकत अली संधि में नेहरूजी ने कहा था कि समझौते को कानून नहीं माना जा सकता । अन्तर्राष्ट्रीय कानून भी कहता है कि कोई भी समझौता या सन्धि तब तक वैध मानी जाएगी जब तक नया आक्रमण नहीं होता । अतः जब पाकिस्तान की ओर से हमेशा भड़काने वाली कार्रवाई की जा रही है, तो हमें इन समझौतों के सिद्धांतों से चिपके रहना नहीं चाहिए ।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पाकिस्तान सरकार द्वारा दुश्मनों की सम्पत्ति के रूप में कब्जा किये गये जमीन और विस्थापितों द्वारा वहां छोड़े गये जमीन के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करेगी । इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय ने 3 जुलाई को भेजे गये पत्र में कहा था कि इस मामले पर पुनर्विचार किया जा रहा है और पूर्वी पाकिस्तान से आनेवाले लोगों की वैध मांगों की पूर्ति के लिए आवश्यक कदम उठाये जाएंगे । मैं जानना चाहता हूं कि पूर्वी पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं उनके पुनर्वास एवं उन्हें पर्याप्त क्षतिपूर्ति देने को सरकार की क्या योजना है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने वैदेशिक मन्त्रालय की मांगों की चर्चा में सक्रिय भाग लिया और कई समस्याओं का विश्लेषण कर महत्वपूर्ण सुझाव दिया । चर्चा में शुरू से आखिर तक सारे सदस्य वैदेशिक कार्यों में हमारा जो दृष्टिकोण है, उससे सहमत हुए । सदस्यों के मन में कई शंकाएं उत्पन्न हुईं । उनमें से कुछ शंकाओं का निवारण सदन में चर्चा के द्वारा किया जा सकता है । कुछ शंकायें वैदेशिक सम्बन्धों के मामलों में हमारे मूल दृष्टिकोण से सम्बन्धित हैं । देश की विदेश नीति वहां की जनता की विचारधारा एवं उनके दृष्टिकोण का प्रतिफल होती है । मुझे खुशी है कि दुनिया के प्रायः सभी देशों में यह माना जाने लगा है कि तमाम संघर्षों को समाप्त करने के लिए भारत की तटस्थता एवं आंतरिक सहयोग की नीति ही सहायक रहेगी ।

विगत वर्ष बड़ी शक्तियों में हुई बातचीत में कुछ गतिशीलता आ गयी थी । उन्होंने उन विषयों पर चर्चा की जिन्हें वे प्रमुखता देते हैं जैसे समुद्र को अणु अस्त्र के परीक्षणों से मुक्त रखना, बाह्य अंतरिक्ष के सम्बन्ध में समझौता आदि आदि । मगर संसार में व्यापक तौर पर जो आर्थिक और राजनैतिक समस्या विद्यमान हैं उनका मुकाबला करने के सम्बन्ध में इन शक्तियों के बीच सहयोग की भावना दृष्टिगत नहीं हुई । इन समस्याओं पर बड़ी शक्तियों को गहरा विचार करना चाहिए । इसके लिए हमें सतत प्रयत्न करना होगा ।

विश्व की सारी समस्याओं को सारे देशों की समता, उनकी प्रभुसत्ता एवं प्रादेशिक अखंडता की मान्यता पर आधारित पारस्परिक सहयोग के आधार पर ही सुलझाया जा सकता है । हमारे राष्ट्रपिता की शताब्दि के वर्ष हमने इस विषय को विश्व के सभी देशों के ध्यान में लाने का प्रयत्न किया । दुनिया के लोगों को राष्ट्रपिता के महान उपदेशों की ओर ध्यान देने एवं उसे समझने का

सुअवसर इससे प्राप्त हुआ । यह सच है कि हम विश्व की समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई बड़ा महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सके । फिर भी युद्ध एवं अन्य सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए दुनिया के सभी कोने में पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता को अधिकाधिक महसूस किया जा रहा है ।

गत वर्ष हमने खासकर एशिया के मामलों में अपना अधिक ध्यान लगाया । एशिया के हमारे मित्र देशों के साथ हमारे सम्बन्धों को सुदृढ़ करने का हमने खूब प्रयत्न किया है । माननीय मित्र श्री पीलु मोदी ने आरोप लगाया कि हम सोवियत संघ को एशियाई शक्ति मानते हैं । जब सोवियत संघ का दो-तिहाई भाग एशिया के अन्तर्गत आता है, हम यह कैसे कह सकते हैं कि रूस एशिया का देश नहीं है । यह बात अलग है कि रूस की राजधानि यूरोप के अन्तर्गत आती है । इसके आधार पर हम कह नहीं सकते कि सोवियत संघ के बहुसंख्यक नागरिक एशिया के निवासी नहीं हैं । श्री पीलु मोदी को बदलती दुनिया के अनुरूप अपनी विचार धारा में परिवर्तन लाना चाहिए ।

चर्चा के दौरान कई माननीय सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया कि हम अपने पड़ोसी देशों की उपेक्षा कर रहे हैं । मैं इस संदर्भ में आप की अनुमति से स्वर्गीय पंडितजी के भाषण की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने 1949, 8 मार्च को संविधान सभा में दिया था । उन्होंने कहा ''एशिया की सबसे मुख्य और प्राथमिक समस्या खाद्य, वस्त्र, शिक्षा और आर्थिक सहायता की है । इन समस्याओं से हमारा गहरा सम्बन्ध है । एशिया के देशों में इधर-उधर शायद छुट-पुट झगड़े हो सकते हैं, मगर संघर्ष हम कभी भी परम्परा के रूप में नहीं मिला, जैसाकि यूरोप में है ।'' पंडित जी का विचार था कि एशिया में युद्ध को समाप्त करने के लिए हम सक्रिय कार्य कर सकते हैं । उनकी आशा थी कि एशिया अपने ऊपर थोपे जानेवाले युद्धों से अपने आपको बचा सकेगा । मगर एशिया में युद्ध को समाप्त करने के कार्य में हम अब तक सफल नहीं हुए हैं ।

हम युद्ध को समाप्त नहीं कर पाये, मगर हम शांति कायम करने के लिए सतत प्रयत्न कर रहे हैं । एशिया के देशों के बीच एकता की जो कड़ी बनी थी, जो सदियों से यहां कायम रही, उप-निवेशवादी शक्तियों ने तोड़ दी थी, हमें उसे पुनः जोड़ देना होगा । हमारा विचार यह है कि एशियाई देशों के बीच अधिकाधिक आर्थिक सहयोग की स्थापना के द्वारा हम आपसी सम्बन्ध को मजबूत कर सकते हैं । एशियाई देशों का आपसी सहयोग केवल व्यापार तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए । एशियाई मन्त्रियों के परिषद् के द्वारा हम एशियाई देशों में आर्थिक सहयोग को अधिक बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं । इस दिशा में गत वर्ष जो कार्य किया गया था, वह फलदायक सिद्ध हो रहा है । मन्त्री परिषद ने अध्ययन दल को इस सम्बन्ध में जो कार्य सौंप दिया था, वह पूरा किया जा रहा है । इस वर्ष के अन्त में आयोजित होनेवाली एशियाई मन्त्री परिषद् की बैठक में अध्ययन दल द्वारा किये गये सुझावों पर हम विचार कर सकेंगे और एशिया के अन्य देशों के साथ सम्बन्ध भी सुदृढ़ करने के मामले पर विचार करेंगे ।

एशियाई देशों के साथ बहु-पक्षीय सम्बन्ध स्थापित करने के प्रयत्न में हमने श्रीलंका, ईरान आदि देशों के साथ अपने द्विपक्षीय सम्बन्धों की उपेक्षा नहीं की है । इन दो देशों के साथ हमने जो द्विपक्षीय सम्बन्ध कायम रखा वह केवल व्यापार में वृद्धि के लिए ही नहीं, बल्कि दोनों देशों में आर्थिक सहयोग में विस्तार और विकास करने के लिए भी था । इस प्रयत्न में हमने इसके विभिन्न राजनीतिक पहलुओं की उपेक्षा नहीं की है । एशिया की आज समस्या विकास की समस्या है । जब तक हम जनता को एक श्रेष्ठ जीवन स्तर प्रदान नहीं कर सकते, उनकी विभिन्न समस्याओं को

सुलझा नहीं सकते, तब तक सारे एशिया में अस्थिरता कायम रहेगी। बड़ी शक्तियों के आधिपत्य का खतरा बना रहेगा, चाहे वह एशियाई देशों के साथ उनके तरह-तरह के समझौतों या संधियों द्वारा हो या अन्य तरीकों से हो। अगर हम इन समस्याओं की गहराई में नहीं जाते तो इसका हल खोज निकालना कठिन होगा

प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1967 में एशिया के सारे तटस्थ देशों के एक सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव किया था। इस सम्मेलन का लक्ष्य हर देश की प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता को मान्यता देना था। इस सम्मेलन की विज्ञप्ति में बड़ी शक्तियों को भी हस्ताक्षर करना चाहिये। शान्तिपूर्व सहअस्तित्व के पंचशील के सिद्धान्तों को प्रोत्साहन देना और आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग की धारणाओं को पुष्ट करना इसका लक्ष्य होगा। मैं आशा करता हूं कि वर्षों पहले प्रधान मन्त्री द्वारा किए गए इन प्रस्तावों पर सम्बन्धित देश विचार करेंगे। यह एशिया में शांति सुरक्षा, स्थामित्व एवं प्रगति की स्थापना के प्रयत्न में एक प्रगतिशील कदम होगा।

माननीय सदस्य ने कहा कि हम यूरोप की सुरक्षा-पद्धति के बारे में बात कर रहे हैं और यूरोप में वे जो कार्य कर रहे हैं, हम ने उसका स्वागत किया है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि हम एशिया में क्या भूमिका अदा कर रहे हैं। वे जानते हैं कि हम एशियाई देशों में आपसी सहयोग एवं सद्भावना को बढ़ावा देने में सक्रिय कार्य कर रहे हैं। यह शायद उन्हें अच्छी नहीं लगती होगी। मगर इससे तथ्यों को छिपाया नहीं जा सकता।

जब हम एशियाई देशों के पारस्परिक सहयोग पर विचार करते हैं, कई केन्द्रों से इस मामले को और ब्रेजनेव के सिद्धांतों को आपस में उलझा देने का जानबूझकर प्रयत्न किया जा रहा है। एशियायी देशों का सहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव मार्च, 1967 में भारत की प्रधान मन्त्री ने किया था। ब्रेजनेव ने अपना प्रस्ताव हाल ही में प्रस्तुत किया था। फिर भी यहां यह जानबूझकर कहा जा रहा है कि हम मास्को को आवश्यकता से अधिक महत्व दे रहे हैं। मगर मैं कहना चाहता हूं कि हम अपने देश के मामलों को ही अधिक महत्व दे रहे हैं। परन्तु, यह कहना ठीक नहीं होगा कि चूंकि ब्रेजनेव का सिद्धांत रूसवालों का है, अतः हमें उसकी निन्दा करनी चाहिये। यदि वे सिद्धांत हमारी विचारधारा से मिलती हैं, तो हम उनका स्वागत करेंगे।

कई माननीय सदस्यों ने यहां बहुत गंभीर अरोप लगाया कि हम इसलिये रूस को एशियायी शक्ति मानते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि रूस की नौसेना हिन्द महासागर में प्रवेश करे। यहां ब्रिटेन की नौसेना और अमरीका की नौसेना कायम रही। वे एशियायी शक्ति नहीं थीं। मैंने कई बार सदन में कहा कि ब्रिटेन की नौसेना की हिन्द महासागर से वापसी का हम स्वागत करते हैं। यह उनका एशिया पर एक तरह का आधिपत्य था। एशिया की जनता को अपनी स्वतंत्रता कायम करने के लिये संघर्ष करना है। हमें अपनी प्रतिरक्षा के लिये या अन्य विकास कार्यों के लिये दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिये। हमें संसाधनों की कमी नहीं है। हमें पर्याप्त तकनीकी ज्ञान प्राप्त है। हमें सभी चुनौतियों का सामना करना होगा। यह सब तभी हम कर सकते हैं जब हममें आत्म सम्मान की भावना हो, आत्म निर्भरता की भावना हो।

कुछ माननीय सदस्यों ने चीन के साथ हमारे सम्बन्धों के बारे में कहा। हमने गत दो दशाब्दों से चीन के साथ सद्भावनापूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने के लिए जो प्रयत्न किये हैं, सदन उससे अवगत

है। मगर हमारे प्रयत्नों की वहां से उचित प्रतिक्रिया नहीं हुई है। चीन में भी आज कई परिवर्तन उपस्थित हो रहे हैं। वे अपनी जनता को श्रेष्ठ जीवन स्तर प्रदान करने के लिये, नये समाज की सृष्टि करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं। हम भारत में भी यही कार्य कर रहे हैं। अतः हमें वर्तमान परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए। मैंने कई बार सदन में कहा है कि हम अपने देश की प्रतिष्ठा और सम्मान को ध्यान में रखते हुये, चीन के साथ हमारी आपस की भिन्नतायें दूर करने के लिये बातचीत करने को तैयार हैं। हम इस प्रयत्न को जारी रखेंगे।

कई माननीय सदस्यों ने कहा कि हमें चीन में राजदूतों को भेज देना चाहिये। यह कार्य दोनों देशों को आपस में करना चाहिये। हम हमेशा इस बात पर ध्यान देते हैं और अनुकूल समय पर हम इसके लिये आवश्यक कार्यवाही करेंगे। यह रही राजदूतों की सम्बन्धी बात। मैं सदन को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि चीन में इस समय हमारा जो कार्यवाहक राजदूत है उनके द्वारा दोनों देशों का सम्बन्ध पूर्ववत् चल रहा है।

माननीय सदस्यों ने तिब्बत के बारे में पूछा। जैसा कि कई बारे पहिले भी कहा जा चुका है तिब्बत को हम चीन का अंग मानते हैं।

हिन्द-चीन में हाल में जो घटनायें घटीं, उससे भारत बहुत अधिक चिंतित है। गत वर्ष जब पेरिस शांतिवार्ता शुरू हुई तब हमने चैन की सांस ली थी कि अंत में कोई न कोई समझौता हो ही जायेगा। मगर तुरन्त ही स्थिति अधिक गंभीर हो गयी। जब अमरीका ने दक्षिण वियतनाम से सेना को वापस लेने का आग्रह प्रकट किया तो हमने उसका स्वागत किया था। मगर उन्होंने लाओस और कम्बोडिया में अपनी सैनिक कार्रवाई को फैला दिया। असल में यह बहुत ही उलझी हुई स्थिति है। अब पकटकारओ द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर लाओस सरकार विचार कर रही है। हमारी आशा है कि वर्तमान गत्यवरोध के बाद अंतिम रूप से कोई समझौता किया जा सकेगा। हम इन बातों पर उचित ध्यान दे रहे हैं।

जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण आयोग की बैठक फिर से बुलाने का सम्बन्ध है, हमें देखना चाहिये कि आयोग इस मामले में क्या कर सकता है। पर्याप्त धन एवं सुविधाओं की कमी के कारण आयोग को कम्बोडिया से वापस अपना पड़ा। हमने आयोग की अन्य पर्यवेक्षक शक्तियों से जब आयोग की बैठक बुलाने के बारे में सलाह ली तो उन्होंने पत्र के अनुकूल जवाब नहीं दिया। हम अपनी ओर से कम्बोडिया के सम्बन्ध में दूसरे देशों से बातचीत करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

हमारा विचार यह है कि वियतनाम में जो स्थिति आज कायम है और कम्बोडिया, लाओस आदि देशों में जो स्थिति पैदा हुई है उसका मूल कारण विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप है। अतः इन जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए सारी विदेशी शक्तियों को वहां से हट जानी चाहिये। हिन्द-चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना बन्द करना चाहिये। वहां की जनता को आपस की भिन्नतायें दूर करने के लियें अनुकूल परिस्थिति की सृष्टि की जानी चाहिये। हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं।

कुछ सदस्यों ने पूछा कि वियतनाम के साथ हमारा सम्बन्ध सुदृढ़ करने के लिये हमने क्या किया। वस्तुतः उत्तरी वियतनाम के साथ हमारा सम्बन्ध सुदृढ़ करना न केवल हमारे और उसके

हित में हैं, बल्कि तमाम एशिया में शांति बनाये रखने के प्रयत्न के सिलसिले में भी उसका बड़ा महत्व है। एशियायी देशों में उत्तरी वियतनाम जो कार्य करता है वह हिन्द-चीन के सारे देशों में जो जटिल परिस्थति आज कायम है, उसे दूर करने में सहायक होगा। उनकी समस्याओं का सुलझाव उनकी आपसी बातचीत से ही संभव होगा। हम आशा करते हैं कि उत्तर वियतनाम के साथ हमारा सम्बन्ध सुदृढ़ बनाया जा सकता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध के बारे में कहा। प्रो० मुकर्जी ने पूछा कि हम फरक्का के बारे में विचार करने के लिये मंत्रिस्तरीय वार्ता करने से क्यों हिचकते हैं। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि सिंचाई एवं विद्युत मंत्री पाकिस्तान तथा अन्य किसी भी देश के मंत्री से जो इस सम्बन्ध में सक्रिय सहयोग देना चाहते हैं, बातचीत करने के लिये तैयार हैं। मगर यहां बात दूसरी है।

फरक्का बांध के सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई बातचीत के दौरान भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से यह बता दिया था कि फरक्का बांध का निर्माण पूर्वी पाकिस्तान की जनता के लिये अहितकारी नहीं होगा।

पाकिस्तान सरकार निरन्तर पानी की मात्रा में बढ़ोतरी करने की मांग कर रही है। पाकिस्तान सरकार भारत सरकार को पानी की मात्रा के सही आंकडे नहीं देता। इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने औपचारिक बैठकें भी बुलाईं परन्तु जब तक सही आंकड़े पता न चलें मंत्री भी क्या निर्णय ले सकता है। हम पाकिस्तान से बातचीत करके ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं जिससे पाकिस्तान सरकार को लाभ हो और फरक्का बांध भी बन सके।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व) : व्यापक महत्व की योजनाओं को क्रियान्वित करने और गंगा-ब्रह्मपुत्र क्षेत्र की योजना को तकनीकी ढंग से पूरा करने में सरकार पाकिस्तान से इस मामले में मंत्री-स्तर पर बातचीत करने के लिये तैयार है ?

श्री दिनेश सिंह : मंत्री स्तर पर बातचीत करने से तब तक लाभ नहीं हो सकता जब तक आधारभूत आंकड़े पता न हों। बिना आंकड़ों के कोई भी राजनीतिक निर्णय देना सम्भव नही है। हम पाकिस्तान से बातचीत करने से हिचकिचाते नहीं हैं। परन्तु पाकिस्तान स्वयं उद्देश्यपूर्ण बातचीत नहीं करना चाहता। यदि पाकिस्तान हमको सही-सही आंकड़े उपलब्ध करा सके तो हम संतोषजनक समझौते पर सहमत हो सकते हैं।

भारत सरकार ताशकन्द समझौते के आधार पर पाकिस्तान से बातचीत करना चाहती है और एशियाई सहयोग में उसे अपना साथी बनाना चाहती है परन्तु पाकिस्तान का रवैया नकारात्मक ही रहा है। जब भी पाकिस्तान सरकार की इच्छा हो, भारत सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Pakistan Govt. are not abiding by Tashknt declaration.

श्री बलराल मधोक (दक्षिणी दिल्ली) : क्या यह सच नहीं है कि पाकिस्तान सरकार पूर्वी

पाकिस्तान की जनता को उकसाने और तनाव का वातावरण बनाये रखने के लिये फरक्का बांध के मामले का राजनीतिक चाल के रूप में प्रयोग कर रहा है, क्योंकि कश्मीर की समस्या पूर्वी पाकिस्तान की जनता को उत्तेजित नहीं कर सकती ?

श्री दिनेश सिंह : जहां तक पाकिस्तान सरकार की गुट-निरपेक्षता सम्मेलन में सदस्यता का प्रश्न है, भारत सरकार यह नहीं चाहती कि पाकिस्तान इस सम्मेलन का सदस्य न बने । यदि पाकिस्तान गुट-निरपेक्ष होना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं ।

नेपाल-भारत सम्बन्धों के बारे में कुछ चर्चा हुई थी । इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि भारत-सरकार की तीव्र इच्छा है कि नेपाल और भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध गहरे बनें । नेपाल और भारत की सीमा मिली हुई है । हमें नेपाल के साथ सहयोग का वातावरण बनाये रखना होगा और ऐसी कोई भी कार्रवाही नहीं करनी होगी जिससे वे हमारे सहयोग के बारे में गलत धारणाएं बनाएं । हम नेपाल को प्रभुसत्ता सम्पन्न देश समझते रहेंगे और इसके आन्तरिक मामलों में बाधा नहीं डालेंगे ।

Shri Rabi Ray (Puri) : Have Govt. received any response from the Nepal Government ?

श्री दिनेश सिंह : इस बात पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है ।

Shri Bhegendra Jha (Jainagar) : There is a problem of a village Susta. I want to know whether Hon. Minister has tried to solve it ? If he is sending this matter to the Secretary, Home Ministry for settlement ? Is the matter of Western Kosi canal not pending due to this ?

श्री दिनेश सिंह : पश्चिमी एशिया में कुछ हो चुका है और जो शोचनीय स्थिति वहां अब है, उसके बारे में सभा में चर्चा की जा चुकी है । पश्चिमी एशिया की स्थिति को उलझाने में बाहरी तत्त्व सहायक रहे हैं । यदि सभी देश संयुक्त राष्ट्र के 22 नवम्बर 1967 के संकल्प को व्यावहारिक रूप दें तो स्थिति की तनाव में कमी आ सकती हैं ।

अरब देशों के साथ हमारे गहरे सम्बन्ध हैं और हम इन्हें बनाये रखना चाहते हैं । सर्व इस्लामवाद विश्व के लिए एक खतरा बना हुआ है । इस धारणा को फैलाने वाले कुछ बाहरी निहित स्वार्थ हैं ।

पश्चिमी एशिया जिस प्रमुख का सामना करता रहा है वह समस्या है इजरायल द्वारा धर्म और राजनीति को मिलाने का प्रयत्न करना । कुछ देशों ने सर्व इस्लामवाद की निन्दा की है । आज जो देश धार्मिक घृणा के आधार पर धार्मिक गठबन्धनों को बढ़ावा दे रहे हैं, वे इस बात को महसूस करेंगे कि इससे पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका के अन्य भागों में भी खतरा उत्पन्न हो सकता है ।

अफ्रीका के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न उठाये गये हैं और कहा गया है कि अफ्रीका के साथ हमारे सम्बन्ध क्षीण होते जा रहे हैं । वास्तविक स्थिति यह है कि जब अफ्रीका की जनता स्वतंत्रता के लिये संघर्ष कर रही थी तब हम उन्हें पूरा सहयोग दे रहे थे । अब अफ्रीका स्वाधीन है । अतः अब उनकी स्वाधीनता को सुदृढ़ बनाने तथा उनके साथ आर्थिक सम्बन्ध स्थापित करने के प्रयत्न किये जा सकते हैं । भारत-सरकार अफ्रीका के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कर रही है । अफ्रीका के

राज्यों से आने वाले छात्रों को भारत में प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जाती हैं। इस प्रकार अफ्रीका के साथ हमारे सम्बन्ध घनिष्ठ होते जा रहे हैं।

अफ्रीका में जातिवाद की समस्या अभी भी बनी हुई है। जाति भेदभाव करना न केवल उन लोगों के विरुद्ध अपराध है जिनके साथ यह व्यवहार किया जाता बल्कि यह सम्पूर्ण मानव-चेतना के विरुद्ध अपराध है। विश्व समुदाय इस समस्या का समाधान नहीं खोज सका है क्योंकि जो देश जाति भेदभाव करने वाले देशों के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं, वे एकगुट होकर विश्व-समुदाय की सहायता नहीं कर रहे हैं। जब तक वे देश ऐसा नहीं करते तब तक इस समस्या का समाधान नहीं खोजा जा सकता।

श्री जी० विश्वनाथन (वन्डीवाश) : अणु नीति के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री दिनेश सिंह : यह प्रश्न वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधिकार में नहीं आता।

श्री म० ल० सोंधी (नई दिल्ली) : स्पष्ट है कि मन्त्री महोदय उत्तर देने से कतरा रहे हैं। यह एक महत्त्वपूर्ण मामला है। अतः इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था। कल यदि भारत को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े तो क्या होगा ? मन्त्री महोदय को इसका उत्तर देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मानता हूं कि यह एक गम्भीर मामला है। परन्तु यह वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के अन्तर्गत नहीं आता। अतः माननीय सदस्य को अब यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिये।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : अणु-शस्त्रों के प्रसार पर रोक लगाने सम्बन्धी संधि पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये थे। अतः भारत सरकार को उस संधि की तुलना में कोई रवैया अपनाना पड़ेगा। मैं जानना चाहती हूं कि सरकार का रवैया क्या है ?

श्री दिनेश सिंह : सभा में ये विचार पहले ही व्यक्त किये जा चुके हैं कि भारत सरकार संधि पर हस्ताक्षर करने के पक्ष में नहीं है। जहां तक अणु नीति का सम्बन्ध है सरकार का विचार है कि शांतिपूर्ण कार्यों के लिये अणु का प्रयोग किया जायेगा। भारत सरकार अणु शस्त्र का निर्माण करना नहीं चाहती।

कुछ सदस्यों ने यूरोप की स्थिति के बारे में प्रश्न उठाया है। यह अच्छी बात है कि यूरोपीय देश आपस में मिलकर समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहते हैं।

जहां तक जर्मन जनवादी गणतंत्र का प्रश्न है, उससे हमारे सम्बन्ध उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं। हम होलस्टीन के सिद्धांत से प्रेरित नहीं हैं। जर्मनी से आर्थिक एवं राजनीतिक सम्बन्धों को बढ़ाना हमारे राष्ट्र-हित में होगा।

अब मैं विदेशी सेवा के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। विदेशी सेवा के सदस्य सारे संसार में बिखरे हुए हैं और उनका काम बहुत कठिन होता है। इस सेवा के सदस्य कुछ सीमाओं में बंधे हुये हैं। धन की समस्या, समयाभाव की समस्या के होते हुए भी इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन राष्ट्रों की बराबरी करने की है जिन्होंने विदेशी सेवा कई सदियों पहले शुरू की थी जबकि हमारे देश ने यह

सेवा केवल दो दशब्दियों पूर्व प्रारम्भ की है। मुझे यह कहते हुये प्रसन्नता ही नहीं गर्व भी होता है कि विदेशी सेवा के सदस्यों को उनके कार्यों के अनुरूप मान एवं सहयोग मिलता है। सबसे बड़ी संतोषजनक बात यह है कि भारतीय विदेशी सेवा को विश्व में सबसे उत्तम माना गया है। हमारी सेवाओं में जो कमियां हैं, उन्हें हम दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि उनकी नियुक्ति या स्थान्तरण ऐसे स्थानों पर करें जहां वे अपने आप को सुरक्षित समझें।

वैदेशिक प्रचार के क्षेत्र में हम जन सम्पर्क पर अधिक जोर दे रहे हैं। आशा है इससे भारत में जो कुछ हो रहा है और हमने जो कुछ उपलब्ध किया है, उसका सही-सही चित्र हमारे सामने आ सकेगा।

अन्त में मैं अन्तराष्ट्रीय स्थिति एवं विदेश नीति का पुनरीक्षण करते हुये यह कहना चाहूंगा कि राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में हमने सहयोग एवं आपसी मेल जोल बढ़ाने के सफल प्रयत्न कर रहे हैं। सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि हम वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक, आर्थिक या राजनीतिक क्षेत्रों को अलग-अलग रखकर सुरक्षा का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की स्वतन्त्रता किस देश के लिये खतरा नहीं बनेगी। मानव-जाति के लिये भारतीय अपना जीवन बलिदान कर सकते हैं। हम भी यह नीति अपना कर महात्मा गांधी के विचारों की पुष्टि कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत-से कटौती प्रस्ताव है। मैं उन सभी को एक साथ ही मतदान के लिए रखता हूं।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The cut motions were put and negative.

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1970-71 की वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुईं :

The following Demands in respect of Ministry of External Affairs for 1970-71 were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि रुपये
12	वैदेशिक-कार्य	22,10,97,000
13	विदेश मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	19,01,35,000

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय वर्ष 1970-71 के लिए सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपए)
64	सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय	37,39,000
65	बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं	2,65,56,000
66	सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	8,49,88,000

	125	बहुप्रयोजनी नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	16,71,43,000
	126	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	21,27,25,000

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
64	3	**श्री फ० गो० सेन**	: बिहार में पूर्निया जिले की कोशी तथा अन्य पट्टियों में अर्थात् महानन्दा और कन्काई तथा अन्य नदियों के क्षेत्रों में अन्य जल स्रोतों से पानी प्राप्त करने और अधिक भूमि में सिंचाई करने में असफलता ।	100 रुपये
64	4	**श्री फ० गो० सेन**	: किसानों को सस्ती दरों पर बिजली सप्लाई करने में असफलता ।	100 रुपये
64	5	**श्री फ० गो० सेन**	: विभिन्न राज्यों के बिजली बोर्डों से बिजली की खरीद करने में रेलवे विभाग द्वारा दिये जाने वाले बिजली-प्रशुल्क को निर्धारित करने का एक समान सूत्र बनाने में असफलता ।	100 रुपये
64	20	**श्री यशवन्त सिंह कुशवाह**	: मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी परियोजनाओं के लिए धनराशि देने में असफलता ।	100 रुपये
64	21	**श्री यशवन्त सिंह कुशवाह**	: मध्य प्रदेश को चम्बल परियोजना का पानी पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करने में असफलता ।	100 रुपये
64	22	**श्री यशवन्त सिंह कुशवाह**	: मध्य प्रदेश की योजना स्वीकृत करने में असफलता ।	100 रुपये
65	23	**श्री पी० पी० एस्थोस**	: केरल तट पर विशेष रूप से एराकुलम, क्विलोन और कैननूर जिलों में बाढ़ और समुद्र द्वारा भूमि कटाव को रोकने के लिए अपेक्षित अविलम्ब कदम उठाना ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
66	24	**श्री श्रद्धाकर सूपकार** :	सिंधु जल संधि के अन्तर्गत धन लौटाना ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
66	25	**श्री श्रद्धाकर सूपकार** :	अन्तर्राज्यीय जल विवादों को सुलझाने में विलम्ब ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
66	26	**श्री पी० पी० एस्थोस** :	केरल कुट्टीयादी इदामलयार, और इद्दिकी जैसी बिजली परियोजनाओं के लिए अपर्याप्त धनराशि ।	100 रुपये
66	27	**श्री पी० पी० एस्थोस** :	केरल में गांवों के बिजलीकरण के लिए नितान्त अपर्याप्त धनराशि ।	100 रुपये
125	28	**श्री श्रद्धाकर सूपकार** :	फरक्का बांध परियोजना के निष्पादन में विलम्ब और अपव्यय ।	100 रुपये
126	29	**श्री श्रद्धाकार सूपकार** :	गांवों के बिजलीकरण में प्रादेशिक असंतुलन ।	100 रुपये
64	30	**श्री शिवचन्द्र झा** :	पश्चिम कोसी नहर की तेजी से खुदाई कराने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
65	31	**श्री वेणी शंकर शर्मा** :	जैसी कि आरम्भिक योजना में परिकल्पना की गई थी उसी के अनुसार चन्दन बांध से आरम्भ होने वाली उच्चस्तरीय नहर का पुराना रास्ता रखने की आवश्यकता ।	100 रुपये
65	32	**श्री वेणी शंकर शर्मा** :	बिहार के पूर्निया जिले में रेत जमा हो जाने के कारण जमीन की उर्वरकता नष्ट हो रही है, अत: वहां पर कोसी से निकलने वाली नहरों में से रेत निकालने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
65	33	**श्री वेणी शंकर शर्मा** :	बिहार के हजारीबाग या छोटा नागपुर, संथाल परगनाओं और दक्षिण भागलपुर के पहाड़ी इलाकों में छोटे बांध, जिनकी लागत पांच लाख रुपये से अधिक न हो, निर्माण करने में असफलता ।	100 रुपये
65	34	**श्री वेणी शंकर शर्मा** :	बिहार स्थित भागलपुर जिले में पायर, लाहोरिया ग्रामों के निकट चंदन बांध से निकलने वाली उच्चस्तरीय नहर का रास्ता बदलना ।	100 रुपये
65	35	**श्री वेणी शंकर शर्मा** :	राजस्थान नहर को पूरा करने में असफलता जिसके कारण देश में आवश्यक कपास और अनाज का अभाव है जबकि ये जिन्सें इस नहर के अन्तर्गत क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उगायी जा सकती हैं ।	100 रुपये
65	36	**श्री वेणी शंकर शर्मा** :	बिहार में कोसी और गण्डक परियोजनाओं को पूरा करने में असफलता ।	100 रुपये
65	37	**श्री वेणी शंकर शर्मा** :	उन किसानों से, जिनकी भूमि की कभी सिचाई नहीं की गई या रजवहों और ग्राम उप नहरों के अभाव के कारण सिचाई नही की जा सकी, नहरी शुल्क वसूल करने की ज्यादती करना ।	100 रुपये
65	38	**श्री वेणी शंकर शर्मा** :	किसानों के कब्जे में जितने एकड़ भूमि है उससे भी अधिक एकड़ भूमि पर नहरी शुल्क बढ़ाने की अधिकारियों द्वारा ज्यादती करना ।	100 रुपये
65	39	**श्री वेणी शंकर शर्मा** :	बरुआ बांध के अन्तर्गत क्षेत्र में रजवहों, विभिन्न उप-नहरों और प्रपातों का निर्माण, करने में असफलता, जिसके कारण उन्हें पानी छोड़ते समय खेत जलमग्न हो जाने की अकथनीय कठि-	

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
			नाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि उस पानी को नियन्त्रण में नहीं रखा जा सकता ।	100 रुपये
65	40	**श्री वेणी शंकर शर्मा** :	ऐसे क्षेत्रों में भी, जहां कि रजवहों और ग्रामों में उप-नहरों के अभाव के कारण खेत जलमग्न हो गये और फसल खराब हो गई, नहरी शुल्क वसूल करने की ज्यादती करना ।	100 रुपये
65	41	**श्री वेणी शंकर शर्मा** :	बरुआ बांध से निकलने वाली समान स्तर की दो नहरों का समाजीकरण करने में असफलता जबकि इस बात का मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था ।	100 रुपये
65	42	**श्री वेणी शंकर शर्मा** :	बरुआ बांध की उप-नदी में पर्याप्त पानी छोड़ने में जिससे कि इसी नदी से सामान्य रूप से पानी लेने वाले किसानों को पानी ठीक सप्लाई होती रहे, असफलता ।	100 रुपये
64	43	**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** :	वर्ष 1963 से 1964 तक केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में सहायक निदेशक के पदों पर भर्ती किये गये वरिष्ठ अधिकारियों के दावे की उपेक्षा करके कनिष्ठ 2 अधिकारियों की स्थाई पदों पर नियुक्ति ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
64	44	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	फरक्का बांध तथा अन्य परियोजना के तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार करने में असफलता ।	100 रुपये
64	45	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	सिंचाई तथा बिजली मंत्रालय के कार्यों में अपेक्षित चुस्ती और कार्यकुशलता लाने में असफलता ।	100 रुपये
64	46	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	सिंचाई तथा बिजली मंत्रालय के अधिकारियों के यात्रा व्यय में मितव्ययता	

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
			लाने में असफलता ।	100 रुपये
64	47	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	मंत्रालय के प्रतिनिधि मण्डलों द्वारा किये गये प्रयत्नों के बावजूद फरक्का बांध तथा पश्चिमी कोसी योजना के सम्बन्ध में पाकिस्तान और नेपाल से समझौता न होना ।	100 रुपये
65	52	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	मनोरंजन तथा आतिथ्य व्यय में मित-व्ययता बरतने में असफलता ।	100 रुपये
65	53	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	गण्डक योजना को केन्द्रीय योजना के रूप में चलाने में असफलता ।	100 रुपये
65	54	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	गंडक योजना के लिये समय पर अपेक्षित केन्द्रीय सहायता न मिलने के कारण उसके कार्यों में धीमी प्रगति ।	100 रुपये
65	55	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	गंडक नहर योजना को केन्द्रीय सहायता न मिलने के कारण सारन जिले में उसके कार्यों का बन्द होना ।	100 रुपये
65	56	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	गंडक नहर के भैंसा लोटन बांध पर पन-बिजली घर खोलने में असफलता ।	100 रुपये
65	57	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	गंडक नहर के दोनों तरफ़ पानी के जमाव को रोकने के लिए अलग योजना बनाने तथा उसे केन्द्रीय सहायता देकर चलाने में असफलता ।	100 रुपये
65	58	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	गंडक नहर की शाखा नहरों से खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए जल कोष तैयार करने में असफलता ताकि एक कुसेक पानी ले जाने वाली नहर बन सके ।	100 रुपये
65	59	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	गंडक नहर से खेतों तक पानी ले जाने वाली एक कुसेक जल प्रवाह की नालियों के निर्माण का काम ग्रामीणों पर छोडना जिससे ग्रामीणों में कलह हो सकते हैं ।	100 रुपये
65	60	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	गंडक नहर के बगल की सडकों को पक्की करने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
65	61	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	बागमती परियोजना को वहु प्रयोजनी नदी योजना मान कर तथा उसके लिए केन्द्रीय सहायता देकर उसे पूरा न करना ।	100 रुपये
65	62	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	बागमती परियोजना को शीघ्र पूरा न करना ।	100 रुपये
65	63	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	पश्चिमी कोसी नहर के कार्यों में प्रगति न होना ।	100 रुपये
65	64	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	बिहार की साल भर पानी देने वाली नदियों में फ्लोटिंग पंपिंग सेट लगाने तथा बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला आदि से जल-विद्युती पैदा करने सम्बन्धी योजना लागू करने में असफलता ।	100 रुपये
65	65	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	फरक्का बांध में अपेक्षित प्रगति लाने में असफलता ।	100 रुपये
65	66	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, पून-पून सोन और गंगा की बाढ़ पर नियन्त्रण रखने में असफलता ।	100 रुपये
65	72	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	असम बिहार, राजस्थान बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में लगातार आने वाली बाढ़ों को रोकने के लिये स्थायी हल निकालने में असफलता ।	100 रुपये
65	73	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	बरसात में गंगा के फालतू पानी के उपयोग की योजना लागू करने में असफलता ।	100 रुपये
65	74	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	बिहार की छोटी नदियों की बाढ़ को रोकने के लिये योजना लागू करने में असफलता ।	100 रुपये
65	75	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	गंडक, बूढ़ी गंडक, गंगा तथा बागमती के कटावों से पीड़ित लाखों को बचाने में असफलता ।	100 रुपये
65	76	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	बिहार को बाढ़ से बचाने के सम्बन्ध में बनाये गये बांधों की देख-रेख करने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
65	77	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	गंगा नदी तथा दक्षिणी भारत की नदियों से मिलाकर बाढ़ नियंत्रक तथा अन्तर्राज्यीय जलमार्ग के निर्माण की योजना लागू करने में असफलता ।	100 रुपये
65	78	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	देश की सारी बहुप्रयोजनी योजना योग्य नदियों का सर्वेक्षण करने और उसके लिये एक चरणबद्ध योजना लागू करने में असफलता ।	100 रुपये
65	79	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	रेल मार्ग तथा राजपथ को खतरे से बचाने के उद्देश्य से बूढ़ी गण्डक नदी से मुजफ्फरपुर जिले में वरियारपुर के निकट कटाव रोकने में असफलता ।	100 रुपये
65	80	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	बिहार की बहुप्रयोजनी नदी योजनाओं को लागू करने में केन्द्र द्वारा अपर्याप्त धन दिया जाना ।	100 रुपये
65	81	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	गंगा घाटी के जल का अध्ययन शीघ्र पूरा करने में असफलता ।	100 रुपये
65	82	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	अपर सकरी कुसुम घाटी कोपल और पुन-पुन आदि बड़ी सिंचाई योजनाओं को चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित न करना ।	100 रुपये
65	83	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	बड़ी सिंचाई योजनाओं के साथ-साथ मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिये राज्य सरकारों को केन्द्रीय अनुदान और ऋण न देना ।	100 रुपये
65	84	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	देश के भूमिगत जल का पर्याप्त उपयोग करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
65	85	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	कोसी नदी में मिट्टी रेत की बढ़ती हुई मात्रा को निकालने में असफलता ।	100 रुपये
65	86	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	उच्च स्तरीय सोन नहर को निश्चित रूप से चौथी योजना में पूरा करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
65	87	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	गंडक परियोजना में शामिल चंपारन जिला स्थित त्रिवेणी नहर के कुप्रबन्ध को सुधारने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	3	4
65	88	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	प्रत्येक राज्य में बाढ़ चेतावनी केन्द्र स्थापित न करना ।	100 रुपये
65	89	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	बाढ़ नियंत्रण में लिये अखिल भारतीय स्तर पर क्रमबद्ध योजना तैयार न करना और पूरी न करना ।	100 रुपये
65	90	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	बिजली के मामले में बिहार के अत्यन्त पिछड़ेपन को दूर करना ।	100 रुपये
65	91	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	जहां नहरों से सिंचाई नहीं हो सकती वहां नलकूप योजना शीघ्र लागू न करना ।	100 रुपये
65	92	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	देश में जल विकास की समुचित योजना बनाने में असफलता जिससे पानी का जमाव ना हो और बाढ़ को नियंत्रित किया जा सके और खेतों की सिंचाई हों सके ।	100 रुपये
65	93	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	केन्द्रीय सिंचाई और बिजली योजनाओं को ठेके के आधार पर पूरा करने की पद्धति को सम्पात न करना ।	100 रुपये
126	94	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	ग्राम्य विद्युतीकरण कार्यों में शीघ्र विकास न लाना ।	100 रुपये
126	95	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	बिहार राज्य बिजली बोर्ड में हो रहे आवर्त्तक वार्षिक घाटे के लिए अनुदान न देना ।	100 रुपये
126	96	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	बिहार तथा अन्य राज्यों में नलकूपों और पम्पों के लिये बिजली न देना ।	100 रुपये
126	97	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	बरौनी तापीय बिजलीघर में तकनीकी तथा मशीनी खराबियां दूर न करना ।	100 रुपये
126	98	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	बिरला तथा अन्य बड़े उद्योगपतियों को रियायती दरों पर बिजली देना ।	100 रुपये
126	99	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	बिहार में बहने वाली नदियों से सस्ती बिजली पैदा न करना ।	100 रुपये
126	100	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	बिहार में सस्ती दरों पर बिजली न देना ।	100 रुपये
126	101	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	लघु तथा मध्यम उद्योगों के विकास एवं सिंचाई के लिये बिजली न देना ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
126	102	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	देश के विभिन्न भागों को बिजली सप्लाई करने के लिये एक समान ग्रिड न बनाना।	100 रुपये
126	103	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	बिजली के कनक्शन देने में नौकरशाही और भ्रष्टाचार समाप्त न करना।	100 रुपये
126	104	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	ऐसे प्रबन्ध न करना जिनसे किसानों को उठाऊ सिंचाई के लिये कनक्शन लेने के लिए 1200 रुपये जमानत के तौर पर जमा न कराने पड़ें।	100 रुपये
126	105	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	बिजली देने में अनियमितताएं न रोकना।	100 रुपये
126	106	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	गांवों में बिजली न पहुंचाना।	100 रुपये
126	107	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	कृषि और उद्योगों के लिये छोटे किसानों को बिजली न देना।	100 रुपये
126	108	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	उत्तरी बिहार के विकास के लिये बिजली न देना।	100 रुपये
126	109	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	बिहार को अपने राज्य में अधिक बिजली के लिये अपेक्षाकृत कम सहायता देना।	100 रुपये
126	110	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	उत्तरी बिहार में बिजली की कमी को दूर करने के लिये भोतीपुर में एक और बिजली उत्पादन यूनिट स्थापित न करना।	100 रुपये
126	111	**श्री कमला मिश्र 'मधुकर'** :	सभी सुविधाएं होने पर भी हजारीबाग में एक और तापीय बिजली संयंत्र स्थापित न करना।	100 रुपये
64	112	**श्री विनय कृष्ण दासचौधरी** :	उत्तरी बंगाल नदी घाटी परियोजना नामक क्षेत्र में प्रभावी बाढ़ नियंत्रण तथा सिंचाई के लिए उत्तरी बंगाल की टीस्टा, तोर्शा, जलढाका आदि जैसी नदियों को नियंत्रित करने के लिये एक परियोजना शुरू करने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
64	113	**श्री विनय कृष्ण दासचौधरी** :	उत्तरी बंगाल में एक तापीय बिजली घर स्थापित करने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
64	114	**श्री विनय कृष्ण दासचौधरी** :	पश्चिमी बंगाल के मौजूदा जलढाका पन-बिजली परियोजना के तीन चरणों का विस्तार न करना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
64	115	**श्री विनय कृष्ण दासचौधरी** :	बिजली चालित पम्पों के माध्यम से और अच्छी सिंचाई सुविधाएं करने के लिए पश्चिमी बंगाल के कूच-बिहार जिले में तापीय बिजली-घर स्थापित न करना	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
64	116	**श्री विनय कृष्ण दासचौधरी** :	पश्चिमी बंगाल के कूच-बिहार जिले में मालेरझेर, भेलाडंगा और राजरहाट में बाढ़-बचाव के कार्य आरम्भ करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
64	117	**श्री विनय कृष्ण दासचौधरी** :	पश्चिमी बंगाल की नदियों से मिट्टी निकालने की योजना शुरू न करना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
64	143	**श्री रा० की अमीन** :	बाढ़ के बारे में पूर्वानुमान लगाने सम्बन्धी कुशल व्यवस्था का विकास करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
64	144	**श्री रा० की अमीन** :	गुजरात राज्य में गांवों में विद्युतीकरण का कार्य तेज करने की आवश्यकता क्योंकि यह राज्य इस संबंध में अन्य राज्यों की अपेक्षा पिछड़ा हुआ है ।	100 रुपये
64	145	**श्री रा० की अमीन** :	सिंचाई के लिये बिजली दिये जाने को प्राथमिकता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
64	146	**श्री रा० की अमीन** :	नर्बदा नदी के लिए बाढ़ नियंत्रण उपाय करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
64	147	**श्री रा० की अमीन** :	सभी राज्यों में बाण चेतावनी केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
64	148	**श्री रा० की अमीन** :	गुजरात राज्य में भूमिगत जल-भण्डार का सर्वेक्षण करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
64	149	**श्री रा० की अमीन** :	गुजरात राज्य में धरोही परियोजना को स्वीकार कर लेने की आवश्यकता ।	100 रुपये
64	150	**श्री रा० की अमीन** :	छः मास की समय-सीमा निश्चित करके नर्बदा नदी न्यायाधिकरण का कार्य शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
64	151	**श्री रा० की अमीन :**	गुजरात राज्य में काकरपाड़ा और उकोरी सिंचाई परियोजनाओं का कार्य शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
64	152	**श्री रा० की अमीन :**	चौथी योजना-अवधि में उत्तरी गुजरात क्षेत्र में एक बिजली-घर बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
65	153	**श्री ओम प्रकाश त्यागी :**	सिंध जल संधि के 10 वर्ष पश्चात् भी, सतलुज, व्यास और रावी नदियों के जल का पूर्ण उपयोग न करना ।	100 रुपये
65	154	**श्री ओम प्रकाश त्यागी :**	छोटे बांधों के प्रति की जा रही निरन्तर उपेक्षा ।	100 रुपये
65	155	**श्री ओम प्रकाश त्यागी :**	गंगा और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में अपार भूमिगत जल-भण्डार का उपयोग न करना ।	100 रुपये
65	156	**श्री ओम प्रकाश त्यागी :**	देश के सभी राज्यों में समान आधार पर सिंचाई योजनाएं पूरी न करना ।	100 रुपये
65	157	**श्री ओम प्रकाश त्यागी :**	बाढ़ से प्रति वर्ष होने वाली करोड़ों रुपयों की हानि न रोकना ।	100 रुपये
65	158	**श्री ओम प्रकाश त्यागी :**	बाढ़ के दौरान भूमि के कटाव के कारण नदियों का फैलाव रोकने में असफलता ।	100 रुपये
126	159	**श्री ओम प्रकाश त्यगी :**	देश के विद्युतीकरण में गांवों की उपेक्षा ।	100 रुपये
126	160	**श्री ओम प्रकाश त्यागी :**	बिजली न देने के कारण उद्योगों की दृष्टि से गांवों का पिछड़ा रहना ।	100 रुपये
126	161	**श्री ओम प्रकाश त्यागी :**	बिजली देने में कृषि की अपेक्षा उद्योगों को प्राथमिकता देना ।	100 रुपये
126	162	**श्री ओम प्रकाश त्यागी :**	बिजली की समुचित व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में करने की आवश्यकता ताकि नलकूप बेकार न पड़े रहें ।	100 रुपये
126	163	**श्री ओम प्रकाश त्यागी :**	गांवों में मस्ती दरों पर बिजली न देना ।	100 रुपये
126	164	**श्री ओम प्रकाश त्यागी :**	राजस्थान में राजस्थान नहर के निर्माण में ढिलाई ।	100 रुपये

श्री श्रीचन्द्र गोयल पीठासीन हुए

Shri Shrichand Goel in the Chair

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani): I have a point of order. I have not been allowed to speak on my cut motion.

Mr. Chairman: 15 minutes have been allotted for the cut motions on the demands of the Ministry of External Affairs. The Hon. Members may please place their cut motions at that time.

Shri Shiv Chandra Jha: On this very issue I have a point of order. We are making mockery of cut motions. If you do not permit us to speak on our cut motion why should we move them at all. I appeal that the democracy should not be played upon like this. I, therefore, want to know specifically whether the mover of a cut motion will be allowed to speak or not ?

Mr. Chairman: Now the cut motions of the demands of the Ministry of External Affairs have already been passed. It is good that you have raised this point and in future every Member will be given an opportunity separately. The Hon. Member will be allowed when the demands of the Ministry of Irrigation and Power will be discussed.

श्री चेंगलराय नायडू (चित्तूर) : भारत जैसे देश में कृषि की सफलता सिंचाई सुविधाओं पर निर्भर करती है। स्वाधीनता के 23 वर्ष बाद भी हमारे यहां 80 प्रतिशत भूमि वर्षा पर निर्भर करती है। यदि सरकार रुचि ले तथा विभिन्न परियोजनाओं के लिये धन दे तो देश की 50 प्रतिशत भूमि को जल सप्लाई किया जा सकता है। यहां चौथी योजना के अन्त तक भी केवल 40 प्रतिशत भूमि की ही सिंचाई हो सकेगी। सभी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में लगभग 30 या 40 वर्ष और लगेंगे। हम लोगों से यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि वे इतनी लम्बी अवधि तक प्रतीक्षा करें। इसलिये हमें यह प्रयत्न करना चाहिये कि लोगों को शीघ्रातिशीघ्र सिंचाई की समस्त सुविधायें उपलब्ध करायें। हमें यह सुनिश्चय करना चाहिये कि अगले 10 वर्षों में सिंचाई के सभी प्रमुख स्रोत उपलब्ध हो जायें।

इस दृष्टि से, चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित परिव्यय बहुत ही कम है। फिर भी यह जानकर संतोष होता है कि सौभाग्य से मंत्री महोदय ने गंडक, राम गंगा, राजस्थान नहर तथा नागार्जुन सागर जैसे बड़ी-बड़ी परियोजनाओं को तुरन्त ही पूरा करने हेतु अधिक धन का आवंटन करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है। श्री कु० ल० राव तथा तत्कालीन वित्त मंत्री श्री मोरार जी देशाई की कृपा से गत दो वर्षों में इस संदर्भ में कुछ प्रगति भी हुई है।

परन्तु इस वर्ष सरकार ने इन परियोजनाओं के कार्य को तेज करने के लिये योजना से अलग कोई विशेष धनराशि नियत नहीं की है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो न जाने देश का क्या होगा क्योंकि राज्य सरकारें अपने सीमित स्रोतों से इन्हें पूरा नहीं कर सकतीं। फिर ये तो राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं। इनके लिये तो केन्द्र सरकार को ही योजना से बाहर इन परियोजनाओं के लिये विशेष धनराशि का नियतन करे ताकि हम वर्ष 1971 तक आत्मनिर्भर हो सकें।

मेरे चुनाव क्षेत्र को तुंगभद्रा परियोजना के बारे में एक शताब्दी से बातचीत चल रही है। दुर्भाग्य की बात है कि सरकार इसे पूरा नहीं कर सकी। आज से 25 वर्ष पूर्व यह परियोजना आरम्भ की गई थी। यह परियोजना सूखाग्रस्त रामदलीय के लिए अत्यन्त आवश्यक है और इसका सबसे

महत्वपूर्ण भाग तुंगभद्रा हाई लैवल कनाल स्टेज-II है। इस बीच मूल्य बहुत बढ़ गये हैं। जहां पहले 15 करोड़ रुपये का अनुमान था, अब लगभग 40 करोड़ रुपये यह अनुमान जाता है। यदि केन्द्र सरकार पहले ही राज्य की सहायता कर देती तो राज्य सरकार इस परियोजना को कम धन में पूरा कर लेती। अब भी सरकार ने चौथी योजना में कुल 13 करोड़ रुपये निर्धारित किये हैं। इस थोड़ी धनराशि से तो इस योजना के पूरा होने में अनेक वर्ष लग जायेंगे। अत: सरकार को इस परियोजना के महत्व को समझ कर और अधिक धनराशि निर्धारित करनी चाहिये ताकि इसे शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जा सके और इन सूखे क्षेत्रों को सिंचाई का लाभ उपलब्ध कराया जा सके।

हम सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के लिये नये-नये उपाय निकालने का उद्देश्य लिये बैठे हैं परन्तु जब तक हम यह नहीं मानते कि वहां सिंचाई परियोजनायें चालू करने को पहली प्राथमिकता दी जानी है ताकि हमारे इन्जीनियर शीघ्रातिशीघ्र उनका निर्माण कर सकें, हमारे ये उद्देश्य निरर्थक हैं। ये परियोजनायें केवल सिंचाई के लिये ही नहीं प्रत्युत पेय जल की व्यवस्था के लिये भी बहुत जरूरी हैं। केन्द्र सरकार ही इन स्थायी समस्याओं का निराकरण कर सकती है।

देश में विद्युत्-उत्पादन का कार्य बड़ा ही असन्तोषजनक है। विकास के इतने वर्षों के बाद भी हम केवल 150 लाख किलोवाट विद्युत् पैदा कर सके हैं। उद्योग तथा कृषि के क्षेत्र के लिये यह प्रगति नितान्त अपर्याप्त है। हमें कम से कम इससे दुगुनी विद्युत् चाहिये। मेरे राज्य आन्ध्र प्रदेश में विद्युत की बड़ी कमी है और उसे विद्युत् उपलब्ध कराने के लिये आसपास अतिरिक्त विद्युत् वाले राज्यों से भी विद्युत् प्राप्त करने की व्यवस्था नहीं की गई है। यहां कोई केन्द्रीय परियोजना भी स्थापित नहीं की गई है। मद्रास को आन्ध्र प्रदेश के साथ नेवली और कालपक्कम में साझा करना चाहिये जैसा कि तारापुर बिजली केन्द्र का महाराष्ट्र और गुजरात के बीच साझा है और जैसा कि दामोदर घाटी बिजली का साझा पश्चिमी बंगाल और बिहार के बीच है।

मेरे राज्य में बिजली की भारी कमी को देखते हुए सरकार को हमें नेवली तथा कालपक्कम से बिजली देनी चाहिये तथा गोदावरी घाटी में कोयले के निक्षेप से पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहिये। तमिलनाडु में सरकार कोयले से चलने वाला एक बड़ा विद्युत् उत्पादक एकक चालू कर रही है। उन्हें गोदावरी डेलटा से कोयले का परिवहन करना पड़ता है और इसमें लागत बढ़ती है। मेरे क्षेत्र में राम गुंडम क्षेत्र में काफी कोयला है; यदि सरकार वहां एक बिजली परियोजना आरम्भ करे तो उत्पादन लागत बड़ी कम होगी। साथ ही मद्रास, मैसूर या किसी दूसरे ग्राम को भी विद्युत् उपलब्ध कराई जा सकती है। हमें मद्रास की भांति कोई आपत्ति न होगी।

कृषि का महत्व भी उद्योगों से यदि अधिक नहीं तो बराबर जरूर है और वर्तमान कृषि क्रान्ति बिजली के उपलब्ध होने तथा पंपिंग सेटों के उपलब्ध होने पर बहुत निर्भर करती है। मैं तो कहूंगा कि ग्रामीण विद्युतीकरण के द्वारा ही हम कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। विशेष रूप से मद्रास तथा आन्ध्र प्रदेश राज्यों में जितनी अधिक बिजली और पंपिंग सेटों की सुविधा होगी वे उतना ही अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करेंगे। अत: दक्षिणी राज्यों को कृषि कार्य के लिये अधिकाधिक बिजली दी जाये और सूखाग्रस्त क्षेत्रों को तो सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये क्योंकि वहां बैलों अथवा तेल के इन्जनों की सहायता से गहरे कूएं खोदना प्राय: असम्भव है।

बिजली के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि गांवों में उपलब्ध बिजली की वोल्टेज प्राय: बहुत नीचे गिर जाती है और परिणामस्वरूप पंपिंग सेट जल जाते हैं। इस समस्या के समाधान के लिये हमें देश में बड़ी मात्रा में बिजली उत्पादन करने के लिये आवश्यक अध्ययन तथा कार्यवाही करनी चाहिये। मेरा सुझाव है कि केन्द्र सरकार विद्युत् उत्पादन का कार्य सम्भाले। इससे राज्यों में भी बिजली का ठीक-ठीक वितरण हो सकेगा तथा सारे देश में इसकी दरें भी समान रहेंगी। अत: मैं अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार विद्युत् का उत्पादन तथा वितरण करे।

देश में प्रति वर्ष निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार बिजली का कम उत्पादन हो रहा है। हमें इसके कारणों की जांच करनी चाहिये तथा इस सम्बन्ध में आड़े आनी वाली कठिनाईयों को दूर करके बिजली उत्पादन के कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिये।

अन्त में मैं कहूंगा कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में विद्युत् सप्लाई बहुत ही आवश्यक है। इसी से हम छोटे-छोटे उद्योग चला सकते हैं तथा लोगों की क्रय करने की स्थिति में सुधार कर सकते हैं। अत: देश के सूखा और अकालग्रस्त क्षेत्रों में बिजली के विकास के लिये विशेष प्रबन्ध किये जाने चाहिये।

सरकार केन्द्रीय निधि की सहायता से गैर राजनैतिक आधार पर बिजली का उत्पादन करे। आन्ध्र प्रदेश में राजनैतिक कारणों को लेकर ही अभी तक एक भी केन्द्रीय बिजली उत्पादन संयंत्र आरम्भ नहीं हुआ है जबकि गुजरात, मद्रास और महाराष्ट्र में ऐसा है। आन्ध्र में काफी कोयला उपलब्ध है जो कि बिजली के उत्पादन में भरपूर सहायक है।

डा० करणी सिंह (बीकानेर) : सिंधु जल संधि के समाप्त होते ही सब का ध्यान अकस्मात् ही सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय की ओर आकर्षित हो गया क्योंकि 1 अप्रैल, 1970 के पश्चात् से भारत में बहने वाले पानी का पूरा उपयोग करने के लिये समुचित व्यवस्था और आयोजन न कर सके। हम जानते हैं कि डा० कु० ल० राव अपने विषय के विशेषज्ञ हैं और इस सम्बन्ध में उनकी कुछ कठिनाईयां भी हैं। सरकार को चाहिये कि वह आने वाले वर्षों में देश की सिंचाई आवश्यकताओं को देखते हुए समुचित धनराशि इस मंत्रालय की सहायता को दे।

आज देश में 3900 लाख एकड़ भूमि खेती योग्य है जिसमें से केवल 910 लाख एकड़ भूमि को ही सिंचाई की सुविधायें प्राप्त हैं। केवल 20 प्रतिशत भूमि पर ही खेती होती है। यह बड़ी ही असन्तोषजनक स्थिति है और हमें अपनी कुछ नदियों के जल का उपयोग करने के लिये समुचित कार्यवाही करनी चाहिये जिससे कि सिंचाई उद्देश्यों के लिये जल का उपयोग हो सके। इसको सरकार को धन उपलब्ध कराना होगा।

यह बात तो निश्चित है कि देश में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए यदि हमने अपना खाद्य उत्पादन नहीं बढ़ाया तो हम दूसरे देशों के सामने सदा ही हाथ फैलाते रहेंगे तथा इस प्रकार अपने देश का मान घटाते रहेंगे।

यह दुर्भाग्य की बात है अब भी जो फालतू जल पाकिस्तान को जा रहा है हम उसका उपयोग करने में विलम्ब कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत में 100 लाख फिट पानी उपलब्ध है और लगभग 70 लाख एकड़ फिट जल अब भी पाकिस्तान की ओर जा रहा है। जब एक बार वह संधि समाप्त हो गई तब भी पानी वहां क्यों जाता है। इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पर है।

पिछली बार जब सभा में सिंधु जल संधि पर चर्चा हुई तो मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिये वे पूरी तरह सन्तोषजनक नहीं थे। प्रश्न यह है कि जब भारत में इतना अधिक जल उपलब्ध है, तब लिफ्ट मार्ग लम्बा बनाकर नागपुर और बीकानेर के रेगिस्तानी क्षेत्रों तक लाया जाना चाहिये। रेगिस्तानी क्षेत्रों में लोग जिन कठिनाईयों से रहते हैं उनको मंत्री महोदय ने स्वयं जाकर देखा है और अनुभव किया है। ऐसी स्थिति में मानवीय आधातों पर विचारते हुए देश के रेगिस्तानी क्षेत्रों की सिंचाई परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

दूसरा प्रश्न जिसका मन्त्री महोदय ने साफ-साफ उत्तर नहीं दिया था वह राजस्थान नहर को काण्डला पतन से जोड़ने से सम्बन्धित था ताकि नहर को नौवहन योग्य बनाया जा सके। कदाचित इस परियोजना को जल अथवा धन की कमी के कारण त्याग दिया गया था परन्तु सिंधु जल संधि के समाप्त हो जाने पर तो जल की कमी नहीं रह गई है। धन की कमी के बारे में वित्त मंत्रालय इस परियोजना को सम्भाले।

अकाल पीड़ित श्रमिकों का मामला यद्यपि इस मंत्रालय का विषय नहीं है परन्तु क्योंकि राजस्थान नहर का निर्माण करने के लिये जिन अकाल पीड़ित श्रमिकों को लगाया गया है उनको केवल 12 किलो गेहूं मिल रहा है जो कि ऐसे मजदूरों के लिये तो सर्वथा अपर्याप्त है जो शारीरिक परिश्रम करते हैं। जो 8 किलो ज्वार दी जाती है वह अत्यन्त घटिया किस्म की है तथा खाने योग्य नहीं है। श्रमिकों को पिछले 2 महीने से दूध तथा घी भी नहीं दिया गया है। केवल दाल पर ही रहना बड़ा कठिन है। तीसरे गर्भवती स्त्रियों को अदायगी के मामले में कोई राहत नहीं दी जा रही। यह उनके लिये बड़ा ही खतरनाक है। चौथी बात यह है कि बीमार श्रमिकों को भी कोई राहत नहीं दी जाती। बीमार पड़ जाने पर श्रमिकों को कोई मजूरी नहीं मिलती जिससे उनकी हालत और भी खराब हो जाती है। और सबसे बड़ी शिकायत यह है कि मजूरी काम के अनुरूप नहीं मिलती। मंत्री महोदय यह सुनिश्चय करने की कृपा करें कि मजदूरों को नियमित रूप से उनकी मजदूरी मिले। कई जगह मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि मजूरों के झुण्ड के झुण्ड बेकार रहते हैं। आप काम का समय से पूर्व आयोजन करके उन्हें काम दें ताकि वे बेकार न रहें।

हम हमेशा ही धन की कमी की बात करते हैं। सभा को मालूम है कि गंगा नहर का कार्य राजस्थान के मरुस्थली क्षेत्रों में 43 वर्ष पूर्व आरम्भ किया गया था। इसे महाराजा गंगा सिंह जी ने आरम्भ किया था जो कि मेरे पड़दादा थे। उस समय किसी प्रकार की केन्द्रीय अथवा विदेशी सहायता या आय कर आदि की बात नहीं थी। सारी नहर योजना पर वहां के लोगों की गाढ़ी कमाई लगती थी। अब ऐसा क्यों है कि जब केन्द्र सरकार इस बृहत् योजना को अपने हाथ में लेती है तो अनेक समस्यायें खड़ी हो जाती हैं। राजस्थान नहर योजना वहां की जनता के लिये अत्यन्त आवश्यक है और इसे शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाना चाहिये। इस मंत्रालय की अनौपचारिक परामर्श-दात्री समिति के सर्वसम्मति से इसे केन्द्र के अधिकार में ले लेने की सलाह दी थी। अतः सरकार इसे पूरा करने के लिये गंभीरता से इस मामले पर विचार करे।

गंगा नहर की कुछ समस्याओं के बारे में मैं कुछ कहूंगा। इस नहर के पंजाब वाले भाग में कुछ क्षति हुई और राजस्थान सरकार ने तत्काल ही यह बात केन्द्रीय सरकार के ध्यान में ला दी थी। मगर अब तक इस की मरम्मत नहीं करायी गयी।

आप ने कहा था कि सिंधु जल संधि के समाप्त होने पर हमें 1600 क्यूसेक पानी उपलब्ध होगा। जब करीब 43 वर्ष पहले इस नहर का निर्माण पूर्ण हुआ; इसकी क्षमता 2,700 क्यूसेक थी। अतः इस संधि के समाप्त होने पर हमें 2,700 क्यूसेक पानी मिलेगा।

अंत में, इस नहर क्षेत्र में अधिकारियों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ है, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। गंगा नहर राजस्थान का खाद्य भंडार है, पुलीस निरीक्षक या अन्य छोटे राजस्व अधिकारियों के पदों के लिये हजारों रुपये रिश्वत देना पड़ता है क्योंकि भ्रष्टाचार के जरिये वहां से ये अधिकारी उसके दुगुने या तिगुने रुपये कमा सकते हैं। वहां यह स्थिति कायम है। मैं चाहता हूं कि आप इस मामले पर विचार करें और वहां नंगे रूप से जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उसको खतम करने की कोशिश करें। मैं आशा करता हूं कि सिंचाई परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी जायगी।

श्री को० सूर्य नारायण (एल्लूरू)* : सभापति महोदय, सूखा, आवश्यक धनराशि का अभाव आदि कारणों से हमारे राज्य में सिंचाई मंत्रालय अपेक्षित कार्य कर नहीं पाया। विदेशों से जो धनराशि उपलब्ध हुई थी, उसका भी उचित ढंग से आवंटन नहीं किया गया। सरकार ने उन परियोजनाओं के लिये खर्च नहीं किया जिनसे शीघ्र फल प्राप्त होने वाला था। निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों के कारण या योजना के कार्यान्वयन सम्बन्धी अनभिज्ञता के कारण पंचवर्षीय योजना का कार्य भी ठीक से नहीं चला। गत वर्ष आन्ध्र प्रदेश में भयानक आंधी के कारण जान-माल को बड़ा भारी नुकसान पहुंचा। अगर सरकार ने आंधी आदि प्राकृदिक प्रकोपों की पहले से सूचना देने वाले राडार-यंत्र की स्थापना की होती तो कुछ हद तक इस भयंकर क्षति को रोका जा सकता। मगर सरकार ने इसका कोई प्रबन्ध नहीं किया। जो हो, यह खुशी की बात है कि सरकार ने अब आन्ध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में रडार-यंत्र की स्थापना करने का निर्णय किया है।

मुझे विश्वास है कि अगर सरकार राजनीतिक और प्रांतीय भावनाओं के अधीन न होकर इन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का काम करेगी तो हमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति प्राप्त होगी या तो योजना के सक्रिय कार्यान्वयन में राज्य सरकार की अक्षमता या राज्य सरकारों को दी गयी धनराशि की अपर्याप्तता के कारण इस क्षेत्र में अभीष्ट उन्नति नहीं हो पायी है। कृष्णा, गोदावरी आदि नदियों में 115 वर्ष पुराने जो कटाव हैं उनमें परिवर्तन लाना और उन्हें शक्तिशाली बनाना कठिन कार्य है। राज्य सरकार ने इस दिशा में सक्रिय कार्य करने के लिये किसानों पर अतिरिक्त कर लगाने का प्रस्ताव किया है। मगर आंधी के कारण जो भारी क्षति हुई थी। उसके कारण इसका कार्यान्वयन नहीं हो सका। फिर भी आन्ध्र प्रदेश सरकार गोदावरी नदी पर बांध के निर्माण का कार्य तेजी से चला रही है जिसका उद्घाटन इस महीने के ग्यारह तारीख को किया जायगा।

आन्ध्र प्रदेश हमारे देश का खाद्यान्न भंडार है। राज्य के कुल खाद्योत्पादन में आठ से दस लाख टन तक खाद्यान्न का उत्पादन कृष्णा और गोदावरी के दो जिलों में होता है। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि आन्ध्र प्रदेश के किसान लोग व्यापारिक वृत्ति वाले नहीं हैं। इसीलिये हम खाद्यान्न के मामले में अन्य राज्यों की सहायता कर सके हैं। राज्यों के लिये धन राशि के आवंटन का मानदंड

*मूल तेलेगु के अंग्रेजी अनुवाद से अनुदित।

Translated from English translation of the speech delivered in Telegu.

वहां की जनसंख्या और वहां से प्राप्त आय कर माना गया है। चूंकि दक्षिण भारत के राज्यों में परिवार नियोजन का तेजी से कार्यान्वयन किया जा रहा है, इसीलिए आवंटन के मामले में हमें नुकसान पहुंच जाता है। उसी प्रकार, चूंकि हमारा राज्य औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, अतः आय कर भी दूसरे राज्यों की अपेक्षा बहुत कम प्राप्त होता है। इसका हम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

आन्ध्र राज्य इस विशाल देश का ही अंग है। हमारे किसान खाद्यान्नों का अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन करते हैं, और इसके द्वारा जिन राज्यों में खाद्यान्नों की कमी है, उस की वे पूर्ति करते हैं। सरकार जब परियोजनायें बनाती है, तो राजनैतिक या प्रान्तीयता के प्रभावों से मुक्त रहनी चाहिए। उन्हें ऐसी परियोजनाओं का निर्माण कार्य स्वयं संभालना चाहिए जिनसे शीघ्र फल प्राप्त होगा चाहे वह देश के किसी भी भाग में क्यों न हो। तभी हम सूखा, अकाल आदि प्रकोपों का मुकाबला कर सकते हैं।

कृषि के क्षेत्र में नए तकनीकों के विकास हो गये हैं। इसीलिए अगर किसानों को बिजली की सुविधायें प्रदान की जाती हैं, तो वे अधिक उत्पादन कर सकते हैं। नैवेलो जैसी केन्द्रीय परियोजना में जो बिजली पैदा की जाती है वह पड़ोसी राज्यों को भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। हमारे राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है, जो एक बृहत् परियोजना है और जिसके निर्माण को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन राज्य सरकार के पास नहीं है। यदि इसके निर्माण का भार केन्द्र सरकार ने लिया होता, तो इस समय इसके निर्माण में जो भारी व्यय होता है, उससे कई अन्य परियोजनायें राज्य सरकार बना सकती। इन बातों को ध्यान में रखकर अगर केन्द्र सरकार योजना की रूपरेखा बनायेगी और उसका प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वयन करेगी, तो हम देश की और अधिक सेवा कर सकेंगे। आन्ध्र प्रदेश के किसान अधिक उत्पादन करते हैं तो वह केवल उनकी आवश्यकतायें निभाने के लिए नहीं है, तमाम देश की भलाई के लिए है।

देश में बिजली का प्रतिव्यक्ति उपभोग 79 है जब कि आन्ध्र प्रदेश में यह केवल 31 है। अगर बिजली पर्याप्त मात्रा में किसानों को उपलब्ध कराई जायेगी, तो हम खद्यान्न के क्षेत्र में स्वावलम्बी बन सकते हैं। हमारे राज्य में किसान लोग पैसा देकर अपने खेतों के लिए बिजली प्राप्त करते हैं। धनराशि उन्हें अपनी जमीन भूमि बन्धक बैंक में बन्धक रखने से मिलती है। इस प्रकार हम पांच योजनायें पूरा कर सके। मानवीय मंत्री श्री शिन्दे ने इनमें से एक योजना का उद्घाटन किया था। इस सिलसिले में मैं मित्र कमेटी के प्रतिवेदन के बारे में याद दिलाना चाहता हूं। जहां तक मैं समझता हूं इस प्रतिवेदन में सूखा और अकाल से रक्षा पाने के कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये थे। मगर इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। आन्ध्र में 200 वर्गमील क्षेत्रफल का एक झील है जिस का नाम कोल्लेरु झील है। कोल्लेरु की बाढ़ नियंत्रण और जलोत्सारण योजनाओं को शीघ्र पूरा किया जायगा तो हम उत्पादन को और अधिक बढ़ा सकते हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हाल में ओला पड़ने से 21 गाँवों में भारी क्षति हुई है। वहां किसान बुरी तरह कष्ट उठा रहे हैं। भारी ऋण चुकाने में असमर्थ रहने के कारण तीन किसानों ने आत्म हत्या करने की कोशिश की। बाद में राज्य सरकार ने उनकी सहायता की। हमें अपनी आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रख कर योजना बनानी चाहिए। जनता सरकार का साथ देगी।

अंत में मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि वे बिजली एवं सिचाई मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित मुख्य परियोजनाओं को महत्व देकर उनके निर्माण में पहल करें ताकि देश में उत्पादन अधिक बढ़े ।

श्री रामचन्द्र ज० अमीन (मेहसाना) : सिंचाई योजना के अभाव में गुजरात के अधिकांश जिलों को हर तीसरे वर्ष सूखे का सामना करना पड़ता है । पिछले दस वर्षों से नर्मदा योजना का उपयोग नहीं किया गया है । जब तक गुजरात में सिंचाई परियोजना नहीं होगी तब तक प्रत्येक तीसरे वर्ष पड़ने वाले सूखे को नहीं रोका जा सकता । सिंचाई करने के दो तरीके हैं : या तो बड़ी नदियों एवं नहरों को विकसित किया जाय अथवा फिर ट्यूबवैल के जरिए भूमि के नीचे से नलों द्वारा जल पहुंचाया जाए । गुजरात में बहुत कम ट्यूबवैल हैं । सरकार को भूमि के नीचे से नलों द्वारा जल पहुंचाने, पर्याप्त धन का आवंटन करने एवं ट्यूबवैल के साधनों के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए । उत्तरी गुजरात गुजरात का अन्नभंडार है और वहां के कृषक भी परिश्रमी हैं और वे आधुनिक यंत्रों से खेती करते हैं । परन्तु पानी के अभाव के कारण वांछित फसल प्राप्त नहीं होती । यदि सिंचाई योजनाओं को क्रियान्वित किया जाए तो हम अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हो सकते हैं और यह लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब कि जलाभाव के कारण बंजर भूमि में सिंचाई की व्यवस्था की जा सके ।

दूसरा प्रश्न विद्युत् शक्ति का है । कृषकों को रात के 8 बजे के बाद से सुबह पांच बजे तक के लिए विद्युत् शक्ति दी जाती है । दिन भर कड़ी मेहनत के बाद उनके लिए रात को विद्युत् शक्ति का प्रयोग करना कठिन हो जाता है । जहां तक ऊष्मा शक्ति केन्द्रों एवं अणु शक्ति केन्द्रों का सम्बन्ध है, उन्हें गुजरात में अभी तक चालू नहीं किया गया है । अणु शक्ति केन्द्र को चालू किया जाना चाहिए और दक्षिणी गुजरात में ऊष्मा शक्ति केन्द्र होना चाहिए ताकि वहां के कृषक दिन में इसका प्रयोग कर सकें । कच्चे तेल से चलने वाले इंजिनों का प्रयोग काफी मंहगा पड़ता है । अतः उन्हें विद्युत् शक्ति दी जाए ताकि उन्हें राहत मिले । इसके अतिरिक्त उत्पादन के लिए यह साधन सस्ता पड़ता है । मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वे उत्तरी गुजरात में विद्युत् शक्ति केन्द्र की स्थापना के लिए प्रयत्न करें ।

साबरकंठा, बांसकंठा तथा उत्तरी गुजरात जैसे सूखा पीड़ित इलाकों के लिए ट्यूबवैल खोदने के लिए सरकार को आवश्यक धन प्रदान करना चाहिए । यदि सरकार आवश्यक कार्रवाही करे तभी गुजरात अधिक उत्पादन कर सकता है और वहां की जनता सूखे से मुक्ति पा सकती है ।

श्री बृजराज सिंह-कोटा (झालवाड़) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान नहर जो कि इस देश की एक महत्वपूर्ण नहर है, के बारे में कुछ कहूंगा । यह संसार की सब से बड़ी नहर है । यह 292 मील लंबी है और इस की फीडर नहर 134 मील लंबी है । इसकी शाखाओं की कुल लम्बाई 3,874 मील होगी और उपशाखाओं की लम्बाई 40,000 मील होगी । इसकी अनुमानित लागत 200 करोड़ रुपये है । इसके द्वारा नदियों के पानी का 52 प्रतिशत उपयोग किया जा सकता है । मगर अब तक इस का एक भाग भी पूरा नहीं हुआ । इस बड़े नहर के निर्माण से हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी । इससे कृषि-उद्योग और यंत्रीकृत खेती में विकास होगा । सिंधु जल संधि के समाप्त होने पर भी 25 प्रतिशत जल पाकिस्तान को प्राप्त हो रहा है । अगर यह नहर निश्चित समय के अन्दर पूरा हो

जायगा तो उससे हमारी प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं की भी पूर्ति होगी। हिमाचल प्रदेश या अन्य प्रदेशों से लोगों का यहां पुनर्वास किया जा सकता है। सेवानिवृत्त सैनिकों को भी यहां बसाया जा सकता है। सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त होने से यहां की जमीन लहलहाते खेतों में परिणत हो जायेगी और सच्चे अर्थ में हमें क्रांति होगी। कम से कम 50 लाख मीटरिक टन खाद्य का उत्पादन किया जा सकेगा। अगर सरकार ने इस नहर के निर्माण के लिये प्रर्याप्त धन राशि की व्यवस्था की होती तो उसका काम अब तक पूरा हो जाता। अगर मेरी जानकारी ठीक है तो सरकार हर वर्ष 5 से 6 करोड़ रुपये इस नहर के लिये देती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, राज्य में समय-समय पर हुई सूखा, अकाल आदि प्रकोपों के कारण जो भारी क्षति हुई है, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। यह राज्य ऐसा है जहां पिछले कई वर्षों से एक इंच पानी भी नहीं बरसा। पिछले वर्ष सरकार ने सूखा एवं अकाल पीड़ितों की राहत के लिये 40 करोड़ रुपये खर्च किये। अगर सरकार ने नियमित रूप से इस नहर का निर्माण कार्य किया होता तो हम लोग सूखा एवं अकाल से मुक्त हो जाते। दुख की बात है कि अब तक यह कार्य पूरा नहीं हुआ।

जैसा कि आप जानते हैं, विश्व बैंक को दिये गये बचन के आधार पर पोंग बांध 1972 या 1973 में पूरा हो जाना चाहिये। जहां बांध बन रहा है वहां से 60,000 लोगों को हटाया जायगा और उनके पुनर्वास के लिये 3 लाख एकड़ जमीन चाहिये। अगर राजस्थान नहर का निर्माण पूरा कर के जमीन की सिंचाई का प्रबन्ध नहीं किया जाता। तो वहां लोगों का पुनर्वास कैसे किया जा सकता है? हिमाचल प्रदेश के जो लोग बहां बसते हैं क्या उन्हें रेगिस्तानों में रहने के लिये जगह दी जायेगी? सरकार को इस मामलेपर गंभीर रूप से विचार करना चाहिये।

हिमाचल प्रदेश में सरकार अब एक बिजली घर की स्थापना कर रही है जो भाकड़ा से दुगुना बड़ा होगा। इसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश वालों को बिजली सस्ती दर में उपलब्ध नहीं होती। यह एक घोर अन्याय है और सरकार को इस मामले में उचित न्याय करना चाहिये।

चम्बल सिंचाई परियोजना के बारे में मैंने कई बार माननीय मंत्री महोदय से कहा है। वहां इस परियोजना के कुचालन के कारण बहुत अधिक जमीन जलग्रस्त हो गयी है। मनसून वर्षा के पहले ही 3 तीन लाख एकड़ जमीन का 9 प्रतिशत भाग जल-ग्रस्त हो गया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1968 अक्टूबर महीने में 83,000 एकड़ जमीन 0' से 5' तक और 2,19,000 एकड़ जमीन 0' से 10' तक जलग्रत हो गयी। यहां की मिट्टी में जो क्षारगुण है और मिट्टी का जो कटाव होता है, वह भी एक गंभीर खतरा है। वहां संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास दल कार्य कर रहा है। हंगरी, पोलैण्ड, चैकोस्लोवाकिया आदि देशों के प्रवीण लोग जो इस दल के सदस्य हैं इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। मगर उनके कथनानुसार अभी तक इस खतरे को टालने का कोई ठोस कार्यक्रम निश्चित नहीं हो पाया।

चम्बल के संबन्ध में रिपोर्ट में बताया गया है कि वहां पानी कम आने के मुख्य कारण हैं—गांधी सागर बांध में पानी का कम आना, मुख्य नहरों में हुई टूट-फूट के कारण पानी का अन्य दिशाओं में बह जाना और फसल चक्र में परिवर्तन। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि पानी के कम आने एवं पूर्ण रूप से उपयोग न करने के कारणों का पता लगाया जाये।

सरकार ने बड़े नहर के दाहिनी ओर के नहर में 6,000 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराने

का वायदा किया था। मगर हमें केवल 4000 क्यूसेक पानी ही मिलता है। जब गेहूं का पौधा बढ़ जाता है, और पानी की मांग बढती जा रही है, तो पानी में इस तरह की कमी बहुत अधिक कठिनाइयां पैदा करेगी। उप-नहरों में घास बढ़ जाने से पानी का प्रवाह कहीं-कहीं रुक जाता है और खेतों को पानी मिलना कठिन हो जाता है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिये।

हमारे प्रदेश में कई उठाऊ सिंचाई परियोजनायें हैं। यहां गांधी सागर बांध है, प्रताप सागर बांध है और बहुत जल्दी ही परमाणु शक्ति-परियोजना स्थापित की जायेगी। इन सब के होते हुए भी वहां पर्याप्त संख्या में पावर लाइनें नहीं लगाई गयीं। पावर-लाइनों से पम्प चलाया जायगा और किसानों को पानी मिल जायगा। इस समय डीजल पम्प सेटों की दर एकड़ पर 108 रु० से 152 रु० है। यह धनिक किसानों की भी शक्ति के बाहर है, तो मामूली किसानों के बारे में कहना भी क्या ? अतः मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि किसानों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इस प्रदेश में पावर लाइनें लगाने का प्रबंध किया जाय। हमारा प्रदेश भारी मात्रा में जल विद्युत् पैदा करने वाला है। अतः हमें भी इसका उचित अंश मिलना चाहिये।

हम लोग ही चम्बल से पन-बिजली पैदा कर रहे हैं, इसलिए इसके उपयोग का पहला हक हमें ही होना चाहिए। यहां के किसानों को विशेष रूप से यह बिजली मिलनी चाहिए।

काहनपुर तहसील में भीमसागर परियोजना पिछले 23 वर्षों से लटकी हुई है। 16 लाख रुपये पहले ही इस पर व्यय हो चुके, पर सिंचाई के नाम पर एक बीघा जमीन भी नहीं सींची गई। इसके पास ही कोटा जिले की रामगंज मन्डी तहसील में हरिगढ़ परियोजना है, जिसे केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने मंजूरी दे दी है तथा उनके अनुसार इस पर 60 लाख रुपये खर्च होंगे तथा इससे 10,000 बीघा से अधिक जमीन की सिंचाई हो सकेगी। सरकार को चाहिए कि वह परियोजना की जांच करे और राज्य सरकार को इसे शीघ्र चालू करने को कहे, जिससे लोग इसका लाभ उठा सकें। कम खर्चे वाले छोटे-छोटे बांध बनाए जाने चाहिए। बिजली के पम्प लगाने से लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : एक माननीय सदस्य ने अभी-अभी कहा है कि कुछ समाचार पत्रों ने यह खबर छापी है कि सिंधु जल संधि समाप्त होने पर भी जल का पूरा उपयोग नहीं किया गया है तथा वह बराबर पाकिस्तान के प्रदेश में बहता रहा है। उनका यह भी कहना है कि इसकी पुष्टि कुछ अधिकारियों ने भी की है। पंजाब सरकार के सिंचाई विभाग सचिव का यह कहना है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित यह समाचार सत्य नहीं है तथा पंजाब सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई भी औपचारिक वक्तव्य प्रचारित नहीं किया है। डा० कु० ल० राव द्वारा लोकसभा में 1-4-1970 को दिया गया वक्तव्य वस्तुतः गलत नहीं था।

राजस्थान नहर और गंगनहर और जैसलमेर आदि सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने पर मैंने देखा है कि उपलब्ध जल का अधिक से अधिक उपयोग करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में बिजली की खपत काफी बढ़ गई है। 1950-51 में जो 18 किलोवाट प्रति घंटे प्रति व्यक्ति थी वह 1969-70 में बढ़ कर 83 किलोवाट हो गई है।

देश के 84,000 गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है। गांधी शताब्दी वर्ष के दौरान हमारी योजगा एक लाख गांवों में बिजली पहुंचाने की है। राज्य सरकारों के सम्बन्धित मन्त्री हमारे इस कार्यक्रम से सहमत हैं तथा राज्य सरकार इस दिशा में उचित कदम उठा रही हैं। परन्तु संसाधनों और साधनों की प्राय: कमी रहने के कारण उतनी प्रगति नहीं हो पा रही है जितनी कि होनी चाहिए थी। हम इन कठिनाइयों को दूर करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार और विद्युत् बोर्डों के मिले-जुले प्रयत्नों के फलस्वरूप हम कृषि कार्यों में, इसके लिए पैदा की गई कुल बिजली का 26 प्रतिशत उपयोग में ला रहे हैं।

गांवों में बिजली सप्लाई करने में मदद देने के लिए ग्रामीण विद्युत निगम स्थापित किया गया है। चौथी योजना के दौरान राज्यों में उपलब्ध कुछ संसाधनों के अधिक से अधिक 29 प्रतिशत का बिजली के विकास और उत्पादन में उपयोग किया जायेगा। यह एक बड़ी रकम होगी। निगम भी इसके लिए योजना के उपबन्धों से बाहर अन्य संसाधन जुटाएगा। राज्यों की विभिन्न योजनाओं को मंजूरी देते समय निगम उन राज्यों का विशेष ध्यान रखेगा जिनमें अभी गांव में बिजली पहुंचाने में अधिक प्रगति नहीं हुई है।

देश भर में बिजली की समान दरें करने के लिए हम एक राष्ट्रीय ग्रिड बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

चौथी योजना में हमने बिजली उत्पादन में जितना धन व्यय करने की व्यवस्था की है वह तीसरी योजना से ढाई गुना अधिक है, जिससे यह लक्षित होता कि हम बिजली की बढ़ती हुई मांग से पूरी तरह अवगत हैं। हमें यह आशा भी है कि जो कदम उठाए जा रहे हैं उनके साथ कम वोल्टेज और अन्य मामलों सम्बन्धी शिकायतों में भी काफी कमी की जायेगी।

राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्णय के अनुसार हम सिंचाई के लिए पम्पिंग सेटों के लिए बिजली की सप्लाई को प्राथमिकता दे रहे हैं। अभी तक हम 13 लाख पम्पिग सेटों को बिजली दे चुके हैं।

दिल्ली में हिप्पी
HIPPIES IN DELHI

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर) : आजकल हम देखते हैं कि हिप्पियों ने हमारे देश पर एक तरह से धावा बोल दिया है। उनके विचित्र रहन-सहन का हमारे बच्चों के मन पर और उनकी नैतिकता पर बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो बड़ा ही खतरनाक और हानिकर है। सरकार को इस बात पर बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

ये हिप्पी कौन हैं ? कहां से आ रहे हैं ? किसलिए आ रहे हैं ? इन सब बातों पर हमें गम्भीरता से सोचना चाहिए। उनके अपने परिवारों और देशों ने उन्हें त्याग दिया है।

पहले वे केवल दिल्ली में ही दिखाई देते थे, पर अब देश के कोने-कोने में उन्हें देखा जा सकता है। वे समाज विरोधी गतिविधियों में भाग लेते हैं और उनमें से अधिकतर नशीली चीजें खाने के आदी हैं।

हमारे बालकों ने अपने कठिन परिश्रम से इस देश का विकास किया है। उनकी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं। यदि हमारे बच्चों को इन हिप्पियों से मिलने दिया गया तो वे भी हिप्पियों का अनुकरण करने लगेंगे। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि हिप्पियों की समाजविरोधी गतिविधियों को देखते हुए भी सरकार उन्हें क्यों आने दे रही है ?

हम चाहते है कि यात्री हमारे देश में आएं और हमारे ऐतिहासिक स्थानों को तथा अन्य दर्शनीय वस्तुओं को देखें। हम उनका स्वागत करेंगे। पर हम यह नहीं चाहते कि हिप्पी हमारे देश में आएं और हमारे सामाजिक वातावरण को दूषित करें और बच्चों को गलत राह पर डालें। इसलिए इसे रोकने के लिए कुछ न कुछ जितनी जल्दी हो सके किया जाना चाहिए।

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): देश में आने वाले हिप्पियों के सम्बन्ध में हम विचार करते रहे हैं तथा वे हमारी सुरक्षा, हमारे समाज, विश्वविद्यालय के युवकों या संवेदनशील अवस्था के युवकों पर जितना प्रभाव डाल सकते हैं उसका अन्दाज लगाने का सरकार ने प्रयत्न किया है।

जहां तक सुरक्षा का सवाल है, हिप्पियों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। उनका सामाजिक और व्यक्तिगत नैतिक मामला इतना गंभीर नहीं है, जिसकी ओर वास्तव में इस संसद का ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए। जिस मुख्य विषय की हमें चिन्ता है वह उनकी अवैध औषधियों और इसी तरह की अन्य चीजों का अवैध व्यापार करना है जिनके सेवन से सेवन करने वालों के न केवल शरीर पर बल्कि मस्तिष्क पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।

वे भारत में विभिन्न कारणों से आ रहे हैं। एक कारण यह है कि हम लोग विभिन्न प्रकार के रहन-सहन के तरीकों को और पोशाकों को अपना लेते हैं। आने वालों के प्रति हमारी उदारता भी इसका एक कारण हो सकता है। यह हमारे देश की परम्परा रही है।

यह कहना सही नहीं है कि इन हिप्पियों को इनके परिवार और देश ने छोड़ दिया है। जहां तक मेरी जानकारी है कुछ विशेष मनस्थिति के व्यक्ति इस हिप्पी जीवन को अपनाते हैं। यहां आने वाले अधिकांश हिप्पी धनी परिवारों से सम्बन्धित हैं। वे कभी-कभी इस जीवन को अस्थायी रूप में अपनाते हैं और बाद में पुनः सामान्य जीवन को अपना लेते हैं। अतः यह कहना कि वे निकाले गये हैं तथा यहां आकर हमारे लड़कों लड़कियों के सामाजिक और व्यक्तिगत नैतिकता पर आघात करने की कोशिश करते हैं, सही नहीं है।

उनके यहां आने का कारण यहां का सादा और सस्ता जीवन भी है। इस सम्बन्ध में 1968 में दिल्ली प्रशासन ने हिप्पियों पर कुछ रोक लगाई थी तथा छानबीन के दौरान मादक द्रव्यों का व्यापार करने के दोषी पाए गये हिप्पियों को सजाएं दी गईं थीं। पर एकमात्र इस कारण से हम इनके यहां आने पर रोक नहीं लगा सकते।

समाचार-पत्रों और संसद में भी जब इस मामले को उठाया गया तो उसके बाद हमने हिप्पियों के प्रभाव के बारे में अधिक सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन करने का निर्णय किया है। इस बात का पूर्ण अध्ययन किया जा रहा है कि यह लोग कब आते हैं, वे क्या करते हैं, उनका हमारे लड़के-लड़कियों पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या यह लोग मादक द्रव्यों या औषधियों का कोई अवैध

व्यापार करते है ?यह अध्ययन इस वर्ष के अन्त तक पूरा होने की संभावना है। अभी तक हमें इस विषय पर जो जानकारी उपलब्ध है वह हमें किसी भी प्रकार इस बात के लिये बाध्य नहीं करती कि हिप्पियों के प्रवेश पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध लगाया जाये।

माननीय सदस्य ने अभी इस सम्बन्ध में पाकिस्तान का उल्लेख किया। उन्हें शायद मालूम नहीं है कि इस प्रकार के सामाजिक विषयों पर निर्णय लेते समय भारत का दृष्टिकोण पाकिस्तान से पूर्णतया भिन्न होता है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम हिप्पियों की समस्या पर तीन पहलुओं से विचार कर रहे हैं ; प्रथमत: हमारे देश की सुरक्षा, दूसरे अवैध नशीली वस्तुओं आदि का व्यापार और तीसरे हमारे युवक और युवतियों पर इन लोगों के रहन-सहन का प्रभाव। यदि हमें यह पता चल जाये कि इन लोगों का इन तीनों ही दृष्टियों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो हम इस बात को कोई महत्व नहीं देंगे कि कितने ऐसे लोग भारत में आते हैं या कितने भारत से चले जाते हैं। हम इन लोगों के प्रति कोई कड़ा रवैया नहीं अपनाना चाहते क्योंकि कई बार यह लोग केवल हमारी आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिये ही हमारे साथ मिलना-जुलना चाहते हैं। इसीलिये यह कभी बनारस जैसे तीर्थ स्थान पर तो कभी मैसूर आदि जाते हैं। अभी तक हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं आया जिसके आधार पर हम यह कह सकें कि यह लोग हमारे देश की सुरक्षा के लिये खतरा हैं।

हिप्पियों की कोई स्पष्ट परिभाषा तो नहीं है परन्तु इतना ही कहा जा सकता है कि यह वह विदेशी लोग होते हैं जो अवारा किस्म के होते हैं और जिनकी वेशभूषा असाधारण होती है। सामान्य सामाजिक रहन-सहन के तरीकों का उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता। मुख्य बात मैं इस सम्बन्ध में यही कहना चाहता हूं कि इन लोगों की गतिविधियों के पूर्ण अध्ययन के बाद ही हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे।

श्री कुण्डू (बालासौर): यह एक महत्वपूर्ण समस्या है। पहले तो मैं यह जानना चाहूंगा कि जो व्यक्ति लम्बे बाल रख लेता है, नंगे पांव घूमता रहता है या फिर ऐसे कपड़े या जूते पहनता है जो हमारी वेशभूषा के अनुरूप नहीं होते, वह हिप्पी होता है या हिप्पी वह व्यक्ति होता है जो चरस तथा अन्य इसी प्रकार की वस्तुओं को सेवन करता है।

हमें इस समस्या पर संवेदनशीलता से विचार कर यह जानने का प्रयत्न करना होगा कि यह लोग अमरीका और योरुप के देशों से एशिया में अधिकाधिक क्यों आ रहे हैं। क्या वह उन देशों, परम्पराओं के प्रति विद्रोह करना चाहते हैं या उनकी सभ्यता संस्कृति और धर्म से उनका विश्वास ही उठ गया है।

यह समस्या भीष्म रूप भी धारण कर सकती है यदि समय पर इसका समाधान न खोजा गया। यह ठीक है कि कुछ लोग हमारी संस्कृति के आकर्षण से तो कुछ हमारे संगीत के प्रभाव से यहां आ रहे हैं। इसीलिए मैं मन्त्री महोदय से यही निवेदन करूंगा वह इन लोगों को न तो तस्कर व्यापारी ही समझें और न ही देशद्रोही। उन्हें इस समस्या समाधान करने के लिये 500 के करीब हिप्पियों से विभिन्न प्रश्न पूछ कर सम्पूर्ण समस्या का अध्ययन कर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिये। हमें इन लोगों को घृणा की दृष्टि से नहीं वर्ण दया की दृष्टि से देखना चाहिये, इन लोगों का प्रभाव हमारे समाज पर अच्छा भी पड़ सकता है। यह लोग वेतनाम की गोलियों और अफ्रीका के उत्पीड़न के प्रति विद्रोह करना चाहते हैं। सम्भवत: वह इस पेशा के बारे में इसीलिए

अधिक से अधिक जानना चाहते हैं । इसीलिये मेरा यह निवेदन कि इस समस्या का अध्ययन सामाजिक पद्धति पर किया जाना अभीष्ट है । उसके लिए किसी प्रकार की परम्परागत या परिपाटीबद्ध पद्धति से अध्ययन नही किया जाना चाहिये ।

Shri Rabi Ray (Puri) : It is an interesting as well as a serious problem. I do not agree with Shri Damani that Hippies are a security problem. On the other hand, I agree with Shri Shukla that we should adopt a sympathetic attitude towards these people.

Why Hippies are migrating to India ? Do they want to revolt against the civilization and luxurious way of living in their countries ? Or do they want to have a real glimpse of India and its integrated philosophy. I do not want that Hippies should influence the youths of our country and they should also revolt against our own culture. May I know what the Government is going to do to check this influence and by which time the promised study of the problems will be completed and put up to the House.

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर) : मन्त्री महोदय ने बताया कि समस्या का अध्ययन किया जा रहा है जिसका परिणाम एक वर्ष तक प्राप्त हो जायेगा । मेरा विचार है कि एक वर्ष तक इन्तजार करना बेकार है क्योंकि इन लोगों ने हमारे युवक-युवतियों को बुरी तरह से प्रभावित करना आरम्भ कर दिया हुआ है ।

श्री क० लकप्पा (तुमकर) : सिंगापुर आदि कुछ अन्य देशों में हिप्पी लोगों के लिये विशेष योजना होती है, ज्यों ही यह लोग समाज के लिए खतरा बनने लगते हैं, उन्हें सरकारी खर्चे पर पुन: उनके देश वापिस भेज दिया जाता है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि हम इस समस्या के प्रति बहुत उदारतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं । हम यह भी नहीं चाहते कि हमारी युवक संतति पर इन लोगों का कोई दुष्प्रभाव हो और न ही हम यह चाहते हैं कि इन लोगों की अवैध औषधियों के सेवन हमारे लोगों के शरीर अपितु मस्तिष्क पर कोई बुरा प्रभाव पड़े । मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक यह लोग हमारे सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते, हमारी कानून व्यवस्था को कोई हानि नहीं पहुंचाते, तब तक हम इन्हें कुछ नहीं कहेंगे परन्तु जब ही हमें यह विश्वास हो गया कि इन लोग का कोई अनुचित प्रभाव पड़ रहा है त्योंही हम इन लोगों के प्रति अपना रवैया बदल लेंगे ।

उसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार 9 अप्रैल, 1970/चैत्र 18, 1892 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then abjourned till eleven of the clock on Thursday, April 9, 1970/ Chaitra 18, 1892 Saka.

Printed at Eagle Offset Printers, 15, Thornhill Road, Allahabad.